Wednesday, 11 May, 1966

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

Preservation Unit
18-6-97
Fumigated
On 30-12-83
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 55 में अंक 51 से 60 तक हैं
Vol. LV contains Nos. 51 to 60]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूचि/CONTENTS

अंक 57—बुधवार, 11 मई, 1966/21 वैशाख, 1888 (शक)

No. 57—*Wednesday, May* 11, 1966/*Vaisakha* 21, 1888 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1601	निर्वाह-व्यय सूचकांक	Cost of Living Index . . .	8245–47
1603	अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय महासागर अभियान	International Indian Ocean Expedition	8248–49
1604	गण्यमान्य व्यक्तियों के लिये यातायात सम्बन्धी अग्रता	Traffic Precedence for V.I.Ps.	8250–51
1605	नजरबन्द व्यक्ति	Detenus	8251–56
1606	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय कैम्पस में हुई घटना	Incident in B.H.U. Campus .	8256–60
1609	बेरोजगार लोगों का बीमा	Insurance for Jobless People	8260–62
1610	पुस्तकालय आन्दोलन	Library Movement . . .	8262
तारांकित प्रश्न संख्या 1607 के सम्बन्ध में		Re. S. Q. No. 1607 . . .	8263
अल्प सूचना प्रश्न संख्या S. No. Q. No.			
29	विश्व शूटिंग प्रतियोगितायें	World Shooting Championships .	8264–66

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	PAGES
1602	युद्ध-विराम अवधि में भारत को हुई हानि	Indian Losses during cease fire period	8266–67
1607	मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने की मांग	Demand for President's Rule in Madhya Pradesh . . .	8267
1608	विधायकों तथा प्रशासन के बीच सम्बन्ध	Relationship between Legislators and Administration . .	8267
1611	विश्वविद्यालयों में स्वास्थ्य सेवायें	Health Services in Universities . .	8267–68
1612	राष्ट्रपति को भेजे गये तार का अस्वीकार किया जाना	Non-acceptance of Telegram addressed to the President . .	8268
1613	श्री मिहिर सेन की तैरने की सफलता	Swimming Achievement by Shri Mihir Sen	8268
1614	दिल्ली से मिट्टी के तेल का चोरी छिपे बाहर ले जाया जाना	Smuggling of Kerosene from Delhi	8269

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a member indicates that the question was actually asked on the floor of the house by him.

1—73 L.S./66

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1615	तेल कम्पनियों में नौकरी संरक्षण	Job Security in Oil Companies .	8269
1616	पहाड़ी नेताओं का सम्मेलन	Hill Leaders Conference .	8269–70
1617	व्हिटले परिषद	Whitley Council . . .	8270
1618	उड़ीसा में मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil in Orissa	8270
1619	गुजरात में हल्के डीज़ल तेल की कमी . .	Shortage of Light Diesel Oil in Gujarat	8270–71
1620	असिस्टेंटों और क्लर्कों को पूर्व पद पर वापिसी (रिवर्ज़न) के नोटिस	Reversion Notices to Assistants and Clerks	8271–72
1621	विद्रोही मिज़ो लोगों द्वारा जबरदस्ती धन वसूली	Forcible collection of money by Mizo Rebels	8272
1622	बाड़मेर जिले के विस्थापित व्यक्ति	Displaced Persons from Barmer District	8272–73
1623	केरल में हैजे का फैल जाना	Break out of Cholera in Kerala .	8273
1624	दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रौफेसरों तथा रीडरों के विरुद्ध जांच	Probe against Professors and Readers of Delhi University . . .	8273–74
1625	स्कूलों तथा कालिजों के अध्यापकों में असन्तोष	Discontent among School and College Teachers . . .	8274
1626	कृत्रिम गैस संयंत्र (सिन्थेटिक गैस प्लांट)	Synthetic Gas Plant . . .	8275
1627	केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का सुरक्षित रखा जाना	Reservations for S.Cs. and S. Ts. in Central Government Offices	8275–76
1628	त्रिपुरा से तथा त्रिपुरा तक तार-संचार	Telegraphic Communications to and from Tripura . . .	8276
1629	दिल्ली में टैलीफोन सेवा	Telephone Service in Delhi .	8276
1630	हिन्दी सम्बन्धी नीति	Hindi Policy	8276–77

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
5122	मोटर बोट कर्मचारी	Motor Boat Workers . . .	8277
5123	राजस्व विभाग, केरल	Revenue Department, Kerala .	8278
5124	कर्मचारी भविष्य निधि योजना	Employees Provident Fund Scheme	8278
5125	फर्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्स, त्रावनकोर लिमिटेड	Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd.	8278–79
5126	इंडियन रेअर अर्थस लिमिटेड, एलूर	Indian Rare Earths Ltd., Eloor	8279–80
5127	दिल्ली-पटना टैलीफोन लाइनें	Delhi-Patna Telephone Lines .	8280
5128	अरब की सराय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नई दिल्ली	Arab Ki Sarai Industrial Training Institute, New Delhi .	8280

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5129	मिज़ो लोगों के साथ मुठभेड़	Clash with Mizos	8281
5130	बर्मा को प्रव्रजन करने वाले लुशाई परिवार	Lushai Families Migrating to Burma	8281
5131	केरल में पुलिस आवास योजना	Police Housing Scheme in Kerala .	8281–82
5132	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की बैठक	Meetings of the C.S.I.R. .	8282
5133	गोरखपुर विश्वविद्यालय के डिग्री कालिज	Degree Colleges of Gorakhpur University	8282
5134	कोजीकोड डिवीजन में टैलीफोन की सुविधायें	Telephone facilities in Kozhikode Division	8282
5135	तैल्लीचैरी में मुख्य डाकघर की इमारत	H.P.O. Building, Tellicherry	8283
5136	पाकिस्तान से प्रव्रजन	Migration from Pakistan .	8283–84
5137	दिल्ली के स्कूलों के बच्चों की फीस	Fee of Delhi School Children .	8283-84
5138	राष्ट्रमण्डल और अन्य देशों में शक सम्वत् का प्रयोग	Use of Saka Era in Commonwealth and other Countries . .	8284
5139	राष्ट्रीय ध्वज का अपमान	Insult to National Flag . .	8284
5140	दिल्ली के स्कूलों में भूगोल के अध्यापक	Geography Teachers in Delhi Schools	8285
5141	उड़ीसा में विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन	Mid-day meals for Students in Orissa	8285
5142	डाक व तार विभाग के डाक ओवरसियरों के लिये यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता	T.A. & D.A. for Mail Observers of the P.& T. Deptt. . . .	8285
5143	फैज़ बाजार पुलिस थाना, दिल्ली द्वारा वस्तुओं का पकड़ा जाना	Seizure of Articles by Faiz Bazar Police Station, Delhi . .	8285–86
5144	दिल्ली में राजनैतिक पीड़ितों को सहायता	Relief to Political Sufferers in in Delhi	8286–87
5145	औद्योगिक सुरक्षा सम्मेलन	Industrial Safety Conference .	8287
5146	विज्ञान के छात्रों के लिये छात्रवृत्तियाँ	Scholarships for Science Students	8287
5147	नोबल पुरस्कार	Noble Prize	8288
5148	भारत-पाकिस्तान संघर्ष में काश्मीर में गिरफ्तारियां	Arrests in Kashmir during Indo-Pak. Conflict	8288
5149	भारतीय वाणिज्यीक सेवा	Indian Commercial Service .	8288
5150	अनुसन्धान कार्य	Research Work	8289
5151	दण्डकारण्य में अभाव की स्थिति	Scarcity conditions in Dandakarnaya.	8289–90
5152	इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मुकदमे	Cases pending in Allahabad High Court	8290

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5153	इलाहाबाद उच्च-न्यायालय के समक्ष लेख याचिकायें	Writ Petitions before Allahabad High Court	8290
5154	उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के लिये मंजूर की गई धनराशि	Amount sanctioned for U.P. Secondary Education . . .	8290–91
5155	अध्यापकों को दिये गये पुरस्कार	Award granted to Teachers .	8291
5156	लाल किले को सुन्दर बनाना	Beautification of Red Fort . .	8291
5158	राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद्	National Council for Vocational Education	8292
5159	मंत्रियों के सम्मानार्थ समारोह	Receptions to Ministers . .	8292
5160	भिलाई के कर्मचारी	Bhilai Workers	8292–93
5161	भारतीय विज्ञान कांग्रेस	Indian Science Congress . .	8293
5162	अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संघ परिषद	International Council of Scientific Unions	8293–94
5163	कोचीन तेल शोधक कारखाने के लिये रेल, सड़क और पाइपलाइन की सुविधायें	Rail Road and Pipeline facilities for Cochin Refineries . .	8294–95
5164	प्रतिजविक पदार्थों (एन्टीबायोटिक्स) का निर्यात	Export of Antibiotics . . .	8295
5165	इंडिया टलीफोन इंडस्ट्रीज, बंगलौर द्वारा बनाया गया श्रवण सहायक यंत्र	Hearing Aid Equipment Manufactured by I.T.I., Bangalore .	8295–96
5166	सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी रूसी प्रतिनिधि मंडल	Soviet Delegation on Social Security	8296
5167	श्रीलंका में कालोक्वियम	Colloquium in Ceylon . .	8296
5168	शिलाओं पर रामायण का चित्रित किया जाना	Ramayana in Stone . . .	8296–97
5169	साहित्य का उपयोग	Utilisation of Literature . .	8297
5170	विज्ञान के स्नातकों के बारे में सर्वेक्षण	Survey of Science Graduates .	8297–98
5171	शिक्षा का विकास	Educational Development . .	8298–99
5172	स्कूलों की इमारतों के निर्माण पर प्रतिबन्ध	Ban on Contructions of School Buildings	8299
5173	राजस्थान क्षेत्र में छिद्रण कार्य	Drilling in Rajasthan Area . .	8299
5174	कृषि श्रमिकों सम्बन्धी गोष्ठी	Seminar on Agricultural Labour	8299–8300
5175	दिल्ली का मुख्यायुक्त	Chief Commissioner of Delhi	8300
5176	सार्वजनिक सभा में प्रधान मंत्री के भाषण के बाद भगदड़	Stampede at Meeting Addressed by Prime Minister . . .	8300–01
5177	मद्रास में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant, Madras . .	8301

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5178	वरिष्ठ अधिकारियों का सेवा-काल बढ़ाया जाना	Extension of Service of Senior Officers	8301-02
5179	सरकारी उपक्रमों में सेवा-निवृत्ति की आयु	Superannuation Age in Public Undertakings . . .	8302
5180	अन्दमान द्वीपसमूह के निकट विदेशी जहाज	Foreign Ships near Andaman Islands	8302
5181	महात्मा गांधी हत्याकांड	Mahatma Gandhi Murder Case .	8302-03
5182	बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीयों को ऋण	Loans for Repatriates from Burma	8303
5183	सिनेमा परिसरों में माइक्रोफोन का प्रयोग	Use of Microphones in Cinema Premises	8303
5184	लोअर डिवीजन क्लर्कों के लिये टाइप की परीक्षा	Typing Test for L.D.Cs. . .	8303-04
5185	प्रपत्रों (फार्मों) की छपाई	Printing of Forms .	8304
5186	कैदियों को काम पर लगाना	Employment of Prisoners . .	8304
5187	वर्ष 1962 में पुलिस द्वारा गोलीबारी	Police Firings during 1962 .	8305
5188	गोआ के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Goa .	8305
5189	उत्तर प्रदेश का विभाजन	Division of U.P.	8306
5190	दूरमुद्रकों (टैलीप्रिन्टर्स) का निर्माण	Manufacture of Teleprinters	8306
5191	बिहार को मिट्टी के तेल की सप्लाई	Supplies of Kerosene for Bihar .	8306-07
5192	अनुभाग अधिकारियों की तालिका	Panel of Section Officers . .	8307-08
5193	विस्थापित व्यक्तियों के साथ आदिम जाति के लोगों का झगड़ा	Tribals' Clash with Displaced Persons	8308
5194	दिल्ली मे यातायात भीड़-भाड़	Traffic Congestion in Delhi .	8308
5195	केरल में खाद्य आन्दोलन	Food Agitation in Kerala . .	8309
5196	उड़ीसा में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा	Compulsory Primary Education in Orissa	8309
5197	उड़ीसा में बहु प्रयोजनीय स्कूल	Multi-purpose Schools in Orissa	8309-10
5198	उड़ीसा में प्रयोगशाला	Laboratories in Orissa . .	8310
5199	उड़ीसा में केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने वाले पुस्तकालय	Libraries in Orissa receiving Central assistance . . .	8310
5200	सम्पर्क स्थापित करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Contact men	8311
5201	राजपत्रित अधिकारियों की आस्तियां	Assets of Gazetted Officers . .	8311
5202	केन्द्रीय जांच विभाग के पदों में वृद्धि	Increase in the strength of C.B.I.	8311-12
5203	स्थानों का सुरक्षित रखा जाना	Reservation of Seats . . .	8312
5204	त्रिपुरी भाषा का विकास	Development of Tripuri Language	8312

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5205	केरल में विधि आयोग	Law Commission in Kerala	8312–13
5206	स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी	Freedom Fighters . . .	8313
5207	प्रत्यक्ष-कर बोर्ड के प्रधान का सेवाकाल बढ़ाया जाना	Extension Granted to Chairman, Board of Direct Taxes . .	8313–14
5208	दिल्ली में प्राध्यापकों के वेतन	Salaries of Lecturers in Delhi .	8314
5209	दिल्ली प्रशासन में अधिकारियों के दोहरे कार्य	Duel Functions of Officers in Delhi Administration . . .	8314
5210	मास्टर तारासिंह का वक्तव्य	Master Tara Singh's Statement .	8315
5211	मणिपुर में वेतनक्रम	Pay Scales in Manipur . .	8315
5212	सरकारी कर्मचारियों की अपीलों का निपटारा	Disposal of Appeals of Government Employees	8315–16
5213	विज्ञान के अध्यापकों की कमी	Shortage of Science Teachers .	8316
5214	विश्वविद्यालयों तथा कालिजों में सैन्य विज्ञान	Military Science in Universities and Colleges	8316
5215	पंजाब में तकनीकी संस्थायें	Technical Institutes in Punjab	8316–17
5216	योग्यता छात्रवृत्तियों के लिये पंजाब को वित्तीय सहायता	Financial assistance to Punjab for Merit Scholarships . . .	8317
5217	पंजाब में डाक सेवायें	Postal Services in Punjab .	8317
5218	महाराष्ट्र के लिये हल्का डीजल तेल	Light Diesel Oil for Maharashtra	8317
5219	पटपड़गंज रोड, दिल्ली	Patparganj Road, Delhi .	8318
5220	"काश्मीर" पत्रिका का जब्त किया जाना	Confiscation of Magazine 'Kashmir'	8318–19
5221	उपूसी (नेफा) का मुख्यालय	NEFA Headquarters .	8319
5222	पंजाब विधान परिषद् के सदस्य श्री रवीन्द्र नाथ के सभापतित्व में समितियां	Committees Headed by Shri Ravindra Nath, M.L.C., Punjab.	8319–20
5223	बिहार के पूर्निया जिले में डीजल तथा मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Diesel & Kerosene Oil in Purnea Distt., Bihar . .	8320
5224	महा प्राभिकर्ता (प्रोक्युरेटर-जनरल) का पद	Post of Procurator-General.	8320
5225	पुनरीक्षित वेतनक्रम	Revised Pay Scales .	8320
5226	बर्मा से लौटे व्यक्तियों के लिये दूकानें	Shops for Repatriates from Burma	8321
5228	कर्मचारियों के लिये आचार संहिता	Code of Conduct for Officials	8321
5229	ईंधन अनुसन्धान संस्थायें	Fuel Research Institutes .	8321–22

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5231	दिल्ली में (दिसम्बर, 1965) में हुआ वैज्ञानिकों तथा उद्योगपतियों का सम्मेलन	Conference of Scientists and Industrialists held in Delhi December, 1965 . . .	8322
5232	पंजाब में विज्ञान मन्दिर	Vigyan Mandir in Punjab .	8322
5233	आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	Judges in Andhra Pradesh High Court	8323
5234	वीरपांडिया कट्टाबोम्मन् के वंशजों को पेन्शन	Pension to the descendants of Veerapandia Katta Bomman . .	8323
5235	कानपुर के एक व्यापारी के विरुद्ध आरोप	Charge against a Kanpur Businessman	8323
5236	राज्यों में गृह कल्याण केन्द्र	Family Welfare Centres in States	8324
5237	गांधी हरिजन विद्यालय	Gandhi Harijan School . .	8324
5238	विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता	Indiscipline among Students .	8325
5239	श्री गुरु गोविन्द सिंह साहिब की लापता पवित्र वस्तुयें	Missing Relics of Shri Guru Govind Singh Sahib . . .	8325
5240	टैलीफोन भवन, कलकत्ता में बम का पाया जाना	Recovery of a Bomb from Telephone Bhawan, Calcutta .	8325
5241	कन्याकुमारी में विवेकानन्द स्मारक	Vivekanand Memorial at Kanya Kumari.	8326
5242	ओरियण्टल टिम्बर कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई के गोदाम में आग लगाना	Fire in Godowns of Oriental Timber Corporation (P) Ltd., Bombay	8326
5243	संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठने पर प्रतिबन्ध	Restrictions for Admission to U.P.S.C. Examinations . .	8326-27
5244	हुमायूँ के मकबरे का दुरुपयोग	Misuse of Humayun's Tomb	8327
5245	राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के बीच अनुपात	Ratio between Gazetted and non-Gazetted Employees . .	8327-28
5246	सफाई कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Sanitary Workers	8328
5247	नूनमाटी तेल शोधक कारखाना	Noonmaty Refinery . . .	8328-29
5248	विद्रोही मिज़ो लोगों के ठिकाने से जवानों का भाग निकलना	Escape of Jawans from Mizo Rebels Camp	8329
5249	जयन्ती शिपिंग कम्पनी का कर्मचारी संघ	Employees Union in Jayanti Shipping Company . . .	8329
5250	साम्यवादियों द्वारा विदेशों से प्राप्त की गई सहायता	Aid received by Communists from Abroad	8329-30
5251	सरकारी सेवा में सजायाफ्ता लोग	Convicts in Government Service .	8330
5252	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	Banaras Hindu University .	8330

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5253	पाकिस्तानियों को वापस भेजना	Repatriation of Pakistanis .	8331
5254	दिफू के निकट विस्फोटक पदार्थों का पाया जाना	Explosives Found Near Diphu	8331
5255	लदाख गबन कांड	Ladakh Embezzlement Case .	8331
5256	अंगूरी बाग, दिल्ली में शरणार्थी बस्ती	Refugee Colony in Angoori Bagh, Delhi	8332
5257	अंगूरी बाग, दिल्ली में शरणार्थी बस्ती में अनधिकृत दुकानें तथा खोखे	Unauthorised structures in Refugee Colony, Angoori Bagh, Delhi	8332
5258	महा-अधिरक्षक (कस्टोडियन) जनरल के कार्यालय से कागजात गुम हो जाना	Documents missing from the Office of the Custodian General .	8332–33
5259	स्कूलों के बच्चों को संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि द्वारा सहायता	UNICEF Aid to School Children	8333
5260	आसाम के जिलों में तूफान	Storm in Assam District	8333
5261	राज्यों को मिट्टी के तेल का कोटा नियत करना	Allocation of Kerosene Oil to States	8334
5262	पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के साथ लगने वाले राज्यों में पाकिस्तानी घुसपैठिये	Pak Infiltrators in States Bordering East Pakistan	8335
5263	वामपंथी साम्यवादियों की रिहाई	Release of Left Communists .	8335–36
5264	तामिल की शिक्षा	Teaching of Tamil	8336
5265	भारत के राष्ट्रीय ऐटलस विभाग द्वारा तैयार किये गये मानचित्र	Maps prepared by National Atlas of India	8336
5266	मिट्टी के तेल का मिलाया जाना	Adulteration of Kerosene Oil	8337
5267	अब्दुल्ला समर्थक कार्य	Pro-Abdullah Activities	8337
5268	अन्दमान द्वीप समूह में विस्थापित व्यक्तियों का बसाया जाना	Rehabilitation of Displaced persons in Andaman Islands . .	8338
5269	राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना का विस्तार	Expansion of National Chemical Laboratory, Poona . . .	8338
5270	मिट्टी के तेल की चोर बाजारी	Blackmarketing in Kerosene Oil .	8338–39
5271	अर्हता-प्राप्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये पदोन्नति	Promotions for Qualified Class IV Staff	8339
5272	केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा	Central Secretariat Clerical Service	8340
5273	पदोन्नति सम्बन्धी नीति	Promotion Policy	8340
5274	क्लर्कों तथा असिस्टैंटों के लिये पदोन्नति के अवसर	Promotional Prospects for Clerks and Assistants	8341

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5275	केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अपर डिवीजन क्लर्क ग्रेड में पदोन्नति के लिये परीक्षा	Examination for promotion to U.D.C. grade of the Central Secretariat Clerical Service .	8341
5276	अपर डिवीजन क्लर्क ग्रेड पदोन्नति परीक्षा के लिये आयु सीमा	Age Limit for U.D.C. Grade Promotion Examination . .	8342
5277	सरकारी कार्यालयों में काम करने का समय	Working hours in Government Offices	8342-43
5278	एक सहकारी समिति द्वारा दिया गया बिक्री-कर	Sales Tax paid by a Co-op. Society	8343
5279	लद्दाख उच्च शिक्षा संस्था	Ladakh institute of Higher Studies	8343
5280	कच्छ में तेल की खोज	Oil Exploration in Kutch .	8344
5281	नदिया में पाकिस्तानी छापामार	Pak Raiders in Nadia . . .	8344
5282	मिकिर पहाड़ियों में रहने वाले उत्तर भारत के लोगों से अभ्यावेदन	Represention from North Indians living in Mikir Hills . .	8344
5283	प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाना	Extension to Class I & II Officers	8345
5284	नदियां मे पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी	Arrest of Pak. Spies in Nadia	8345
5285	जन्म तथा मृत्यु सम्बन्धी सर्वेक्षण	Survey of Births and Deaths	8345-46
5286	कलाकारों के लिये योजना	Scheme for Artists	8346
5288	उड़ीसा विश्वविद्यालय का उपकुलपति	Vice-Chancellor of Orissa	8346
5289	राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला द्वारा एल्यूमिनियम मिश्रित इस्पात का वाणिज्यिक उत्पादन	Commercial Production of Aluminised steel by National Metallurgical Laboratory . . .	8346-47
5290	दिल्ली में नायलान धागा कारखाना	Nylon Fibre Factory in Delhi .	8347
5291	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई घटनायें	Aligarh Muslim University incidents	8347
5292	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के चिकित्सा कालेज से सम्बद्ध सर सुन्दर लाल अस्पाताल	Sir Sunder Lal Hiospital of Medical Collоge, B.H.U. . . .	8348
5293	केरल में हिन्दी अध्यापकों की वरिष्ठतासुचि	Seniority List of Hindi Teachers in Kerala	8348
5294	पेट्रोलियम उत्पादों की परचून बिक्री	Retail Sale of Petroleum Product	8349
5295	डाकघर बचत बैंक खाते में गबन	Post Office Saving Bank Account Fraud	8349-50

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5296	शेख अब्दुल्ला की रिहाई	Release of Sheikh Abdullah	8350
5297	जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी	Arrest for Spying . .	8350
5298	आसाम में पाकिस्तानियों द्वारा अनधिकृत प्रवेश	Pakistani Trespass in Assam	8351
5299	मिजो विद्रोहियों का जमाव	Concentration of Mizo Rebels .	8351
5300	टैलीफोन कनेक्शनों के अनिर्णीत प्रार्थनापत्र	Pending Telephone Connections .	8351-52
5301	दिल्ली में बिक्री कर	Sales Tax in Delhi . . .	8352
5302	खम्भात और कच्छ की खाड़ियों का भूकम्पीय सर्वेक्षण	Seismic Survey of Gulfs of Cambay and Kutch	8352
5303	गुजरात के तेल क्षेत्रों से गैस	Gas from Oilfields of Gujarat	8353
5304	अमोनिया के उत्पादन के लिये इटली की फर्म के साथ करार	Pact with Italian Firm for manufacture of Ammonia . .	8353
5305	शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के स्थायी कर्मचारियों के लिये उच्च पद	Higher posts for permanent employees of Directorate of Education, Delhi	8354
5306	युद्ध सेवा वाले कर्मचारियों का वेतन निर्धारण	Pay Fixation of War Service Candidates . . .	8354
5307	दिल्ली उच्चतर माध्यमिक परीक्षा, 1966 में दिये गये अंग्रेजी के परीक्षा-पत्र	English Papers set for Delhi Higher Secondary Examination, 1966 .	8354-55
5308	हिन्दी का प्रचार	Propagation of Hindi . .	8355
5309	महात्मा गांधी जन्म शताब्दी समारोह	Mahatma Gandhi's Birth day Centenary Celebrations . .	8355-56
5310	भारत में कोयला खानों का कार्य-संचालन	Working of Coal Mines in India	8356
5311	उड़ीसा में बेरोजगार महिलायें	Unemployed Women in Orissa	8356-57
5312	आन्ध्र प्रदेश में ज्यूनियर तकनीकी स्कूल	Junior Technical Schools in A.P.	8357
5313	आन्ध्र राज्य में तेलुगु साहित्य का परिरक्षण	Preservation of Telugu Literature in Andhra Pradesh . . .	8357
5314	उड़ीसा में शिक्षित बेरोजगार	Educated Unemployed in Orissa .	8357-58
5315	गुजरात में मिट्टी के तेल की सप्लाई	Supply of Kerosene Oil in Gujarat	8358
5316	उड़ीसा में किराये की इमारतों में कार्य कर रहे डाकघर	Post Offices in Orissa housed in rented buildings . . .	8358
5317	उड़ीसा में चलते फिरते डाकघर	Mobile Post Offices in Orissa	8359
5318	उड़ीसा में डाक तथा तार घर	Post and Telegraph Offices in Orissa	8359

अता०प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5319	प्रतिभावान व्यक्तियों द्वारा अपना देश छोड़ कर दूसरे देशों में बसना	Migration of Talented Persons	8359-60
5320	भारतीय प्रशासनिक सेवा के उम्मीदवारों के लिये टाइप की परीक्षा	Typing Test for I.A.S. Candidates	8360
5321	मिज़ो लैंड में सम्पत्ति का नाश	Loss of Property in Mizoland .	8360
5322	दिल्ली में एक मंदिर में चोरी	Theft in a Temple in Delhi .	8361
5323	महिलाओं के एक दल द्वारा कोकटोंग चोटी पर चढ़ना	Scaling of Kokatang Peak by Women Team	8361
5324	आइजल के निकट गोलाबारी	Firing near Aijal . . .	8361
5325	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की शिक्षा का स्तर	Standard of Education of B.H.U.	8362
5326	फालतू (सरप्लस) कर्मचारियों की सूची	List of Surplus Employees . .	8362
5327	भारत और चैकोस्लोवाकिया के बीच वैज्ञानिक सहयोग	Scientific Collaboration between India and Czechoslovakia .	8362-63
5328	हिन्दी में दिल्ली टैलीफोन निर्देशिका (डाइरेक्ट्री)	Delhi Telephone Directory in Hindi	8363
5329	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के वैज्ञानिक तथा अनुसन्धान-छात्र	Scientists and Research Fellows of National Physical Laboratory.	8363-64
5330	भारतीय प्रशासन सेवा में राजस्थान के लिये विशेष चयन	Special Selection in I.A.S. for Rajasthan	8364-65
5331	कालीकट में डाक तथा तार विभाग के क्वार्टर	P.&T.Quarters at Calicut.	8365
5332	कोजीकोड में डीजल तेल की कमी	Shortage of Diesel Oil in Kozhikode	8365
5333	पाठों का प्रसारण	Broadcast of Lessons .	8365
5334	मिजो विद्रोहियों द्वारा हमले	Attacks by Mizo Hostiles . .	8365
5335	टेलीप्रिंटर मिस्त्रियों के वेतन क्रम	Pay Scales of Teleprinter Mechanics	8366
5336	टेलीग्राफिस्ट (तार बाबू) के वेतन-क्रम	Pay Scales of Telegraphist .	8366-67
5337	तार घरों में रात्रि कार्य भत्ता	Night Duty Allowance in Telegraph Offices . . .	8367
5338	टेलीग्राफिस्ट (तार बाबू)	Telegraphists . . .	8367
5339	जम्मू तथा काश्मीर राज्य में संकट काल	Emergency in Jammu and Kashmir	8368
5340	विस्फोटक पदार्थ लिये हुए नागा की गिरफ्तारी	Arrest of Naga with Explosives .	8368
5341	दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone Connections in Delhi .	8368-69

अता०प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5342	दिल्ली प्रशासन में अनुसूचित जातियों के कर्मचारी	Scheduled Castes in Delhi Administration	8369
5343	मंगलौर में उर्वरक कारखाना और तेलशोधक कारखाना	Fertilizer Factory and Refinery at Mangalore	8369-70
5344	बुद्ध काल के अवशेष	Remains of Buddha Period .	8370
5345	शाखा-डाकघर	Branch Post Offices . .	8370
5346	यौन सम्बन्धी शिक्षा	Sex Education	8370
5347	हिन्दी सहायकों को अनियमित भुगतान	Irregular Payments to Hindi Assistants	8371
5348	हिन्दी सहायक	Hindi Assistants.	8371
5349	हिन्दी सहायक	Hindi Assistants	8371
5350	हिन्दी सहायक	Hindi Assistants. .	8371-72
5351	हिन्दी सहायकों के पद	Posts of Hindi Assistants .	8372
5352	हिन्दी सहायक	Hindi Assistants . . .	8372
5353	केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation of Central Secretariat Services . . .	8372-73
5354	हिन्दी सहायक	Hindi Assistants. . . .	8373
5355	अनुवादक तथा हिन्दी सहायक	Translators and Hindi Assistants .	8373
5356	हिन्दी आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर)	Hindi Stenographers . .	8374
5358	मंत्रियों तथा उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Ministers and High Officials . . .	8374
5359	अनुसूचित जाति के लोगों के लिये आरक्षण	Reservations for Scheduled Castes	8374-75
5360	जम्मू तथा काश्मीर में तेल	Oil in Jammu and Kashmir .	8375
5361	दास आयोग प्रतिवेदन पर आगे कार्यवाही	Follow up Action on Das Commission Report	8375
5362	अत्युत्तम कार्य करने के लिये मानदेय	Honourarium for Excellent Performance	8375-76
5363	केन्द्रीय (सेन्ट्रल) स्कूल	Central Schools . . .	8376
5364	शिक्षा मंत्रालय में हिन्दी जानने वाले अधिकारी	Hindi knowing Officers in the Ministry of Education . .	8376
5365	शिक्षा आयोग	Education Commission	8377
5366	हिन्दी निदेशालय	Hindi Directorate .	8377
5367	स्कूलों के बच्चों के लिये दूध	Milk for School Children .	8377
5368	हिन्दी सहायकों की भर्ती के लिये संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा	U.P.S.C. Examination for Hindi Assistants	8378
5369	हिन्दी निदेशालय के स्थायी कर्मचारी	Permanent Staff of Hindi Directorate	8378

अता०प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5370	हिन्दी निदेशालय का कार्यालय	Housing of Hindi Directorate .	8378
5371	अनुसन्धान सहायकों की पदोन्नतियां	Promotions of Research Assistants	8378–79
5372	कनिष्ठ सम्पादक	Junior Editors .	8379
5373	अनुसन्धान सहायकों की पदोन्नतियां	Promotion of Research Assistants	8379
5374	वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के लिये कार्यालय स्थान	Housing of Scientific and Technical Terminology Commission .	8379–80
5375	प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये प्रादेशिक भाषायें	Regional Languages for Competitive Examinations . .	8380
5376	नागाओं द्वारा पुलिस दल पर गोली चलाया जाना	Nagas Fire at Police Party .	8380
5378	दिल्ली के डाकघर से धन का गुम हो जाना	Amount Found Missing from Post Office, Delhi	8380–81
5379	पुनर्वास संगठन	Settlement Organisation	8381
5380	राजनैतिक दलों द्वारा प्राप्त की गई विदेशी सहायता	Foreign help received by Political Parties	8381
5381	तीन वर्षीय मुद्रण प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम	Three-Year Printing Technology Course	8381–82
5382	नागाओं की घुसपैठ	Infiltrations of Nagas.	8382
5383	अभिभावक अध्यापक परिषद्	Parent-Teachers Council .	8382
5384	पटना में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory at Patna . .	8383
5385	पाकिस्तानियों द्वारा अवैध प्रवेश	Trespassing by Pakistanis	8383
5386	पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय बच्चों का अपहरण	Kidnapping of Indian Children by Pakistanis . .	8383–84
5387	हिन्दी संस्थाओं के लेखे	Account of Hindi Institutions	8384
5388	अनुसूचित क्षेत्रों का प्रतिवेदन	Report regarding Scheduled Areas	8384–85
5389	जोरहाट में जीप कांड	Jeep Incident at Jorhat .	8385
5390	उर्दू के समर्थन में प्रदर्शन	Pro-Urdu Demonstration . .	8385–86
5390ए	पैट्रोलियम का निर्यात	Export of Petroleum . . .	8386
5390बी	दिल्ली की शिक्षा संस्थाओं में कदाचार	Malpractices in Delhi Educational Institutions	8386
5390सी	कलकत्ता में प्राथमिक शिक्षा	Primary Education in Calcutta .	8387

Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
अतारांकित प्रश्न संख्या 1330 दिनांक 2-3-66 के उत्तर की शुद्धि	Correction to Unstarred Question No. 1330, dated 2nd March, 1966	8387–88
अतारांकित प्रश्न संख्या 3064 दिनांक 30-3-66 के प्रश्न की शुद्धि	Correction to Unstarred Question No. 3064, dt. 30th March, 1966	8388
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
दिल्ली में बिजली का फेल हो जाना	Power failure in Delhi	8388–89
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	8389–91
योजना मंत्री के अपनी अमरीका यात्रा सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में	Re: Planning Minister's Statement on his visit to U.S.A.	8390
राज्य-सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	8391
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
नवासीवां प्रतिवेदन	Eighty-ninth Report	8391
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी द्वारा खाद्य मंत्री को लिखे गये पत्र के बारे में वक्तव्य	Statement re: Dr. L. M. Singhvi's letter to Food Minister	8392
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—	Committee on Public Undertakings—	
सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिये राज्य सभा से सिफारिश	Recommendation to Rajya Sabha to nominate Members	8392–93
केरल आयव्ययक, 1966-67—सामान्य चर्चा तथा अनुदानों की मांगें—	Kerala Budget, 1966-67—General Discussion and Demands for Grants—	
श्री ब० रा० भगत	Shri Bhagat	8394–97
केरल विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1966—	Kerala Appropriation (No. 2) Bill, 1966—	
पुरःस्थापित तथा पारित	Introduced and passed	8398
उपज उपकर विधेयक—	Produce Cess Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to Consider—	
श्री चि० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	8399–8400
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh	8400
श्री म० ल० जाधव	Shri M. L. Jadhav	8400
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	8400–01
श्री मणियंगाडन	Shri Maniyangadan	8401–02
श्री ह० च० सोय	Shri H. C. Soy	8402
श्री वारियर	Shri Warior	8402
श्री ब० कु० दास	Shri B. K. Das	8402–03
श्री सिंहासन सिंह	Shri Sinhasan Singh	8403
श्री कृ० चं० शर्मा	Shri K. C. Sharma	8403

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
उड़ीसा में अकाल की स्थिति और भुख से लोगों की मृत्यू केसबंध में चर्चा--	Discussion re: Famine Conditions and Starvation Deaths in Orissa—	
श्री किशन पटनायक	Shri Kishen Pattanayak . .	8404
श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo	8405–06
श्री मेहताब	Shri Mehtab	8406–07
श्री ल० ना० भंजदेव	Shri L. N. Bhanj Deo . .	8407–08
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendranatn Dwivedy .	8408–09
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee .	8409–10
श्री जैना	Shri Jena .	8410
श्री नम्बियार	Shri Nambiar .	8411
श्री अ० चं० गुह	Shri A. C. Guha .	8412
श्री काशी राम गुप्त	Shri Kashi Ram Gupta . .	8412
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती	Shri Jagdev Singh Siddhanti .	8413
श्री कंडप्पन	Shri S. Kandappan . .	8413
श्री चि० सुब्रम्हण्यम	Shri Subramaniam . . .	8413–17

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 11 मई, 1966/21 वैशाख, 1888 (शक)
Wednesday, May 11, 1966/Vaisakha 21, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Cost of Living Index

\+
***1601. Shri D. N. Tiwary :**
Shrimati Savitri Nigam :
Shri P. C. Borooah :
Shri Ram Harkh Yadav :
Shri Murli Manohar :

Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the cost of living index has increased sufficiently at many places during the months of October, November and December, 1965 : and

(b) if so, the names of places and the extent of increase in the index number ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) यदि पूर्ण रूप से विचार किया जाये तो इस समयावधि के दौरान, उन केन्द्रों के, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई, जिनके बारे में मूल्य सूचकांक श्रम ब्युरो द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं।

(ख) एक विवरण, जिसमें ऊपर निर्दिष्ट केन्द्रों के बारे में सितम्बर, 1965 से दिसम्बर, 1965 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिए गए हैं सभा की मेज पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 6282/66 ।]**

Shri D. N. Tiwary : It appears from the statement that there has been maximum price rise in Bihar, Madhya Pradesh and Mysore. May I know whether dearness allowance of service class people and Government servants has been increased accordingly ?

Shri Shahnawaz Khan : Dearness allowance is increased according to a fixed formula. It is often decided through mutual negotiations between workers and management.

2—73 L. S. /66

Shri D. N. Tiwary : I wanted to know whether there has been any increase or not in dearness allowance ?

Shri Shahnawaz Khan : Nothing so far.

Shri D. N. Tiwary : May I know how much rise has been recorded in the income of the people during this period and if there has been no increase what steps are going to be taken to raise the living standard of people which has gone down due to soaring trend in prices ?

Shri Shahnawaz Khan : Dearness allowance is increased according to a fixed formula. Government decides as to when D.A. should be increased.

Shri D. N. Tiwary : Have you taken any steps or not ? Have incomes gone up or not ?

Shri Shahnawaz Khan : In this connection I would like to state that the government has reached the decision that there would be no real benefit if the prices soar up according to the rise in emoluments. It would, therefore, be better to open consumers Cooperative stores wherefrom commodities of daily necessities can be purchased on fixed and controlled prices. It would, I think, be much better.

श्रीमती सावित्री निगम : आपको पता ही है कि मूल्य सूचकांक में असाधारण वृद्धि से कर्मचारियों में असन्तोष बढ़ता जा रहा है। मंत्री महोदय ने जब स्वयं अनुभव किया है कि महंगाई भत्ता जो थोड़ा सा बढ़ा है वह मूल्यों की असाधारण वृद्धि से प्रभावहीन हो गया है और दूसरी तरफ उपभोक्ता सहकारी भण्डार उसी रफ्तार से नहीं खोले जा रहे हैं जिससे कर्मचारियों को सभी आवश्यक वस्तुयें प्राप्य हों। अतः सरकार का विचार कर्मचारियों में बढ़ते हुए असन्तोष को समाप्त करने के लिये और देश की सेवा में लगे एवं पीड़ित लोगों को राहत देने के लिये अन्तरिम काल में क्या कार्यवाही करने का है ?

श्री शाहनवाज खां : इस सम्बन्ध में उत्पादन को बढ़ाना ही मूल्यों की वृद्धि को रोकने का उपाय है।

श्री कपूर सिंह : व्यय कम करें। कई उपाय हैं। आप एक ही उपाय के बारे में क्यों सोच रहे हैं ?

श्री शाहनवाज खां : सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में उदाहरणार्थ, अनाज का उत्पादन बढ़ाना, सभा भलीभान्ति जानती है और इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय द्वारा बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिये कुछ वित्तीय कदम उठाये जा रहे हैं और मैं आशा करता हूं वे कारगर होंगे।

Shri Ram Harkh Yadav : The Hon. Minister has stated that there is a fixed formula according to which the pay and allowances of the Government servants are increased. The formula is that the allowance is increased after the rise of ten points in price index. According to the statement of the hon. Minister it appears that there has been maximum rise in prices in Jalpaiguri Disticts of West Bengal and Banaras district of Uttar Pradesh. May I know whether the pay and allowances of the Central and State Government employees in these places have been increased or will be increased accordingly.

Shri Shahnawaz Khan : I have stated that the fixed formula or the price index......

Mr. Speaker : Has it been increased as a matter of fact ?

Shri Shahnawaz Khan : It is not increased as a matter of fact. There is a special provision for this. The question arises only when the price index remains raised up to ten points during a fixed period otherwise not.

श्री नम्बियार : सरकार की कीमतों को रोकने की असमर्थता को ध्यान में रखते हुये, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का औद्योगिक कर्मचारियों के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती हुई कीमतों के अनुसार भत्ता देने का विचार है।

श्री शाहनवाज खां : अभी पूरा भत्ता बढ़ाने पर विचार नहीं हुआ है किन्तु अधिकांश बढ़ा दिया गया है।

डा० रानेन सेन : वक्तव्य में पश्चिमी बंगाल के मूल्य सूचकांक का जिक्र हुआ है। पहले महाराष्ट्र, गुजरात और दूसरे राज्यों में तैय्यार किये गये निर्वाह सूचकांक गलत पाये गये : बाद में ये गलतियां त्रिदलीय समितियों द्वारा कुछ ठीक कर दी गई। यह ध्यान में रखते हुए कि पश्चिमी बंगाल जैसे कुछ राज्यों में कार्मिक संघ आन्दोलन सर्वसम्मत रूपसे निर्वाह सूचकांक की ठीक तरह से संगणना करने के लिये सरकार से त्रिदलीय समितियों की स्थापना की मांग कर रहे हैं सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री शाहनवाज खां : सरकार की इस सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ समिति बिठाने का विचार है और पश्चिमी बंगाल भी अन्य राज्यों के साथ इसके अन्तर्गत आता है।

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या : उप मंत्री महोदय ने कहा है कि मूल्य स्थिर करने और निर्वाह सूचकांक नीचे लाने के लिये उत्पादन बढाना आवश्यक है। क्या मैं जान सकता हूं कि घाटे के अर्थ-व्यवस्था, जो केन्द्र तथा राज्यों में चल रही है तथा जिसकी वजह से मूल्य सूचकांक बढ़ा है, को ध्यान में रखते हुए सरकार व्यापक दृष्टिकोण अपना कर सभी समस्याओं को एक साथ हल करने का प्रयास करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मान्य सदस्य के प्रश्न के प्रथम भाग में सूचना दी गई है तथा द्वितीय भाग में राय दी गई है।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार यह अनुभव करती है कि उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य केवल बढ़ ही नहीं रहे है बल्कि वे सरकारी नियंत्रण के बाहर भी चले गये हैं ? यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री शाहनवाज खां : जैसे मैंने कहा है कि औद्योगिक कर्मचारियों के लिये हम उपभोक्ता सहकारी भण्डार खोल रहे हैं और हम वस्तुओं को उत्पादकों से खरीद कर थोक मूल्यों पर उन्हें सीधे उपभोक्ता सहकारी भण्डारों से वितरित करेंगे।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, workers of big factories are benefitted by the increase in the dearness allowance but the workers, who are not orgainsed such as those who are engaged in sanitation, in Bidi industry and in hotels, have to confront or experience many difficulties. I would like to know what steps the Government are going to take for these unorganised and exploited workers.

Shri Shahnawaz Khan : When the Government decides to increase dearness allowance these workers are also included.

अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय महासागर अभियान

*1603. श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री किशन पटनायक :
श्री उटिया :
श्री मुरली मनोहर :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री राम हरख यादव :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री 10 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 346 के उत्तर के सम्बन्ध यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय महासागर अभियान द्वारा भारतीय महासागर में किया जा रहा अनुसंधान कार्य पूरा हो चुका है,

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला, और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) अभियान का क्षेत्र कार्यक्रम दिसम्बर, 1965 में समाप्त किया गया था और निर्दिष्ट सिद्धान्त की प्रक्रिया प्रगति पर है।

(ख) विभिन्न साझीदारों द्वारा संकलित किए गए निर्दिष्ट तत्वों के प्रारम्भिक विश्लेषण के आधार पर अब तक बताए गए परिणामों का सार विवरण में दिया गया है जो सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6283/66।]**

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Madhu Limaye : This is a very long statement, so I cannot ask any question at present. It consists of four pages, I could not get time to go through it. I have no question to ask.

Shri Yashpal Singh : May I know whether there is such a chemical Laboratory as would be capable of analysing the sea-materials and we may not have to look for foreigners for their collaboration ?

श्री मु० क० चागला : हम एक समुद्र-विज्ञान-संस्थान स्थापित कर रहे हैं। हमने एक निदेशक की नियुक्ति कर ली है और आशा है हम पर्याप्त आधार-सामग्री जो कि समुद्र विज्ञान-अभियान ने हमें प्रदान कि है तथा जो बड़ी लाभप्रद है, संस्थान को प्रेषित करेंगे।

Shri Ram Harkh Yadav : The statement furnished by the Hon. Minister contains 16 points. Many things have been discovered by oceanology. Item No. 3 pertains to fish. There 18 kinds of fishes in Indian Ocean. No improvement has been recorded in their hunting. Has this body scrutinized in this respect. If so, how far it has proved to be efficacious.

Mr. Speaker : For which fish you demand inmore formation ? What is the use in going into such details ?

Shri Ram Harkh Yadav : 18 kinds of fish have been referred to. Has there been any............

Mr. Speaker : Shall we be able to go into such details now ? So many kinds of fishe are there. Which of these 18 kinds of fish you want to know ? How can this be told.

Shri Vishwa Nath Pandey : May I know how much amount has been spent on the expedition carried out so far and what is the participation of India in that ?

श्री मु० क० चागला : सम्पूर्ण अनुसन्धान व्यय की राशि उपलब्ध नहीं है। किन्तु भारत का योगदान उसमें 64.69 लाख रुपये आंका गया है।

श्री मुथिया : क्या मैं जान सकता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर अभियान ने उस जलमग्न महाद्वीप का पता किया है जो हजारों मील तक हिन्द महासागर में कन्या कुमारी के दक्षिण में फैला हुआ है तथा जिसे पश्चिमी इतिहास कारों द्वारा "लेमुरिया" (lemu) कहा गया है तथा प्राचीन तामिल साहित्य में 'कुमारी कान्तम्' (Kumari Kantam) कहा गया है ?

श्री मु० क० चागला : भूतकाल के बारे में प्राचीन ग्रन्थों में जो कुछ कहा गया है, ठीक है। मैं उस भूमि की स्थिति के बारे में निश्चित नहीं हूं जिसका जिक्र मान्य सदस्य कर रहे हैं। इसको देखने से पता लगता है कि कई भू-भाग जलमग्न रहे तथा कई घाटियां खोजी गई और हमको अनुभव होने लगता है कि हजारों वर्ष पूर्व पर्याप्त भूमि समुद्र द्वारा बहा दी गई।

श्री श्रीनारायण दास : किन दूसरे देशों ने इस अभियान में योगदान किया और उनका योगदान किस प्रकार का था ?

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, I want your ruling. Many times you have told that the long statement should be laid on the table of the house. This statement is much more. There is no doubt that the papers which are passed on to us are very interesting. It would be more convenient if such statements are also passed on to us along with necessary papers.

Mr. Speaker : You may first examine issue and then suggest some alternative.

श्री मु० क० चागला : मैं मान्य सदस्य से क्षमा चाहता हूं। मैं जानता हूं कि वक्तव्य लम्बा है किन्तु प्रश्न ही लम्बा वक्तव्य चाहता है और मैंने वही किया। यदि मैं लम्बा वक्तव्य नहीं देता हूं तो मुझे कहा जाता है कि पूरी सूचना नहीं दी जा रही है।

Shri Madhu Limaye : I am saying nothing more. I want only this much that if the statement is also sent along with necessary papers, it would be more convenient.

श्री मु० क० चागला : जिन देशों का योगदान रहा वे है : आस्ट्रेलिया, फ्रांस, इण्डोनेशिया, इजराइल, जापान, नार्वे, मलागासी गणतन्त्र, पुर्तगाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटन, अमरीका रूस, जंजीबार, पश्चिमी जर्मनी, लंका, थाइलैण्ड और भारत। भारत ने 'किस्तना' और 'वरुण' नामक समुद्री जहाज देकर अपना योगदान किया कुछ और देशों ने भी जहाज दिये, किन्तु सबने नहीं ।

गण्यमान्य व्यक्तियों के लिये यातायात सम्बन्धी अग्रता

+

*1604 श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और उससे बाहर यातायात के विनियम करने वाले कानूनों, विनियमों तथा नियमावलियों में साधारण नागरिकों की अपेक्षा गण्य मान्य व्यक्तियों को अग्रता तथा विशेष सुविधा देने का उपबन्ध है;

(ख) क्या गण्य मान्य व्यक्तियों में भी अखिल भारतीय स्तर पर प्रधान मंत्री को विशेष सुविधा प्राप्त है; और

(ग) यदि हां, तो (क) और (ख) का क्या ब्यौरा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Madhu Limaye : When the question of privileges was raised last time the Prime Minister had stated in the House that shehas got special rignts in existing arrangements in the country. In English she had used the words "Very special position". I want to know whether Government would ask the Prime Minister to with draw her words because there is no law, no rule and no such provision in the Constitution and that she should act in accordance with the new development ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा है उनको वापस लेने का प्रश्न ही नहीं है। उसका उल्लेख उन्होंने सुरक्षा प्रबन्ध के बारे में किया था। सुरक्षा के प्रयोजनों के लिये निश्चय ही विशेष व्यवहार किया जाता है और कुछ नहीं।

Shri Madhu Limaye : We have not been told about any rule and you say that there is no rule.

Mr. Speaker : There is no such rule.

Shri Madhu Limaye : Prime Minister stated on that day that in most of the countries Prime Minister has got the special rights. Will the Minister be pleased to tell the names of those countries ? Shri Hem Barua said at that time that such things are prevailing only in under developed countries and not in developed countries such as Western Europe, North America or Eastern Europe Countries.

श्री नन्दा : यदि हम उस उत्तर सुरक्षा के प्रबन्धों की दृष्टि से देखें तो मैं कहूंगा कि यह चीज बहुत से देशों में है विशेषकर यातायात के बारे में अमेरीका, ब्रिटेन तथा अन्य कई देशों में व्यापक प्रबन्ध किये गये है। हमारे यहां कोई विशेष चीज नहीं है।

Shri Madhu Limaye : This is not my question. My question is in regard to the words 'very special position' which have been used by Prime Minister. I want to know the names of those countries which are democratic and where the Prime Minister has got very special position.

Mr. Speaker : The hon. minister has stated that there is no such very special position. They have to do it only for arrangements.

Shri Siddheshwar Prasad : Several political murders have been committed after Mahatma Gandhi keeping in view the special political situation of thi country whether any special security arrangements have been made for the di-tinguished persons such as Prime Minister so that there may not be any danger to their life ?

Shri Nanda : I have already replied this question.

नजरबन्द व्यक्ति

+

***1605. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत 30 अप्रैल, 1966 तक (1) चीन के साथ सम्बन्ध और (2) पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध रखने वाले कितने व्यक्ति नजरबन्द थे;

(ख) प्रत्येक राज्य में कुल कितने व्यक्ति नजरबन्द थे और उनको नजरबन्द करने का उद्देश्य क्या था और उनको किस श्रेणी में नजरबन्द किया गया था;

(ग) उनके मामलों पर पुनरीक्षण किस प्रकार किया जाता है और उन मामलों में गृह-कार्य मंत्री का क्या हाथ होता है; और

(घ) कितने मामलों में उन्होंने राज्य सरकारों के निर्णय को बदल दिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) तक : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6284/66]** केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अधीन 11 व्यक्ति सैन्ट्रल जेल, दिल्ली में नजरबन्द हैं। विवरण में 415 व्यक्तियों की संख्या बताई गई है ये उससे अतिरिक्त हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि वह अब कि वह कौनसे सीमित उद्देशों के हेतु आपात काल तथा भारत रक्षा नियमों को बनाये रखना चाहते हैं। क्या मैं ऐसा समझलू कि भारत रक्षा नियमों का राजनतिक तथा आर्थिक असंतोष को दबाने के लिये प्रयोग नहीं किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : प्रश्न के अन्तिम भाग के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि भारत रक्षा नियमों का राजनैतिक उद्देश्यों के लिये कभी भी प्रयोग नहीं किया गया है। विशेष परिस्थितियों में आर्थिक अपराधों और समस्याओं के हल करने के लिये भारत रक्षा नियमों का प्रयोग किया गया है।

श्री रंगा : राजनैतिक उद्देश्यों के लिये इन का प्रयोग किया गया है।

श्री नन्दा : राजनैतिक प्रयोजनों के लिये नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रयोजनों के लिये।

माननीय सदस्य को मैं याद दिला दूं कि कुछ समय पूर्व एक वक्तव्य दिया गया था जिस में बताया गया था कि भारत रक्षा नियमों का केवल राष्ट की सुरक्षा के लिये प्रयोग किया जायेगा और किसी प्रयोजन के लिये नहीं। इसके पश्चात मैं ने बताया था कि भारत रक्षा नियमों का प्रयोग कुछ सीमित क्षत्रों में जहां सुरक्षा की गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है, प्रतिरक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के हेतु ही किया जायेगा।

श्री रंगा : वे क्षेत्र कौन से हैं।

श्री नन्दा : माननीय सदस्य उन स्थानों के बारे में जानते हैं।

श्री रंगा : अपने केरल का उल्लेख किया था।

श्री नन्दा : वक्तव्य से पूर्व केरल का जिक्र किया गया था। वक्तव्य के बाद नहीं। इसलिये वह उद्देश्य बहुत ही सीमित है और जैसा मैंने कहा हम इस प्रश्न पर नेताओं के साथ परामर्श से और विचार करने वाले है कि किस प्रकार हमें इस मामले में कार्य करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिये। ऐसी किसी चीज की अनुमति नहीं दी जायेगी जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को कुछ धक्का लगे।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इस बात को मानते हुए कि इनका राष्ट्रिय सुरक्षा के प्रयोजनों के लिये ही प्रयोग किया जा रहा है क्या मैं जान सकता हूं कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि भारत रक्षा नियमों का कुछ सीमित क्षेत्रों में तथा सीमित प्रयोजनों के लिये जिन के लिये गृह-कार्य मंत्री प्रयोग करना चाहते हैं, गलत प्रयोग न हो। गृह-कार्य मंत्री का क्या कार्यवाही करने का विचार है। मेरे पास तो कुछ ऐसे मामले नहीं है जिन में भारत रक्षा नियमों का गलत प्रयोग किया गया हो परन्तु श्री मधु लिमये ने कुछ ऐसे मामलों का उल्लेख किया है इसलिये क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय गृह-कार्य मंत्री ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि इन का गलत प्रयोग न हो और कि इन का उचित प्रयोग हो क्या कर्यवाही की है।

श्री नन्दा : मैं यह नहीं कहता हूं कि ऐसा कोई मामला नहीं है जहां इनका गलत प्रयोग नहीं हुआ है। मैंने पहले भी सभा को बताया है कि मैं विश्वास से यह नहीं कह सकता कि ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है। परन्तु श्री मधू लिमये ने जो कुछ कहा है वह बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा है। इसके अतिरिक्त इसका कोई आधार भी नहीं है माननीय सदस्य ने महाराष्ट्र की किसी घटना के बारे में कहा है और आरोप यह लगाया है कि गृह-कार्य मंत्री के लड़के की शादी के सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों को नजर बन्द किया गया था।

श्री हेम बरुआ : यह समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो चुका है।

श्री नन्दा : यह बिल्कुल झूट है। मेरे पास सभी वक्तव्य तथा तथ्य हैं। इस प्रश्न को महाराष्ट्र के विधान मण्डल में उठाया गया था और संयुक्त समाजवादी दल के एक सदस्यने वहा कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। परन्तु सरकार से सब जानकारी प्राप्त कर लेने के पश्चात जब उसको विश्वास हो गया कि ऐसा नहीं हुआ तो उसने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया था। इससे अधिक और कुछ नहीं कहा जा सकता। वहां इस मामले पर चर्चा हुई थी और जब माननीय सदस्यों को तथ्य बताये गये तो उन्होंने कटौती प्रस्ताव वापस ले लिया था। जो कुछ भी कहा गया है उस में कुछ सचाई नहीं है।

श्री हरिचन्द्र माथुर : माननीय मंत्री इस मामले की व्याख्या करते समय इसके पहले भाग के बारे में भूल गये है कि वह इस बात को कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इनका गलत प्रयोग न हो और क्या वह कुछ शक्ति अपने हाथों में रखना चाहते हैं।

श्री नन्दा : क्योंकि समस्त गलत प्रयोग यहां कहीं गई बातों से उत्पन्न होता है. . . .

श्री हरिचन्द्र माथुर : उसको मैं मानता हूं।

श्री नन्दा : मैंने अपने पहले वक्तव्यों में बताया है कि इन शक्तियों का छोटे स्तरों द्वारा प्रयोग बन्द कर दिया गया है। सरकार के अलावा इनका कोई भी प्रयोग नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त अन्य बातों पर भी विचार किया जा रहा है।

Shri Braj Behari Mehrotra : As most of the detenues have already been released may I know whether government propose to release the remaining persons also?

Shri Gulzari Lal Nanda: In most of the cases which have been discussed, per sons have been released. The remaining cases are of those areas where these have to be detained or those of espionage. We do not consider to release sucn persons.

Shri Vishwa Nath Pandey : As the hon. minister has stated in his statement.

"देश की आन्तरिक तथा बाह्य स्थिति को देखते हुए अलग अलग समय पर व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया था।"

Have the Central or the State Government taken assurance from the released persons that in future they will not make such mischief?

Shri Nanda : There is no need for taking assurance from them. When they do anything, we will see to that.

डा० रानेन सेन : इसके बावजूद कि गृह-कार्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री ने भारत प्रतिरक्षा नियमों के सीमित उपयोग और निरुद्ध व्यक्तियों के रिहाई के बारे में कई बार वक्तव्य दिया है, यद्यपि उस वक्तव्य से हम सहमत नहीं है, क्या मैं जान सकता हूं कि त्रिपुरा के दो संसद् सदस्य श्री दशरथ देव और श्री बिरेन दत्त और त्रिपुरा विधान सभा के नेता श्री बिपिन चक्रवर्ती को अब तक निरुद्ध रखने के क्या कारण है और उनकी रिहाई के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

श्री नन्दा : माननीय सदस्य शायद जानते हैं कि त्रिपुरा एक सीमावर्ती क्षेत्र जैसा है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सच नहीं है कि अब भी ऐसे मामले हैं जिनमें भारत प्रतिरक्षा नियमों का दुरुपयोग किया गया है? उदाहरणार्थ, काश्मीर के इतिहास पर पुस्तक के जलाने के लिये, एक विद्यार्थी नेता को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उसने कहा कि चीनी नेताओं के सराहनीय निर्देशों को पुस्तक से निकाल देना चाहिये। यह सुनिश्चित करने के लिये माननीय मंत्री क्या कदम उठायेंगे कि अब से बाद निर्दोष व्यक्तियों का दमन करने के लिये दुष्ट उपनिरीक्षकों द्वारा भारत प्रतिरक्षा नियमों का उपयोग न किया जाये?

श्री नन्दा : मैं पहले ही कह चुका हूं कि सभी उपनिरिक्षक दुष्ट नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : मैं तो केवल दुष्ट उपनिरीक्षकों को ही जानता हूं जिन्होंने इमानदार व्यक्तियों को बिहार में जेल में डाल दिया है। मुझे खेद है।

श्री नन्दा : ऐसा भी हुआ है और इसमें मेरे लिये छिपाने की कोई बात नहीं है। जैसा कि मैंने पहले आश्वासन दिया जो नई हिदायत दी गई है उससे वह बात बिलकुल असम्भव हो जायेगी जो माननीय सदस्य के दिमाग में है।

श्री श्यामलाल सर्राफ : जिस विशिष्ट घटना का उल्लेख माननीय सदस्योंने किया है उसके सम्बन्ध में, अर्थात् काश्मीर के विद्यार्थी नेता के सम्बन्ध में माननीय मंत्री को क्या कहना है? पहले उसको भूख हड़ताल करनी पड़ी थी; क्यों? क्योंकि उसने विरोध प्रकट किया था कि काश्मीर की पाठ्य पुस्तक में चीन के पक्ष में इतना कुछ लिख हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस विशिष्ट घटना के बारें में आपको कुछ पता है?

श्री नन्दा : मैं ब्यौरा प्राप्त करूंगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस सभा में त्रिपुरा का कोई प्रतिनिधि नहीं है, क्योंकि वहां के दोनों संसद सदस्य अभी भी जेल में हैं और माननीय गृह मंत्री कहते हैं कि त्रिपुरा एक सीमावर्ती राज्य है। पश्चिमी बंगाल, आसाम और राजस्थान भी किसी हद तक सीमावर्ती राज्य हैं। क्या इसका अर्थ मैं यह समझूं कि भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत निरुद्ध व्यक्तियों को रिहा करने की नीति सरकार ने केवल मजाक उड़ाने के लिये अपनाई है ताकि सरकार सीमावर्ती राज्य कह कर जब चाहे लोगों को नजरबन्द कर सके? कल ही आपने बताया था कि श्री बिरेन दत्त को फिर से जेल में बन्द कर दिया है जिससे हमें काफी चिंता पहुंची है?

श्री नन्दा : इस मामले में मैं माननीय सदस्य की चिंता की सराहना करता हूँ। मैं सभी सीमावर्ती राज्य की बात नहीं कर रहा हूं; मैं तो केवल उन थोड़े से सीमावर्ती राज्यों की बात कर रहा हूं जहां पर की समस्या है। माननीय सदस्य को याद होगा मैंने कहा था कि वहां पर भी हम आलोचनात्मक तरीके से विचार करने जा रहे हैं और उन क्षेत्रों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने जा रहे हैं। हो सकता है उस दिशा में भी कुछ और किया जाये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत वामपन्थी साम्यवादियों के विरूद्ध किये जाने के सम्बन्ध में सदस्यों को दिये गये श्वेतपत्र में यह कहा गया था कि भारत चीन संघर्ष में भारत के प्रति उनके विशेष रवैये के कारण यह समझा गया कि वे सुरक्षा के लिये एक खतरा थे और इसलिये उन्हें निरूद्ध किया गया। अब चूंकि उनको बड़ी संख्या में रिहा कर दिया गया है, क्या सरकार यह मानती है कि भारत-चीन समस्या के प्रति उनके रवैये में परिवर्तन आ गया है और अब वे सुरक्षा के लिये कोई खतरा नहीं हैं?

श्री नन्दा : हमारी नीति दो बातों पर आधारित है—आन्तरिक स्थिति, वैदेशिक स्थिति और एक विशिष्ट सूत्र से आज का आकार। मुझे आशा है कि एक न एक दिन उनमें परिवर्तन आयेगा। मुझे यह बिल्कुल विश्वास नहीं है कि अच्छाई के लिये कोई विशिष्ट परिवर्तन हुआ है।

श्री नाथ पाई : मेरे प्रश्न के दो भाग थे। क्या माननीय मन्त्री यह समझते हैं कि उनका खतरा कम हो गया है अथवा गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के रवैये में परिवर्तन आया है? हमें इसका उत्तर नहीं मिला है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : उनको गलत आरोपों पर गिरफ्तार किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि उनके विचार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : तो उनका गिरफ्तार किया जाना उचित नहीं था।

Shri Ram Sahai Pandey : Shri Madhu Limaye made serious allegations against the Home Minister of Bombay in connection with the arrest of a lady in Bombay. These allegations were investigated and found baseless. It, therefore, want to know whether the Government propose to prepare a code of conduct for the Members under which they may not be allowed to fling such baseless allegations against a person who is not here to defend himself.

Shri Nanda : I cannot answer this, this is for the House or the Speaker to say anything.

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत निरूद्ध कुछ व्यक्तियों को केवल इसलिय गिरफ्तार किया गया था कि क्योंकि उनका सम्बन्ध किसी विशिष्ट समुदाय से था और उनके मामलों की जांच के पश्चात उनको रिहा करना पड़ा क्योंकि उनके विरूद्ध कुछ भी सिद्ध नहीं हो सका? माननीय मंत्री ने अभी कहा कि इसके पीछ कोई राजनीतिक उद्दश्य नहीं था? क्या मैं उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिला सकता हूं कि मेरे दल के दो सदस्यों को, क्योंकि वे मुसलमान थे और अगले चुनाव में वे कांग्रेस दल के विरूद्ध शक्तिशाली उम्मीदवार होने जा रहे थे, आसाम में जेल में बन्द किया गया और उनके मामलो की जांच के पश्चात उन्हें रिहा करना पड़ा क्योंकि उनके विरूद्ध कुछ भी सिद्ध नहीं हो सका। क्या सरकार उन लोगों को कुछ मुआवजा देने जा रही है जिनका इस प्रकार अपमान किया गया है?

श्री नन्दा : वह मुआवजे की बात ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई अपराध कर दिया हो? मैंने पहले बता दिया है कि ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें इन नियमों का जल्दी बाजी से उपभोग किया गया हो और पर्याप्त पूर्वोपाय न किये गये हों। उस प्रकार के मामलों में ऐसा आवश्य हुआ है क्योंकि जब अचानक आपात की स्थिति हमारे सामने आ गई तो उन्होंने कुछ लोगों को पूर्वोपाय के रूप में गिरफ्तार कर लिया और बाद में शीघ्र ही जांच के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। वह ऐसा समय था जबकि राष्ट्रीय आवश्यकताए इस प्रकार की थी।

श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अनेक मामलों में स्थानीय अधिकारियों से लेकर राज्य स्तर तक सुरक्षा नियमों का दुरुपयोग किया गया है, सरकार हिदायतें भेजने के अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिये कि केन्द्रीय गृह-मंत्रालय को, जब भी राज्य सरकारों द्वारा इन शक्तियों के दुरुपयोग की ओर ध्यान दिलाया जाये, इन मामलों के पुर्नविलोकन करने और रिहाई का आदेश देने का अधिकार है, क्या कदम उठा रही है?

श्री नन्दा : यह पहलू विचाराधीन है।

श्री उमानाथ : जब सरकार विरूद्ध जातियों को रिहा करने का निर्णय करती है तो मैं देखता हूं कि पुर्नविलोकन के नाम. में उनको एक साथ रिहा नहीं किया जाता है अपितु अलग अलग जथ्थों में रिहा किया जाता है? उदाहरणार्थ, मुझे और श्री नम्बियार को 2 तारीख को रिहा किया गया था और श्री राममूर्ति को 2 दिन पश्चात रिहा किया गया। क्या उस पुर्नविलोकन का अर्थ यह है कि दो दिन में चीन का खतरा कम हो गया था विधि तथा व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो गया था या फिर मैं यह समझू कि सम्बन्धित राज्यों में कांग्रेस दल की राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार राज्य सरकारों को उनकी रिहाई का निर्णय करने की अनुमति दी गई थी?

श्री नन्दा : अन्य सदस्यों की अपेक्षा आप को कुछ पहले रिहा करने में कांग्रेस की राजनीतिक आवश्यकताओं का समाधान किस प्रकार हो जायेगा?

श्री उमानाथ : फिर उनको एक साथ रिहा क्यों नहीं करते? जथ्थो में क्यों करते हो?

अध्यक्ष महोदय : पुर्नविलोकन करना होता है। कुछ मामलों का आज किया जाये, कुछ का कल और इसी प्रकार।

श्री पें० वेंकटासुब्य्या : क्या मंत्री महोदय का ध्यान कुछ वामपन्थी साम्यवादी नेताओं द्वारा उनकी रिहाई के शीघ्र बाद दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने को लम्बे प्रस्तावों की अवहेलना करके भारत और चीन के बीच सीधी बातचीत की वकालत की है यदि हां, तो इन लोगों को रिहा करने की अनुमति देने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री नन्दा : बात केवल यह है कि उनकी स्वयं की सीधी बातचीत नहीं होनी चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि राज्य सरकारों या केन्द्रीय सरकार के कुछ अधिकारियों के बुरे में कारनामों की हिदायत करने के लिये सरकार संविधान में संशोधन करना चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय : कल ही उन्होंने यह वक्तव्य दिया है ।

श्रीमती सावित्री निगम : जैसा कि आप जानते हैं ....

अध्यक्ष महोदय : आपको केवल वही बात पूछनी चाहिये जिसका आपको पता नहीं है।

श्रीमती सावित्री निगम : यहां पर जिन घटनाओं का उल्लेख किया गया है आप उनको जानते हैं ? माननीय गृह-कार्य मंत्री की जानकारी में लाये गयें अधिकांश आरोप निराधार सिद्ध हुए हैं। इन निराधार मामलों के कारण काफी गलतफहमी पैदा हुई है। यदि राज्यों में गिरफ्तार किये गये लोगों के सभी मामलों को इस प्रकार के भय को दूर करने के लिये एक सप्ताह के अन्दर अन्दर गृह-कार्य मन्त्रालय के द्वारा पुनर्विलोकन के लिये लाया जाये तो इसमें क्या कठिनाई होगी ?

श्री सर्राफ ने अब जिस मामले को सूचना दी है क्या गृह-कार्य मंत्री उसका पुनर्विलोकन करने जा रहे हैं ?

श्री नन्दा : माननीय महिला सदस्य के शब्दों से ऐसा लगता है कि सुरक्षा नियमों का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर किया गया। कम से कम वह जानती हैं कि मुझे इस दुरुपयोग की जानकारी नहीं थी । कभी कभी इस प्रकार के मामले होते हैं और उन पर जैसा कि मैंने बताया कार्यवाही की जाती है.....

श्रीमती सावित्री निगम : इस विशिष्ट मामले के बारे में....

श्री नन्दा : हम इसकी जांच करेंगे ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय कैम्पस में हुई घटना

*1606. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या शिक्षा मंत्री बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय कैम्पस में हुई घटनाओं से सम्बन्धित ध्यान दिलाने वाली सूचना के उत्तर में 21 फरवरी, 1966 को सभा में दिये गये अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान उनके द्वारा उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री को जांच न्यायाधिकरण के बारे में लिखे गये पत्र के विषय को स्वयं उनके द्वारा प्रकट किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) इस विषय में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में प्रामाणिक रिपोर्ट अभी नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरि विष्णु कामत : 21 फरवरी को मंत्री महोदय ने कहा था—मैं छपे हुए वाद-विवाद से पढ रहा हूं :

"मैंने उन्हें लिखा है कि एक ऐसा न्यायाधिकरण नियुक्त करना फजूल है जो विश्वास प्रेरित नहीं करता और उनसे नियुक्त न्यायाधिकरण द्वारा कोई लाभदायक कार्य नहीं हो सकेगा यदि इसके आरम्भ होते समय जनता का एक बड़ा भाग इस का विरोध करता हो।"

अब क्या मंत्री महोदय निजी रूप से नहीं, सरकार के प्रवक्ता के रूप में इस नियम को सब राज्यों पर, सब मामलों में एक रूप से लागू करते हैं और हाल के बस्तर जांच आयोग के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के लिए अलग अलग मान कर सुझाव नहीं देते और क्या सरकार का दृष्टिकोण यह है कि जो उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा है वह मध्य प्रदेश के लिए भी अच्छा है।

श्री मु० क० चागला : मैं दोनों से समान व्यवहार करता हूं। उस वक्तव्य में जिस नियम का निरूपण मैंने किया था वह ठीक है। इस नियम को सब मामलों में लागू होना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : महोदय, यदि मैंने मंत्री को ठीक सुना, उन्होंने कहा "कोई प्रामाणिक विवरण प्राप्त नहीं हुआ है" जो प्रधान मंत्री ने कहा था। प्रश्न पूछने से पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या किसी प्रकार का विवरण प्राप्त किया गया है। प्रामाणिक विवरण" से उनका क्या अभिप्राय है।

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा प्रश्न है।

श्री हरि विष्णु कामत : नहीं, महोदय ; सूचना मिलने पर प्रश्न पूछा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : उसने पूछा है कि क्या कोई विवरण प्राप्त किया गया है। यह तो स्वयं ही एक प्रश्न है।

श्री हरि विष्णु कामत : नहीं, महोदय। तो फिर मैं अपना दूसरा प्रश्न पूछूंगा। इस विषय पर मैं अपना मौका नहीं खोना चाहता क्योंकि वह फिर कहेगा कि कोई प्रामाणिक विवरण प्राप्त नहीं किया गया है।

श्री मु० क० चागला : महोदय, मेरे पास जो कुछ सूचना है वह मैं सभा को बताना चाहूंगा। इस मामले में जुहि हमने प्रश्न की सूचना प्राप्त की। हम ने मुख्य मंत्री के भाषण की प्रामाणिक प्रतिलिपि मंगवाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को लिखा। दो तार अनुस्मारकों के पश्चात राज्य सरकार ने इस मंत्रालय को सूचित किया कि क्योंकि विधान सभा की कार्यवाही, जहां प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दिया था, अभी प्रकाशित नहीं हुई, इसलिए मुख्य मंत्री के वक्तव्य की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है। हमने दो तार अनुस्मार भेजे। इसके अतिरिक्त सूचना उपलब्ध नहीं है। मैं समाचार-पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही नहीं कर सकता।

श्री हरि विष्णु कामत : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं उन का ध्यान उनके 21 फरवरी के वक्तव्य की ओर आकर्षित कर सकता हूं ? उन्होंने कहा था :

"जहां तक कानून और व्यवस्था का सम्बन्ध है, प्रधान मंत्री ने इस सभा को विश्वास दिलाया था कि इस सभा में किये गये विद्यार्थियों की रिहाई, सम्पत्ति की वापसी, पोलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण आदि सम्बन्धी सभी सुझावों को मुख्य मंत्री तक पहुंचायेंगी। इन सभी की सूचना मुख्य मंत्री को दे दी जायेगी।"

क्या ऐसा किया गया है। यदि हां, तो इन सुझावों पर उत्तर प्रदेश की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री मु० क० चागला : मेरा विचार है कि यह प्रश्न माननीय सदस्य प्रधान मंत्री से पूछें।

श्री हरि विष्णु कामत : यह उनका वक्तव्य है। अब वह प्रधान मंत्री को अपना उत्तरदायित्व कैसे दे सकते हैं। यह उनकी ज़िम्मेवारी है।

श्री मु० क० चागला : मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्रियों को अवश्य पहुंचा दिया होगा। मुख्य मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है यह बताने में मैं असमर्थ हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान जी, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। जब एक मंत्री सरकार के मंत्री की हैसियत से, न कि श्री चागला या सेवावारित प्रधान न्यायाधीश के अपने निजी रूप में, अधिकारपूण रूप से सभा को बताता है कि प्रधान मंत्री ने सभा को विश्वास दिलाया है कि वह मुख्य मंत्री को सुझाव पहूंचायेगी, तो क्या यह उसका कर्तव्य नहीं कि वह तत्पश्चात पता करे यदि उसने ऐसा किया है और तब मौका आने पर सभा को रिपोर्ट करे। यह सब क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति !

श्री हरि विष्णु कामत : उन्हें इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : सम्भवतः वह मुझे पर भी लागू होगा।

श्री हरि विष्णु कामत : मंत्रीवृन्द पर लागू होगा, आप पर नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि जिम्मेदारी सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है, फिर भी प्रश्नकाल में एक विशेष मंत्री ही सूचना दे सकता है। यह नियमों में साफ-साफ दिया गया है। इसलिए यदि वह कहते हैं कि इस विषय पर कोई सूचना नहीं, तो हम स्वीकार करना पड़ता है।

श्री रंगा : महोदय, यह अभ्यास और प्रक्रिया का मामला है कि जब कभी एक मंत्री यहां कहता है कि वह, जो कुछ हम ने कहा है, उसे सम्बन्धित सरकारों को पहुंचायेंगी--इन वर्षों में कई मौकों पर ऐसा हुआ है। हमने बिना प्रमाण के मान लिया है कि मंत्री और उसके पीछे अधिकारियों से, जिनका उस मामले से सम्बन्ध है, आशा की जाती है कि वह स्थानीय सरकार को सूचना के लिए, उनके उत्तारों के लिए या जो कुछ भी हो, के लिए तुरन्त भजे। इन लोगों की पूरी दया पर हम नहीं छोड़त।

अध्यक्ष महोदय : स्वतंत्र पार्टी के नेता कृपया प्रशंसा करेंगे कि जो कुछ मैंने कहा, उसका सम्बन्ध केवल प्रश्नकाल से है अन्यथा वह संयुक्त रूप से ज़िम्मेदार हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रश्न काल में वह ज़िम्मेदार नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में एक मंत्री केवल ऐसी सूचना दे सकता है जो कि उसके विशेष-ज्ञान में है अथवा उसके अधिकार में है। यदि वह कहता है कि उसे वह सूचना नहीं मिली, तो मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता।

श्री रंगा : महोदय, इसका एक भाग हम स्वीकार करते है किन्तु साथ ही साथ पिछले वर्षों में ऐसा हुआ है कि जब एक मंत्री कहता है कि वह स्थानीय सरकार को कोई संदेश पहुंचा देगा तो हम आशा करते हैं कि सम्बन्धित स्थानीय सरकार को यह अपने आप भेजा जायेगा और उस सरकार की प्रतिक्रिया प्राप्त कर ली जायेगी।

श्री हरि विष्णु कामत : हमारी कठिनाई यह है कि यदि हम अब प्रधान मंत्री से यह जानने के लिए लिखते हैं कि उसने क्या किया है तो वह एक अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार करने से इन्कार कर देंगे। सभी मंत्रियों की यह आदत है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : महोदय, यह मामला 21 फरवरी से लटका हुआ है जब मंत्री ने वक्तव्य दिया, इस दृष्टि से और इस दृष्टि से कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही प्रामणिक रूप से "प्रैस" में रिपोर्ट हो चुकी है और कम से कम कार्यवाही की रिपोर्ट के संदर्भ में सत्यापन हो चुका है जोकि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार को उपलब्ध है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सरकार का अभ्यास है कि वह लगभग तीन महीने बीत जाने पर प्रस्तुत हो और कहे कि लोक सभा में मंत्री द्वारा वक्तव्य ऐसी बात जो मुख्य मंत्री ने कही हो, उस का हवाला बिल्कुल नहीं दिया जा सकता क्योंकि मंत्री ने प्रामाणिक सूचना प्राप्त नहीं की है। क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य विधानों और मुख्य मंत्रियों के सम्बन्ध में सरकार के काम करने का यह तरीका है।

श्री मु० क० चागला : क्या मैंने सुझाव दिया है कि समाचारपत्र में छपने वाले वक्तव्य का हवाला न दिया जाय। प्रश्न प्रामाणिक विवरण प्राप्त करने का है? क्या मेरे माननीय मित्र का यह सुझाव है कि हम सरकार के नाते समाचार पत्र में छपने वाली हर गप को सत्य मानें? यहां एक मुख्य मंत्री उलझा हुआ है। मुझे संतुष्ट होना चाहिये कि मुख्य मंत्री ने वह वक्तव्य दिया है जिसकी रिपोर्ट की गई है कि उसने सभा में किया है। मैंने संकेत दिया है कि हमने एक पत्र और दो तार-अनुस्मारक भेजे हैं। हमें उत्तर मिला है कि सभा की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। इससे अधिक मैं क्या कर सकता हूं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह छापी न गई हो परन्तु सभा में इसके अभिलेख अवश्य होंगे। इस का सम्पादन न किया गया हो और छपने के लिए न दी गई हो। लेकिन यह कोई कारण नहीं है जिससे प्रतिलिपि नहीं दी जा सकती।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : और श्री हेम बारूआ खडे हुए।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। इस प्रकार बहुत से माननीय सदस्यों को एक साथ नहीं बोलना चाहिये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : तीन महीने बीत चुके हैं। मेरी राय में जो कुछ उन्होंने कहा है समझ से बाहर है और गम्भीरता से विचार न किया जाये क्योंकि यद्यपि यह छापा नहीं गया है फिर भी सभा में अभिलेख होंगे और अभिलेखों से पता लगा सकते है कि क्या मुख्य मंत्री ने ऐसा कहा है या नहीं।

श्री मु० क० चागला : मैं उत्तर प्रदेश सरकार से केवल अभिलेख प्राप्त कर सकता हूं। मैं ने पहले संकेत दिया है कि जब हमने उत्तर प्रदेश सरकार को टेलीफोन किया तो उत्तर मिला कि विधान सभा की कार्यवाही जहां मुख्य मंत्री ने वक्तव्य दिया था, अभी छापी नहीं गई हैं, इसलिए मुख्य मंत्री के वक्तव्य की प्रति इस समय उपलब्ध नहीं हैं **(अन्तर्बाधा)**

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : सामान्यतः यह एक ऐसा विषय है जो सभी राज्य विधान मण्डलों में चलता रहता है। केन्द्र से भेजे गये इन दो पत्रों का उत्तर पाने के पश्चात, एक प्रामाणिक रिपोर्ट या टेप रिकार्ड अथवा जो भी हो जो सभा में मौजूद हो पाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने और क्या कदम उटाये, और उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तर देने में बाध्य किया है?

श्री मु० क० चागला : उत्तर प्रदेश सभा के पास 'टेप रिकार्ड' है इस का मुझे ज्ञान नहीं। क्या महिला सदस्य मुझे सुझाव देंगी कि सम्बन्धित अधिकारी से अधिकृत विवरण मांगने के अतिरिक्त मैं कौन से उपाय कर सकता था। उनका कहना है कि वह उपलब्ध नहीं है।

श्री रंगा : विधान सभा के सचिव से पूछिये।

श्री नम्बियार : क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश की सरकार उसे देने के लिए तैयार नहीं है?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री नम्बियार : यदि यह सत्य है तो उन्हें बताने दीजिये। यदि हां, तो उत्तर प्रदेश की सरकार बाधा उपस्थित कर रही है।

अध्यक्ष महोदय। अगला प्रश्न।

बेरोजगार लोगों का बीमा

*1609 **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार लोगों के बीमे के प्रश्न पर विचार करने के लिए कोई श्रम तालिका (लेबर पैनल) बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इस तालिका के निर्देश पद क्या हैं; और

(ग) इस तालिका को कब तक अपना काम पूरा करना होगा ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं। ऐसे लोगों के लिए, जिन्हें रोजगार प्राप्त है परन्तु बेरोजगार हो सकते हैं, बेरोजगार बीमा योजना शुरू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : बेरोजगार लोगों के बीमे की महत्ता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है ?

श्री शाहनवाज खां : इस योजना पर शीघ्रता से विचार किया जा रहा है। इस पर अब स्थायी श्रम समिति विचार कर रही है और हम इसे इस वर्ष के अन्त में बुलाए जाने वाले श्रम सम्मेलन के सामने भी रखना चाहते हैं।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या सरकार ने उन देशों से इस विषय में पूछताछ की है जहां पर ऐसी योजनाएँ विद्यमान हैं यदि हां, तो इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं ?

श्री शाहनवाज खां : हमने ऐसी योजनाओं का अध्ययन किया है और योजना का एक प्रारुप बनाकर सभी राज्यों में परिचालित कर दिया है। इस सम्बन्ध में काफी प्रगति हो चुकी है।

श्री अ० प्र० शर्मा : माननीय मंत्री ने कहा कि योजना की रूपरेखा उन्होंने विदेशों से प्राप्त की है। वे देश कौन से हैं और क्या यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से भी इस विषय में कोई जानकारी प्राप्त हुई है ?

श्री शाहनवाज खां : जैसा कि मैंने अभी कहा है, हमने विभिन्न देशों में चालू ऐसी योजनाओं का अध्ययन किया है और ब्रिटेन तथा अन्य देशों में इस योजना से हुए लाभों का भी हमने अध्ययन कर लिया है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार बेरोजगारी बीमा योजना के विकास के लिए भविष्य निधि योगदान को उपयोग में लाने की परियोजना पर विचार कर रही है ; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या सफलता मिली है ?

श्री शाहनवाज खां : इस योजना के अन्तर्गत कुछ भाग भविष्य निधि में जमा करना होगा वस्तुतः यह भाग मासिक वेतन का 0.50 प्रतिशत था। अब यह प्रस्ताव है कि इसे घटाकर एक व्यक्ति के वेतन का 0.25 प्रतिशत कर दिया जाय और जो नियोजक और सेवा नियोजित कर्मचारी दोनों द्वारा बराबर बराबर दिया जाय।

श्री अ० प्र० शर्मा : यह योजना बेरोजगार व्यक्तियों के लिए है, नौकरी पर लगे हुए व्यक्तियों के लिए नहीं।

श्री शाहनवाज खां : सेवानियोजित व्यक्ति भी संकटकाल के लिए इसमें योगदान देंगे।

डा० रानेन सेन : सर्वप्रथम इस योजना पर सन 1962 में चर्चा की गई थी। तब से सभा में यह प्रश्न कई बार उठाया गया और हर बार यही उत्तर मिला कि योजना पर तेजी से विचार किया जा रहा है। यदि इस पर पिछले तीन वर्षों से सक्रिय विचार हो रहा है तो श्रम विभाग के द्वारा इस पर शीघ्रता से विचार किए जाने का क्या अर्थ हुआ ?

श्री शाहनवाज खां : यह योजना सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई थी और सब राज्य सरकारों, मुख्य नियजकों और सेवानियोजित कर्मचारियों के प्रतिनिधियों में परिचालित की गई थी। उन सबका मत जान लिया गया है और अब इसे अन्तिम रूप भी दे दिया गया है। स्थायी श्रम-समिति अब इस पर विचार कर रही है और जैसा मैंने कहा कि आगामी भारतीय श्रम-सम्मेलन के समक्ष यह रखी जायेगी।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सत्य है कि सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव ने जब इस विषय पर एक गोष्ठि बुलाई तो उसमें नियोजकों के प्रतिनिधि ने स्पष्ट शब्दों में इसका विरोध किया और इसी कारण यह योजना अन्तिम रूप से तैयार नहीं हो पाई ?

श्री शाहनवाज खां : यह सत्य नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या इसका यह मतलब है कि नियोजक वर्ग इससे सहमत है ?

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि इसमें कोई सत्य नहीं है।

श्री नम्बियार : बेरोजगार कारीगरों की अनुमानतः क्या संख्या होगी जो राज्य सरकारों से समर्थन प्राप्त इस योजना से लाभान्वित होंगे ?

श्री शाहनवाज खां : कारीगरों ने इस योजना का स्वागत किया है। इसके प्रति उनकी प्रतिक्रिया बड़ी ही उत्साहपूर्ण है।

श्री नम्बियार : मैं ऐसे कारीगरों की संख्या जानना चाहता हूं जो इससे लाभ उठायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : उनके पास शायद इसकी जानकारी नहीं है।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या इस योजना के अन्तर्गत शिक्षित विशेष कर स्नातक और स्नातकोत्तर बेरोजगार युवकों को भी लाया गया है ताकि बेरोजगारी के दौरान उन्हें कुछ सुरक्षा का आभास हो सके ?

श्री शाहनवाज खां : प्रारम्भ में तो यह योजना केवल उन व्यक्तियों पर लागू होगी जो कर्मचारी भविष्य निधि और खान-कल्याण भविष्य निधि योजनाओं के अन्तर्गत आते हैं। बाद में अनुभव के आधार पर इसका अन्य वर्गों के लिए भी विस्तार कर दिया जायगा।

Shri Shiv Narayan : The Minister has said that the matter has been studied in various countries. But in foreign countries it is so that all the youngmen, who are jobless, are provided with some kind of job or livelihood. Whether govt. intend to mould the scheme on the same lines?

Shri Shahnawaz Khan : The scheme, I am mentioning here, is for those workers who after being employed leave the services on some reasons or who have been retrenched. This is for helping them during the period of their unemployment It is not for them who are not employed in government or other offices.

3—73 L. Sabha/63

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Hon. Minister has told that their scheme will apply to those who were in employment but now have left it on some reason. I would like to know whether it will apply to the workers employed in small industries and who have been thrown out of the job? Whether there is any age-limit by which the benefits of the scheme will be made available?

Shri Shahnawaz Khan : Age will be taken into consideration. Those who have attained the age of 55 will not be required to make contribution for it. They will be exempted. As I have stated, it will apply to those who are covered by Provident Fund Scheme.

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप प्रश्न संख्या 1615 को लें। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि हजारों व्यक्ति प्रभावित हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब तक माननीय मंत्री इसके लिए राजी न हों, मैं इसे नहीं ले सकता। पहले मुझे प्रश्न-काल समाप्त करने दीजिए, फिर मैं देखूंगा। अगला प्रश्न ।

पुस्तकालय आन्दोलन

***1610. श्री श्रीनारायण दास :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पुस्तकालय आन्दोलन को, इस के बारे में चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए अपना कार्यक्रम बनाते हुए ठोस तथा वैज्ञानिक रूप देने के प्रश्न पर विचार कर लिया था;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय आन्दोलन का विस्तार करने में केन्द्र तथा राज्यों द्वारा किये जा रहे योगदान का पुनर्विलोकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के लिये क्या विस्तार कार्यक्रम तैयार किया गया है?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां।

(ख) आयोजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) पुस्तकालय राज्य सरकार का विषय है। जब आयोजना के विभाजनों को अन्तिम रूप नहीं दिया जाएगा, तो केन्द्र कितनी सहायता किन-किन क्षेत्रों में दे सकता है, तब यह प्रश्न निश्चय किया जा सकता है।

(घ) धन की कमी के कारण, 1966-67 में पुस्तकालयों के अनुदानों के लिये लगभग 2.5 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है और इस कार्य की योजना तैयार की जा रही है।

श्री श्रीनारायण दास : भारतीय पुस्तकालय संस्था द्वारा दिये गये इस सुझाव कि पुस्तकालयों के सुधार कार्यक्रम को विनियमित, नियंत्रित और पूरा करने के लिये एक केन्द्रीय अधिनियम होना चाहिए, पर सरकार ने क्या निर्णय किया है?

श्री भक्त दर्शन : मैं इस विषय में अभी कुछ भी जानकारी नहीं दे सकता।

श्री श्रीनारायण दास : कुछ वर्ष पूर्व पुस्तकालय आन्दोलन सम्बन्धी मेरे संकल्प पर वाद-विवाद के दौरान उस समय के माननीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि सरकार सभा में एक ऐसा विधयक प्रस्तुत करेगी। सरकार कब ऐसे विधेयक को सभा के सामने ला रही है?

श्री भक्त दर्शन : मैं इस विषय में पूछताछ करूंगा और इसकी सूचना सदस्य महोदय को दूंगा।

प्रश्न काल समाप्त ।

Question Hour over.

तारांकित प्रश्न संख्या 1607 के सम्बन्ध में

RE : S. Q. No. 1607

Shri Prakash Vir Shastri : I want to submit that it was an important question regarding the imposition of President's rule in Madhya Pradesh. The member responsible for the question went away and in this pre-planned manner the question has been removed for being answered in the House. It is not fair on the part of the Government. How the adiministration will go on like this?

(Interruptions)

Mr. Speaker : I am to call the Member and not concerned with his presence in the House.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : It is an important question. The Minister has deliberately sent him out and in this way Shri Mishra is being shielded.

श्री विद्या चरण शुक्ल : वह कितनी गैर जिम्मेदार बात कह रहे हैं ।

Mr. Speaker : I can do nothing.

श्री स० मो० बनर्जी : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

डा० रानेन सेन : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है । आप इसे लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं । नियम यह है कि प्रश्न-काल के समाप्त होने के बाद कोई प्रश्न केवल तभी लिया जा सकता है जब इसके लिये मंत्री महोदय अनुरोध करें । फिर मुझे बार बार इसके लिये क्यों कहा जा रहा है ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : माननीय सदस्य पर यह आरोप लगाया गया है कि वे जानबूझ कर सभा में उपस्थित नहीं हुए । उन्हें इस विषय में स्पष्टीकरण देना चाहिए ।

श्री दी० चं० शर्मा : मेरे ऊपर ये अनुचित आरोप लगाये जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई माननीय सदस्य जानबूझ कर भी सभा से बाहर चला जाता है तो मुझे उससे जवाब तलब करने का अधिकार नहीं है । अल्प सूचना प्रश्न ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Congress does not want that Bastar should be discussed here.

अध्यक्ष महोदय : यदि वे इस प्रकार की बातें करते जायेंगे तो उन्हें सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । मुझे अवश्य ही कोई कार्यवाही करनी होगी ।

(अन्तर्बाधाएं)**

श्री कर्णी सिंहजी : अल्प सूचना प्रश्न ।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

विश्व शूटिंग प्रतियोगितायें

+

अ०सू०प्र० 29. श्री कर्णी सिंहजी :

श्री नाथ पाई :

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

श्री बृजराज सिंह कोटा :

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

श्री मानवेन्द्र शाह :

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के राष्ट्रीय राइफल संघ की उस प्रार्थना पर ध्यानपूर्वक विचार किया है जिसमें कहा गया है कि अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद् और उनके मंत्रालय ने जर्मनी में आयोजित 39वीं विश्व शूटिंग प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए केवल एक ही खिलाड़ी (शूटर) को अनुमति देकर इस खेल के प्रति अनुचित व्यवहार किया है जब कि अन्य खेलों के अधिक खिलाड़ियों के लिए मंजूरी दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम क्या हुआ ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) तथा (ख) : अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद् ने सिफारिश की है कि जर्मनी में होने वाली 39वीं विश्व शूटिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ही खिलाड़ी भेजा जाये। इस सिफारिश तथा पहले की अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भारतीय शूटिंग दलों की क्रियान्विति को देखते हुए सरकार अगली विश्व शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजे जाने वाले दल की संख्या में वृद्धि के लिए सहमत नहीं होगी।

श्री कर्णी सिंहजी : क्या यह सच है कि अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद् का केवल एक ही खिलाड़ी (शूटर) भेजने के निर्णय की घोषणा उस समय की गई जब अहमदाबाद में चुनाव सम्बन्धी निर्णय के लिए प्रतियोगिता हो रही थी जहां समूचे भारत के 35 पुरुष तथा महिलायें नया राष्ट्रीय रिकार्ड स्थापित करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे थे। क्या सरकार यह महसूस करती है कि ऐसी घोषणा भारतीय शूटिंग क्रीड़ा के हितों के प्रतिकूल थी और उससे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले दुरुत्साहित हुए जिसके परिणामस्वरूप खेल का स्तर नीचा रहा।

श्री भक्त दर्शन : जहां तक मंत्रालय को जानकारी है कि अखिल भारतीय खल-कूद परिषद् ने इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार किया था। परिषद् में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और जनरल करिआप्पा उसके प्रधान हैं जिनके परामर्श का हम सदा आदर करते हैं। इसलिए, मैं नहीं समझता कि अग्रेतर विचार की कोई गुंजाइश है।

श्री कर्णी सिंहजी : मैं समझता हूं कि इस मामले में बहुत भ्रम है। माननीय मंत्री ने पहले कहा था कि भारतीय खिलाड़ियों की पिछली क्रियान्विति ऐसी नहीं है कि अधिक खिलाड़ी भेजे जायें। माननीय मंत्री को याद रखना चाहिय कि हम ने शूटिंग में विश्व प्रतियोगिता में चांदी का पदक जीता है और इसमें भारत को तीसरा दर्जा प्राप्त हुआ है।

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समूचे भारत में हुई हाल ही की चुनाव की प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों ने विश्व की तुलना में अधिक सफलता प्राप्त की है। उदाहरण के लिए ओलिम्पिक ट्रैप विश्व में प्रथम दर्जे के समान है। महिलाओं के खेल में विश्व में छटा स्थान है, स्कीट में पांचवां स्थान है और ऐसे उच्च स्तर के बावजूद सरकार ने मनमाने ढंग से प्रतियोगिता के प्रमाणों से पहले ही निर्णय कर दिया कि केवल एक ही खिलाड़ी भेजा जाये।

श्री मु० क० चागला : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम अपने खिलाड़ियों का पूरा सम्मान करता हूं। परन्तु हमें इस की क्रियान्विति को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से देखना होगा। टोकियो में 1962 में हुई ओलिम्पिक खेलों में महाराजा कर्णी सिंहजी ने, जिन से हमें बहुत आशा थी 26 अंक प्राप्त किये जबकि दूसरे व्यक्ति ने 49 अंक प्राप्त किये।

श्री कर्णी सिंहजी : मैं मंत्री महोदय को रोम की औलिम्पिक खेलों के बारे में याद कराना चाहता हूं।

श्री मु० क० चागला : इसके लिए स्तर चिली की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में निर्धारित किया गया था। यह सुझाव दिया गया था कि 300 में से 282 अंक प्राप्त किये जाने चाहियें। इसमें केवल महाराजा कर्णी सिंहजी योग्य सिद्ध हुए हैं। 24 व्यक्तियों की टीम से भारत को 48,000 रुपये के विदेशी मुद्रा सहित 1,46,000 रुपये व्यय करने पड़ते और हम से 86,700 की अनुदान की मांग की गई थी। धन सीमित है और खेल-कूद परिषद् को, जोकि एक विशेषज्ञ निकाय है, खेल कूद के सभी पहलुओं पर विचार करना है। हम इस खेल का अनादर नहीं करना चाहते। भारत की दृष्टि से वह बहुत महत्वपूर्ण है। हम ऐसे लोग चाहते हैं जो प्रतिरक्षा के लिए राइफलें चला सकें। परन्तु दुर्भाग्य से हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे नहीं उतरे हैं।

श्री कर्णी सिंहजी : मंत्री महोदय ने अपना वक्तव्य पूरा नहीं किया है। क्या वह सभा को बतायेंगे कि रोम औलिम्पिक तथा 1962 में काहिरा में भारत की स्थिति क्या थी?

श्री मु० क० चागला : मेरे पास पूरे आंकड़े हैं। 1961 में हमने ओसलो में एक खिलाड़ी भेजा था और 5032 रुपये व्यय हुआ था....

श्री कर्णी सिंहजी : उसकी सफलता कैसी थी?

श्री मु० क० चागला : उसमें आप थे और आपने कृपा कर के अपनी विदेशी मुद्रा का प्रयोग किया था।

श्री कर्णी सिंहजी : मैं पूछना चाहता हूं कि 1962 में काहिरा में तथा रोम औलिम्पिक में भारतीय खिलाड़ी की स्थिति क्या थी?

श्री मु० क० चागला : मैं मानता हूं कि माननीय सदस्य ने बहुत सफलता प्राप्त की हैं। ... अन्य लोगों ने वैसी सफलता प्राप्त नहीं की है।

श्री कर्णी सिंहजी : यह वक्तव्य अनुचित है। मैंने अभी समूचे भारत के बारे में आंकड़ें दिये हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी सफलता वैसी नहीं है?

श्री मु० क० चागला : नवीनतम आंकड़े इस प्रकार हैं :

महाराजा कर्णी सिंहजी . .	292/300
मेजर अपजी कल्याण सिंह . .	272/300
श्री पी० के० दास . .	264/300
श्री रणधीर सिंह	258/300
श्री एल० एस० बेदी	247/300

श्री नाथ पाई : श्री चागला ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। वास्तव में, उनके वक्तव्व से भ्रम और बढ़ा है। एक ओर वह एक खिलाड़ी की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और दूसरों के अच्छे कामों की पूर्ण उपेक्षा कर रहे हैं। काहिरा में भारतीय टीम को स्वर्ण पदक, कांसे का पदक तथा चांदी का पदक मिला है।

कल ही प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों ने कहा था कि परमाणु बम नहीं बनाया जायेगा और देश की रक्षा के लिए विमान नहीं लिये जायेंगे। कमसे कम हमें बन्दूकों आदि के प्रयोग को प्रोत्साहन देना चाहिये। यदि हम केवल एक ही खिलाड़ी भेजें तो इस महत्वपूर्ण खेल में भारतीय क्या कर सकेंगे ? संसद् को वह बताना ही काफी नहीं है कि विशेषज्ञों के एक प्रतिष्ठित दल ने यह सिफारिश की है कि केवल एक व्यक्ति भेजा जाये। एक खिलाड़ी से टीम नहीं बनती। इसलिए राष्ट्र की रक्षा में इस खेल के महत्व तथा खिलाड़ियों के काम को देखते हुए क्या माननीय मंत्री इस मनमाने निर्णय पर पुर्नविचार करेंगे ? क्या मंत्री महोदय जानते है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों के अनुसार आधी दर्जन से अधिक भारतीय योग्य सिद्ध हुए हैं। फिर भी उन्होंने मनमाने ढंग से एक ही व्यक्ति चुना है।

श्री मु० क० चागला : यदि हम टीम भेजें तो उसे अच्छा कार्य करना चाहिये और भारत की प्रतिष्ठा बढ़ानी चाहिये। हम ऐसे लोग नहीं भेजना चाहते जो स्तर पर पूरे नहीं उतरे। चिली में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर निर्धारित किये गये थे और वे 282 . . .

श्री कर्णी सिंहजी : यह गलत है। चिली में केवल बन्दूकों की शूटिंग थी। इस बार राइफलों तथा पिसतोलें भी हैं। **(अन्तर्बाधाएं)**

मैंने माननीय मंत्री को एक लम्बा पत्र लिखा था जो कि उनके पास है। चिली में केवल कले पिजन शूटिंग थी। राइफलें तथा पिसतोलें नहीं थीं।

श्री नाथ पाई : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या यहां कही गई बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री निर्णय पर पुर्नविचार करेंगे।

श्री मु० क० चागला : माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को देखते हुए मैं यह मामला अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद् को पुनः भेजने के लिए तैयार हूं। परन्तु हमें उस विशेषज्ञ समिति के, जिसे हमने स्वयं स्थापित किया है, निर्णयों का पालन करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यान दिलाने का प्रस्ताव लिया जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Indian losses during Cease-fire period

***1602. Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :
Shri Daljit Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) wnether Government have made a final assessment as to the numbers of Indian and Pakistani nationals killed, arrested and wounded during tne last Indo-Pak conflict and during the period of cease-tire up o the 13th February, 1966; and

(b) if so, the result thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Information on the assessment as to the numbers of Indian and Pakistani nationals killed, etc. has been received from all concerned excepting Jammu & Kashmir Government.

(b) The numbers of Indian nationals killed, wounded, and arrested are 3159, 8769 and 389 respectively. Pakistani nationals killed, wounded and arrested are 5994, not known and 797 respectively.

मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने की मांग

***1607 श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के पचास विरोधी विधायकों ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने की मांग की है क्योंकि उस राज्य में सांवैधानिक शासन समाप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मध्य प्रदेश विधान सभा के 75 सदस्यों ने राष्ट्रपति से अपनी याचिका में अनुरोध किया है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाये।

(ख) सरकार इस बात से सहमत नहीं है कि इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन कार्यवाही करने की जरुरत है।

विधायकों तथा प्रशासन के बीच सम्बन्ध

***1608. श्री घुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री 23 फरवरी, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 178 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् तथा राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों और प्रशासन के बीच संबंधों को विनियमित करने वाली प्रारूप संहिता पर इस बीच विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसके सभा पटल पर कब तक रखे जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) : (क), (ख) और (ग) : प्रारूप संहिता अभी तक विचाराधीन है।

विश्वविद्यालयों में स्वास्थ्य सेवायें

***1611. श्री डा० महादेव प्रसाद :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्वविद्यालयों में शिक्षा आयोग द्वारा किये गये स्वास्थ्य सेवाअ सम्बन्धी सर्वेक्षण की ओर दिलाया गया है जिससे यह पता चलता है कि विश्वविद्यालय के छात्रों का स्वास्थ्य गर रहा है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) आयोग ने अभी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रपति को भेजे गये तार का अस्वीकार किया जाना

*1612. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1966 के आरम्भ में मिदनापुर जिले में ईगरा डाकघर ने भारत के राष्ट्रपति को भेजा जाने वाला तार लेने से इंकार कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे तथा किन नियमों और किस अधिकार के अन्तर्गत तार रोका गया था; और

(ग) क्या सरकार ने नागरिकों द्वारा राष्ट्रपति के नाम भेजे जाने वाले पत्रों और तारों आदि को रोकने के लिये डाक व पुलिस अधिकारियों को गुप्त रूप से अथवा किसी अन्य प्रकार से अधिकार देने के संबंध में हिदायत जारी कर रखी है ?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) स्थानीय डाक व तारघर ने भारतीय तार नियम 17 के अन्तर्गत, जिसमें ऐसी व्यवस्था है कि तारघर ऐसे किसी भी तार को या उसके अंश को बुक करने या आगे भेजने से इनकार कर सकते हैं जो कि स्पष्टतः आपत्तिजनक या भयानक प्रकृति का हो, इस तार को बुक करने से इनकार कर दिया।

(ग) जी नहीं।

श्री मिहिर सेन की तैरने की सफलता

*1613. **श्री जोकीम अल्वा** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम हरख यादव :
श्री रामानन्द शास्त्री :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री दाजी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री बूटा सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका और भारत के बीच के समुद्र में श्री मिहिर सेन की तरने की ऐतिहासिक सफलता का पूरा विवरण शिक्षा मंत्रालय को मिल गया है;

(ख) क्या उन के अद्वितीय कार्य की सराहना में उन्हें किसी पुरस्कार से विभूषित करने का सरकार का विचार है; और

(ग) क्या खेल कूद के क्षेत्र में हमारे देश के नवयुवकों को शिक्षित करने के लिये उनकी सेवायें प्राप्त की जायेंगी ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, अभी तक नहीं।

(ख) और (ग) : इन दोनों बातों पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली से मिट्टी के तेल का चोरी छिपे बाहर ले जाया जाना

*1614. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली प्रशासन ने इस बात का पता लगाया है कि बड़े पैमाने पर मिट्टी का तेल इंजन के तेल में मिलाकर चोरी छिपे दिल्ली से उत्तर प्रदेश में ले जाया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तेल कम्पनियों में नौकरी-संरक्षण

*1615. **डा० रानेन सेन :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री वारियर :
श्री दाजी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री 6 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 999 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल उद्योग में नौकरी-संरक्षण सम्बन्धी त्रिपक्षीय समिति के चैयरमैन ने कर्मचारियों के विमति टिप्पण की जांच कर ली है और सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस बीच तेल कम्पनियों के प्रबंधक त्रिपक्षीय समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा किये बिना ही वर्कशापों को बन्द कर रहे हैं और लोगों को फालतू बना रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तेल कम्पनियों के प्रबन्धकों को ऐसा करने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : टीन बनाने की इकाइयों को बन्द करने के बारे में सम्बंधित राज्य सरकारों को की गई कुछ शिकायतों की सूचना सरकार को दे दी गई है। परन्तु कर्मचारियों की कोई छंटनी नहीं की गई है।

पहाड़ी नेताओं का सम्मेलन

*1616. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मिज़ो पहाड़ियों की स्थिति के सम्बन्ध में पहाड़ी नेताओं के सम्मेलन की संघर्ष परिषद् द्वारा स्वीकार किये गये एक संकल्प की ओर दिलाया गया है, जिस में सरकार से कहा गया है कि वह मिज़ो पहाड़ियों का शांतिपूर्ण हल निकालने के लिये समस्त पहाड़ी क्षेत्रों के नेताओं का एक सम्मेलन बुलाये; और

(ख) यदि हां, तो इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) सरकार उपयुक्त स्थिति में इस प्रस्ताव पर विचार करेगी।

विहटले परिषद

*1617. **श्री पन्नालाल :** **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री बड़े :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री युद्धवीर सिंह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विहटले परिषद् योजना का अनुमोदन कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये संयुक्त परामर्श व्यवस्था तथा अनिवार्य पंच फैसला योजना की प्रति जिसमें पूरा ब्यौरा दिया गया है 20-4-66 को लोक-सभा के सभा-पटल पर रख दी गई थी ।

उड़ीसा में मिट्टी के तेल की कमी

*1618. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उड़ीसा के अनेक भागों में मिट्टी के तेल की अत्यधिक कमी तथा जहां पर भी यह उपलब्ध है, वहां पर इसके बहुत अधिक दाम लिये जाने की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि दूरवर्ती गांवों में लोग बिल्कुल अंधेरे में रह रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने स्थिति को ठीक करने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ग) : उड़ीसा सरकार ने अभ्यावेदन भेजा था कि मार्च, 1966 में राज्य के लिए मिट्टी के तेल का निर्धारित किया गया 3,200 मीटरी टन मासिक कोटा अपर्याप्त था। 22-4-66 से उड़ीसा के लिए मासिक कोटा 1,000 मीटरी टन और बढ़ा दिया गया है।

गुजरात में हल्के डीजल तेल की कमी

*1619. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात क्षेत्र में कृषकों के लिये हल्के डीजल तेल की पुनः कमी हो गई है ;

(ख) क्या यह सच भी है कि सरकार गत तीन मास में गुजरात को प्रति मास 25,000 मीट्रिक टन हल्का डीजल तेल नहीं दे सकी है जैसा कि उसे वचन दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(घ) कृषि प्रयोजनों के लिये इसका पर्याप्त कोटा देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (घ) : मई 1966 के लिए गुजरात का हल्के डीज़ल तेल का 15,000 मीटरी टन कोटा निर्धारित किया गया है। अक्तूबर 1965 से गुजरात की सप्लाई निम्न प्रकार है :—

अक्तूबर	1965	20,000 मीटरी टन
नवम्बर,	1965	22,054 मीटरी टन
दिसम्बर,	1965	17,857 मीटरी टन
जनवरी,	1966	22,403 मीटरी टन
फरवरी,	1966	21,177 मीटरी टन
मार्च,	1966	11,448 मीटरी टन
अप्रैल,	1966	15,000 मीटरी टन (कोटा)
मई,	1966	15,000 मीटरी टन (कोटा)

बम्बई की शोधन शालाओं से महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को सप्लाई की जाती है। यद्यपि इन शोधन शालाओं में हल्के डीज़ल तेल के उत्पादन को अधिकतम मात्रा तक बढ़ाया गया है, फिर भी गुजरात को 25,000 मीटरी टन की सप्लाई करना सम्भव नहीं हुआ क्यों कि महाराष्ट्र और राजस्थान ने भी अपनी आवश्यकताओं को काफी बढ़ा दिया।

क्यों कि रबी का मौसम समाप्त हो गया है इसलिए कृषि उद्देश्य के लिए हल्के डीज़ल तेल की मांग में कमी की सम्भावना की जा सकती है।

असिस्टेंटों और क्लर्कों को पूर्व पद पर वापिसी (रिवर्जन) के नोटिस

*1620. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री गुलशन :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री प० ह० भील :
श्री दाजी :
श्री किशन पटनायक :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री मधु लिमये :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में दिल्ली में सैकड़ों असिस्टेंटों और अपर डिवीज़न क्लर्कों को पूर्व पद पर वापिस के नोटीस मिले हैं ;

(ख) क्या ऐसा सरकार द्वारा अधिकारी प्रधान योजना स्वीकार करने के कारण हुआ है ;

(ग) अप्रैल, 1966 में ऐसे कितने कर्मचारियों को नोटिस दिये गये हैं और निकट भविष्य में कुल कितने कर्मचारियों के अपने पूर्व पद पर वापिस हो जाने की सम्भावना है ; और

(घ) किसी की भी छंटनी और पदावनति न करने के आश्वासन का पालन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय के निर्माण डिविजन में अधिकारी-प्रधान योजना लागू करने के परिणामस्वरूप 18 सहायक, 2 अपर डिविजन क्लर्क तथा 6 लोअर डिविजन क्लर्क फालतू घोषित किये गये थे, परन्तु इस बीच उन सब को खपा लिया गया है।

2. अप्रैल 1966 में वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरक्षण एकक द्वारा फालतू घोषित किये गये। कर्मचारियों को खपाने के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता के कार्यालय के तीन सहायकों तथा 9 अपर डिविजन क्लर्कों को उन के पूर्व पद अर्थात अपर डिविजन क्लर्क और लोअर डिविजन क्लर्क पर वापिस लाया गया था। इस बीच उनमें से कुछ की पुनः पदोन्नति कर दी गई है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार निकट भविष्य में डी० जी० एस० एण्ड डी० में 18 सहायक तथा कृषि विभाग में 6 अपर डिविजन क्लर्कों के फालतू घोषित किये जाने की संभावना है। यदि आवश्यक हुआ तो अस्थायी पदाधिकारियों को उन के स्थायी पदों पर वापिस भेजा जायेगा।

3. सरकार ने कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों को विश्वास दिलाया है कि जहां तक संभव होगा कर्मचारियों की छटनी नहीं की जायेगी। परन्तु जब कभी अस्थायी पदों की संख्या में कमी किये जाने के कारण आवश्यक होगा तब अस्थायी पदाधिकारियों को उनके स्थायी पदों पर वापिस लाया जायेगा क्योंकि ऐसी अस्थायी पदोन्नतियों को सदा सुरक्षित नहीं रखा जा सकता।

Forcible Collection of Money by Mizo rebels

***1621. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Indrajit Gupta :**
Shri Prakash Vir Shastri : Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Onkar Lal Berwa : Shri S. M. Banerjee :
Shri Bade : Dr. L. M. Singhvi :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Mizo rebels, equipped with arms, have entered Helkandi Division of Cachar district of Assam and are forcibly collecting money from the villagers; and

(b) if so, the action taken by Government against them?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) It has been reported that some Mizos who entered Hailakandi Sub-Division of Cachar District forcibly collected house-tax from some villages on April 5, 1966.

(b) Security arrangements have been strengthened and intense patrolling on the border areas between Cachar District and Mizo Hills has been provided.

Displaced persons from Barmer District

***1622. Shri Tan Singh :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons of the minority community of Barmer District who went voluntarily or were forced to go to Pakistan territory during the Indo-Pak conflict;

(b) whether Government have any evidence to the effect that many of these persons went to the other side of the border out of considerations for self-protection; and

(c) Government's attitude in regard to recall and resettle such of the persons from amongst the said evacuees who do not wish to renunciate Indian citizenship?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) According to the information furnished by the Rajasthan Government, 12, 411 persons of Barmer district had gone voluntarily to Pakistan during Indo-Pak conflict. No member of the minority community was forced to go to Pakistan.

(b) No.

(c) Re-entry into India of persons who voluntarily migrated to Pakistan is regulated by Rule 25A of the Defence of India Rules.

केरल में हैजे का फैल जाना

***1623. श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री राम सेवक यादव :
श्री प्रभात कारः
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मधु लिमये :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री अ० क० गोपालन ने विय्यूर सैंट्रल जेल से किसी संसद् सदस्य को एक पत्र लिखा है कि वे केरल के कुछ ज़िलों में हजे के फैल जाने के बारे में सरकार का ध्यान दिलाने के लिये सभा में एक प्रस्ताव पेश करें;

(ख) क्या यह सच है कि सेंसर अधिकारियों ने इस पत्र को पूरे एक महीने तक रोके रखा; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख) : जी नहीं।

(ग) उप निरीक्षक सम्भवतः अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण इस पत्र का सेंसर कार्य पहले हाथ में न ले सका। इस विलम्ब के लिये उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। भविष्य में ऐसे विलम्ब न होने देने के लिये सारे सम्बन्धित अधिकारियों को उपयुक्त अनुदेश दिये गये हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफैसरों तथा रीडरों के विरुद्ध जांच

***1624. श्री यशपाल सिंह :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच विभाग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों और रीडरों के विरुद्ध जांच आरम्भ की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्कूलों तथा कालिजों के अध्यापकों में असन्तोष

***1625. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें देश भर में स्कूलों तथा कालिजों के अध्यापकों में फैल रहे असन्तोष के बारे में पता है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या है और इससे शिक्षा के स्तर पर कहां तक तिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) अखिल-भारत हड़ताल को टालने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारत सरकार को पता है कि कालेज तथा स्कूलों के अध्यापक वेतन बढ़ाने की अपनी मांगों पर जोर दे रहे हैं।

2. वेतन बढ़ाने के लिये अध्यापकों की सामान्य मांग जीवन-निर्वाह के बढ़ते हुए खर्चे से जुड़ी हुई है। शिक्षा के स्तर पर क्या असर हुआ है इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है।

3. जहां तक कालेजों के अध्यापकों का सम्बन्ध है, भारत सरकार ने उनके वेतन में संशोधन के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को मान लिया है और पहली अप्रैल, 1966 से इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकारों को सहायता देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का देश के विभिन्न भागों के कालेजों के अध्यापकों द्वारा सामान्यतया स्वागत किया गया है।

4. स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर अध्यापकों को पर्याप्त वेतन देने की समस्या का जहां तक सम्बन्ध है, वह राज्य सरकारों से शुरू से ही सम्बन्धित है। भारत सरकार शैक्षिक सुधार के आवश्यकीय कदम के रूप में अध्यापकों के वेतन, सेवा की शर्तों तथा उनकी योग्यताओं में सुधार के लिये राज्य सरकारों पर जोर दे रही है। उसने सरकारी तथा इमदादी स्कूलों के अध्यापकों के वेतनक्रमों में असमानता दूर करने के लिये राज्य सरकारों को सलाह भी दी है।

5. भारत सरकारने राज्य क्षेत्र की आयोजना के रूप में स्कूलों के अध्यापकों के वेतनों में सुधार करने के लिये 50:50 के आधार पर राज्य सरकारों को सहायता दी थी। अनुमान है कि तीसरी आयोजना के दौरान इन योजनाओं पर लगभग करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इन सब कोशिशों के फलस्वरूप, यद्यपि कुछ राज्यों में आगे सुधार की गुंजाइश है, फिर भी अध्यापकों के वेतनों में सुधार किया गया है। जून, 1965 में हुए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के सम्बन्ध में अब यह निर्णय लिया गया है कि वेतन क्रमों का सुधार सम्बन्धी खर्चा, व्यय के योजनेतर मद में माना जाएगा।

कृत्रिम गैस संयंत्र (सिंथेटिक गैस प्लांट)

*1626. **श्री बृजवासी लाल :**
श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में एलूर (एर्णाकुलम, केरल) में एक करार किया गया है जिसके अन्तर्गत ब्रिटेन का पावर गैस कारपोरेशन (पी० जी० सी०) आई० सी० आई० बिजली द्वारा कृत्रिम गैस संयंत्र तथा एमोनिया सिंथेटिक प्लांट डिजाइन करने तथा उन्हें चलाने (इंजीनियरिंग) के लिये सरकारी उर्वरक तथा रसायन उपक्रमों के साथ सहयोग करेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें क्या है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां।

(ख) समझौते की मुख्य बातें यह है :—

(i) डिजाइन करने, चलाने (इंजीनीयरिंग) और आई० सी० आई० की प्रक्रियाओं पर आधारित कृत्रिम गैस संयंत्र तथा एमोनिया सिंथेटिक प्लांट की स्थापना के क्षेत्र में फैक्टरी पी० जी० सी० का सहयोग।

(ii) आई० सी० आ० को लाइसेंस फीस तथा पी० जी० सी० को प्रक्रिया डिजाइन ौर विस्तृत इंजीनियरिंग फीस की अदायगी। बाद के समरूप क्षमता वाले संयंत्रों की प्रक्रिया डिज़ाइन और इंजीनियरिंग फीस में कमी की व्यवस्था भी की गई है।

(iii) पी० जी० सी० इंजीनियरिंग विभागों और अन्य स्थानों में उपर्युक्त प्रक्रियों के डिज़ाइन और इंजीनियरिंग में फैक्ट स्टाफ के लिये प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था।

केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का सुरक्षित रखा जाना

*1627. **श्री बूटा सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सोलंकी :
श्री गुलशन :
श्री दाजी :
श्री मौर्य :
श्री प० ह० भील :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :
श्री साधू राम :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री किशन पटनायक :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० के० देव :
श्री तन सिंह :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री हिम्मतसिंहजी :
श्री नाथ पाई :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सरकारी सेवाओं में पदों के आरक्षण (रिजर्वेशन) के विषय में 3 मार्च, 1966 को केन्द्रीय सरकारी

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति कर्मचारी कल्याण संस्था (पंजीकृत) नई दिल्ली ने उनको एक ज्ञापन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार के लिये उस ज्ञापन में की गई मांगो में से किसी को भी स्वीकार करना सम्भव नहीं हो सका।

त्रिपुरा से तथा त्रिपुरा तक तार-संचार

*1628. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा से तथा त्रिपुरा तक जाने वाले तार-संचार में कुछ समय से काफी गड़बड़ी हो रही है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि यह गड़बड़ी अगरतला त्रिपुरा के लिये नियत की गई प्रेषण मशीनरी को अन्यत्र प्रयोग में लाने के कारण हो रही है।

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Telephone Service in Delhi

*1629. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Communication** be pleased to state :

(a) whether, some time back, he received any memorandum or Delegation regarding the dislocation of telephone service in Delhi and New Delhi ;

(b) whetner the said delegation brought to the notice of Government some difficulties regarding telephone service other than those in regard to the telephone bills and disconnecting the telephone connection; and

(c) if so, the action taken by Government thereon?

Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs & The Department of Communications (Shri Jagannath Rao) : (a) to (c) : Recently a Delegation from the Citizens Council made a representation. This pertains mainly to the disconnection of telephones for non-payment of bills. Some reference about the telephone service was also made incidently by the Delegation.

Corrective and preventive measures are always taken to give satisfactory service. In any case the functioning of telephone service in Delhi does not indicate any deterioration as such.

Hindi Policy

*1630. **Shri Vishram Prasad** : **Shri Priya Gupta** :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Rajdeo Singh** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of persons joining Hindi Classes conducted by the Ministry of Home Affairs has decreased;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that replies to the Hindi letters are given either in English or are delayed; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) Although it is not possible to assign any exact reasons for this, the possibility cannot be ruled out of there being a mistaken belief among a section of Government servants that following incidents early last year there might be a basic change in the Government policy with regard to Hindi being the official language of the Union.

(c) No, Sir. Replies to Hindi letters are being generally sent in Hindi.

(d) Does not arise.

मोटर बोट कर्मचारी

5122. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कणनूर जिले में बालिपापटम के मोटर बोट कर्मचारियों को निर्धारित की गई न्यूनतम मजूरी नहीं मिल रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है;

(ग) क्या यह सच है कि कर्मचारियों द्वारा रखी गई मांगों में से कुछ मांगें लाइन भत्ता तथा बोनस को बढ़ाने के बारे में हैं;

(घ) श्रम विभाग ने क्या कार्यवाही की है और उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ङ) क्या इन कर्मचारियों को न्यूनतम मजूरी दिलाने के लिये सरकार का तुरन्त कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) मोटर बोट वर्कर्स यूनियन, बालिपापटम ने संबंधित मैनेजमेंट से, न्यूनतम मजूरी और 1964 वर्ष के बोनस की गैर-अदायगी और लाइन भत्ते में वृद्धि, आदि के बारे में, एक विवाद उठाया। कण्णनूर के जिला श्रम अधिकारी ने हस्तक्षेप किया और 26-11-65 को हुए सम्मेलन में इस विवाद का निपटारा हो गया।

समझौते के अनुसार मैनेजमेंट ने सभी मजदूरों को इस समय की दरों में 7.50 रु० प्रति माह की सामान्य दर से वृद्धि करना स्वीकार कर लिया।

(ख) यूनियन के प्रतिनिधियों को न्यूनतम मजूरी की गैर-अदायगी के बारे में याचिकाएं दायर करने की राय दे दी गई।

(ग) जी, हां ।

(घ) केरल सरकार के श्रम विभाग ने समझौता कार्यवाही शुरू कर दी। बोनस सबंधी विवाद का निपटारा हो गया। यूनियन द्वारा लाइन भत्तें में वृद्धि की मांग पर जोर नहीं दिया गया ।

(ङ) कर्मचारियों और यूनियन के प्रतिनिधियों को न्यूनतम मजूरी के बारे में श्रम न्यायालय में याचिकाएं दायर करने की राय दी गई, ताकि उचित कार्यवाही करने में सहायता हो सके।

4—73 L. S./66

राजस्व विभाग, केरल

5123. श्री अ० क० गोपालन : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिचूर में जिला प्राधिकारियों ने वर्ष 1958 में 3 एकड़ 23 सैंट भूमि खरीदी थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि राजस्व विभाग में कुछ विलम्ब हो जाने के कारण वर्ष 1960 में सरकार को 19,178 रुपये व्याज के रूप में देने पड़े; और

(ग) यदि हां, तो इस के लिये कौन व्यक्ति उत्तरदायि था और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) सन् 1958 में राज्य सरकार ने त्रिचूर में तीन एकड़ 23 सैंट भूमि अधिग्रहण की थी, न कि खरीदी।

(ख) जी, हां।

(ग) इस मामले के क्रम की जांच करने पर यह पता लगा है, कि किसी भी अवस्था में ऐसा असाधारण विलम्ब नहीं हुआ है, जिसके लिये किसी भी विशिष्ट अधिकारी के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा सके।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना

5124. श्री अ० क० गोपालन : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिकों के संगठनों ने सरकार से अनुरोध किया है कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना को सभी उद्योगों तथा सेवाओं में काम करने वाले सब कर्मचारियों पर लागू किया जाय;

(ख) क्या उन्होंने अंशदान की दर को $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत से बढ़ा कर 8 प्रतिशत करने के लिये भी अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) कर्मचारी निर्वाह निधि, अधिनियम, 1952 जो शुरू में छ: उद्योगों पर लागू किया गया, धीरे-धीरे अधिक उद्योगों पर लागू कर दिया गया और अब यह 103 उद्योगों और प्रतिष्ठानों की श्रेणियों पर लागू है। वित्तीय तथा अन्य सम्बन्धित पहलूओं को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को यथा शीघ्र अन्य उद्योगों पर लागू करने का विचार है।

कर्मचारी निर्वाह निधि अधिनियम, 1952 में 1-1-1963 को संशोधन किया गया जिससे केन्द्रीय सरकार को जांच करने के बाद, निर्वाह निधि के अंशदान की दर को $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक बढ़ाने का अधिकार दिया गया। अंशदान की दर 33 उद्योगों में पहले ही बढ़ाई जा चुकी है। बढ़ी हुई दर को 7 और उद्योगों में शीघ्र ही लागू करने का विचार है। कुछ अन्य उद्योगों के बारे में भी आवश्यक जांच की जा रही है।

फर्टिलाइजर्स एन्ड कैमिकल्स, त्रावनकोर लिमिटेड

5125. श्री अ० क० गोपालन : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स, त्रावनकोर लि० एलूर (केरल) ने गत चार वर्षों में लाभ कमाया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितना-कितना लाभ हुआ है;

(ग) क्या किसी वर्ष हानि भी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस का क्या कारण था ?

पेट्रोलियन और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां, वर्ष 1962–63 और 1964–65 के सिवाय ।

(ख) 1961 में-----32,63,804 रुपये (शुद्ध लाभ)

1963–64 में-----12,51,339 रुपये (शुद्ध लाभ)

(ग) जी हां, 1962–63 और 1964–65 में हानि हुई ।

(घ) हानि के मुख्य कारण यह है :--

1962–63 में :--

(i) बिजली की सप्लाई की कमी ।

(ii) नदी और कुंए के पानी में खारापन; और

(iii) नये तेल गैस युक्त संयंत्र को चालू करने में वुड गैसीफीकेशन प्लांट (Wood Gasification plant) का बन्द हो जाना ।

1964–65 में :--

(i) बिजली की सप्लाई की कमी;

(ii) एक अमोनिया संशिलष्ट संयंत्र के उच्च दबाव पाइप लाइन में असफलता जिसके परिणाम स्वरूप गम्भीर दुर्घटना का होना; और

(iii) कठिन विदेशी मुद्रा स्थिति के कारण कुछ आवश्यक कच्चे माल की कमी ।

इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, एलूर

5126. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1963–64 और 1964–65 में इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, एलूर के कर्मचारियों को कोई बोनस दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो बोनस किस दर पर दिया गया था; और

(ग) बोनस देने के लिये क्या सिद्धांत अपनाये गये थे ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) और (ख) : इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, एलवेय (नाकि "एलूर" जैसा कि प्रश्न में लिखा है) के कर्मचारियों को निम्नलिखित अनुग्रह-पूर्वक /बोनस की अदायगी की गई थी :--

1963–64:--

बोनस के रुप में कोई भुगतान नहीं किया गया, लेकिन दो माह के मूल वेतन के बराबर अनुग्रह-पूर्वक अदायगी की गई । परन्तु प्रत्येक वैयक्तिक मामले में यह राशि कम से कम 200 रु० और अधिक से अधिक 1,200 रु० थी ।

1964-65 :—

बोनस भुगतान अध्यादेश, 1965 में निर्दिष्ट फार्मले के आधार पर बोनस दिया गया। यह कर्मचारियों द्वारा 1964-65 वर्ष में अर्जित मजदूरी के लगभग 7 प्रतिशत के बराबर था। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान अर्जित मजदूरी का $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत अनुग्रह-पूर्वक अदायगी के रूप में दिया गया, जिससे यह कुल मजूरी का $14\frac{1}{2}$ प्रतिशत हो गया। परन्तु किसी व्यक्ति को **1,350 रु० से अधिक नहीं दिया गया।**

(ग) 1963-64 का भुगतान साल के दौरान अर्जित लाभ के आधार पर तदर्थ रूप में किया गया। 1964-65 वर्ष के लिए, कर्मचारियों को 1963-64 में प्राप्त बोनस और अनु-ग्रह-पूर्वक अदायगी दोनों के बराबर की रकम का भुगतान किया गया। उत्तर के भाग (ख) में निर्दिष्ट कुल मजूरी का $14\frac{1}{2}$ प्रतिशत लगभग दो माह के मूल वेतन के बराबर था।

दिल्ली-पटना टलीफोन लाइनें

5127. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और पटना के बीच की टेलीफोन लाइनों में बार-बार खराबी पैदा हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये, कि टेलीफोन की सब लाइनें सुचारु रूप से काम करती रहें, क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) दिल्ली और पटना के मध्य ट्रंक परिपथों में कभी कभी गड़बड़ी पाई गई है।

(ख) अन्य दूरस्थ ट्रक पारपथों की तुलना में इस मार्ग पर होने वाली गड़बड़ियां बहुत अधिक नहीं समझी गई हैं। इस मार्ग के कार्यसंचालन की कुशलता में निरंतर सुधार होता रहा है। उपस्करों में होने वाली गड़बड़ियां रोख कर तथा बाकायदा विश्लेषण करके परिपथों की कुशलता को और अधिक बढ़ाने की दिशा में प्रयत्न जारी है।

अरब की सराय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नई दिल्ली

5128. **श्री डा० कोहोर :**
श्री महानन्द :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरब की सराय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नई दिल्ली में विभिन्न सैक्शनों में आदिम जाति के कितने प्रशिक्षणार्थी हैं;

(ख) क्या उन्हें सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता अथवा वजीफा दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रति मास कितनी राशि का वजीफा दिया जाता है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) : प्रशिक्षण संस्थान अरब की सराय, नई दिल्ली में इस समय आदिम जाति का कोई प्रशिक्षणार्थी नहीं है।

मिजो लोगों के साथ मुठभेड़

5129. श्री बसुमतारी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 मार्च, 1966 को आइजल से लगभग 70 मील दूर भारतीय सेना के साथ हुई मुठभेड़ में 12 विद्रोही मिजो लोग मारे गये तथा बहुत से अन्य मिजो पकड़े गये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि मिजो लोगों द्वारा प्रयुक्त किये गये हथियार आधुनिक ढंग के थे; और

(ग) ये हथियार किस देश के बने हुए थे तथा उन को कहां से प्राप्त हुए थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) ऐसी किसी घटना की कोई सूचना नहीं मिली ।

(ख) और (ग): प्रश्न ही नहीं उठते ।

बर्मा को प्रव्रजन करने वाले लुशाई परिवार

5130. श्री बसुमतारी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से लुशाई परिवारों को भारत से उत्तरी बर्मा में अवैध रूप से घुसते समय हाल ही में देखा गया है और गिरफ्तार कर लिया गया है;

(ख) वे भारत क्यों छोड़ रहे थे; और

(ग) क्या यह सच है कि उन का भारत छोड़ने का एक कारण भुखमरी था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग): जानकारी इकट्ठी की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रखा जायगा ।

केरल में पुलिस आवास योजना

5131. श्री अ० व० राघवन :

श्री मनोहरन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में केरल में पुलिस आवास योजना के अन्तर्गत कितनी प्रगति हुई है;

(ख) केरल में प्रत्येक जिले में ऐसे कितने अराजपत्रित पुलिस कर्मचारी हैं जिन्हें मकान नहीं दिये गये हैं; और

(ग) 1966-67 में कौन-कौन सी योजनाएं आरम्भ करने का प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मार्च 1966 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्ष के दौरान उपनिरीक्षकों के लिये 151, मुख्य आरक्षकों के लिये 617 और आरक्षकों के लिये 4527 आवास-स्थानों की व्यवस्था की गई । इन आवास-स्थानों में बैरकें भी शामिल हैं ।

(ख) सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 6285/66 ।]**

(ग) जिन आवास-स्थानों का निर्माण पिछले वर्षों में शुरू किया गया है उनको पूरा करने के लिये 1966-67 के राज्य सरकार के बजट में 26,500 रुपये की व्यवस्था की गई है। चालू साल के बजट में किसी नए निर्माण कार्य की व्यवस्था नहीं की गई है।

Meetings of the C.S.I.R.

5132. **Shri D. S. Patil :** Will the Minister of **Education** be pleased to state the decision taken and the programmes approved in the meetings of the Board and the Managing Committee of the Council of Scientific and Industrial Research held on the 16th and 17th April, 1966?

The Minister of Education (Shri M.C. Chagla) : A copy of the proceedings of the meeting of the Governing Body of the Council of Scientific and Industrial Research held on 16th April 1966, which include the recommendations of the Board of Scientific and Industrial Research, will be supplied to the Library of the parliament as soon as they are finalised.

Degree Colleges of Gorakhpur University

5133. **Shri Rananjai Singh :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the names of the Degree Colleges affiliated to Gorakhpur University to to whom financial assistance was given by the University Grants Commission during 1965-66 along with the amount given; and

(b) the purposes for which the assistance was given ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) and (b) : A statement is attached. **[Placed in Library. See No. LT/6286/66]**

कोजीकोड डिवीजन में टेलीफोन की सुविधायें

5134. **श्री अ० व० राघवन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में केरल के कोजीकोड डिवीजन में किन-किन स्थानों पर पार तथा टेलीफोन की सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार है; और

(ख) केरल में कुट्टीयाडी पंचायत क्षेत्र में एक सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के बारे में क्या प्रगति हुई है?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) ऐसे 39 स्थानों की एक सूची, जहां कोजीकोड़ मण्डल में 1966-67 के दौरान (बशर्ते कि सामान उपलब्ध हो सके) तार तथा टेलीफोन सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है, संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 62876।]**

(ख) प्रस्तावित सार्वजनिक टेलीफोन घर को बाड़ागाड़ा टेलीफोन केन्द्र से सम्बन्ध करने के आधार पर कुट्टीयाडी डाकघर में एक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया गया और इस कार्य की वास्तविक मंजूरी 16 अक्तूबर 1959 में दे दी गई थी। किन्तु काम शुरू करने से पहले इस मार्ग का सर्वेक्षण करने पर उच्च तनाव क्षमता वाली लाइनों की सन्निकटता के कारण होने वाली कठिनाइयों का पता चला और मूल प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रस्तावित सार्वजनिक टेलीफोनघर को क्विलण्डी टेलीफोन केन्द्र से मिलाने के कार्य के लिये 10 फरवरी 1963 को एक नया प्राक्कलन मंजूर कर दिया गया। इस प्राक्कलन के अधीन 72 किलोमीटर लम्बे तांबे के तार और आधी दूरी तक नई पोस्ट लाइन खड़ी की जानी थी। यह काम तांबे के तार की अलाटमेंट के कारण रुका पड़ा है जिसकी सप्लाई कम है।

तेल्लीचेरी में मुख्य डाकघर की इमारत

5135. **श्री अ० व० राघवन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में तेल्लीचेरी में मुख्य डाकघर की इमारत के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) वर्ष 1966-67 में किस प्रकार का निर्माण कार्य करवाने का विचार है ; और

(ग) यह कार्य कब पूरा हो जायेगा ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) इसका विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(ख) वर्ष 1966-67 के मध्य तक निर्माण कार्य का ठेका दिये जाने की संभावना है।

(ग) आशा है कि यह कार्य 1968-69 तक पूरा हो जायेगा।

Migration from Pakistan

5136. **Shri Tan Singh :** Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of displaced families who have so far come over to India from across Pakistan after the cease-fire in the India-pak conflict;

(b) whether it is a fact that twenty one families had come from Malnavas (West Pakistan) to village Bawari, Tehsil Chohtan, District Barmer on the 23rd February, 1966 but they have neither been issued refugee certificates nor have been given any Government assistance of food and cloth;

(c) the scheme drawn up to rehabilitate the refugees who have come during this period in addition to the said displaced persons; and

(d) when they are likely to be rehabilitated fully ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chawan) : (a) 1052 families migrated from Pakistan to India during the conflict and after the cease-fire.

(b) Twenty-one families had come to Rajasthan from Malnavas after the the signing of the Tashkent Declaration. The Rajasthan Government have been advised to give them assistance on the scales admissible to evacuees and migrants.

(c) In addition to the free ration and clothing, the affected persons will be given loans for the start of business/trade, purchase of bullocks, fertilizers and agricultural implements. The Rajasthan Government has decided to allot 75 bighas of agricultural land to every migrant family.

(d) Efforts are being made to rehabilitate the affected persons as early as possible.

दिल्ली के स्कूलों के बच्चों की फीस

5137. **श्री जेधे :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली/नई दिल्ली के स्कूलों में सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की फीस किसी एक कक्षा में सारे शिक्षा वर्ष में वही रहती है किन्तु फिर भी यह फीस त्रैमासिक आधार पर वापिस की जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत के सभी राज्यों में आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है किन्तु फिर भी, सरकारी कर्मचारियों को, आठवी कक्षा तक पढ़ने वाले उनके बच्चों के सबंध में मासिक आधार पर 'बाल शिक्षा भत्ता' मिलता है; और

(ग) यदि हां, तो जिस आधार पर शिक्षा भत्ता दिया जाता है उसी आधार पर वास्तविक फीस वापिस करने में क्या मुख्य कठिनाइयां हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) केवल आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल में केवल लडकियों की शिक्षा निःशुल्क है। बच्चों के लिये शिक्षा भत्ता बिना इस बात का ध्यान रखे कि ट्यूशन फीस दी जानी है अथवा नहीं, अनुमत्य है।

(ग) बच्चों के लिये शिक्षण भत्ता तो, सरकारी कर्मचारी द्वारा वर्ष में दो बार पेश किए जाने वाले प्रमाण-पत्रों के आधार पर निश्चित दरों पर दिया जाता है किन्तु ट्यूशन फीसों की वापसी की योजना में केवल वास्तव में दी गई फीसों की वापसी की व्यवस्था है। इसके लिये भुगतान से पहले समुचित जांच पडताल करनी जरूरी है। सभी प्रकार के अनावश्यक कार्य से बचने के लिये फीस की वापसी प्रति मास न करके त्रैमासिक की जाती है।

राष्ट्रमंडल और अन्य देशों में शक सम्वत् का प्रयोग

5138. **श्री जेधे :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय किन-किन राष्ट्र मण्डलीय देशों तथा अन्य देशों ने शक सम्वत् का प्रयोग किया जाता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : सूचना एकत्रित की जा रही है, और प्राप्त होने पर सभा पटल-पर रख दी जायगी।

Insult to National Flag

5139. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the report published in the 'Nav Bharat Times' dated the 14th April, 1966 in which it is stated that at Coimbatore a young man set the national flag ablaze while shouting anti-Hindi slogans;

(b) whether it is also a fact that the local police has got a report of the said incident; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The accused has been arrested and investigation is in progress.

दिल्ली के स्कूलों में भूगोल के अध्यापक

5140. श्री मुहम्मद इलियास : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली प्रशासन के अधीन उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में से कुछ स्कूलों में भूगोल पढ़ाने के लिये कोई अध्यापक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने स्कूल है; और

(ग) अगले शिक्षा वर्ष से सभी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में भूगोल पढ़ाने का प्रबन्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन

5141. डा० कोहोर : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा राज्य के सुखा-ग्रस्त क्षेत्रों के विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन और दूध देने के लिये क्या व्यवस्था की गई है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये केन्द्र और राज्य सरकार ने वास्तव में कितना अनुदान मंजूर किया है और अब तक कितनी धनराशि दी गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (डा० (श्रीमती) सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डाक व तार विभाग के डाक ओवरसियरों के लिये यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता

5142. डा० कोहोर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग में काम करने वाले डाक ओवरसियर अपने क्षेत्राधिकार के भीतर शाखा डाकघरों के निरीक्षण के लिये की गई अपनी यात्रा के लिये किसी यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते के हकदार होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे भत्तों की दर क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं,

(ख) डाक ओवरसियर, एस० आर० –64 के नीचे महानिदेशक के आदेश के साथ पढ़े जाने वाले एस० आर०–64 तथा एस० आर०–64-ए के अधीन सवारी भत्ता पाने के अधिकारी होते हैं। अन्तर्निहित धारणा यह रहती है कि वेतन इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि उनके द्वारा की गई यात्रा की (रेलगाड़ी या स्टीमर से की गई यात्रा को छोड़कर) लागत की प्रतिपूर्ति हो सके।

फज बाजार पुलिस थाना, दिल्ली द्वारा वस्तुओं का पकड़ा जाना

5143. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 28 जुलाई, 1962 की पुलिस प्रविष्टि संख्या 4004 के अन्तर्गत फैज बाजार पुलिस थाने से दिल्ली के न्यायालयों के ज़िला नाजिर को प्राप्त हुई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितनी वस्तुएं तथा किन तिथियों को नीलाम की गई और कितनी राशि प्राप्त हुई;

(ग) किस अधिनियम के अन्तर्गत ये वस्तुऐं जप्त की गई थी तथा नीलाम की गई थी; और

(घ) इन वस्तुओं को उनके मालिकों को वापिस न करने के क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

फैज बाजार पुलिस थाने से 28 अगस्त 1962 को न कि 28 जुलाई को, 1962 जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, निम्न लिखित चीजें प्राप्त हुई थी :—

1. नारियल की चटाई--तीन
2. टुटा हुआ लोहे का डंडा
3. पंखे का टुटा हुआ पहिया---एक
4. टुटी हुई बिजली की ट्यूब---एक
5. एक छोटा टीन का ताला बन्द संदुक (पीछे से टुटा हुआ)
6. एक छोटा लकड़ी का संदुक (हर स्थान पर कीले लगी थी)
7. एक बड़ा लकड़ी का संदुक (हर स्थान पर कीलें लगी थी)

(ख) उपरोक्त चीजे कुछ अन्य चीजों के साथ 29 अगस्त 1962 को नीलाम की गई थी, जिस से केवल 11.00 रुपये प्राप्त हुए थे, जिन्हें 30 अगस्त 1962 को सरकारी खजाना में जमा करा दिया गया।

(ग) और (घ) : ये चीज़े पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 25 के अधीन पकड़ी गई थी तथा न्यायालयों के आदेशानुसार जप्त की गई थी। इन वस्तुओं को बाद में जप्त किये गये माल के रुपये में नीलाम कर दिया गया। जैसे कि ये चीजे जप्त की हुई थी इसलिये इन्हें इन के मालिकों को लौटाने का प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में राजनैतिक पीड़ितों को सहायता

5144. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1963–64, 1964–65 और 1965–66 में दिल्ली में कितने राजनैतिक पीड़ितों को सहायता दी गई थी;

(ख) क्या उन सब व्यक्तियों को, जिन्हें राजनैतिक पीड़ित माना गया था, सहायता दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि में सहायता के रूप में कम से कम कितनी और अधिक से अधिक कितनी धनराशि की गई; और

(ङ) क्या राजनतिक पीड़ितों को भूमि देने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) :

वर्ष	सहायता पाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1963–64 . . .	81
1964–65	88
1965–66 . . .	23

(ख) और (ग) : केवल उन्हीं राजनैतिक पीडितों को आर्थिक सहायता दी गई थी जिन्हों-ने उसके लिये आवेदन दिया था और जिनकी राजनैतिक पीड़ित सहायता समिति ने सिफारिश की थी।

(घ) अधिक से-अधिक 5,000 रुपये और कम-से-कम 150 रुपये की राशि दी गई थी।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकार एक ऐसी योजना पर विचार कर रहा है जिसमें निम्न आय वर्ग के राजनैतिक पीड़ित रिहायशी प्लाट पाने के हकदार होंगे।

औद्योगिक सुरक्षा सम्मेलन

5145. **श्री यशपाल सिंह : क्या श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण तथा रोजगार निदेशालय द्वारा 11 दिसम्बर, 1965 को विज्ञान भवन में औद्योगिक सुरक्षा सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिये कहा गया था;

(ख) यदि हां, तो अधिकारी किन कारणों से उनको सम्मेलन कक्ष के बाहर रखने को विवश हुए; और

(ग) इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का औद्योगिक सुरक्षा के विषय से घनिष्ट सम्बन्ध है। इसलिये दिल्ली प्रशासन के रोजगार, प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा के निदेशक द्वारा अनुदेश दिये गये कि जितने भी विद्यार्थी, उद्घाटन समारोह में शामिल होना चाहें, वे शामिल हो सकते हैं।

(ख) अधिकांश विद्यार्थियों को सम्मेलन कक्षा में जाने दिया। उन विद्यार्थियों को जो देर से आए या जिन्होंने पंक्ति में खड़े न होकर भीड़-भाड़ करने की कोशिश की, बाहर रखना पड़ा क्योंकि सम्मेलन आरम्भ होने वाला था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Scholarships for Science students

5146. **Shri D. N. Tiwary :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National Instuitte of Education held a test in science on the 2nd January, 1966 throughout the country for the students of 11th class obtaining at least 55 per cent marks in 10th Class examination for the award of scholarship for futher studies in Science;

(b) if so, the Centres selected for the purpose and when the results are likely to be announced; and

(c) the authority which held the examination ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir. The test was held as scheduled on the 2nd January, 1966.

(b) A list of Centres for the test is attached. **[Placed in library, See No. LT/6288/66.]** The results are expected to be announced in June, 1966, after interviews have been held.

(c) The National Council of Educational Research and Training.

नोबल पुरस्कार

5147. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने नोबल पुरस्कार विजेता रूसी लेखक श्री यूरि खेल शोलोखोव को आमंत्रित किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और उनकी कब तक भारत आने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने इस वर्ष आजाद स्मारक व्याख्यान देने के लिये श्री शोलोखोव को आमंत्रित किया था ।

(ख) श्री शोलोखोव ने निमंत्रण स्वीकार करने की अपनी असमर्थता पर खेद प्रकट किया है ।

भारत-पाकिस्तान संघर्ष में काश्मीर में गिरफ्तारियां

5148. श्री मधु लिमये :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के साथ हाल में संघर्ष छिड़ जाने के पश्चात् काश्मीर में राष्ट्र-विरोधी कार्य कराने वाले कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में उनके मामलों पर पुनर्विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) संघर्ष प्रारम्भ होने के पश्चात् जम्मू व काश्मीर में भारत सुरक्षा नियमों के अधीन 526 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सूचना अभी प्राप्त होनी है ।

भारतीय वाणिज्यिक सेवा

5149. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक उपक्रमों को नियंत्रित करने के लिये भारतीय वाणिज्यिक सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनुसन्धान कार्य

5150. डा० रानन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में भारत-पाकिस्तान संघर्ष से लेकर अब तक उनके मंत्रालय ने भारत में अनुसंधान कार्य की व्यवस्था करके कितनी विदेशी मुद्रा बचाने के लिये कार्यवाही की है; और

(ख) तब से अब तक कितनी विदेशी मुद्रा बचाई गई ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० (श्रीमती) सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) विदेशी मुद्रा की बहुत कमी और खाद्य में देश को अधिकाधिक आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं/संस्थानों के कार्य का निम्नलिखित तरीके से अधिविन्यास किया गया है :—

(1) रक्षा अभिविन्यास

(2) आयात का विकल्प और निर्यात को बढ़ावा देना

(3) खाद्य तथा कृषि

(4) औद्योगिकी प्रक्रियाएं

(5) व्यावहारिक अनुसंधान

(6) बुनियादी अनुसंधान ।

(ख) अभी इतनी जल्दी यह पता लगाना कठिन है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं/संस्थानों के कार्य के पुनरभिविन्यास के फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है ।

दण्डकारण्य में अभाव की स्थिति

5151. श्री मधु लिमये : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य क्षेत्र में अत्यन्त अभाव की स्थिति व्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ने क्या क्या सहायता कार्य किये हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) पिछले कृषि वर्ष के दौरान बस्तर जिले की अधिकांश तहसीलों में वर्षा न होने से फसलों की बहुत हानि हुई है। पूर्ण कोरापुट जिले में भी वर्षा न होने का प्रभाव पड़ा है।

(ख) इन क्षेत्रों में राज्य सरकारों द्वारा एक बड़ी संख्या में सहायता कार्य आरंभ कर दिये गये है। दण्डकारण्य परियोजना प्रशासन द्वारा बसाये गये विस्थापित व्यक्तियों के खण्डों में लोक निर्माण के कार्यक्रम में प्रगति कर दी गई है जिससे उन क्षेत्रों के विस्थापित व्यक्तियों और आदिवासियों को रोजगार पर लगाया जायेगा।

खाद्य सामग्री देने के लिये राज्य सरकारों तथा दण्डकारण्य परियोजना प्रशासन द्वारा उचित मूल्य की दुकाने खोल दी गई है। अपाहिज तथा वृद्धों को नि:शुल्क खाद्य सामग्री देने तथा बच्चों

और गर्भवती तथा जिन स्त्रियों के बच्चे हुये हों उन्हें पाउडर दूध के वितरण की व्यवस्था भी कर दी गई है ।

इलाहाबाद उच्च-न्यायालय में अनिर्णीत मुकदमे

5152. **श्री विश्वनाथ पाण्डय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1966 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रारम्भिक एवं अपीलीय क्षेत्रों में कितने मामले अनिर्णीत पड़े थे; और

(ख) इन मुकदमों का निपटारा करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) प्रारम्भिक क्षेत्र में——10,728

अपीलीय क्षेत्र में——39,378

(ख) निपटान किये जाने वाले मामलों की संख्या दर्ज होने वाले मामलों के बराबर न हो सकी, क्योंकि राज्य की जन संख्या बढ़ने के साथ साथ इन दर्ज होने वाले मामलों की संख्या बहुत बढ़ गई है । इस के अतिरिक्त फौजदारी मामलों तथा लेख-याचिकाओं को इन मामलों की अपेक्षा प्राथमिकता देनी पड़ी, क्योंकि उनमें कोई विलम्ब नहीं किया जा सकता ।

इलाहाबाद उच्च-न्यायालय के समक्ष लेख याचिकाएं

5153. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1965, से 31 जनवरी, 1966 तक की अवधि में इलाहाबाद उच्च-न्यायालय में कितनी लेख याचिकाएं दायर की गई;

(ख) उनमें से कितनी याचिकाओं का निपटारा किया जा चुका है; और

(ग) कितने मामलों में, पृथक-पृथक, राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध निर्णय दिये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) 1374 ।

(ख) 362 ।

(ग) शून्य ।

उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के लिये मंजूर की गई धनराशि

5154. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965–66 और 1966-67 में अब तक माध्यमिक शिक्षा के लिये उत्तर प्रदेश सरकार के लिये कोई धन राशि मंजूर की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : 1965-66 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को स्वीकृत केन्द्रीय सहायता निम्नांकित है :

योजना	केन्द्रीय सहायता
(i) बहूद्देशीय स्कूलों को सुदृढ़ करना . . .	4,15,845
(ii) माध्यमिक शिक्षा में सुधार ('क्रेश' कार्यक्रम)	22,05,000
(iii) राज्य शिक्षा संस्थान	1,61,397
(iv) राज्य मूल्यांकन यूनिट . . .	16,731
(v) शैक्षिक और व्यावसायिक संदर्शन ब्यूरो .	84,010
(vi) शिक्षक प्रशिक्षण	7,50,000
(vii) स्कूल पुस्तकाध्यक्षों का प्रशिक्षण . . .	60,000
(viii) लड़कियों की शिक्षा की गति तेज करना . .	6,00,000
जोड़ .	42,92,983

1966-67 के दौरान अभी तक कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है।

अध्यापकों को दिये गये पुरस्कार

5155. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965–66 में सरकार द्वारा अध्यापकों को कुल कितने प्रशस्ति (मैरिटोरियस) पुरस्कार दिये गये;

(ख) इन पुरस्कारों को प्राप्त करने वाले लोगों के नाम, राज्य-वार क्या है; और

(ग) उन्हें कितनी राशि नकद दी गई ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) 90।

(ख) विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०6289/66।**]

(ग) प्रत्येक पुरस्कार के लिये 500 रुपये नकद दिए जाते हैं।

लाल किले को सुन्दर बनाना

5156. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लाल किले को सुन्दर बनाने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो इसे किस प्रकार से सुन्दर बनाया जायेगा, और

(ग) यह कार्य किसे सोपा गया है, और इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : घास का उत्तम उद्यान तथा प्रकाश व ध्वनि (Son-et-Lumiere) की मौजूदा सुविधाओं के अतिरिक्त लाल किले को सुन्दर बनाने का आगे कोई विचार नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

National Council for Vocational Education

5158. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri D. . Naik :

Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National Council for Vocational Education has suggested that the scholarship for the students studying in the Industrial Training Establishments should be increased from Rs. 25 to Rs. 40 per month and fifty per cent of these students should get these scholarships and that the age for admission should be reduced from 16 to 15 years; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes.

(b) The recommendation of the National Council for Training in Vocational Trades for enhancement of the rate of and coverage of stipend under the Craftsmen Training Scheme is being examined by Government.

The recommendation of the National Council for Training in Vocational Trades for fixing the lower age limit at 15 years instead of 16 years for admission of the trainees under the Craftsmen Training Scheme has been accepted and will be implemented during the 4th Five Year Plan.

Receptions to Ministers

5159. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have kept a record of the expenditure that is incurred annually by Government on garlands and bands while giving receptions to the Ministers of the Central Government who go on tour; and

(b) the steps Government have taken to check such an expenditure ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) The expenditure, if any, on such items, is incurred by the organisations who arrange the receptions.

(b) Does not arise.

भिलाई के कर्मचारी

5160. **श्री गोकुलानन्द महन्ती :** क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई के कर्मचारियों की एक संख्या, भिलाई संयुक्त इस्पात कर्मचारी संघ (यूनायटेड स्टील वर्कर्स आफ भिलाई) ने उनको एक ज्ञापन पेश किया था जब, वह दिसम्बर, 1965 में भिलाई गये थे;

(ख) क्या सरकार ने उनकी मांगों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किये गयें है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) उस समय के श्रम मंत्री को इस प्रकार का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ मालूम नहीं होता ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नही उठता ।

Indian Science Congress

5161. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the criticism made in the 53rd Indian Science Congress that Government are showing preference to foreign trained scientists with lesser qualifications and sufficient amount is not being spent on research within the country;

(b) if so, the action taken in the matter; and

(c) the steps taken to co-ordinate the research being conducted in Universities and other national institutions ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Dr. Mrs. Soundaram Ramchandran) : (a) and (b). It is not correct to say that preference is being given to foreign trained scientists with lesser qualifications. Also, within the available resources, sufficient amount is being spent on research.

(c) Co-ordination is being effected by the C.S.I.R. by giving a large number of fellowships to Universities. The C.S.I.R. also supports Centres for advanced research in some Universities. Members of the scientific staff of universities are on the Executive Councils and Scientific Advisory Committees of National Laboratories and participate in the framing of research programmes of the laboratories.

Some National Laboratories and Research Institutions have already been recognized by the Universities as Centres for research and doctoral work. Steps are also being taken by the University Grants Commission for periodical lectures at Universities by scientists from Research Organisations.

A Specialist Committee of the Board of Scientific and Industrial Research has recently been set up and it will be responsible for co-ordinating the research being conducted at the Universities and the national laboratories.

अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संघ परिषद्

5162. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल मे दिल्ली में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संघ परिषद् के ग्यारहवे महासभा अधिवेशन के अवसर पर किन-किन विषयों पर चर्चा की गई;

(ख) भारत ने किस हैसियत से और किस सीमा तक इसने भाग लिया और भारतीय प्रतिनिधी ने क्या विशेष योगदान दिया; और

(ग) क्या देश के वैज्ञानिक विकास तथा लाभ के लिए इस अधिवेशन में हुए विचार-विमर्श का अधिकतम लाभ उठाने की दृष्टि से पारित संकल्पों तथा उसके निष्कर्षों का अध्ययन कर लिया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्द्रम रामचन्द्रन) : (क) ग्यारहवें महासभा अधिवेशन में जिन विषयों पर चर्चा की गई है उनमें निम्नलिखित विषय शामिल है :—

(1) अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संघ परिषद् से सम्बन्द्ध 14 वैज्ञानिक संघों की गतिविधियों पर सम्बन्धी प्रतिवेदन,

(2) अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संघ परिषद् की निम्नलिखित विशेष समितियों के प्रतिवेदन :—

(एक) महासागर अनुसंधान सम्बन्धी विशेष समिति

(दो) एन्टारकटिक अनुसंधान सम्बन्धी विशेष समिति

(तीन) अन्तर्राष्ट्रीय जीवाणु कार्यक्रम सम्बन्धी आन्तर्राष्ट्रीय समिति

(चार) अन्तरिक्ष अनुसन्धान सम्बन्धी समिति

(पांच) शान्त सूर्य के आन्तर्राष्ट्रीय वर्ष सम्बन्धी समिति

(छः) जल अनुसन्धान सम्बन्धी समिति

(3) वैज्ञानिक अध्ययन सम्बन्धी अन्तर-संघ आयोग का प्रतिवेदन, वैज्ञानिक अध्यपन सम्बन्धी तालमेल की आवश्यकता पर बल दिया गया।

(4) सूर्य-भौम सम्बन्धी के बारे में आन्तर्राष्ट्रीय आयोग तथा विज्ञान और तकनीकी के आंकड़ों सम्बन्धी आन्तर्राष्ट्रीय समिति का गठन ।

(ख) डा० भाभा तथा अन्य भारतीय प्रतिनिधियों ने कार्यवाही में सक्रिय रूप में भाग लिया तथा निम्न लिखित नये आयोगों तथा समितियों की योजनाओं तथा कार्यक्रमों में विशेष रुचि ली :—

(1) वैज्ञानिक अध्यपन सम्बन्धी अन्तर संघ आयोग ।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय जीवाणु कार्यक्रम सम्बन्धी विशेष समिति

(3) जल अनुसन्धान तथा अन्तर्राष्ट्रीय जल दशाब्दी सम्बन्धी समिति

(4) विकासशील देशों के साथ सम्बन्धों के बारे में कार्यवाही दल

(5) सूर्य-भौम सम्बन्धों के बारे में अन्तर-संघ आयोग

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संघ परिषद के सचिवालय से पारित हुए संकल्पों तथा निष्कर्षों सहित कार्यवाही अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

कोचीन तेल शोधक कारखाने के लिये रेल सड़क और पाइपलाइन की सुविधायें

5163. श्री कोल्ला वेंकेय्या :

श्री म० ना० स्वामी :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन के तेल शोधक कारखाने के लिये रेल, सड़क और पाइपलाइन की सुविधाओं की व्यवस्था करने पर आने वाली अनुमानित लागत की मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) प्रत्येक कार्य पर अनुमानतः कितना व्यय होगा; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर "नहीं" हो, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (घ): 10-6-1965 को 111 लाख रुपये की लागत पर रेल सड़क सुविधाओं के निर्माण की मंजूरी दी गई। जहां तक कच्चे तेल और उत्पादन-पाइप लाइनों का सम्बन्ध है; कम्पनी को अपने बोर्ड के संकल्प की प्रतिलिपि भेजने को कहा गया है; जिसमें इन पाइप लाइनों की आवश्यकता और उन पर आने वाली उचित लागत की स्वीकार किया गया था। इस की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

प्रतिजैविक पदार्थों (एन्टीबायोटिक्स) का निर्यात

5164. **श्री कोल्ला वेंकेय्या :**

श्री म० ना० स्वामी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिम्परी में बनाये गये प्रतिजैविक पदार्थों का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं, जबकि देश में इसकी माँग बढ़ रही है और विदेशी बाजारों में इसकी प्रति-स्पर्धा बहुत है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां।

(ख) ट्रेड बोर्ड ने जोर दिया है कि 1966 और 1967 के लिये सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निश्चित निर्यात लक्ष्यों का निर्धारण होना चाहिये। इस दृष्टि से अपने देश की आवश्यकताओं एवं पिम्प्री में निर्माण कार्यक्रम के लिए कच्चे-माल आदि के लिये आयात से उपलब्ध होने वाली विदेशी मुद्रा को ध्यान में रखते हुए ; शीशियों में भरी हुई पैनिसिलीन, टेट्रासैक्लीन और स्ट्रैप्टो-माइसीन तथा हेमासीन का ईराक, पूर्वी अफरीका तथा सूडान को निर्यात किया जा सका। विदेशों में व्यापारिक समुपयोजन के लिये हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि० ने० 3619.64 ग्राम हेमासीन का जिसका मूल्य 72,398 रुपये 80 पैसे है, संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात किया गया है।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, बंगलौर द्वारा बनाया गया श्रवण सहायक यंत्र

5165. **श्री कोल्ला वेंकेय्या :**

श्री म० ना० स्वामी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर द्वारा निर्मित श्रवण सहायक यंत्र के आदिरुप (प्रोटोटाइप) की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या श्रवण सहायक यंत्र को वाणिज्यिक स्तर पर बनाने का कोई प्रयत्न किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और यंत्र की अनुमानित लागत कितनी है ?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय और सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा की गई टिप्पणी और सिफारिशों के आधार पर, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि० ने आवश्यक कच्चा सामान मंगाने और औजारों का डिजाइन तैयार करने के विषय में कार्यवाही की है। कम्पनी का विचार है कि बड़ी संख्या में निर्माण आरंभ करने से पहले, प्रयोगकर्ताओं की ठीक ठीक राय जानने के लिये शुरू में 500 यन्त्र बनाये जायें।

(ग) वाणिज्यिक रूप से निर्माण अभी शुरू नहीं किया गया है।

(घ) जब श्रवण-सहायक यन्त्र का निर्माण वाणिज्यिक पैमाने पर शुरू हो जायेगा तो आशा कि एक सैट का मूल्य 60 रु० रहेगा।

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी रूसी प्रतिनिधिमण्डल

5166. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री धर्मलिंगम :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1966 में सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी एक रूसी प्रतिनिधि मंडल भारत आया था ;

(ख) क्या उसने सरकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का अध्ययन किया था; और

(ग) यदि हां, तो उस प्रतिनिधि मंडल ने अधिक प्रभावी सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी उपायो के बारे में यदि कोई सुझाव दिये हैं, तो वे क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) प्रतिनिधिमंडल के भारत आने का मुख्य उद्देश्य देश में प्रचलित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। प्रतिनिधिमंडल ने अधिक प्रभावी सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया।

श्रीलंका में कालोक्वियम

5167. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विधिवेत्ता (जूरिस्ट) आयोग के तत्वावधान में हाल में हुए कालोक्वियम की ओर दिलाया गया है और क्या उसमें जनता की शिकायतें दूर करने के लिये प्रशासनिक व्यवस्था करने के प्रश्न पर चर्चा की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कालोक्वियम की सिफारिशों तथा उससे उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का अध्ययन किया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नही

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

शिलाओं पर रामायण का चित्रित किया जाना

5168. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विंध्य प्रदेश क्षेत्र के एक घने जंगल के बीच भक्तों का एक दल शिलाओं पर रामायण की कथा चित्रित करने के लिये कठिन परिश्रम कर रहा था;

(ख) क्या इस स्थान पर प्राच्य दर्शन-शास्त्र का अनुसंधान करने के लिये एक महान परियोजना आरम्भ करने की तैयारियां की जा रही है;

(ग) क्या यह परियोजना हनुमान देवता के नाम से शासकीय तौर पर पंजीकृत संख्या, मानस संघ, द्वारा प्रायोजित की गई है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने सतना नगर से कुछ मील दूर स्थित "रामवन" योजना के लिये कोई वित्तीय सहायता दी है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) एक सोसायटी रामायण की कहानी का प्रचार कर रही है और भूतपूर्व विन्ध्य प्रदेश के सतना-रीवा रोड पर सतना से कुछ मील दूर की जगह पर संगमरमर और सीमेंट पर अनेक चित्र चित्रित किए हैं। यह जगह वास्तव में जंगल नहीं है, किन्तु एक अच्छी कृषि योग्य जमीन है।

(ख) सोसायटी का उद्देश्य प्राच्य अनुसंधान के लिए एक केन्द्र शुरू करने का है।

(ग) जी हां।

(घ) जी अभी तक नहीं।

साहित्य का उपयोग

5169. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा स्थापित संगठनों द्वारा प्रकाशित किये जा रहे साहित्य का पूरा पूरा उपयोग करने के सम्बन्ध में सरकार ने राज्य सरकारों से सहयोग देने के लिये कहा है;

(ख) क्या राज्यों में शिक्षा तथा सांस्कृतिक अधिकारियों ने ऐसे साहित्य को पुस्तकालयों, स्कूलों तथा कालिजों और अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं के माध्यम से वितरित करने के लिये एक व्यवस्थित कार्यक्रम बनाया है;

(ग) साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (नेशनल बुक ट्रस्ट) और बाल पुस्तक न्यास (चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट) के इन प्रकाशनों को लोकप्रिय बनाने के लिये राज्यों को कितनी सहायता दी गई है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर "हां" हो तो इस सम्बन्ध में राज्यों की सरकारों से अब तक क्या प्रत्युत्तर मिले हैं?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारें इस मामले में जरूरी कार्रवाई कर रही हैं।

(ग) कुछ नहीं।

(घ) बहुत उत्साहजनक।

विज्ञान के स्नातकों के बारे में सर्वेक्षण

5170. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के राष्ट्रीय रजिस्टर एकक ने भारत में विज्ञान स्नातकों की संख्या तथा उनके रोजगार के स्वरूप के बारे में सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि विज्ञान तथा इंजीनियरिंग में उच्चतर शिक्षा का भारत की औद्योगिक व्यवस्था की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप अभी तक समुचित रुप से तीव्र विकास नहीं हुआ है; और

(घ) इस सम्बन्ध में बाधाओं को दूर करने तथा देश के कुल संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय निकाले गये हैं?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) जी हां। फरवरी 1961 के आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारियों के राष्ट्रीय रजिस्टर द्वारा एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया था। अध्ययन के अन्तर्गत 6,000 कृषि-स्नातक और 60,000 सामान्य विज्ञान-स्नातक शामिल थे।

(ख) मुख्य उपपत्तियां थीं :—

(i) कृषि स्नातकों में से 86 प्रतिशत केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अन्तर्गत सामुदायिक विकास तथा अन्य कृषि विस्तार कार्य और सार्वजनिक क्षेत्र संस्थाओं में नियुक्त थे, लगभग 8 प्रतिशत प्राइवेट क्षेत्र में तथा 2 प्रतिशत अपना स्वयं का कार्य कर रहे थे।

(ii) सामान्य विज्ञान स्नातकों में से 53 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र में और 29 प्रतिशत प्राइवेट क्षेत्र में नियुक्त थे तथा 5 प्रतिशत अपना स्वयं का कार्य कर रहे थे।

(iii) कृषि स्नातकों में से लगभग 4 प्रतिशत तथा विज्ञान स्नातकों में से लगभग 13 प्रतिशत बेरोजगार पाए गए।

(iv) कृषि स्नातकों में से लगभग 16 प्रतिशत और विज्ञान स्नातकों में से लगभग 33 प्रतिशत स्कूलों और कालेजों में पढ़ा रहे थे।

(v) कृषि स्नातकों में से लगभग 79 प्रतिशत और विज्ञान स्नातकों में से लगभग 25 प्रतिशत तकनीकी व्यवस्था में थे।

(vi) विज्ञान स्नातकों में से 42 प्रतिशत गैर-तकनीकी व्यवसाय में थे जबकि ऐसे कृषि स्नातकों की संख्या 5 प्रतिशत थी।

(vii) विज्ञान स्नातकों में से 50 प्रतिशत से अधिक तथा कृषि स्नातकों में से 30 प्रतिशत व्यक्ति 200 रु० में कम मासिक वेतन पा रहे थे। दोनों वर्गों के तीन चौथाई से अधिक व्यक्ति 300 रु० से कम मासिक वेतन पा रहे थे।

(ग) और (घ): तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के अन्त की स्थिति की समीक्षा करने से पता चलता है कि तीसरी पंचवर्षीय आयोजना अवधि के दौरान इंजीनियरी कालेजों और पालिटैक्निकों की स्थापना तथा विस्तार के संबंध में जो कार्रवाईयां की गई हैं वे चौथी आयोजना कि अवधि के दौरान तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा कर सकेंगी।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की सिफारिशों पर, बी० एस सी० पास करने वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ विश्वविद्यालयों में इन्जीनियरी विषयों में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ किए गए है। दूर संचार इंजीनियरी, आटोमोबाइल इंजीनियरी, किण्वन टेक्नोलोजी, प्रशीतन, धातु विज्ञान, प्रयुक्त भूविज्ञान, भूभौतिकी आदि में पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ विश्वविद्यालयों को सहायता दी है। जो विज्ञान स्नातक उच्च वैज्ञानिक अध्ययन के लिये उपयुक्त नहीं होंगे उनके लिये विशिष्ट क्षेत्रों में अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के आयोजन का भी विचार है।

शिक्षा का विकास

5171. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योजना आयोग के अवलोकन प्रभाग (पर्सपेक्टिव डिवीजन) और भारतीय सांख्यिकीय संस्था द्वारा प्रस्तुत किये गये उस ज्ञापन पर विचार कर लिया है, जिसमें विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की उन्नति करने वालों के प्रस्ताव किय गये हैं;

(ख) इस बात के लिये क्या प्रयास किये गये हैं कि माध्यमिक स्तर तथा उससे ऊपर की शिक्षा का मोटे तौर पर सम्बन्ध कृषि, चिकित्सा और अध्ययन क्षेत्र के कामों के स्वरूप से होना चाहिये; और

(ग) क्या शिक्षा के ढांचे के पुनर्निर्धारण का विचार करते समय निर्माण करनेवाले उद्योग के परिवर्तनशील स्वरूप को ध्यान में रखा गया है ताकि इंजीनियरी के क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञों को, प्रशिक्षण दिलाया जा सके ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं। ज्ञापन शिक्षा-आयोग को प्रस्तुत कर दिया गया है, आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

स्कूलों की इमारतों के निर्माण पर प्रतिबन्ध

5172. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में स्कूलों की इमारतों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया है; और

(ग) इस विषय में ठीक-ठीक क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) नए निर्माण के खर्च पर सितम्बर, 1964 में लगाई गई पाबंदी के बारे में 15 मार्च, 1966 से ढील दे दी गई है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान क्षेत्र में छिद्रण कार्य

5173. **श्री किन्दर लाल** :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री राम हरख यादव :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने राजस्थान क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ साथ छिद्रण कार्य फिर आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) राजस्थान क्षेत्र के जैसलमेर जिले के पश्चिमी भाग में, जो पूर्णतया भारतीय प्रदेश में है; व्यधन कार्य को पुन: चालू किया गया है।

(ख) अब तक तेल या प्राकृतिक गैस का कोई संचय नहीं मिला है।

कृषि श्रमिकों सम्बन्धी गोष्ठी

5174. **श्री कोल्ला वेंकेय्या** :
श्री सेझियान :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री दे० जी० नायक :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि श्रमिकों सम्बन्धी अखिल भारतीय गोष्ठी द्वारा आवास योजनाओं और रोजगार सम्बन्धी योग्यता के बारे में की गई सिफारिशों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : गोष्ठी ने, कृषि श्रमिकों को मुफ्त मकान बनाने के लिये स्थान देने तथा मकान बनाने के लिये वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन के लिये एक अलग योजना बनाने की सिफारिश की । इस पर विचार किया जा रहा है। इस बीच यह सिफारिश राज्य सरकारों के ध्यान में ला दी गई है।

जहां तक रोजगार संबंधी योग्यता का संबंध है, राज्य सरकारों ने देहाती शिल्पकारों, उनके बच्चों और अन्य व्यक्तियों को तकनीकी व्यावसायिक या इस प्रकार के अन्य प्रशिक्षण देने के लिये इस समय बहुत सारे "कलस्टर टाइप" के प्रशिक्षण केन्द्र, उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र और अन्य प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र चलायें हैं। चौथी योजना के पहले वर्ष से चरणों में आरम्भ किए जाने वालें कार्यक्रम के अनुसार ग्राम प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करके व्यावसायिक धन्धों में प्रशिक्षण सम्बन्धी "राष्ट्रीय परिषद" के मार्गदर्शन और सर्वेक्षण में इन केन्द्रों का पुनर्गठन करने का विचार है। ग्रामीण लोगों की, जिनमें कृषि श्रमिक भी शामिल है, योग्यता समझने के लिये पुनर्गठित ग्राम प्रशिक्षण संस्थानों में चन्द एक तकनीकी धन्धों में प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

Chief Commissioner of Delhi

5175. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the statement made by Shri Vishwanathan, former Chief Commissioner of Delhi, and published in the newspapers that the Chief Commissioner of Delhi should be invariably made to function in that capacity for a specified period ; and

(b) if so, the Government's reaction in regard thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The term of an officer of the rank of Chief Commissioner, Delhi, should be normally 5 years, the period being extended or curtailed in individual cases according to exigencies of public service and administrative convenience.

सार्वजनिक सभा में प्रधान मंत्री के भाषण के बाद भगदड़

5176. **श्री कृष्णपाल सिंह :**
श्री बसुमतारी :
श्री काजरोलकर :
श्री पाराशर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 फरवरी, 1966 को तिनसुखिया में प्रधान मंत्री के एक सार्वजनिक सभा में भाषण के बाद वहां भारी भगदड़ मच गई थी जिसके परिणामस्वरूप बहुत से व्यक्ति मारे गये तथा बहुत से जख्मी हो गये;

(ख) उस सभा का प्रबन्ध किसने किया था;

(ग) क्या मामले की कोई जांच की गई थी और यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है; और

(घ) क्या मृत व्यक्तियों के परिवारों को कोई नगद सहायता दी गई थी और यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रबन्ध का उत्तरदायित्व स्थानीय अधिकारियों पर था ।

(ग) जांच आयोग अधिनियम के अधीन एक जांच आयोग नियुक्त करने का निर्णय किया गया है ।

(घ) इस भगदड़ का शिकार बनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 1000 रुपये की सहायता राज्य सरकार द्वारा दी गई है ।

मद्रास में उर्वरक कारखाना

5177. श्री मधु लिमये :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रामपुरे :
श्री फिरोडिया :
श्री बसवन्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री नारायण दास :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में विदेशी सहयोग से उर्वरक कारखाना स्थापित किये जाने की शर्तें क्या है; और

(ख) क्या ये शर्तें उर्वरक कारखानों के सम्बन्ध में किये गये अन्य विदेशी सहयोग करारों से भिन्न हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : मैसर्ज़ एमोको इंडिया इनकारपोरेटड (M/s Amoco India Incorporated) के साथ बातचीत हो रही है और मद्रास में उर्वरक प्लांट की स्थापना के लिये सहयोग की शर्तों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

वरिष्ठ अधिकारियों का सेवा-काल बढ़ाया जाना

5178. श्री मुहम्मद इलियास :
डा० रानन सेन :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 58 वर्ष की सेवा-निवृत्ति आयु के पश्चात् केन्द्रीय सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के सेवा-काल बढ़ाने अथवा उन्हें फिर से रोजगार देने के मामले में लोक हित की परिभाषा के सिद्धान्त क्या हैं और क्या सिफारिश करने वाले प्राधिकारियों को ऐसे सिद्धांत अवगत कराये गये हैं; और

(ख) क्या उपरोक्त भाग (क) में निर्दिष्ट सिद्धांत भारतीय सेना के जनरलों पर लागू होते हैं जो आम तौर पर आपातकाल में भी 58 वर्ष की आयु में सेवा-निवृत्त होते हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) मंत्रालयों विभागों को ऐसे अनुदेश दिये गये हैं, कि सेवा काल बढ़ाने पर फिर से रोजगार देने के मामलों की स्वीकृति के लिये सर्वोच्च विचारणीय बात यह हो, कि वह स्पष्टतः लोक हित में होने चाहिये । निम्नलिखित दो अन्य शर्तों में से भी एक पूरी होनी चाहिये :—

(i) कि अन्य अधिकारी अभी कार्य सम्भालने योग्य नहीं हैं; या

(ii) सेवा-निवृत्त होने वाला अधिकारी असाधारण योग्यता वाला है ।

(ख) गृह-मंत्रालय द्वारा जारी किये गये अनुदेश भारतीय सेना के जनरलों पर लागू नहीं होते।

सरकारी उपक्रमों में सेवा-निवृत्ति की आयु

5179. श्री मुहम्मद इलियास :
डा० रानन सेन :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के अधिकतर उपक्रम और केन्द्रीय सरकार के अधीन काम करने वाले सरकारी क्षेत्र के अन्य सार्थ सेवा निवृत्ति की 58 वर्ष की निर्धारित आयु के बाद और बहुत से माम्लों में 65 वर्ष की आयु तक भी, बहुत से वरिष्ठ आधिकारियों का सेवा काल बढ़ा देते हैं या उन्हें पुन: नौकरी में लगा लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है; और

(ग) इसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

अन्दमान द्वीपसमूह के निकट विदेशी जहाज

5180. श्री यशपाल सिंह :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री अंदमान द्वीप समूह के निकट विदेशी जहाजों के देखे जाने के बारे मे 21 फरवरी, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 93 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मलयेशिया से आनेवाले मछली पकड़ने के जहाजों के बारे में मलयेशिया की सरकार से क्या उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(ख) उसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालयमें राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) तथा (ख) : इस मामले में सिंगापुर की सरकार सम्बधित है, न कि मलयेशिया की सरकार। वहां पर हमारा उच्चायोग सिंगापुर फौरन आफिस के साथ सम्पर्क में है, जो कि इस बात के लिये उत्सुक है, कि भविष्य में भारतीय क्षेत्रीय जलधि में अनधिकृत रूप से कोई मछली पकड़ने वाली नौकाएं न आयें।

Mahatma Gandhi Murder Case

5181. Shri Sidheshwar Prasad:
Shri Warior :
Shri Vasudevan Nair :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a new Commission is being constituted in place of the Pathak Commission to enquire into the circumstances of Mahatma Gandhi's murder ; and

(b) if so, the names of the Members of the Commission ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) and (b). The matter is under consideration.

बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीयों को ऋण

5182. **श्री रा० बरुआ :**

श्री नि० रं० लास्कर :

श्री लीलाधर कटकी :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वदेश लौट उन व्यक्तियों को, जिन्होंने ऋण के लिये आवेदन किया था और जिनके सम्बन्ध में जांच पड़ताल पूरी हो गई है, दिल्ली प्रशासन द्वारा ऋण नहीं दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं, वित्तीय वर्ष 1965–66 में ऐसा कोई मामला नहीं है कि जिसके सम्बन्ध में जांच पड़ताल पूरी हो गई हो और ऋण मंजूर न किया गया हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सिनेमा परिसरों में माइक्रोफोन का प्रयोग

5183. **श्री दशरथ देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के किन-किन राज्यों में सिनेमा शो आरम्भ होने के पहले और शो समाप्त होने के बाद सिनेमा गृहों के परिसरों में माइक्रोफोन के प्रयोग द्वारा शोर मचाये जाने पर प्रतिबन्ध अथवा रोक नहीं लगाई है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का इसके बारे में राज्यों से अनुरोध करने का विचार है ताकि सिनेमा गृहों के परिसरों में माईक्रोफोन के प्रयोग द्वारा होने वाले शोर को रोका जा सके ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

लोअर डिवीजन क्लर्कों के लिये टाइप की परीक्षा

5184. **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री रा० बरुआ :

श्री लीलाधर कटकी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय योजना की लोअर डिवीजन क्लर्क पदाली में 1 अप्रैल, 1966 को ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें दस वर्ष कार्य करते हो गये हैं और अभी तक उन्हें स्थायी नहीं किया गया है क्योंकि वे टाइप की परीक्षा पास नहीं कर सके हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ उन कनिष्ठ (जूनियर) कर्मचारियों को जिन्होंने टाइप की परीक्षा पास कर ली है, स्थायी कर दिया गया है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव उन कर्मचारियों के मामले में जिन्हें टाइप के काम पर नहीं लगाया गया है, टाइप की परीक्षा-पद्धति को समाप्त करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसे लोगों की संख्या तीन सौ इक्यानवें हैं। कुछ मंत्रालयों ओर विभागों को अभी संख्या देनी है।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) : जी नहीं। टाइपिस्टों का कोई प्रथम संवर्ग नहीं है और किसी भी लोअर डिवीजन क्लर्क से टाइप का काम लिया जा सकता है क्योंकि यह उसके मुख्य कर्त्तव्यों में से एक है। इसलिये, यह आवश्यक है कि सभी लोअर डिवीजन क्लर्कों के लिये टाइपराइटिंग में कुशलता का कम से कम कुछ स्तर निर्धारित होना चाहिये।

Printing of Forms

5185. **Shri Jagdev Singh Siddhanti** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of forms of various types that were got printed by the offices of the Delhi Administration during the last six months;

(b) the number of those, among them, which were got printed in English only and the reasons for not getting them printed in Hindi; and

(c) the arrangements being made to get those forms printed in Hindi ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) 147.

(b) and (c) : 78. Delhi Administration have initiated necessary steps for the translation of these forms also into Hindi. Thereafter the question of printing them in Hindi will be taken up by the Administration.

कैदियों को काम पर लगाना

5186. **श्री दशरथ देव** :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य कैदियों (सजायाफ्ता लोगों) को भारत में पुलों तथा सड़कों का निर्माण करने और नहरों को खोदने के कामों में लगा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कैदियों से इस प्रकार काम लेने वाले राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या जेलों से बाहर ऐसे निर्माण कार्यों पर लगाये जाने वाले कैदियों को कोई सुविधा अथवा मजूरी दी जाती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

वर्ष 1962 में पुलिस द्वारा गोलीबारी

5187. श्री दशरथ देव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1962 से 1966 में अब तक की अवधि में पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिये राज्यों में कितनी बार गोलीबारी की; और

(ख) गोलीबारी के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति राज्यवार मारे गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) और (ख): सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गोआ के लिये केन्द्रीय सहायता

5188. डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में लोकप्रिय सरकार बन जाने के बाद विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत गोआ को केन्द्र द्वारा अनुदान के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गई;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा योजनाओं की मंजूरी में विलम्ब कर देने के कारण कोई अनुदान व्यपगत हो गये हैं;

(ग) यदि हां, तो उनकी कुल राशि कितनी है;

(घ) क्या स्थानीय प्रशासन द्वारा विलम्ब किये जाने के कारण भी कोई अनुदान व्यपगत हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी राशि कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) लोकप्रिय सरकार बनने के बाद केन्द्र द्वारा गोआ को दिये गए अनुदानों की कुल राशि इस प्रकार है :—

1963–64 (20-12-63 से 31-3-64 तक)	1,72,73,000 रु०
1964-65 . . .	4,47,17,429 रु०
1965-66	2,51,93,910 रु०
1966–67 (6-5-66 तक) . .	शून्य
योग .	8,71,84,339 रु०

(ख) से (ङ): स्थानीय प्रशासन द्वारा सूचना दी गई है कि 47,889 रु० की राशि इसलिये व्यपगत हो गई कि उनके द्वारा योजनाओं आदि को स्वीकृति देने में देर हो गई। उनको दी गई कुल अनुदान राशियों के लगभग ½ प्रतिशत अर्थात् 4,35,800 रु० के अनुदानों के व्यपगत होने का कारण उन्होंने केन्द्र द्वारा योजनाओं आदि को स्वीकृत करने में लगने वाली देर को भी बताया किन्तु स्थानीय प्रशासन के इस कथन की जांच करना सम्भव नहीं हो सका।

उत्तर प्रदेश का विभाजन

5189. **श्री महेश्वर नायक : श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचार पत्रों में विधान सभा के एक सदस्य द्वारा प्रकाशित कराये गये इस समाचार की ओर दिलाया है कि वे अपने कई साथियों के साथ इस बात की मांग करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य के आवश्यकता से अधिक बड़े आकार को कम करने के लिये राज्य को पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी प्रदेश में बांटा जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) सरकार ने एक समाचार देखा है जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश की राज्य विधान सभा में एक सदस्य द्वारा अभी हाल में उस राज्य के विभाजन का सुझाव रखा गया था।

(ख) सरकार इस सुझाव से सहमत नहीं है।

दूरमुद्रकों (टेलीप्रिन्टर्स) का निर्माण

5190. **श्री नि० रं० लास्कर : श्री रा० बरुआ :**
श्री लीलाधर कटकी : श्री महेश्वर नायक :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में दूरमुद्रकों का निर्माण करने के लिये सरकार किसी दूसरे देश के साथ सहयोग कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो किस देश के साथ और उसकी अनुमानित उत्पादन लागत कितनी होगी और उसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख): जी हां। दिसम्बर, 1960 में मेसर्स इंग० सी० आलिवेत्ती एण्ड कम्पनी एस० पी० ए० इव्रिया, इंटली के सहयोग से दूरमुद्रक यंत्र और उसके अनुषंगी उपस्कर भारत में बनाने के उद्देश्य से हिन्दुस्तान टेलीप्रिण्टर्स लि०, मद्रास, नाम की एक सरकारी कम्पनी बनायी गयी थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये निश्चित आरम्भिक कार्यक्रम के अन्तर्गत कारखाने की अनुमानित पूंजीगत लागत 165 लाख रुपया थी, जिसमें 83.35 लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा का अंश भी शामिल है। बाद में, 1965 में कम्पनी ने एक प्रसार योजना बनाई जिसकी पूंजीगत लागत 152.89 लाख रुपया है और जिसमें विदेशी मुद्रा का अंश 38.20 लाख रुपया है। आरंभिक और प्रसार कार्यक्रम दोनों को मिलाकर पूंजीगत लागत 317.89 लाख रुपया होगी जिसमें विदेशी मुद्रा का अंश 121.55 लाख रुपया रहेगा।

Supplies of Kerosene for Bihar

5191. **Shri Lahtan Choudhry :**
Shri Yamuna Prasad Mandal :
Shri Yogendra Jha :

Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) the monthly requirement of kerosene oil of Bihar and the total quantity of kerosene oil supplied to Bihar during January to March, 1966;

(b) whether it is a fact that there has been an acute shortage of kerosene oil in Distt. Saharasa and Sub-Division Supaul and in the border block Distt. Darbhanga;

(c) if so, the action being taken to improve the situation; and

(d) whether the refining work in the Barauni Oil Refinery is going on satisfactorily ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri O. V. Alagesan): (a) to (c). The monthly requirements of kerosene of Bihar are estimated at 12,800 tonnes per month. There was some short-fall in supplies and reports of scarcity were received from Bihar including the district of Saharsa and Sub-Division Supaul. Supplies during the months of January to March, 1966 were as under:

January, 1966	9,308 tonnnes.
February, 1966	10,330 tonnes.
March, 1966	12,382 tonnes.

The monthly kerosene quota of Bihar has been increased to 13,500 tonnes from May 1966 to improve the situation.

(d) Yes.

अनुभाग अधिकारियों की तालिका

5192. श्री लहटन चौधरी :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रथम वर्ग के लिये जनवरी 1966 में जारी की गई तालिका के तैयार कराने के लिये कुछ अनुभाग अधिकारियों को भी, जिन्हें पहले साक्षात्कार (इंटरव्यू) के लिये उपयुक्त नहीं समझा गया था, बाद में इसके लिये बुलाया गया तथा क्या उन में से कुछ लोगो को तालिका में सम्मिलित कर लिया गया है;

(ख) क्या कुछ अनुभाग अधिकारियों ने, जिन्हें स्वीकृत तालिका में नहीं रखा गया है, तालिका में रखे गये अधिकारियों की अपेक्षा अधिक अंक प्राप्त किये थे; और

(ग) यदि हां, तो कार्य कुशलता और सेवा में सन्तोष की भावना बनाये रखने तथा योग्यता को समुचित मान्यता देने के उद्देश्य से क्या सरकार का विचार ऐसे अधिकारियों की, जिन्होंने ऊंचे दर्जे प्राप्त किये थे, एक अनुपूरक तालिका जारी करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) यह निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा कि वे व्यक्ति जिनके नाम बाद के दलों में शामिल किए गए थे, उन्हें उससे पूर्व उपयुक्त नहीं पाया गया था, क्योंकि साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अधिकारियों की सूची चयन समिति द्वारा इकट्ठी नहीं दी गई थी। इस लिए चाहे यह सच ही क्यों न हो, फिर भी ऐसा कहना संगत नहीं होगा कि ऐसे कुछ अधिकारी, जो साक्षात्कार के लिए अन्त में बुलाए जाने वालों में शामिल थे उन्हें तालिका में सम्मिलित कर लिया गया था।

(ख) जो सूचना मांगी गई है वह संघ लोक सेवा आयोग के गोपनीय अभिलेखो का भाग है और सरकार के पास उपलब्ध नही है ।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I की जो तालिका पिछली जनवरी में जारी की गई थी उसे केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड I तथा निर्वाचन ग्रेड में पदोन्नति) विनियम, 1964 के अनुसार बनाई गई चयन समिति द्वारा सभी सम्बन्धित अधिकारियों की पात्रता पर विचार करने के बाद तैयार किया गया था और उसका संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भी अनुमोदन कर दिया गया था । कोई अनुपूरक तालिका जारी करने का विचार नहीं है ।

Tribals' Clash with Displaced Persons

5193. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to the reports received from Shillong, one displaced person was killed and many others injured in a clash between the displaced persons from East Pakistan and members of the Lalung tribe which took place in the refugee camp at Amjang Beltola on the border of Khasi Hills District on or about the 21st March, 1966; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan): (a) Yes Sir. Two refugees died out of 6 injured in a clash on the 19th March, 1966 between the refugees and Lalung tribes in a village Amdubikhat in Assam.

(b) The main reason for the clash appears to have been long-standing enmity between the tribesmen and East Pakistan refugees settled in that village 10 years back. The enmity apparently derived from a dispute over possession of land which was allotted to 48 refugees in the locality—Killing valley in the United Khasi Jaintal Hills bordering Mikir Hills and Nowgong District.

दिल्ली में यातायात भीड़-भाड़

5194. **श्री वाल्मीकी :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा नियुक्त यातायात समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार चांदनी चौक, सब्जी मंडी और चौक पहाड़ गंज-चूना मंडी में भीड़-भाड़ कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) इन क्षेत्रों में लाइसेंस तथा बिना लाइसेंस वाली इस समय कितनी रेहड़ियां चलती हैं और इस समिति को नियुक्त करते समय उनकी संख्या कितनी थीं; और

(ग) भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों तथा बाजारों में ऐसी रेहड़ियां पर रोक के लगाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) से (ग): एक विवरण लोक-सभा के सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6290/66।]**

Food Agitation in Kerala

5195. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yudhvir Singh :
Shri Bade :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that food agitation would be launched again in Kerala during last week of April 1966;

(b) whether it is also a fact that the said agitation would be launched by Samar Samiti and Farmers' Association; and

(c) if so, the efforts made to avert it ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) to (c). No such agitation was launched by the Samar Samiti and the Farmers' Association in the last week of April. It is reported, however, that an agitation is being planned during May, 1966. Government are watching the situation and will take the necessary steps if the Samara Samiti and the Farmers' Association decide to launch an agitation.

उड़ीसा में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

5196. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री मोहन नायक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि 1966–67 में राज्य-में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का विकास करने के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Multi-purpose Schools in Orissa

5197. Shri Ramachandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena :
Shri Mohan Nayak :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of multi-purpose schools functioning at present in Orissa State ;

(b) whether any financial assistance was given to the Government of Orissa for this purpose during the Third Five Year Plan period;

(c) if so, the details thereof; and

6—73 L.S./66

(d) the number of multi-purpose schools proposed to be opened in that State during 1966-67 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Dr. Smt. Soundaram Ramachandran) : (a) There were three Higher Secondary Multi-purpose Schools in Orissa State on 1-7-1965.

(b) Yes Sir.

(c) A sum of Rs. 5080 was sanctioned during 1964-65 for supply of reference books to multi-purpose schools.

(d) Information is being collected.

उड़ीसा में प्रयोगशाला

5198. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री मोहन नायक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में उड़ीसा राज्य में कोई अनुसन्धान प्रयोगशाला स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस अवधि में उस राज्य को इस काम के लिये कोई सहायता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) जी हां, भुवनेश्वर में एक क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला स्थापित की गई है ।

(ख) जी नहीं; प्रयोगशाला, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित की गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने वाले पुस्तकालय

5199. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री मोहन नायक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में ऐसे सार्वजनिक पुस्तकालयों एवं स्कूलों व कालेजों के पुस्तकालयों के नाम क्या हैं, जिनको 1965-66 में केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मिली थी; और

(ख) 1966-67 में इस काम के लिये कितनी राशि देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6291/66]**

सम्पर्क स्थापित करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही

5200. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 22 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 774 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पर्क स्थापित करने वाले अवांछनीय पुरुषों तथा स्त्रियों के सम्बन्ध में इस बीच कोई अग्रेतर कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख): सम्पर्क स्थापित करने वाले अवांछनीय पुरुषों तथा स्त्रियों के नाम सम्बन्धित मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दिये गये हैं ताकि वे ऐसी कार्यवाही कर सकें जो ज़रूरी समझी जायं।

राजपत्रित अधिकारियों की आस्तियां

5201. श्री कोल्ला वेंकैय्या :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन राजपत्रित अधिकारियों की आस्तियों तथा बैंक के लेखों की जांच कर ली गई थी जिनके विरुद्ध 1964-65 में भ्रष्टाचार के लिये कार्यवाही की गई थी;

(ख) यदि हां, तो कितने अधिकारियों की आस्तियों की जांच की गई थी;

(ग) कितने अधिकारियों की आस्तियां उनकी उचित आय के अनुपात से अधिक पाई गई थी; और

(घ) अनुपात से अधिक आस्तियों को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ) : सन् 1964 तथा 1965 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अनुपात से अधिक आस्तियों के अभियोगों से सम्बन्धित 109 राजपत्रित अधिकारियों के मामलों की जांच की। 32 मामलों में अनुपात से अधिक आस्तियों के अभियोग सिद्ध हुए। इन मामलों में से 31 में नियमित विभागीय कार्यवाही की सिफारिश की गई है। एक मामला जांच के लिये लम्बित है। विभागीय कार्यवाहियों में अनुपात से अधिक आस्तियों को वसूल करने का कोई प्रबन्ध नहीं है। हां, न्यायालय के मामलों में न्यायालय कारावास के अतिरिक्त जुरमाना भी लगा सकते हैं।

केन्द्रीय जांच विभाग के पदों में वृद्धि

5202. श्री कोल्ला वेंकैय्या :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 और 1965 में केन्द्रीय जांच विभाग के पदों में कुल कितनी वृद्धि की गई;

(ख) क्या सभी पदों पर नियुक्तियां की गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न पदों के लिये क्या क्या योग्यताएं तथा अन्य शर्तें निर्धारित की गई हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) पदों की संख्या में 1964 में 553 और 1965 में 830 की वृद्धि हुई।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ): दो विवरण सभा पटल पर रखे गये हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6292/66]**

स्थानों का सुरक्षित रखा जाना

5203. श्री दशरथ देव : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की कुछ संस्थाओं में ग्राम्य सेवाओं सम्बन्धी तीन वर्षीय पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिये कुछ स्थान त्रिपुरा के उम्मीदवारों के लिये सुरक्षित रखे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक शिक्षा वर्ष के लिये कितने स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं तथा वे संस्थायें कहां कहां पर हैं; और

(ग) त्रिपुरा की आदिम जातियों के कितने उम्मीदवार उपरोक्त पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिये अब तक भेजे गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, बलवंत विद्यापीठ ग्राम उच्च संस्थान, बिचपुरी (उत्तर प्रदेश) ने त्रिपुरा के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 1961-62 में छः सीटें तथा महिला उम्मीदवारों के लिए 1962-63 में तीन सीटें सुरक्षित की थीं। किन्तु इनमें से किसी भी सीट का उपयोग नहीं किया गया।

किन्तु जामिया ग्राम संस्थान, नई दिल्ली में, जिसमें ऐसे प्रयोजन के लिए कोई सीट सुरक्षित नहीं है, उक्त पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए अभी तक आठ जनजातीय उम्मीदवार दाखिल किए गए हैं।

त्रिपुरी भाषा का विकास

5204. श्री दशरथ देव : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरी भाषा का विकास करने के लिये, जिसे त्रिपुरा की अधिकतर आदिम जातियों के लोग बोलते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में त्रिपुरा सरकार को कोई राशि दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस काम के लिये अब तक कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) इस काम में कितनी प्रगति हुई है।

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, अभी तक नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

केरल में विधि आयोग

5205. श्री अ० व० राघवन : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई है;

(ख) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को इस आयोग का चेयरमैन नियुक्त न किये जाने के क्या कारण है ;

(ग) क्या केरल के महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) से इस आयोग के सदस्य के रूप में काम करने के बारे में परामर्श लिया गया था और यदि हां, तो क्या उन्होंने चेयरमैन का निम्न दर्जा होने के कारण इस आयोग में काम करने से इन्कार कर दिया था; और

(घ) क्या विधि आयोग का चेयरमैन नियुक्त किये जाने के हेतु केरल उच्च न्यायालय से एक न्यायाधीश की सेवायें प्रदान करने के लिये कहने का विचार है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां।

(ख) इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किये जाने के लिये उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश उपलब्ध नहीं था।

(ग) जी हां। महाधिवक्ता द्वारा आयोग पर सेवा न कर सकने के लिये दिया गया कारण यह था कि उनके पास समय नहीं था।

(घ) ऊपर (ख) में कहे अनुसार उच्च न्यायालय को लिखना जरूरी नहीं दिखाई देता।

स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी

5206. **श्री तुलशीदास जाधव :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्वतंत्रता संग्राम के उन सेनानियों की संख्या कितनी है, जिन्हें कम से कम 5 दिन के लिये या इससे अधिक अवधि के लिये जेल में कैद अथवा नजरबन्द रखा गया था;

(ख) उन्हें सहायता देनेके लिये सरकार ने अब तक क्या मार्गोपाय अपनाये हैं; और

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों की सहायता सरकार ने की है और उन्हें अन्य प्रकार से क्या सहायता दी गई है?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) ऐसे व्यक्तियों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ख) तथा (ग) : एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6293/66]**

प्रत्यक्ष-कर बोर्ड के प्रधान का सेवाकाल बढ़ाया जाना

5207. **श्री किशन पटनायक :**
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्यक्ष-कर बोर्ड के प्रधान का सेवाकाल 22 जनवरी, 1966 को एक वर्ष के लिये बढ़ाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपरोक्त प्रधान को उसके सेवाकाल में कभी मद्रास में नियुक्त किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो कब और किस पद पर तथा कितने वर्षों के लिये?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख): प्रत्यक्ष-कर बोर्ड के प्रधान का सेवाकाल जनहित को दृष्टि में रखते हुए 22 जनवरी, 1966 से एक वर्ष की अवधि के लिये बढ़ाया गया है।

(ग) और (घ): 1957–58 के दौरान 11-4-1957 से 21-8–1958 तक की अवधि के लिये उन्होंने मद्रास में आयकर आयुक्त के पद पर काम किया था।

दिल्ली में प्राध्यापकों के वेतन

5208. **श्री यशपाल सिंह : क्या शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 29 मार्च, 1966 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली प्रशासन के कालेजों के लगभग 100 प्राध्यापकों को अपना वेतन लेने के लिये तीन महिने से अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां। परन्तु यह खबर ठीक नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली प्रशासन में अधिकारियों के दोहरे कार्य

5209. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जुलाई 1965 में दिल्ली के तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य सचिव ने एक प्रेस वक्तव्य में कहा था कि दिल्ली प्रशासन के विभिन्न विभागों के निदेशक अपने विभागों के पदेन सचिव भी ह और इस दोहरे काय के कारण, व क्षत्र अथवा कार्यालय दोनों में ही काम नहीं कर सकते हैं और निदेशक स्वयं सचिव होने के कारण अपनी गलतियों को छिपा सकते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशासन ने गृह-कार्य मंत्रालय को सूचित किया था कि दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय तथा अन्य विभागों में उस समय जो व्यवस्था थी वह हानिकर थी क्योंकि निदेशक के निर्णयों की जांच पड़ताल करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था;

(ग) क्या यह भी सच है कि तब से शिक्षा विभाग को छोड़कर दिल्ली के सभी विभागों के लिये पृथक पृथक सचिव तथा निदेशक नियुक्त किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो दिल्ली के शिक्षा विभाग में पृथक पृथक सचिव तथा निदेशक नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि सरकार का विचार दिल्ली के शिक्षा विभाग के ढांचे में निकट भविष्य में कोई परिवर्तन करने का है तो वह क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जब जुलाई, 1965 में दिल्ली प्रशासन के लिये सचिवों के दो नये पद मंजूर किये गये थे तो प्रेस ने स्पष्टीकरण मांगा था। तब दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव ने यह बताया था कि यह व्यवस्था विभागों के निदेशकों के पदेन सचिव होने की व्यवस्था को खत्म करने के लिये की जा रही है, ताकि वे अपना ध्यान क्षेत्र कार्य पर केन्द्रित कर सकें। उन्होंने इस संबंध में कोई वक्तव्य जारी नहीं किया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी, नहीं। दो नये सचिवों, जिन के पदों की मंजूरी जुलाई, 1965 में दी गई थी, से यह आशा नहीं की जाती थी कि वे सब विभागों का कार्यभार संभालेंगे। शिक्षा निदेशक के अतिरिक्त कुछ अन्य विभागाध्यक्ष भी पदेन सचिव हैं, जैसे कि गृह-आयुक्त, जिलाधीश तथा मुख्य राशनिंग नियंत्रक।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय के ढांचे में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है।

मास्टर तारासिंह का वक्तव्य

5210. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल में मास्टर तारासिंह की रिहाई के बाद उनके द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि वह सिखों के लिये अब भी आत्म-निर्णय के अधिकार के पक्ष मे है और इस कार्य के लिये बनाये गये 'सीधी-कार्यवाही कार्यक्रम' में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) : सरकार उनकी कार्यवाहियों पर नजर रख रही है।

मणिपुर में वेतनक्रम

5211. श्री रिशांक किशिंग : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मणिपुर में वेतनक्रम बढ़ाकर 1 जुलाई, 1965 से भूतलक्षी प्रभाव से आसाम में विद्यमान वेतनक्रमों के बराबर किये जाने थे ;

(ख) क्या वेतनक्रम बढ़ाने का कार्य इस बीच पूरा हो गया है और नये वेतनक्रम लागू कर दिये गये हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितना अतिरिक्त खर्च हुआ है; और

(घ) क्या कुछ मामलों मे निर्णय नहीं किया गया है और यदि हां, तो उनके संबंध मे निर्णय कब किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) तथा (ख): द्वितीय वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि मणिपुर सरकार के कर्मचारियों को असम की दरों पर वेतन दिये जाते रहें। हाल ही में असम की सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन-क्रम (प्रथम अप्रैल, 1964 से लागू) संशोधित किये हैं। अत: भारत सरकार ने कुछ पदों को छोड़ कर मणिपुर के कर्मचारियों के वेतन-क्रम भी उसी तारीख से संशोधित कर दिये हैं।

(ग) बासठ लाख, चालीस हजार, पांच सौ पच्चीस (62,40,525 रुपये)

(घ) कुछ ऐसे पद हैं, जिनके वेतन-क्रम अभी संशोधिय किये जाने हैं। इनसे सम्बन्धिय प्रस्तावों-पर असम की सरकार तथा मणिपुर की सरकार के परामर्श से जांच की जा रही है, और यथाशीघ्र उन्हें अन्तिम रूप दिया जायेगा।

सरकारी कर्मचारियों की अपीलों का निपटारा

5212. श्री यशपाल सिंह :
श्री वारियर :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री मौर्य :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी संतप्त सरकारी कर्मचारी की अपील का अधिक से अधिक कितनी अवधि में अन्तिम रूप से निपटारा हो जाना चाहिये ; और

(ख) क्या किसी अपील के विचाराधीन होने की अवधि में किसी प्रकार का दण्ड दिया जा सकता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अपीलों के निपटान के लिये कोई अवधि विहित नहीं है।

(ख) जी हां। दिया गया दण्ड तब तक लागू होता है, जब तक अपील पर कोई निर्णय किया जाय।

विज्ञान के अध्यापकों की कमी

5213. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **शिक्षा** मंत्री 23 फरवरी, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 161 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान के अध्यापकों की कमी के सम्बन्ध में जांच करने तथा उस कमी को दूर करने के लिये विशेष अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपायों का सुझाव देने के लिये नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) विज्ञान अध्यापकों के प्रशिक्षण के नये कार्यक्रम को शुरू करने के संबंध में चुने हुए विश्वविद्यालयों से विचार विनिमय किया जा रहा है।

विश्वविद्यालयों तथा कालिजों में सैन्य विज्ञान

5214. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **शिक्षा** मंत्री 23 फरवरी, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 168 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों तथा कालिजों में सैन्य विज्ञान की पढ़ाई के एक विषय के रूप में आरम्भ करने के प्रश्न पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : विश्वविद्यालयों और कालिजों में सैनिक विज्ञान के विकास और उसे लागू करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित सैनिक विज्ञान सम्बन्धी समीक्षा समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिस पर आयोग ने 5-5-1966 की अपनी बैठक में विचार किया था। आयोग ने निश्चय किया कि समिति की सिफारिशें सर्व प्रथम अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड के पास उनकी राय जानने के लिए भेज दी जाए।

पंजाब में तकनीकी संस्थायें

5215. श्री दलजीत सिंह : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में पंजाब में प्रत्येक तकनीकी संस्था को योग्यता एवं साधन छात्रवृत्तियों के लिये कितनी राशि दी गई; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये 1966-67 में उस राज्य को कितनी राशि देने का विचार है।

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख): विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6294/66**]

योग्यता छात्रवृत्तियों के लिये पंजाब को वित्तीय सहायता

5216. श्री दलजीत सिंह : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में अपनी विश्वविद्यालय शिक्षा जारी रखने के लिये राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निर्धन छात्रों को योग्यता छात्रवृत्तियां देने के लिये पंजाब सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ख) उस में से राज्य सरकार ने वास्तव में कितनी राशि खर्च की?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) 4,75,000 रुपये।

(ख) 4,66,052.50 रुपये।

पंजाब में डाक सेवायें

5217. श्री दलजीत सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च 1966 के अन्त तक पंजाब के कितने गांवों में डाक सेवाओं की व्यवस्था थी; और

(ख) 1966-67 में उस राज्य में कितने गांवों में डाक सेवा की व्यवस्था करने का विचार है?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 30,793 गांवों में से सभी गांवों की डाक-व्यवस्था 5,122 डाकघरों द्वारा या ग्राम डाकियों द्वारा की जाती है।

(ख) 1966-67 के दौरान 203 नये डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

महाराष्ट्र के लिये हल्का डीजल तेल

5218. श्री दे० शि० पाटिल : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री 30 मार्च 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 878 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1965 से मार्च, 1966 तक की अवधि में हल्के डीजल तेल के संबंध में संभरण योजना क्या थी और उपरोक्त अवधि में महाराष्ट्र के लिये कितना कोटा निर्धारित किया गया था;

(ख) उक्त अवधि में वास्तव में महाराष्ट्र को कितना तेल दिया गया; और

(ग) महाराष्ट्र की वर्तमान कृषि फसल के लिये कितने हल्के डीजल तेल की आवश्यकता है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : दिसम्बर, 1965 से मार्च, 1966 तक चार महीनों में महाराष्ट्र के लिए हल्के डीजल तेल की औसत मासिक कोटा 19,375 मीटरी टन थी। उक्त अवधि में वास्तविक सप्लाई का औसत प्रति मास 15,497 मीटरी टन थी। मार्च 1966 की कमी को पूरा करने के लिए तेल कम्पनियों को अप्रैल, 1966 में 3,500 मीटरी टन हल्के डीजल तेल की अतिरिक्त मात्रा सप्लाई करने को कहा गया।

(ग) क्योंकि रबी का मौसम समाप्त हो गया है इसलिए कृषि उद्देश्यों के लिए हल्के डीजल तेल की मांग काफी कम हो जानी चाहिए। मई 1966 के लिए, 14,000 मीटरी टन के आवंटन की योजना है।

Patparganj Road, Delhi

5219. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Bade :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to acquire colonies on Patparganj Road, Delhi;

(b) whether it is also a fact that these colonies are in existence since 1954 and have also been paying house-tax;

(c) the type of construction to be undertaken by Government on the lands on which these colonies are constructed;

(d) the number of houses constructed in these colonies; and

(e) the amount of compensation which would be required to be paid by Government therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes Sir.

(b) No Sir. These colonies came into existence after the formation of the Municipal Corporation of Delhi and property taxes are being realised.

(c) The area will be developed in accordance with the provision of the Delhi Master Plan and disposed of under the scheme for large-scale acquisition, development and disposal of land in Delhi, the details of which were given in the statement laid on the Table of the House on 23rd March, 1961 in reply to Notice under Rule 197 of Shri P. G. Deb. The constructions on developed plots will be allowed in accordance with the provisions of the Municipal Building Bye-Laws.

(d) Two thousand approximately.

(e) Under the Land acquisition Act, no compensation is payable for constructions done after the date of preliminary notification dated the 13th November, 1959 and for the construction done before that date, compensation will be payable for the structures as well as for the land. In view of the above position, it is not possible to indicate the amount of compensable which may be payable for the houses. Compensation will be assessed and paid in accordance with the Land Acquisition Act.

Confiscation of Magazine "Kashmir"

5220. **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Onker Lal Berwa :
Shri Daji :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have confiscated copies of the Pakistani magazine 'Kashmir' dated the 7th May, 1965;

(b) if so, whether Government propose to ban the entry of the said magazin : into India ; and

(c) if not, the reasons therefor when anti-India material is published in thim magazine ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affiairs (Shri P. S. Naskar) : (a) The issue dated 7th May, 1965 of the periodical in Urdu entitled 'Kashmir, published from Rawalpindi and Muzaffarbad, was proscribed under the Defence of India Rules, 1962 by an order dated 21st September, 1965.

(b) and (c). As a result of the above order entry into India of the copies of the issue dated 7th May, 1965 is banned. It is not proposed to impose any blanket ban on the entry of the periodical into India as no other issue has come to adverse notice of Government.

उपूसी (नेफा) का मुख्यालय

5221. श्री रिशांग किशिग : **श्री श्यामलाल सर्राफ :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : **डा० मा० श्री० अणे :**
श्री डेविड मुन्जनी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री उपूसी (नेफा) के मुख्यालय के स्थान के बारे में 4 मार्च, 1960 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1100 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस प्रस्ताव पर कोई और कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि कोई कार्यवही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : नेफ़ा के आयुक्त के कार्यालय को मूलत: नेफ़ा के अन्तभाग में ले जाने का प्रस्ताव था। परन्तु 1963 में आयुक्त का पद समाप्त कर दिया गया, और उसके कार्यालय को असम के राज्यपाल के सलाहकार के कार्यालय के साथ मिला दिया गया। क्योंकि नेफ़ा के प्रशासन के लिये राज्यपाल जिम्मेदार हैं, तथा उनका कार्यालय शिलांग में है, यह बात कार्य दक्षता के हित में है, कि नेफ़ा सचिवालय तथा सलाहकार भी, जोकि उनका प्रधान सचिव है, शिलांग में ही हो। इसके अतिरिक्त नेफ़ा के अन्तभाग में कोई ऐसा स्थान नहीं है, जोकि वर्तमान में विभिन्न ज़िलों के लिये शिलांग की अपेक्षा अधिक सुगम्य हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान प्रबंधों को न बदलने का विचार है।

पंजाब विधान परिषद् के सदस्य श्री रवीन्द्र नाथ के सभापतित्व में समितियां

5222. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान श्री रवीन्द्र नाथ नामक एक व्यक्ति के बारे में 31 मार्च, 1966 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" के पृष्ठ 5 पर प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या वह वाणिज्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के तत्वावधान में काम कर रही कई समितियों का सदस्य है;

(ग) क्या उन पर उपरोक्त समाचार में लगाये गये गम्भीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए सरकार भाग (ख) में निर्दिष्ट समितियों की उनकी सदस्यता को समाप्त करने के लिये विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां।

(ख), (ग) और (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Shortage of Diesel & Kerosene Oil in Purnea District (Bihar)

5223. **Shri Lahtan Chaudhry :**
Shri Yogendra Jha :

Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news item appearing in the daily 'Indian Nation' dated the 3rd April, 1966, published from Patna, in which it has been stated that 186 tractors are lying idle for want of oil in Saharsa and Purnea Districts; and

(b) if so, the steps taken to remove the difficulty?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri O. V. Alagesan): (a) Yes.

(b) The State Government have been requested to look into the matter.

महा प्राभिकर्ता (प्रोक्युरेटर जनरल) का पद

5224. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में रूस के नमूने पर महा प्राभिकर्ता (प्रोक्युरेटर-जनरल) नियुक्त करने की वांछनीयता का विचार किया गया है, जो यह सुनिश्चित करे कि विधियों को ठीक ढंग से लागू किया जाता है और लोगों के हितों का संरक्षण किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : श्रीमान् खास तौर पर ऐसा नहीं किया गया। किन्तु लोगों की शिकायतों को दूर करने की व्यवस्था के संगठन के प्रश्न पर अब प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

पुनरीक्षित वेतनक्रम

5225. **श्री कन्डप्पन :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों में कालेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षकों के पुनरीक्षित वेतनक्रम स्वीकार नहीं किये हैं जिनकी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सिफारिश की थी और जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार किया था;

(ख) उन्हें स्वीकार न करने के क्या कारण है; और

(ग) पुनरीक्षित वेतनक्रमों को लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग): भारत सरकार ने 7 अप्रैल, 1966 को सभी राज्य सरकारों को लिखा था, जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या वे विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों के वेतनमान बढ़ाने की योजना में भाग लेने और वेतनमान बढ़ाने से होने वाले खर्च का 20% वहन करने के लिए सहमत हैं बशर्ते कि राज्य के प्राइवेट कालेजों की कोई वित्तीय जिम्मेदारी उठाने के लिए नहीं कहा जाएगा और पांचवी आयोजना की अवधि के बाद सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारें ले लेंगी। अभी तक केवल प० बंगाल सरकार योजना में भाग लेने के लिए सहमत हुई है। पंजाब और केरल की सरकारों ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। अन्य राज्य सरकारों के उत्तरों की प्रतीक्षा है।

बर्मा से लौटे व्यक्तियों के लिये दूकानें

5226. श्री नि० रं० लास्कर :
श्री लीलाधर कटकी :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री "बर्मा से लौटे व्यक्तियों को राहत देने सम्बन्धी उपाय" शीर्षक से 4 अप्रैल, 1966 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में पृष्ठ 6 पर प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बर्मा से लौटे व्यक्तियों के लिये दूकानों, स्टालों तथा फ्लैटों क निर्माण के लिये मद्रास सरकार को 9.53 लाख रुपये मंजूर किये हैं;

(ख) क्या बर्मा से लौटे उन व्यक्तियों के लिये जो दिल्ली में आ गये हैं दूकानों, स्टालों तथा फ्लैटों के निर्माण के लिये दिल्ली राज्य को कोई राशि मंजूर की गई है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इस योजना को कब कार्यरूप में परिणत किया जायेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) बर्मा से लौटे व्यक्तियों के लिये दुकानें तथा स्टालों के निर्माण के मद्रास सरकार को 9.53 लाख रुपये की धन-राशि मंजूर की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारियों के लिये आचार संहिता

5228. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधायकों और कर्मचारियों के पारस्परिक संबंधों को विनियन्त्रित करने के बारे में उनके लिये कोई आचार संहिता बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) : माननीय सदस्य का ध्यान आज लोक सभा में दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 1608 के उत्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ईंधन अनुसन्धान संस्थायें

5229. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में काम करने वाली इंधन अनुसन्धान संस्थाओं के नाम क्या है और इनमें से प्रत्येक संस्था में अनुसन्धान कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या किसी अनुसन्धान संस्था ने एक नये उर्वरक का आविष्कार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) जौलगोरा के केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान नाम की केवल एक ईंधन अनुसंधान संस्थान है। अनुसंधान कार्य में इस संस्थान द्वारा की गई प्रगति से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6295/66]**

(ख) और (ग) : केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्थान ने निम्न स्तर के कोयले के आधार पर एक फर्टीलाइजर-तथा-भूमि कन्डीशनर तैयार किया है। इस प्रक्रिया से एक साथ कोयले के आक्सीकरण द्वारा ह्यूमिक तेजाब और ह्यूमिक तेजाब में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निहित है। संस्थान ने एक

प्रायोगिक प्लांट का निर्माण किया है, जो प्रति दिन लगभग $1\frac{1}{2}$ टन कोयला फर्टीलाइजर उत्पादन करता है और इसकी परीक्षा करने के लिए इसे विभिन्न केन्द्रों को भेजा रहा है। धनबाद और हजारीबाद में धान और गहूं पर किए गए परीक्षणों के प्राप्त परिणाम उत्साहवर्धक है। कुछ अन्य केन्द्रों पर किए गए परीक्षणों के परिणाम अगले वर्ष प्राप्त होने की सम्भावना है।

दिल्ली में (दिसम्बर, 1965) में हुआ वैज्ञानिकों तथा उद्योगपतियों का सम्मेलन

5231. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री 2 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 298 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों तथा उद्योगपतियों के दिसम्बर, 1965 में दिल्ली में हुए सम्मेलन की अन्तिमरूपेण सिफारिशें सरकार को प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मोटी रूपरेखा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) सिफारिशें "फर्स्ट गट-टूगेदर आफ रीसर्च एण्ड इन्डस्ट्री-रिकमन्डेशन्स" नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गई हैं, जिसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है। सिफारिशों का मुख्य रूप से निम्न प्रकार वर्गीकरण किया गया है :—

(i) अनुसंधान और विकास नीतियों संबंधी सामान्य सिफारिशें;

(ii) तकनीकी सिफारिशें; और

(iii) उच्च प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ किए जाने वाले अनुसंधान और विकास कार्य संबंधी विषय : —

(ग) सामान्य और तकनीकी सिफारिशों को सम्बद्ध मंत्रालयों और संस्थाओं के पास संवीक्षा तथा कार्यान्वियन के लिए भेज दिया गया है। उच्च प्राथमिकता वाली राष्ट्रीय अनुसन्धान प्रायोजनाओं पर अमल करने के लिए, उनकी वित्तीय समस्याओं का अध्ययन तथा उपलब्ध बजट के अलावा आवश्यक अतिरिक्त साधनों की सीमा का मूल्यांकन करने के लिए ब्यौरे आमंत्रित किए गए है।

पंजाब में विज्ञान मन्दिर

5232. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 में पंजाब राज्य में कोई विज्ञान मन्दिर स्थापित किये जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस अवधि में इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकार को कितनी सहायता दी जायेगी ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) और (ख) : विज्ञान मंदिरों का प्रशासकीय नियंत्रण राज्य सरकारों को हस्तान्तरित करने के कारण, अब नए विज्ञान मंदिर खोलने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। पंजाब सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय आयोजना अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष एक विज्ञान मंदिर खोलने का है, बशर्ते कि अगली तीन पांच वर्षीय आयोजनाओं में यह योजना शत प्रतिशतता के आधार पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना मानी जाए। चौथी पंचवर्षीय आयोजना के दौरान, विज्ञान मंदिर खोलने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता की प्रणाली का प्रश्न विचाराधीन है।

आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

5233. श्री लिंग रेड्डी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने निर्धारित पदों में से कितने पद रिक्त हैं ;

(ख) क्या वर्तमान न्यायाधीशों द्वारा प्रतिदिन जमा होने वाले कार्य पूरे न किये जा सकने के कारण उस न्यायालय में अनिर्णीत मुकदमे जमा हो गये हैं ;

(ग) अब तक उन पदों पर नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन पदों पर कब नियुक्ति करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) एक स्थायी न्यायाधीश तथा दो अतिरिक्त न्यायाधीशों के (पद)।

(ख), (ग) तथा (घ) : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में कार्य की मात्रा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त न्यायाधीशों के दो पद हाल ही में स्वीकृत हुए हैं और इन पदों तथा स्थायी रिक्तियों की नियुक्ति शीघ्र ही की जायेगी।

वीरपांडिया कट्टाबोम्मन् के वंशजों की पेन्शन

5234. श्री म० प० स्वामी :
श्री काशीनाथ दुरै :
श्री अरूनाचलम :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाद (मैसूर राज्य) के सर्वप्रथम तथा सर्वोपरि स्वतंत्रता सेनानी-वीरपांडिया कट्टाबोम्मन् के वंशजों को सरकार द्वारा दी गई पेंशन बन्द कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब से बन्द कर दी गई है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : भूतपूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा वीर पांडिया कट्टाबोम्मन के अन्तिम वंशज श्री सुब्रामानिया दुराई को कारूण्या आधार पर आजीवन राजनीतिक पेन्शन दी गई थी। पेन्शन प्राप्त करने वाले की मृत्यु के पश्चात् एक जून, 1958 से पेन्शन बन्द कर दी गई।

कानपुर के एक व्यापारी के विरुद्ध आरोप

5235. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 9 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 432 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान को नालीदार चादरें भेजने के आरोप में कानपुर के व्यापारी के विरुद्ध की जा रही जांच इस बीच पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ?

गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख) : जांच पूरी कर ली गई है और अब मामले की न्यायालयिक जांच चल रही है।

Family Welfare Centres in States

5236. **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to extend the Family Welfare Centres to the other States besides Bombay, Calcutta and Madras;

(b) if so, when they are likely to start functioning;

(c) whether it is also a fact that the salary paid to women workers in that Centres is lower than the salary of Class IV employees; and

(d) the steps taken by Government in the matter and give proper facilities to them?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar) : (a) (& (b). No such proposal is at present under consideration.

(c) and (d). These Welfare Centres have two wings: the Welfare-*cum*-Training Wing and the Production Wing. Instructors in the Welfare-*cum*-Training Wing are not full time workers; their working hours range from two to five hours. They are paid an honorarium depending on the hours of their work and the subjects they teach. Workers in the Production Wing are paid on a monthly rate on the basis of their out-put. A comparison of the salary paid to Class IV staff and the honorarium given to the workers in Grih Kalyan Kendras will not, therefore, be appropriate.

Gandhi Harijan School

5237. **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the payment of salaries of teachers of Gandhi Harijan Vidyalaya has again been stopped for the last few months;

(b) whether it is also a fact that the Harijan Welfare Board recently obtained the decree of attachment against the said Vidyalaya;

(c) whether the relations between the teachers and the management has been quite strained for the last three years and the management has been exercising undue pressure on them; and

(d) if so, the action taken in regard thereto?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) It has been reported by the Municipal Corporation, Delhi that payment of Salaries has been held up since 15-7-1965, but the Corporation is taking steps to make the payments.

(b) The information is being collected.

(c) and (d). Complaints regarding belated payment and non-payment of salaries, general unsatisfactory treatment of teachers, corruption and napotism in the school management have been received from time time and these are looked into and necessary action taken by the authorities concerned.

विद्यार्थियों में अनुशासन हीनता

5238. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री 9 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 439 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता के बारे में अध्ययन करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता :

श्री गुरु गोविन्द सिंह साहिब की लापता पवित्र वस्तुयें

5239. श्री दलजीत सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उच्चायुक्त ने 11 दिसम्बर, 1965 को ब्रिटेन में संग्रहालयों तथा निजी रूप से वस्तुओं का संग्रह करने वालों के नाम एक अपील जारी की थी कि वे गुरू गोविन्द सिंह जी साहिब के नो हथियारों में से लापता अन्य चार हथियारों अर्थात गुरू साहिब की तलवार, कलगी, भाला तथा लोह-क्रीड़ा-चक्र (क्वायट) का पता लगाने में मदद दें; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Recovery of a Bomb from Telephone Bhawan, Calcutta

5240. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 8th April, 1966 a bomb was found lying under a chair on the fifth floor of the multi-storeyed building of the Telephone Bhawan in Dalhousie Square, Calcutta;

(b) if so, the particulars of the person under whose chair the bomb was found; and

(c) the marking it bore?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs Shri Vidhya Charan Shukla : (a) Yes Sir; the bomb was found on 6th April and not on 8th April 1966;

(b) the bomb was discovered from underneath the chair of a member of the staff attached to the Trun Room of the Bhawan;

(c) the bomb had no visible external marking.

कन्याकुमारी में विवेकानन्द स्मारक

5241. श्री किन्दर लाल :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विवेकानन्द स्मारक संस्थाकी समिति की इस प्रार्थना पर विचार कर लिया है कि कन्याकुमारी में स्थापित किये जाने वाले विवेकानन्द स्मारक के लिये वित्तीय सहायता दी जाये,

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कुल कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, अभी तक नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

ओरियण्टल टिम्बर कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड बम्बई के गोदाम में आग लगना

5242. श्री स० मो० बनर्जी :

श्री चांडक :

श्री रा० स० तिवारी :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो के सहयोग से बम्बई के गुप्तचर विभाग ने 1 मई, 1964 को ओरियण्टल टिम्बर कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड बम्बई के गोदाम में आग लगने के कारणों की, जिसके सम्बन्ध में कारपोरेशन ने 17,44,022.40 रुपये की क्षति का दावा किया था, जांच की थी;

(ख) क्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 436, 477-ए, 409, 420 आदि के अन्तर्गत आग लगाने तथा अन्य प्रज्ञेय अपराधों का मामला दर्ज किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर 'नहीं' में है तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) इस अग्नि कांड के कारणों की जांच बम्बई के गुप्तचर विभाग ने की थी। इस मामले की खोज में बम्बई के गुप्तचर विभाग के साथ केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने काम नहीं किया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बम्बई के गुप्तचर विभाग द्वारा की गई जांच के परिणाम से ऐसा ज्ञात हुआ कि इस बात की पूरी सम्भावना है कि यह आग अचानक ही लग गई थी।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठने पर प्रतिबन्ध

5243. श्री द्वारका दास मंत्री :

श्री कांबले :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के मामले में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर प्रतिबन्ध लगा दिये थे और उच्च परीक्षाओं में

बैठने के लिये उन व्यक्तियों को भी अनुमति नहीं दी गई थी जिन्होंने 1955 से 1958 तक परिवीक्षा प्रशिक्षण प्राप्त किया था;

(ख) क्या ये प्रतिबन्ध अब भी लागू है ;

(ग) क्या यह सच है कि परीक्षा में बैठने की अनुमति न दिये जाने के कारण प्रथम श्रेणी के कुछ सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देना पड़ा था ; और यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनकी सेवाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उन व्यक्तियों की सेवाओं से लाभ उठाने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) कुछ वर्गों को छोड़कर यह प्रतिबंध 1 दिसम्बर, 1958 से हटाये गये थे।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है, और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) इन प्रतिबन्धों को हटाने के आदेश जारी होने से पूर्व निर्णीत मामलों को दोबारा प्रारम्भ न करने का निश्चय किया गया है।

हुमायूं के मकबरे का दुरुपयोग

5244. श्री श्रीनारायण दास : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान निज संवाददाता द्वारा 13 अप्रैल, 1966 के 'टाइम्स आफ् इण्डिया' के पृष्ठ 3 में 'ए मोनुमैन्ट इज नाउ हाइडिंग प्लेस फार क्रिमिनल्स' (एक स्मारक अब अपराधियों का छिपने का अड्डा) नामक शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात की कोई जांच की गई है कि इस समाचार में कही गई बातें कहां तक सच हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 6296/66।]**

(ग) मकबरे के अन्दर और उसके इर्द गिर्द सादा वर्दी तथा बावर्दी पुलिस द्वारा गश्त जारी की गई है।

Ratio between Gazetted and Non-Gazetted Employees

5245. Shri Vishram Prasad : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the ratio between the gazetted and non-gazetted Central Government employees in 1947 and their respective numbers; and

(b) the ratio between them during March, 1966 and their numbers separately?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) & (b). The information is not available. The first count of Central Government employees by pay ranges was undertaken by the Ministry of Finance in the year 1948 on the recommendation of the first Pay Commission. The report on this census however, did not give any information in respect of Gazetted and Non-Gazetted Staff separately. The first information readily available is for 30th June 1957 as given in the report of the Second Pay Commission.

Information as in March, 1966 is not available. The latest report on the Census of Central Government employees released relates to 31st March, 1963. The report for 31st March, 1964, has not so far been released and only provisional figures are available. A statement showing the Gazetted and Non-Gazetted staff and the ratio between them under the Central Government establishments as on 30th June 1957, 31st March 1963 and 31st March 1964 (provisional) is given below:

Date	No. of Central Govt. Employees		No. of Non-Gazetted staff for one Gazetted employee.
	Gazetted	Non-Gazetted	
1	2	3	4
30-6-57 . . .	29,661	17,43,909	..
31-3-63	33,381	21,67,256	1 : 65
31-3-64 (Provisional)	36,896	23,36,196	1 : 63

सफाई कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड

5246. श्री स० मो० बनर्जी : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री मुहम्मद इलियास : **श्री बूटा सिंह :**
श्री दाजी :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सफाई कर्मचारियों के लिए एक मजूरी बोर्ड नियुक्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) और (ख) : इस समय सफाई कर्मचारियों के लिए कोई मजूरी बोर्ड नियुक्त करने का विचार नहीं है।

नूनमाटी तेल शोधक कारखाना

5247. श्री रा० बरुआ : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नूनमाटी तेल शोधक कारखाने का विस्तार करने के बारे में छानबीन हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'नहीं' में हो, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) अभी नहीं।

(ख) और (ग) : रेल भाड़े की कम-वसूली केन्द्रीय बिक्री कर और फरनेस तेल के निपटान जैसी समस्यायें जो शोधनशाला के विस्तार से पैदा हो सकती हैं, इन समस्याओं की आसाम सरकार के परामर्श से जांच की जा रही है।

Escape of Jawans from Mizo Rebels' Camp

5248. **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that five jawans of the Security Force have escaped from the camp of Mizo rebels situated in East Pakistan, and reached this side of this border;

(b) if so, the details of the information received by Government from them;

(c) the place where the said five persons are staying at present;

(d) whether it is also a fact that the soldiers of East Pakistan Rifles have recently arrested three Mizos and a self-styled Magistrate in District Karimganj of Assam and have handed them over to police; and

(e) if so, the action taken by Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister in Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a), (b) and (c) : It would not be in the public interest to disclose the information on the floor of the House.

(d) The Government have no information to this effect.

(e) Does not arise.

जयन्ती शिपिंग कम्पनी का कर्मचारी संघ

5249. **श्री बड़े :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जयन्ती शिपिंग कम्पनी के दिल्ली कार्यालय के कर्मचारी संघ को गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उसके सदस्यों को उस संघ से अपना सम्बन्ध समाप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार से तंग किया जा रहा है तथा उन पर दबाव डाला जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) यूनियन ने श्रम आयुक्त दिल्ली को इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Aid received by Communists from Abroad

5250. **Shrimati Johraben Chavda :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Communists in India have been receiving economic aid from abroad even after the Bank of China at Calcutta was closed; and

(b) if so, the estimated amount of this assistance as assessed by Government; and

(c) the steps taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri Hathi:) (a) to (c): It is not in the public interest to disclose this information on the floor of the House.

Convicts in Government Service

5251. **Shrimati Johraben Chavda :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a person awarded death punishment can be taken in Goverenment service; and

(b) if so, the number of such persons in Government service at present?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No specific instructions have been issued in the matter. Each such case will have to be examined on its merits.

(b) The information is not readily available.

Banaras Hindu University

5252. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Prakash Vir Shastri : Shri Onkar Lal Berwa : Shri Bade :**

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to reply given to Starred Question No. 306 on the 2nd March, 1966 and state :

(a) the main features of the letters of protest received by Government against the proposal for changing the name of the Banaras Hindu University; and

(b) the decision taken thereon?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) The main features of the letters of protest are :

(i) The present name of the University has great historical significance.

(ii) The word 'Hindu' is neither communal nor antinational. It stands for civilisation and culture of India and represents a way of life.

(iii) Deletion of the word 'Hindu' will hurt the feelings of a large section of Hindus and will also be against the wishes of the founder and the donors of the University.

(iv) The majority of institutions in India have denominational names. The change in the nomenclature of the Banaras Hindu University will therefore, give rise to an endless controversy.

(v) The change of name will go against the national solidarity in this hour of emergency.

(b) The views contained in the communications have been noted.

Repatriation of Pakistanis

5253. **Shri Bade :** **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1790 on the 9th March, 1966 and state :

(a) the reasons for which only 403 out of 1,000 Pakistanis who were found living in Bombay unauthorisedly have been sent back to Pakistan ;

(b) whether proceedings against the remaining 597 Pakistanis are in progress in courts because they had refused to go back to Pakistan; and

(c) if so, the details thereof?

The Ministry of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

दिफू के निकट विस्फोटक पदार्थों का पाया जाना

5254. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री लीलाधर कटकी :
श्री रा० बरुआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 अप्रैल, 1966 को दीफू के निकट लांगचोलियेट स्टेशन पर एक आदमी पकड़ा गया था जिसके पास काफी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : विस्फोट पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के अधीन एक मामला दिफू थाने में दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।

लद्दाख गबन कांड

5255. **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 भ्रष्ट इंजीनियरों को, जिनका लद्दाख गबन कांड में हाथ था, बहाल कर दिया गया है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें दोषमुक्त करने का आधार क्या था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

अंगूरी बाग, दिल्ली में शरणार्थी बस्ती

5256. **श्री राम हरख यादव : क्या श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाल किला, दिल्ली के निकट अंगूरी बाग में शरणार्थियों के क्वार्टरों को (गत्ते के ढांचे) जो 15 वर्ष पहले बनाए गए थे अभी तक पक्का नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस बस्ती के निवासियों की मुसीबतें दूर करने के लिये सरकार क्या कायवाही करेगी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) क्वार्टरों के अधीन जो भूमि है वह रक्षा मंत्रालय के अधीन, किला अधिसूचित क्षेत्र समिति की थी और वह अस्थायी प्रयोग के लिये पांच वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिये ली गई थी। चूंकि उस समय रक्षा मंत्रालय भूमि के स्थायी हस्तांतरण के लिये सहमत नहीं हुआ इसी लिये पक्के मकान नहीं बनाये गये।

(ग) जिन शर्तों के अधीन भूमि प्राप्त की गई थी उनके अनुसार पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के उपरान्त, भूमि पुनः किला अधिसूचित क्षेत्र समिति को वापिस दी जानी थी। टेनिमेन्टस का स्वामित्व अब दिल्ली नगर निगम के पास है जो किला अधिसूचित क्षेत्र समिति का उत्तराधिकारी है। वे अब अपनी गन्दी बस्तियों के साफ करने की योजना के अधीन इन विस्थापितों को इसके बदले में आवास देने के मामलों पर विचार कर सकते हैं।

अंगूरी बाग, दिल्ली में शरणार्थी बस्ती में अनधिकृत दुकानें तथा खोखे

5257. **श्री राम हरख यादव : क्या श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाल किले के निकट, शरणार्थी बस्ती, अंगूरी बाग में अनधिकृत खोख तथा दूकानें बनती जा रही है जिससे वहां पर गन्दगी, भीड़-भाड़ तथा दम घुटने का सा वातावरण उत्पन्न हो गया है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिये हानिकर है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली नगर निगम के अधिनियम 1957 की धारा 343।344 के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किये जा रहे हैं और आवश्यक औपचारिकताओं के पालन के उपरान्त आगे जो कार्यवाही आवश्यक होगी, अमल में लाई जायेगी।

महा-अभिरक्षक (कस्टोडियन जनरल) के कार्यालय से कागजात गुम हो जाना

5258. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महा अभिरक्षक (कस्टोडियन जनरल) ने वर्ष 1952, 1954, 1955, 1956 और 1960 में अपने कार्यालय से तथा अभिरक्षक (कस्टोडियन) के दिल्ली कार्यालय के अभिलेखों में से कागजात गुम हुये देखे;

(ख) यदि हां, तो मामलों के बारे में निर्णय किस आधार पर किया गया; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि इसके कारण उन आवेनदकर्त्ताओं को, जिनके कागजात गुम हो गये थे, हानि उठानी पड़ी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं। तथापि एक मामले में ऐसा आरोप लगाया गया था किन्तु वह सिद्ध नहीं हुआ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्कूलों के बच्चों की संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि द्वारा सहायता

5259. श्री बसवन्त :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि ने भारत में स्कूल जाने वाले 60 लाख बच्चों को मुफ्त वर्दी दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन्) : (क) और (ख) : 6-11 आयु-वर्ग के लगभग तीस लाख विद्यार्थियों की स्कूली वर्दियां बनाने के लिए उपयोग करने हेतु यूनीसेफ ने 2,500 मिट्रिक टन रूई देने का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

आसाम के जिलों में तूफान

5260. श्री पन्नालाल :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

श्री स० मो० बनर्जी :

श्री दाजी :

श्री प्रिय गुप्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 अप्रैल, 1966 को आसाम में कामरूप और गोलपाड़ा ज़िलों में भीषण तूफान आया था तथा आसाम का देश के शेष भाग से दूर-संचार सम्पर्क टूट गया था और सम्पत्ति एवं फसलों की भी भारी हानि हुई; और

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी जान और माल की हानि हुई; और

(ग) पीड़ित व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकार ने क्या सहायता प्रदान की ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :(क) और (ख) : 15 अप्रैल, 1966 की रात को गौहाटी और कामरूप जिले के बाड़पेट उपखण्ड में भारी तुफान आया जबकि गोलपाड़ा जिले के गोलपाड़ा उपखण्ड में केवल थोड़े से औले बरसे। केवल कामरूप जिले में सम्पत्ति का थोड़ा सा नुकसान हुआ। कामरूप और गोलपाड़ा ज़िलों में दूर-संचार सम्पर्क टूट गया। किन्तु यह सम्पर्क 14 घंटे में पुनः स्थापित कर लिया गया। कोई जन-हानि नहीं हुई।

(ग) केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता नहीं मांगी गई। किन्तु आसाम सरकार ने गौहाटी और बाड़पेट ज़िलों में से प्रत्येक के लिये 3,000 रुपये की सहायता स्वीकार की है।

राज्यों को मिट्टी के तेल का कोटा नियत करना

5261. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुत सी राज्य सरकारों ने मिट्टी के तेल के कोटे में वृद्धि की जाने की मांग की है और यदि हां तो किन किन राज्यों ने तथा कितनी वृद्धि मांगी है और उनका वर्तमान कोटा कितना है;

(ख) इन राज्यों में मिट्टी के तेल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता अखिल भारतीय आंकड़ों की तुलना में कैसी है तथा सरकार ने इन मांगों पर क्या निर्णय किया है; और

(ग) केन्द्र को मिट्टी के तेल का रक्षित भण्डार बनाने में अब तक कितनी सफलता मिली है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : उन राज्यों, जिन्होंने मिट्टी के तेल के कोटों की वृद्धि के लिये कहा है उनके वृद्धि की मांग तथा मार्च और मई 1966 में उन के कोटों से सम्बंधित सूचना नीचे दी गई है :

(मीटरी टनों में आंकड़े)

राज्य	मार्च कोटा	मांगी गई वृद्धि	मई का कोटा	कोटा की उपलब्धि प्रति व्यक्ति
आंध्र प्रदेश	12,600	1,000	13,600	16,090
बिहार .	12,500	2,900	13,500	21,252
गुजरात	15,100	2,300	15,850	9,424
मैसूर .	9,200	4,300	9,700	10,743
उड़ीसा .	3,200	3,252	4,200	7,993
राजस्थान	5,300	नहीं दी गई	5,800	9,181
पश्चिमी बंगाल .	20,500	7,500	23,000	15,908
जम्मू और काश्मीर .	600	नहीं दी गई	700	1,622
उत्तर प्रदेश	16,700	वही	18,200	33,592
मध्य प्रदेश .	9,100	वही	9,100	14,745
केरल . .	8,100	वही	8,600	7,705

मिट्टी के तेल के कोटे की प्रति व्यक्ति उपलब्धि का एक सैद्धान्तिक प्रयोग है क्योंकि इसमें अन्य साधनों से इंधन/उर्जा की उपलब्धि और एक साथ लोगों की तरजीह का अच्छी तरह विचार नहीं हो सकता ऐसे समय जब सप्लाई बेरोक हो।

(ग) देश में मिट्टी के तेल की सूचियों में कुछ थोड़ी सी वृद्धि हुई है।

पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के साथ लगने वाले राज्यों में पाकिस्तानी घुसपैठिये

5262. श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के साथ लगने वाले राज्यों में पाकिस्तानी घुसपैठियों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के हेतु उन राज्यों का व्यापक सर्वेक्षण कराने की सम्भाव्यता का विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) तथा (ख) : पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के साथ लगने वाले राज्यों में पाकिस्तानी घुसपैठियों की मात्रा की जांच सन् 1961 की जनगणना के आधार पर की जा चुकी है। घुसपैठियों तथा वापिस चले गये व्यक्तियों की अनुमानित संख्या निम्न प्रकार है :—

राज्य	अनुमानित संख्या	छोड़कर चले गये व्यक्तियों की संख्या
असम . . .	2,50,000	1,36,000
त्रिपुरा . .	50,000	49,000
पश्चिम बंगाल . .	1,16,000 (अन्तिम)	15,777

इन राज्यों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ने तथा बाहर निकालने के लिये तथा आगामी घुसपैठ रोकने के लिये प्रभावात्मक कार्यवाहियां की जा रही हैं।

वामपंथी साम्यवादीयों की रिहाई

5263. श्री हरि विष्ण कामत :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल तथा भारत के अन्य भागों में नजरबन्द अनेक चीन-समर्थक वामपंथी साम्यवादियों को रिहा कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने साम्यवादी अब तक रिहा किये जा चुके हैं तथा कितने अभी नज़रबन्द हैं;

(ग) क्या भारत-चीन विवाद के बारे में उस दल के रवैये का पता लगा लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख) : 5 मई, 1966 तक भारत सुरक्षा नियमों के अधीन नजरबन्द किये गये सारे वामपंथी साम्यवादी (दस के अतिरिक्त) रिहा कर दिये गये थे।

(ग) तथा (घ) : सरकार को भारत-चीन संघर्ष के बारे में उस दल के रवैय में किसी परिवर्तन का पता नहीं है ?

तमिल की शिक्षा

5264. श्री रा० बरुआ : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे क्षेत्रों में, जहां तमिल नहीं बोली जाती है तमिल पढ़ाने के लिये कोई योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : 'आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास, संबंधी शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम के अन्तर्गत, चौथी आयोजना के दौरान हाई/उच्च माध्यमिक स्कूलों में गैर-हिन्दी भाषा के अध्यापक नियुक्त करने के लिए हिन्दी भाषी क्षेत्रों की राज्य सरकारों को अनुदान देने का प्रस्ताव है। गैर-हिन्दी भाषाओं में तमिल भी शामिल होगी।

भारत के राष्ट्रीय ऐटलस विभाग द्वारा तैयार किये गये मानचित्र

5265. श्री चांडक : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का राष्ट्रीय ऐटलस विभाग कृषि संबंधी कुशलता तथा भूमि व्यवस्था के बारे में भारत के मानचित्र तैयार कर रहा है;

(ख) भारत के भूमि सम्बन्धी मानचित्र तैयार करने के लिये रूपरेखा सम्बन्धी आंकड़े कहां से प्राप्त किये जा रहे हैं;

(ग) क्या भूमि-उपयोग तथा भूमि-क्षमता सम्बन्धी सर्वेक्षण करना भारत के राष्ट्रीय ऐटलस विभाग के कार्य हैं;

(घ) क्या अखिल भारतीय भूमि तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग मानचित्र तयार करने के हेतु अपेक्षित आंकड़ों का संग्रह करता है; और

(ङ) क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय इन नक्शों की स्वीकृति देता है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) भारत के राष्ट्रीय ऐटलस में सम्मिलित करने के लिए भारत का कृषि कुशलता मानत्रित्र तयार किया जा रहा है; किन्तु भूमि व्यवस्था के बारे में मानचित्र का कार्य अभी तक शुरु नहीं किया गया है।

(ख) भूमि रूपरेखा सम्बन्धी आंकड़े प्राप्त करने के मुख्य स्त्रोत, भारत सरकार का खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय और राज्य सरकारों के अधीन इसी प्रकार के विभाग हैं।

(ग) भारत के राष्ट्रीय ऐटलस के लिए भूमि-उपयोग मानचित्र तैयार करना, राष्ट्रीय ऐटलस संगठन के कार्यों में से एक है।

(घ) अखिल भारतीय भूमि तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण, भारत के कुछ क्षेत्रों के मानचित्र तैयार करने के लिए अपेक्षित आंकड़े संग्रह करता है।

(ङ) अखिल भारतीय भूमि तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के अधीन है।

मिट्टी के तेल का मिलाया जाना

5266 श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाई स्पीड डीजल तेल में घटिया किस्म के मिट्टी का तेल मिलाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) इसमें सन्देह उत्पन्न होने के कारण हैं कि वहन (automotive) के उद्देश्य के लिए लाइट डीजल तेल और हाई स्पीड डीज़ल तेल में मिलावट के लिए मिट्टी के तेल का दुरुपयोग किया जा रहा है।

(ख) निम्नलिखित उपाय अपनाये गये हैं :—

(i) राज्य सरकार के किसी आदेश को न शामिल करते हुए रोशनी और पकाने के अतिरिक्त मिट्टी के तेल के इस्तेमाल पर पाबन्दी लगाई है।

(ii) अब घटिया किस्म के मिट्टी के तेल का आयात नहीं किया जाता है और देशीय शोधन शालाओं में उसका उत्पादन न्यूनतम मात्रा में किया जाता है।

Pro Abdullah Activities

5267. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that forged passes, bearing photo of Sheikh Abdullah with flags of India and Pakistan on both sides of the photo, are being distributed by the supporters of Sheikh Abdullah;

(b) whether it is also a fact that Sheikh Abdullah has conveyed this message to his supporters that they should prepare for a struggle on a larger scale to achieve their objective of Independence; and his supporters have demanded the division of Kashmir and the formation of Kashmiri speaking Suba;

(c) whether the State Government have released 1,100 persons out of 1,200 anti-Indian persons; and

(d) If so, the action taken by Government in this regard?

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda) : (a) A person reported to be a follower of Sheikh Abdullah was noticed, during a brief period in the months of March and April, 1966, distributing photographs of Sheikh Abduallah and certain other leaders with the flags of India and Pakistan in the background.

(b) No such message has come to Government's notice.

(c) Out of 1,205 persons detained in the State of J. & K. for one reason for the other under Rule 30 of the Defence of India Rules, 180 have been released unconditionally and 807 on parole.

(d) No action is called for.

Rehabilitation of Displaced persons in Andaman Islands

5268. Shrimati Johraben Chavda : Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of displaced persons from East Bengal who have been rehabilitated so far in Andaman islands;

(b) the number of those among them who have been provided with employment; and

(c) the details of the further programme chalked out for them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) From amongst the old migrants, 2861 refugee families were rehabilitated in the Islands between 1949 and 1963. From amongst new migrants about 500 Sahkaris of the Rashtriya Vikas Dal of whom 320 were with families have been moved to Betapur and Mayabunder in Middle Andaman.

(b) The old migrants have been settled on land under the old colonization scheme. The Sahkaris are engaged on developmental works in the Islands.

(c) An Inter-Departmental Team was set up to prepare an accelerated resource development plan for the Islands. The Team has finalized its report. The programme of development visualised by the team will create additional employment opportunities to the extent of about 25,000 during the period ending with the Fourth Plan. This will benefit local people and also help resettle migrants from East Pakistan, repatriates from Burma and Ceylon, ex-service men and others. The development endvisaged is in the field of agriculture, plantations, forestry, forest-based industries, fisheries etc.

राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना का विस्तार

5269. **श्री फिरोडिया** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना की सूक्ष्म रसायन परियोजना का विस्तार करने का निर्णय किया है ताकि वह प्रतिरक्षा और उद्योग की तात्कालिक मांग को पूरा कर सके ; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) 16 अप्रैल, 1966 को हुई बैठक में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की शासी निकाय ने परियोजना के वित्तीय पहलुओं की 1966-67 की अनिर्णीत ब्यौरों संबंधी जांच के लिए 5 लाख रुपये का तदर्थ अनुदान मंजूर किया है। धन उपलब्ध होने पर यह व्यापक योजना तुरन्त ही लागू की जा रही है।

मिट्टी के तेल की चोर बाजारी

5270. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि मुजफ्फरपुर में इण्डियन आयल कम्पनी के डिपो में लगभग 4 लाख रुपये का मिट्टी का तेल चोर बाजारी में बेचा गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न. नहीं उठता।

अर्हता-प्राप्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये पदोन्नति

5271. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय कार्यालयों में शिक्षा की दृष्टि से अर्हता-प्राप्त ऐसे व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रूप में काम करते हैं जिनकी योग्यताएं मेट्रीकुलेशन तथा उससे उच्चतर हैं;

(ख) क्या सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठन यह मांग कर रहे हैं कि इन व्यक्तियों के लिये विभागीय पदोन्नति की व्यवस्था करने के लिये केन्द्रीय सचिवालय क्लेरिकल सेवाएं नियम, 1962 में उपयुक्त रूप से संशोधन किये जाने चाहिएं;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने इस मांग को मानने से इन्कार कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) से (ग) : केन्द्रीय सचिवालय क्लेरिकल सेवायें नियमों में संशोधन करने की कोई विशेष मांग नहीं की गई है। तथापि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठन ने अभ्यावेदन दिया है कि (i) कि लोवर डिविजन क्लर्कों के कुछ पद अर्हता-प्राप्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये सुरक्षित रख जाये। (ii) चतुर्थ श्रेणी के वे कर्मचारी जो 25 वर्ष की आयु से कम आयु में चतुर्थ श्रेणी की सेवा आरम्भ करते हैं, वे काम दिलाऊ दफतरों द्वारा लोवर डिविज़न क्लर्क के लिये सीधी भर्ती के लिये नामनिर्देशित किये जाने के पात्र होने चाहियें।

इस अभ्यावेदन पर बहुत ध्यान पूर्वक विचार किया गया था, परन्तु निम्नलिखित कारणों से हम इसमें दी गई बातों को स्वीकार नहीं कर सके।

(1) पदोन्नति के अवसर मुख्यता कार्यकुशलता को प्रोत्साहन देने के लिये दिये जाते हैं और दूसरे निम्न ग्रडो में प्राप्त विभागीय अनुभव का उच्चतर ग्रेड में लाभ उठाने के लिये ये अवसर दिये जाते हैं। ये दोनों बातें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी में पदोन्नति करने में लागू नहीं होती। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अर्थात चपरासियों को पहल ही जमादार, दफतरी तथा रिकार्ड सोर्टर के पदों के लिये पदोन्नति प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध हैं।

(2) लोवर डिविज़न क्लर्क बनने के लिये आयु सीमा 21 वर्ष है और वे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो 21 वर्ष से पहले सेवा आरंम्भ करते हैं तथा जो शैक्षणिक दृष्टि से अर्हता प्राप्त है उन्हें संलग्न तथा अधीस्थ कार्यालयों में लोवर डिविजन क्लर्क (जो कार्यालय केन्द्रीव सचिवालय सेवा में सम्मिलित नहीं है) उन्हें अपनी आयु में से सेवा की अवधि के वर्ष कम करने की अनुमति दी जाती है। वे अपने नाम काम दिलाऊ दफतर में भी दर्ज करवा सकते हैं। लोकहित में कोई अन्य रियायत आवश्यक नहीं समझी गई।

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा

5272. **श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या गृह-कार्य मंत्री 1 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1647 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सचिवालय लिपिक (क्लैरिकल) सेवा में स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों की वर्तमान संख्या के बारे में जानकारी एकत्रित करने का है;

(ख) क्या यह जानकारी सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नहीं में हो, तो उसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) तक : केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा को 1-11-62 से विकेन्द्रित किया गया था। विकेन्द्रिकरण के पश्चात् प्रत्येक संवर्ग की अधिकृत स्थायी संख्या संवर्ग अधिकारी द्वारा निर्धारित की जानी है, तथा ऐसे स्थायी पदों में स्थायीकरण उसी अधिकारी द्वारा किये जाते हैं। अतः गृह मंत्रालय के पास प्रत्येक संवर्ग के स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों की संख्या के सम्बन्ध में आधुनिकतम सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी यह सूचना एकत्रित की जा रही है, और सभा पटल पर रख दी जायगी।

पदोन्नति सम्बन्धी नीति

5273. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री वारियर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा द्वारा पदोन्नति के लिए निर्धारित किये गये जोनों को समाप्त करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि जोन समाप्त करने के आदेश जारी करने से पहले की सरकार की नीति, जिसके अनुसार निर्धारित जोनों में व्यक्ति उपलब्ध न होने वाली पदालियों में रिक्त स्थानों पर अन्य पदालियों में उपयुक्त व्यक्तियों का तबादला करके नियुक्तियां की जाती थीं, कर्मचारियों के अधिक हित में थी क्योंकि इससे वरिष्ठ व्यक्तियों के हितों की रक्षा होती थी और यदि हां, तो इस नीति को छोड़ देने के क्या कारण हैं; और

(ग) वरिष्ठ व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : 1963 में मितव्ययता समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप फालतू हो जाने वाले लोगों को काम में लगाने की दृष्टि से पहले पदोन्नति के जोन बनाये गये थे। उनमें से अधिकांश को 1964 तक काम में लगा दिया गया था। सरकार ने 1965 में विकेन्द्रीकृत पदालियों पर पुनर्विचार किया था और यह निर्णय किया गया था कि पूर्ण विकेन्द्रीकरण किया जाये। पदोन्नति के लिए खण्ड निर्धारित करके और एक पदालि से दूसरी में कर्मचारी लगाना विकेन्द्रीकरण की योजना के विरुद्ध होगा और उससे प्रशासनिक कठिनाइयां होंगी। इसलिए पदोन्नति के जोन समाप्त करने का निर्णय किया गया था। परन्तु केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 में यह उपबन्ध है कि एक पदालि के वरिष्ठ व्यक्ति दूसरी पदालि में लगाये जा सकते हैं यदि उसमें पदोन्नति के पात्र व्यक्ति न हों। विकेन्द्रीकृत ढांचे में एक पदालि में काम करने वाले व्यक्ति उसी पदालि में पदोन्नति ले सकते है और इस से विभिन्न प्रणालियों में पदोन्नति की दर में कुछ असमानता अपरिहार्य है।

क्लर्कों तथा असिस्टेंटों के लिये पदोन्नति के अवसर

5274. श्री वारियर :

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी संगठनों से इस आशय के अभ्यावेदन मिले हैं कि केन्द्रीय सचिवालय के क्लर्कों तथा असिस्टैन्टों के लिये पदोन्नति के अवसर अपर्याप्त हैं;

(ख) कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के सम्बन्ध में कर्मचारी संगठनों की क्या मांगें है; और

(ग) उन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिये मुख्य मांगें ये हैं :

कि सिलक्शन ग्रेड़ों का निर्माण किया जाय, उच्चतर ग्रेड़ों में सीधी भर्ती का अभयंश (कोटा) कम किया जाय, और वरिष्ठता-निर्धारण के लिये काम में लाये जाने वाले सिद्धान्तों में परिवर्तन किया जाय।

(ग) इन सभी मांगों की एक समिति द्वारा जांच की जायगी जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के कर्मचारियों की शिकायतों पर गौर करने और जहां कहीं जरूरत हो उन्हें दूर करने के उपाय बताने के लिये की गई है।

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अपर डिवीजन क्लर्क ग्रेड में पदोन्नति के लिये परीक्षा

5275. श्री वासुदेवन नायर :

श्री वारियर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लोअर डिवीज़न क्लर्कों की अपर डिवीज़न क्लर्क ग्रेड में पदोन्नति के लिये कोई सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने का है और क्या प्रस्तावित योजना के प्रारूप की एक प्रति जिसमें उपरोक्त परीक्षा के नियम तथा पात्रता की शर्तें दी हुई हों, सभा पटल पर रखी जायेंगी;

(ख) क्या प्रारूप योजना की एक प्रति केन्द्रीय सरकार के क्लर्क संघ को उनके विचार जानने के लिये भेजी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां। केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (अपर डिवीज़न ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1966 की एक प्रति संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6297/66]**

(ख) और (ग) : 6 जनवरी, 1966 को एक बैठक में इस योजना की प्रमुख-प्रमुख बातें केन्द्रीय सरकारी क्लर्क संघ के प्रतिनिधियों को बता दी गई थीं और उन्हीं के अनुरोध पर पहली दो परीक्षाओं में आयु-सीमा के बारे में 40 वर्ष तक की छूट देने की व्यवस्था की गई थी। उन्हें विनियमों के अंतिम रूप की एक प्रति भी दी गई है।

अपर डिवीजन क्लर्क ग्रेड पदोन्नति परीक्षा के लिये आयु-सीमा

5276. श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (अपर डिवीजन ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा) विनियमों के अधीन यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि 30 वर्ष से अधिक आयु वाले लोअर डिवीजन-क्लर्क अपर डिवीजन ग्रेड परीक्षा में नहीं बैठ सकते;

(ख) क्या उन्हें पता है कि 1958 में इस नीति को अस्वीकार करने के बारे में निर्णय किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो 1958 की नीति को रद्द करने तथा 30 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों को परीक्षा में न बैठने देने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ; किन्तु पहली दो परीक्षाओं के लिये आयु सीमा में 40 वर्ष तक की छूट दी गई है।

(ख) सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया था।

(ग) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा का उद्देश्य होनहार नौजवान व्यक्तियों को शीघ्र पदोन्नति का मौका देना है। 30 वर्ष की उच्चतम आयु सीमा इसी उद्देश्य को दृष्टि में रख कर लगाई गई है।

सरकारी कार्यालयों में काम करने का समय

5277. श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 16 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 590 के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान कार्यालय समय जारी रखने के लिये किन किन संस्थाओं अथवा कर्मचारी संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के क्लर्क संघ तथा केन्द्रीय सचिवालय की अन्य कर्मचारी संस्थाओं द्वारा यह मांग की जा रही है कि कार्यालय समय में परिवर्तन करके पाकिस्तानी आक्रमण से पहले का समय किया जाय; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने यह निष्कर्ष किस आधार पर निकाला कि कर्मचारी वर्तमान कार्यालय समय को जारी रखना चाहते हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) वर्तमान कार्यालय समय सितम्बर, 1965 में अपनाने से पूर्व 1964 की सर्दियों में स्टाफ़ काउंसिलों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि उस समय लागू कार्यालय समय (अर्थात सबेरे 10.15 से शाम के 5.45 तक) असुविधाजनक था क्योंकि कार्यालय बन्द होने के समय तक बिल्कुल अन्धेरा हो जाता था और यह समय सबेरे 9 बजे से शाम के 4.30 बजे तक कर दिया जाय। संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों का वर्तमान समय सबेरे 9 बजे से शाम के 4.30 बजे तक निर्धारित करने के समय यह बात भी ध्यान में रखी गई थी।

(ख) तथा (ग) : अक्टूबर, 1965 में केन्द्रीय सरकारी लिपिक संघ से यह अभ्यावेदन मिला कि पाकिस्तान के आक्रमण से पूर्व लागू कार्यालय समय फिर से लागू कर दिए जायें। ऐसा समझा गया कि कार्यालय समय में जल्दी जल्दी परिवर्तन नहीं करना चाहिए क्योंकि इस परिवाहन के प्रबन्धों में गड़बड़ी पड़ती है, तथा जैसा कि उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में कहा गया है कि स्टाफ काउंसिलों ने पहले के कार्यालय समय के प्रति अपनी पसन्द प्रकट की थी।

Sales Tax Paid by a Coop. Society

5278. **Shri P. L. Barupal:**
Shri Tula Ram :
Shri Buta Singh :
Shri Gulshan :
Shri Maurya :
Shri Priya Gupta :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total amount of sales-tax on store paid by the Bharat Sewak Samaj Stone-crushing Co-operative Society, Khyber Pass, Delhi during the period from 1961 to 31st March, 1966 separately;

(b) whether it is a fact that the members of the said Cooperative Society were not aware of the Sales-tax on stone and as such had to clear the arrears of thousands of rupees in lump sum;

(c) if so, the total amount so paid;

(d) whether it is a fact that the Sales -tax Officers gave them some concession for paying the said amount in lump sum; and

(e) if so, the nature of concession ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) to (e). A statement containing the relevant information is attached. **[Placed in Library See No. L.T./6298/66].**

लद्दाख उच्च शिक्षा संस्था

5279. **डा० चन्द्रभान सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लद्दाख उच्च शिक्षा संस्था किस उद्देश्य से स्थापित की गई थी;

(ख) इस संस्था पर अब तक कुल कितना व्यय किया गया है; और

(ग) अब तक कितने अधिकारी नियुक्त किये गये हैं, उनकी योग्यता एवं मासिक उपलब्धियां क्या हैं तथा उनकी नियुक्तियां किस आधार पर की गई ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) लद्दाख संस्थान, सीमावर्ती क्षत्रों, जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, स्थिति, कुलु, नेफा, भूटान, सिक्किम आदि के विद्यार्थियों को, उनकी पारम्परिक संस्कृति में बाधा डाले बिना, आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कायम किया गया था।

(ख) 2,63,620 रुपये।

(ग) विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6298/66]** व्यक्तियों स्वीकृत पदों के लिए ही और संस्थान में नियुक्ति की उनकी उपयुक्तता को देखते हुए ही नियुक्त किया गया है।

कच्छ में तेल की खोज

5280. **श्री पन्नालाल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री बी० चं० शर्मा:

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतत्विक्यों के एक दल द्वारा कच्छ (गुजरात) के सीमावर्ती जिले में तेल की खोज का कार्य आरम्भ किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी, हां ।

(ख) 1957 के तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की क्षेत्रीय दलों ने लगभग 17,000 वर्ग किलो मिटर भूगर्भीय मानचित्रण 19,300 वर्ग किलो मीटर आकर्षण एवं चुम्बकीय सर्वेक्षण और 827 खा किलो मीटर भूकम्पीय सर्वेक्षण पूरा किया है ।

नदिया में पाकिस्तानी छापामार

5281. **श्री पन्नालाल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 अप्रैल, 1966 को जब एक भारतीय नागरिक ने उन पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के एक दल का, जो भारतीय राज्यक्षेत्र के नदिया जिले में बेजियाशुशा नामक स्थान में घुस आया था, मुकाबला किया तो उसमें एक पाकिस्तानी छापामार मारा गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी हां, 18-4-66 को एक घटना हुई थी।

(ख) 18-4-1966 को रात के एक और डेढ़ बजे के बीच अपराधियों के एक गिरोह ने जिनके बारे में पाकिस्तानी होने का विश्वास किया जाता है नदिया जिले में करीमपुर थाने के अंतर्गत बेलियाशिशा नामक सीमावर्ती भारतीय ग्राम मे अवैध प्रवेश किया और निमाई मण्डल नामक एक व्यक्ति के घर पर पुरानी दुश्मनी के आधार पर उसके पशु उठा ले जाने और उसे जान से मारने के लिये आक्रमण किया । निमाई मण्डल ने अपने कमरे में पड़े एक भाले से तीन बदमाशों को जख्मी कर दिया । उनमें से एक पास के खेतों में मृत पड़ा मिला और शेष कुछ भैंसों और अन्य दोनों ज़ख्मियों को लेकर पाकिस्तान भाग गए ।

Representation from North Indians Living in Mikir hills

5282. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have recently received any representation from the North Indian and the residents of Bihar who are living in Mikir Hills (Assam);

(b) if so, the nature of complaints contained therein;

(c) whether the complaints have been looked into; and

(d) if so, Government's reaction in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) No, Sir.

(b), (c) & (d). Does not arise.

प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाना

5283. श्री राम हरख यादव : श्री पन्नालाल :
श्री रामानन्द शास्त्री : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेवा निवृत्ति को 58 वर्ष की आयु के बाद प्रथम और द्वितीय श्रेणी के बहुत से सरकारी कर्मचारियों का सेवाकाल बढ़ा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

(ग) सेवा काल बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : 30-11-1962 (जबकि सेवा निवृत्ति की आयु बढ़ाकर 58 की गई थी) से लेकर 31-10-1965 तक की अवधि में प्रथम श्रेणी के 177 अधिकारियों तथा द्वितीय श्रेणी के 82 अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाया गया। सेवाकाल की यह बढ़ोतरियां लोक हित में की गई थी।

Arrest of Pak. Spies in India

5284. Dr. L. M. Singhvi : Shri S. M. Banerjee :
Shri Hokam Chand Kachhavaiya : Shri Daji :
Shri Prakash Vir Shastri : Shri Priya Gupta :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 4 Pakistani spies were arrested while crossing border into District Nadia;

(b) whether it is also a fact that they did not possess any valid documents; and

(c) the information gathered from them by Government and the steps taken to prevent such infiltrators ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar) : (a) to (c). Information in this regard is being collected and will be laid on the Table of the House when it becomes available.

Survey of Births and Deaths

5285. Shri Baswant :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have recently conducted a sample survey of births and deaths in some States;

(b) if so, the reaction of Government in this regard ;

(c) whether the team which conducted this survey has submitted its report; and

(d) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar) : (a) Yes, Sir.

(b) The results of the Survey, which was in the nature of a pilot study to test and develop suitable methods for working out reliable birth and death rates, have been encouraging. It is, therefore, proposed to conduct the survey on a full scale.

(c) & (d). The survey being in the nature of a pilot study and having been conducted through part-time enumerators, no formal report has been submitted. Details will become available only when the survey is conducted on full scale.

कलाकारों के लिये योजना

5286. **श्री गोकुलानन्द महन्ती :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नक्काशी, चित्रकारी, और गायन विद्या तथा वाद्य संगीत एवं मूर्तिकला के कमविख्यात कलाकारों को प्रोत्साहन देने की एक नई योजना सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां।

(ख) ये योजनायें तैयार की जा रही है।

Vice-Chancellor of Orissa

5288. **Shri Kishen Pattnayak :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in November, 1965, he wrote a letter to the Chief Minister of Orissa, wherein strong objections were raised on the political views of the Vice-Chancellor of Orissa University; and

(b) if so, whether a copy of the letter will be laid on the Table?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) A letter was written to all the Chief Ministers of States including Orissa stating that it would be desirable if a convention could be established that a Vice-Chancellor's or a university teacher's right to freedom of speech should stop short of public support to political activity, open or disguised, which is inconsistent with the basic ideas of our Constitution and requesting them to inform the Vice-Chancellors in their States of this position.

(b) It is not considered expedient in the public interest to lay the letter on the Table.

राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला द्वारा एल्यूमिनियम मिश्रित इस्पात का वाणिज्यिक उत्पादन

5289. **श्री राम सहाय पाण्डेय :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने देश में लगभग तीस फर्मों को राष्ट्रीय धातुकर्मिक प्रयोगशाला, जमशेदपुर में तैयार की गई लोह पदार्थों के हौट डिप ऐल्युमिनाईजिंग की विधि के भारतीय एकस्वों के लिए लाइसेंस दिये हैं जिससे ऐल्युमिनियम मिश्रित इस्पात का वाणिज्यिक उत्पादन किया जा सके;

(ख) क्या यह भी सच है कि किसी भी फर्म ने, जिसे लाइसेंस दिया गया है, अभी तक उत्पादन आरम्भ नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यदि कुछ फर्मों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है तो उनके नाम क्या हैं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने हाल हो मे इन एकस्वों के वाणिज्यिक प्रयोग के लिये लाइसेंस देना बंद कर दिया है और यदि हा, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (डा० श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन): (क) अभी तक 41 लाइसेंस जारी किए गए हैं, इनमें से 5 लाइसेंस समाप्त कर दिए गए हैं।

(ख) जो, हां। लाइसेंस प्राप्त कर्ताओं में से एक मैसर्स नेशनल स्क्रू एण्ड वायर प्रोडक्ट्स, कलकत्ता ने सूचित किया है कि उन्होंने संयंत्र का निर्माण पूरा कर लिया है और आशा है कि मई, 1966 के अन्त तक परोक्षण के तौर पर उत्पादन आरम्भ हो जाएगा। उनके संयंत्र की वार्षिक क्षमता तीन-पारियों के आधार पर 1500 टन होगी।

(ग) विभिन्न लाइसेंस प्राप्तकर्ताओं ने निर्माण अर्थात जस्त चढाने (गैल्वनाइजिंग) की अधिक लागत संबंधी कठिनाइयों के बारे में प्रतिवेदन दिए हैं। लाइसेंस प्राप्तकर्ताओं ने व्यापारिक यूनिटों के डिजाइन, निर्माण और संरचना संबंधी कठिनाइयों के बारे में भी लिखा है।

(घ) जी हां। चूंकि काफी लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं तथा तकनीकी कठिनाइयों के कारण लाइसेंस प्राप्तकर्ता प्रक्रिया का उपयोग करने में असमर्थ हैं, और लाइसेंस जारी न करने का निर्णय किया गया है। केन्द्रीय डिजाइन और इंजीनियरी संगठन, नई दिल्ली तथा केन्द्रीय मेकेनिकल इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर, डिजाइन और इंजीनियरी पहलुओं पर कार्य कर रहे हैं। पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध होने पर और लाइसेंस जारी करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा।

Nylon Fibre Factory in Delhi

5290. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a nylon fibre factory is being established in Delhi in collaboration with an American company , and

(b) if so, the particulars thereof ?

The Minister of Petroleum & Chemicals (Shri O. V. Alagesan) : (a) No.

(b) Does not arise.

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई घटनायें

5291. श्री हरि विष्णु कामत : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध, जिनका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मे गत वर्ष हुई घटनाओं में हाथ था, न्यायालय में दायर किये गये मुकदमे वापस ले लिये गये हैं अथवा वापस लिये जा रहे है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम तथा पदनाम क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) तक : जीव-विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रो० अब्दुल बशीर खां के मामले को छोड़कर, उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पिछले वर्ष हुए दंगे से सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध अदालत में दायर किए गए मामले वापस नहीं लिए है। प्रोफेसर खां के मामले में उनके विरुद्ध मामला वापस लेने का निर्णय सहानुभूति के आधार पर किया गया है। इस मामले में अदालत के निर्णय का अभी तक पता नहीं है।

Sir Sunder Lal Hospital of Medical College, B.H.U.

5292. **Shri Bal Krishna Singh :**
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 3362 on the 6th April, 1966 and state :

(a) the amount of grant being given by the Central Government and the State Government separately to Sir Sunder Lal Hospital attached to the Medical College of Banaras Hindu University;

(b) whether there exist separate Ayurvedic and Allopathic Departments ; and

(c) If so, the respective budget provisions made for them during 1965-66 and the average expenditure incurred per bed ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) The amount of grant given by the Centre and the State Government to the Sunder Lal Hospital in 1965-66 is as follows :—

	Rs.
(i) Central Government (Ministry of Health) .	1,87,000
(ii) University Grants Commission .	3,60,000
(iii) U. P. Government .	1,71,000

(b) Beds are separately allotted to the Ayurvedic and Allopathic sides.

(c) Budget provision was made for the Hospital as a whole in 1965-66 and not separately for the Ayurvedic and Allopathic sides. The average expenditure incurred during the year per bed is estimated at Rs. 2,500 for both sides.

केरल के हिन्दी अध्यापकों की वरिष्ठता सूची

5293. **श्रीमती विमला देवी :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के शिक्षा विभाग ने अभी तक पदोन्नति के प्रयोजनार्थ राज्य के हिन्दी अध्यापकों की वरिष्ठता सूची तैयार नहीं की है,

(ख) यदि हां, तो जूनियर हिन्दी पंडितों की इस समय किस आधार पर पदोन्नति की जाती है,

(ग) क्या यह सच है कि वरिष्ठता सूची के न होने से अधिक सेवा वाले जूनियर हिन्दी पंडितों के अधिकारों की प्रायः उपेक्षा की जाती है तथा कम सेवा वाले पंडितों को पदोन्नति कर दिया जाता है, और

(घ) यदि हां, तो पदोन्नतियों के बारें में वर्तमान अनियमितताओं को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ) : राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पेट्रोलियम उत्पादों की परचून बिक्री

5294. श्री वासुदेवन नायर : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों की परचून बिक्री को विनियमित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) उपभोक्ताओं को मिट्टी के तेल के वितरण को विनियमित करने की कार्रवाईयों पर विचार करने के लिये राज्य सरकारों को बता दिया गया है।

(ख) सुझाव इस प्रकार हैं :—

(i) मिट्टी के तेल के सब व्यापारियों (जिन में एजेन्ट, व्यापारी और परचून विक्रेता शामिल हैं) को लाइसेन्स लेने आवश्यक होने चाहिये।

(ii) ऐसी सभी व्यक्तियों के लिये रजिस्टर जिन में प्राप्त और बेची गई मात्रायें दर्ज हों, खोलने आवश्यक होने चाहिये।

(iii) जहां तक संभव हो, उप-भोक्ताओं को केवल कच्चे या पक्के राशन कार्डों पर ही मिट्टी के तेल की मात्रा जिसे राज्य सरकार निश्चित करती है तथा जिसे उन्हें प्रति सप्ताह या प्रति मास खरीदने का हक होता है, मिलना चाहिए।

(iv) प्रत्येक परिवार घर किसी समय कितनी मात्रा रख सकता है इस पर पाबन्दी लगा देनी चाहिये।

(v) परचून विक्रेता आदि अपने रिकार्ड में राशन कार्डों और प्रत्येक कार्ड पर बेची गई मात्रा का ब्यौरा दर्ज करें तथा राशन कार्डों में उपयुक्त इंदराज करें।

(vi) कैरोसीन (प्राईज कन्ट्रोल) आर्डर, 1966 के नियमानुसार प्रति बोतल/लिटर/टीन का मूल्य निश्चित तथा लागु होना चाहिए।

डाकघर बचत बैंक खाते में गबन

5295. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगरा में बोइलेवगंज डाकघर के पोस्ट मास्टर ने पैसा निकालने के फार्मों पर जमाकर्ताओं के जाली हस्ताक्षर करके लगभग एक लाख रुपयों का गबन किया है;

(ख) यदि हां, तो कितने जमाकर्ताओं के खातों में से गबन किया गया है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) क्या यह सच है कि पोस्ट मास्टर, जिसे गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर रिहा किया गया था, भाग गया है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) : इस मामले में विभाग तथा पुलिस द्वारा अब तक की गई जांच करने पर यह पता चला है कि डाकघर बोइलेवगंज आगरा के उप डाकपाल द्वारा तीन लेखाओं में से 29,933 रुपये का और बाद में इसी कर्मचारी द्वारा 509 कमाण्ड डाकघर, आगरा में जहां कि उसे बाद में स्थानान्तरित किया गया था, 8 लेखाओं में से 21,970 रुपये का गबन किया गया। उसके जालसाज़ी करने का तरीका यह था कि वह रुपया निकालने के फार्मों पर जाली हस्ताक्षर करने के अलावा जमा की गई रकम लेखाओं में दर्ज भी नहीं करता था।

(घ) इस उप डाकपाल को 9 अप्रैल, 1966 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। 12 अप्रैल, 1966 को उसे जमानत पर छोड़ दिया गया और 21 अप्रैल, 1966 को उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त फ़रार नहीं है।

Release of Sheikh Abdullah

5296. Dr. L. M. Singhvi :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Bade :
Shri Yudhvir Singh :
Shri Indrajit Gupta :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Shree Narayan Das :
Shri R. Barua :
Shri D. S. Patil :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Sarvodaya leader, Shri Jai Prakash Narain and members of the Kashmir Plebiscite Front have requested Government to release Sheikh Abdullah and his associates ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) Government have seen a press report about Shri Jaya Prakash Narayan's statement advising Prime Minister and her colleagues to release Sheikh Abdullah and his colleagues. Attention is also invited to reply given in this House to question No. 3326 on 6th April, 1966.

(b) Government have not decided to remove restrictions imposed upon Sheikh Abdullah.

Arrest for Spying

5297. Shri Yudhvir Singh :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Bade :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Indrajit Gupta :
Shri S. M. Banerjee :
Dr. L. M. Singhvi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Personal Assistant to the Deputy Home Minister of Rajasthan has been arrested on the charge of spying for Pakistan;

(b) whether it is also a fact that some other persons have also been arrested in this connection; and

(c) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar) : (a) A State Government employee who was formerly Personal Assistant to Deputy Home Minister of Rajasthan was arrested on 15-1-66 on charges of spying and other cognate offences.

(b) Yes, Sir.

(c) The case has been sent to court by the Government of Rajasthan.

आसाम में पाकिस्तानियों द्वारा अनधिकृत प्रवेश

5298. श्री बसवन्त :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 अप्रैल, 1966 को दो पाकिस्तानी राष्ट्रजनों ने भारतीय राज्य क्षेत्र में करीमगंज सीमा (आसाम) पर गोविन्दपुर नामक स्थान में अनधिकृत प्रवेश किया और सुरक्षा सेनाओं द्वारा विरोध किये जाने के बावजूद भी जमीन जोतना आरम्भ कर दिया; और

(ख) यदि हां, तो इस के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां। पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में एक पाकिस्तानी राष्ट्रजन को गिरफ्तार किया गया और दूसरा पाकिस्तानी राष्ट्रजन बच कर पाकिस्तान जाने में सफल हो गया।

(ख) पाकिस्तानी अधिकारियों से एकदम आवश्यक विरोध प्रकट कर दिया गया है।

मिजो विद्रोहियों का जमाव

5299. श्री पन्नालाल :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री हेम बरुआ :

श्री बी० चं० शर्मा :

श्री राम हरख यादव :

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तुनकोपम के नेतृत्व में पेट और बेट आदिम जातियों के कुछ हथियार-बद्ध सैनिकों सहित आधुनिक हथियारों से लैस बहुत से मिजो विद्रोही पूर्वी पाकिस्तान में छापामार लड़ाई प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मिजो पहाड़ियों की सीमा के किसी स्थान तथा मनीपुर के चुरा चन्दपुर सब-डीवीजन में जमा हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) मिजो लोगों के जिनमें से कुछ सशस्त्र थे कुछ पेट और बेट लोगों के साथ, मिजो पहाड़ियों और मनीपुर के चुरा चन्दपुर सब-डिवीजन की सीमा पर एकत्रित होने के समाचार मिले हैं। अभी तक यह ज्ञात नहीं हुआ कि क्या उनमें से किसी ने पूर्वी पाकिस्तान में छापामार लड़ाई का प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

(ख) स्थिति पर नजर रखी जा रही है और समय-समय पर यथोचित कदम उठाये जा रहे हैं।

Pending Telephone Connections

5300. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of applications pending for telephone connections from Kotah Station Bhim Ganj Mandi at present;

(b) when the telephone connections are likely to be given ; and

(c) the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs & Department of Communications (Shri Jagannath Rao) : (a) About 40 in Bhim Ganj Mandi area of Kotah exchange.

(b) & (c). Delay is due to non availability of underground cable pairs in that area. The required cables are being procured but this is likely to take time due to short supply of these cables.

दिल्ली में बिक्री कर

5301. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में बिक्री-कर कम करने के बारे में विचार कर रही है, और यदि हां, तो किस प्रकार तथा किस आधार पर;

(ख) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि बिक्री कर बढ़ाये जाने के अवसर पर दिल्ली में मूल्य असाधारण रूप से बढ़ गये हैं और यदि हां, तो किस प्रकार तथा उसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) क्या सरकार ने राजधानी में बिक्री-कर के बढ़े हुए बोझ के प्रभाव तथा परिणामों का अध्ययन किया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) दिल्ली में लगाए गए बिक्री कर में कोई कमी करने का विचार नहीं है।

(ख) 25 उपभोक्ता सामग्रियों के साप्ताहिक खुदरा-मूल्य दिल्ली प्रशासन द्वारा रखे जाते हैं। 25 अप्रैल, 1966 को समाप्त होने वाली दस सप्ताह की अवधि में 13 सामग्रियों के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ 6 सामग्रियों के मूल्य में 10 प्रतिशत से कम बढ़ौतरी हुई, 5 सामग्रियों के मूल्य 10 प्रतिशत और उससे अधिक बढ़ गए; और इस अवधि के दौरान एक सामग्री के मूल्य के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके किन्तु यह वृद्धियां बिक्री कर में बढ़ौतरी के कारण नहीं हुई। क्योंकि जून 1963 से दिल्ली की बिक्री कर की दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि जून 1963 से राजधानी का बिक्री-कर नहीं बढ़ाया गया।

खम्भात और कच्छ की खाड़ियों का भूकम्पीय सर्वेक्षण

5302. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष रूसी जहाज पर से कार्य करने वाले रूसी तटवर्ती दल ने खम्भात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी का भूकम्पीय सर्वेक्षण पूरा कर लिया है;

(ख) क्या इन खाड़ियों में पानी के नीचे तेल की खोज संभव है; और

(ग) इन खाड़ियों में पानी के नीचे नये तेल क्षेत्र होने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) कच्छ की खाड़ी में भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। खम्भात की खाड़ी में भूकम्पीय कार्य बड़ी मात्रा में किया गया है किन्तु इस वर्ष के आखरी हिस्से में अतिरिक्त कार्य किया जायेगा।

(ख) जी, हां।

(ग) खम्भात की खाड़ी में भूकम्पीय सर्वेक्षणों के दौरान में कुछ दिलचस्प अपनत (Anticlinal) संरचनाएं मालूम हुई हैं। कच्छ की खाड़ी में ऐसी कोई संरचना नहीं मिली है। अपनत संरचनाओं में तेल विद्यमान है या नहीं, यह व्यघन के बाद ही जाना जा सकता है।

गुजरात के तेल क्षेत्रों से गैस

5303. श्री जसवन्त मेहता : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के तेल क्षेत्रों को गैस सप्लाई करने की कुल क्षमता कितनी है;

(ख) गुजरात में उपलब्ध गैस का लाभप्रद ढंग से उपयोग करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है; और

(ग) इस समय प्रतिदिन कितनी गैस जलाई जाती है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन): (क) पूर्ण विकास के पश्चात् जाने हुए तेल और गैस क्षेत्रों से लगभग 1.67 मिलियन घन मीटर प्रति दिन।

(ख) अंकलेश्वर तेल क्षेत्र के गैस को गुजरात विद्युत बोर्ड के उत्तारण बिजली घर, गुजरात राज्य उर्वरकों और बड़ोदा के कुछ उद्योगों के लिये नियत कर दिया गया है। खम्भात गैस क्षेत्र के गैस को गुजरात विद्युत बोर्ड के धुवारण बिजली घर के लिये नियत किया गया है। दूसरे क्षेत्रों से गैस का उपयोग करने के कदम उस समय उठाये जायेंगे जैसे जैसे क्षेत्र विकसित होंगे और गैस की सप्लाई करने योग्य हो जायेंगे।

(ग) लगभग 0.43 मिलियम घन मीटर प्रति दिन।

अमोनिया के उत्पादन के लिये इटली की फर्म के साथ करार

5304. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री फिरोडिया :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमोनिया के उत्पादन के लिये लाइसेंस तथा प्रक्रियागत जानकारी प्राप्त करने के लिये इटली की एक फर्म मैसर्स मांटिकाटिनी के साथ कोई करार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सहयोग समझौते की शर्तें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी, हां।

(ख) करार में निम्नलिखित व्यवस्था है :—

(1) 600 मीटरी टन के अमोनिया प्लांट से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी और प्रक्रिया के इस्तेमाल के लिए अधिकार एवं लाइसेन्स की स्वीकृति;

(2) संयन्त्रों का विस्तार या अलग संयंत्रों की स्थापना;

(3) लाइसेन्स शुल्क तथा तकनीकी जानकारी-शुल्क जैसी विशिष्ट रकमों की अदायगी और की जाने वाली अन्य सेवाएं;

(4) वहां पर किये जाने वाले डिजाइन कार्य आदि में सम्मिलित होने के लिए इटली में उचित संख्या में इन्जीनियरों की प्रति नियुक्ति;

(5) उचित कार्यवाही एवं उत्पादन गारण्टी और इन गारण्टियों के पूरे न करने पर जुर्माने; और

(6) वर्तमान मान्यता तारीख के बाद, जो करार की लागू तारीख से 5 सालों के बाद समाप्त हो जायेगी; यदि आवश्यक हो, तो करार का पुनरीक्षण।

शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के स्थायी कर्मचारियों के लिये उच्च पद

5305. **श्री जेधे :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1965 से अब तक शिक्षा निदेशालय, दिल्ली ने केन्द्रीय सरकार तथा अन्य स्थानीय कार्यालयों को उच्च पदों के लिये स्थायी कर्मचारियों के कितने प्रार्थना-पत्र भेजे,

(ख) क्या यह सच है कि पत्रों की जो प्रतियां आवेदनकर्ताओं को भेजी गई थीं उन में निदेशालय ने उन्हें सूचित किया था कि उन के उच्च पदों पर लिये जाने पर उन्हें अपने वर्तमान पदों से त्याग पत्र दना पड़ेगा,

(ग) यदि हां, तो उन के क्या कारण है, और

(घ) सरकार के इस सम्बन्ध में क्या आदेश हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (घ) तक : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

युद्ध सेवा वाले कर्मचारियों का वेतन निर्धारण

5306. **श्री जेधे :** क्या गृह-कार्य मंत्री 30 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3075 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 अगस्त, 1947 से पहले अस्तायी आधार पर असैनिक पदों पर नियुक्त किये गये युद्ध सेवा वाले कर्मचारियों का मूल वेतन, जो 12 जुलाई, 1949 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/16/49-जी०एस० के अनुसार पूर्वनिर्धारित वेतनक्रम में निर्धारित किया जा चुका था, और केन्द्रीय सिविल सेवायें (वेतन का पुनरीक्षण) नियमों, 1947 के लागू होने पर निर्धारित वेतनक्रम में अगली ऊपरी सीढ़ी पर तय किया गया था, 19 मार्च, 1951 के गृह-कार्य मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/3/50-सी०एस० के अनुसार फिर से निर्धारित किया जाना चाहिये था; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और इस के परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों को नुकसान हुआ है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) तथा (ख) : जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या 3075 दिनांक 30 मार्च, 1966 के भाग (ग) के उत्तर में बताया गया था, यदि प्रारम्भिक वेतन सम्बन्धित आदेशों के अनुसार निर्धारित नहीं हुआ था, तो उसका पुनः निर्धारण होना था। ऐसे व्यक्तियों की संख्या उपलब्ध नहीं है, जिन्हें इस पुनर्निर्धारण से हानि हुई ।

दिल्ली उच्चतर माध्यमिक परीक्षा, १९६६ में दिये गये अंग्रेजी के परीक्षा-पत्र

5307. **श्री जेधे :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च-अप्रैल, 1966 हुई दिल्ली उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में अंग्रेजी के परीक्षा-पत्रों में पूछे गये प्रश्न बहुत कठिन थे और विद्यार्थियों की समझ तथा उन से आशा की जाने वाली अर्थ-ग्रहण शक्ति से परे थे;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण थे;

(ग) क्या परीक्षकों को प्रश्न-पत्र विभिन्न स्कूलों में विषय के पढ़ाये जाने तथा परीक्षा ली जाने वाले ढंग के अनुसार बनाने के बारे में आवश्यक निर्देश नहीं दिये गये थे;

(घ) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन मिल चुका है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परीक्षकों को आवश्यक निर्देश दिये गये थे कि वे प्रश्न-पत्र निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार तथा स्कूलों को बताये गये प्रश्नों के ढंग पर बनाये।

(घ) वर्ष 1966 की परीक्षा के अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी का प्रचार

5308. श्री कांबले :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दे० शि० पाटिल :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में हिन्दी की शिक्षा और उस के प्रचार के लिये अलग अलग और राज्यवार अहिन्दी भाषी राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ;

(ख) इन राज्यों में हिन्दी को लोक प्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उस के परिणामस्वरूप इन राज्यों में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6300/66]**

(ख) अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के प्रचार तथा विकास के लिए भारत सरकार उन राज्यों को स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए और हिन्दी अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए कालिज स्थापित करने के लिए शत प्रतिशत अनुदान दे रही है। हिन्दी के अध्ययन में रुचि बढाने के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों की सरकारों को स्कूलों, कालेजों तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों में मुफ्त वितरण के लिए उचित हिन्दी पुस्तकें दी जाती है। अहिन्दी भाषी लोगों के लिए हिन्दी की कक्षायें चलाने, हिन्दी प्रचारकों के प्रशिक्षण तथा नियुक्ति हिन्दी पुस्तकालय और वाचनालय चलाने, हिन्दी में भाषण प्रतियोगितायें वाद-विवाद तथा नाटक करने, हिन्दी में योग्य विद्यार्थियों को पुरस्कार देने तथा हिन्दी शार्टहैण्ड तथा टाईप की कक्षाएं चलाने के लिए उन राज्यों में स्वयंसेवक हिन्दी संगठनों को अनुदान दिये जाते हैं। मैटरिक के बाद हिन्दी के अध्ययन के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं।

(ग) इस समय भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही हिन्दी के प्रचार की योजनाओं का अहिन्दी भाषी राज्यों पर प्रभाव पड़ा है। सभी अहिन्दी भाषी राज्यों के स्कूलों में हिन्दी का अध्ययन कराया जाता है। विभिन्न राज्यों में हिन्दी अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए कालेज तथा केन्द्र स्थापित किये गये ह और लोगों ने उन में पर्याप्त रुचि लेनी शुरु कर दी है। यद्यपि कुछ राज्यों में प्रगति कुछ धीमी है, तथापि समूचे रूप से स्थिति असन्तोषजनक नहीं है।

Mahatma Gandhi's Birthday Centenary Celebrations

5309. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 567 on the 16th March, 1966 and State :

(a) the up-to-date progress made by the National Committee of the Gandhi Centenary Celebrations to celebrate Mahatma Gandhi's Birthday Centenary in 1969 ; and

(b) the definite programme chalked out by the Committee in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) Eleven sub-committees have been formed for chalking out programmes in connection with the Centenary Celebrations and these sub-committees have met once so far. Efforts are also being directed to form State level Committees and sub-committees on the pattern of the Central Committee and sub-committees. It is expected that these state level Committees will begin to function shortly.

(b) A statement is laid on the table of the house. [**Placed in Library, See No. L.T. 6301/66.**]

भारत में कोयला खानों का कार्यसंचालन

5310. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी विशेषज्ञो के दल ने भारत में कोयला खानों के कार्य संचालन संबन्धी अध्ययन पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) तकनीकी सहायता के संयुक्त राष्ट्र विस्तृत कार्यक्रम के अन्तर्गत खानों में सुरक्षा की समस्या का सर्वेक्षण करने के लिए नवम्बर, 1960 में लगभग 5 मास के लिए रूस के दो विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की गई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1961 में दे दी।

(ख) और (ग) : एक विवरण जिसमें रूसी विशेषज्ञों द्वारा की गई सिफारिशें और उन पर की गई कार्यवाही दी गई है, सभा की मेज पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6302/66**] स्थिति पर खान सुरक्षा सम्बन्धी दूसरे सम्मेलन में, जो कि शीघ्र होने वाला है, विचार किया जायेगा।

उड़ीसा में बेरोजगार महिलायें

5311. **श्री कृ० ल० मोरे :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1965 तक उड़ीसा के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में कितनी महिला उम्मीदवारों (स्नातक तथा गैर-स्नातक दोनों) के नाम दर्ज थे; और

(ख) दिसम्बर, 1965 के अन्त तक उनमें से कितनी महिलाओं को रोजगार दिलाया गया?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) :

प्रार्थी का वर्ग	31-12-65 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज नाम	1965 के दौरान नियुक्ति सहायता पाने वाले
ग्रेज्युएटस (जिनमें पोस्ट-ग्रेज्युएटस भी शामिल हैं) .	91	13
मैट्रिक (जिनमें हायर सेकण्डरी और इन्टरमीडिएट पास उम्मीदवार भी शामिल है) . .	255	112
मैट्रिक से कम .	1,987	864
कुल .	2,333	989

आन्ध्र प्रदेश में जूनियर तकनीकी स्कूल

5312. श्री कृ० ला० मोरे :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में इस समय कितने जूनियर तकनीकी स्कूल हैं; और

(ख) 1966–67 में उस राज्य में ऐसे कितने स्कूल खोलने का विचार है?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) छः।

(ख) छः।

आन्ध्र राज्य में तेलगु साहित्य का परिरक्षण

5313. श्री कृ० ल० मोरे :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश को 1965-66 में राज्य में तेलुगु साहित्य के परिरक्षण के लिये कोई वित्तीय सहायता दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6303/66।]**

उड़ीसा में शिक्षित बेरोजगार

5314. श्री कृ० ल० मोरे :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा राज्य में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की समस्या को हल करने के लिये कोई योजना आरम्भ की थी; और

9—73 L.S./66

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : ऐसी कोई योजना आरम्भ नहीं की गई है किन्तु पंचवर्षीय योजना के अधीन राज्य में चल रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों को इस प्रकार तय किया गया है जिससे शिक्षित और अन्य बेरोजगार व्यक्तियों की रोजगार क्षमताएं बढ़ें ।

गुजरात में मिट्टी के तेल की सप्लाई

5315. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अहमदाबाद नगर में हाल ही में मिट्टी के तेल की सप्लाई रुक सी गई है और लोग मिट्टी का तेल प्राप्त करने के लिये सुबह से शाम तक लम्बी पंक्तियों में प्रतीक्षा करते रहते है ।

(ख) अहमदाबाद नगर में तेल की सप्लाई में अचानक कमी किये जाने तथा मिट्टी के तेल की कमी के कारण क्या है; और

(ग) पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का तेल देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) यह सच है कि हाल में अहमदाबाद नगर में मिट्टी के तेल के लिये लम्बी लाइनें लगीं ।

(ख) और (ग) : मार्च, 1966 से गुजरात राज्य को मिट्टी के तेल की वास्तविक सप्लाई निश्चित मासिक कोटे के मुकाबले में अधिक थी । मई 1966 से गुजरात के मासिक कोटे में 750 मीटरी टन की वृद्धि की गई है ।

उड़ीसा में किराये की इमारतों में कार्य कर रहे डाकघर

5316. **श्री कृ० ला० मोरे** :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कितने डाकघर किराये की इमारतों में काम कर रहे हैं;

(ख) सरकार ने 1965-66 में अब तक किराये के रूप में कितनी राशि दी है; और

(ग) उड़ीसा राज्य में डाकघरों के लिये स्थायी इमारतों का निर्माण कब हो जाने की सम्भावना है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 323 ।

(ख) 1,84,892 रुपए 39 पैसे ।

(ग) उपयुक्त स्थान और वित्तीय साधनों के अधीन, जब भी आवश्यक होता है, डाक-तार विभाग विभागीय इमारतें बनाना ही अधिक पसंद करता है । यद्यपि महत्वपूर्ण डाकघरों के लिए या जहां किराये-पर संतोषजनक स्थान नहीं मिलते, विभागीय इमारतों की व्यवस्था करने की दिशा में पूरे प्रयत्न किये जा रहे है, फिर भी यह कहना संभव नहीं है कि विभागीय डाकघर यदि उनमें काम करने भी लगे, तो ठीक-ठीक किस तारीख तक विभागीय इमारतों में स्थान पा सकेंगे ।

उड़ीसा में चलते फिरते डाकघर

5317. श्रीमती अकम्मा देवी : श्री रतन लाल :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में इस समय कितने चलते फिरते डाकघर हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार 1966-67 में उड़ीसा राज्य में ऐसे और डाक घर चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) कोई नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में डाक तथा तारघर

5318. श्रीमती अकम्मा देवी : श्री रतन लाल :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में 1965-66 में वास्तव में कितने डाक घर खोले गये;

(ख) उड़ीसा राज्य में 1965-66 में कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया;

(ग) उड़ीसा राज्य में 1965-66 में किन-किन स्थानों पर दूर-संचार सुविधाओं की व्यवस्था की गई ; और

(घ) उड़ीसा में 1966-67 में किन किन स्थानों में दूर संचार सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 91 ।

(ख) 59 ।

(ग) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जा रहा है ।

(घ) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6304/66।]**

प्रतिभावान व्यक्तियों द्वारा अपना देश छोड़ कर दूसरे देशों में बसना

5319. डा० राम मनोहर लोहिया : श्री मधु लिमये :
श्री भागवत झा आजाद : श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री किशन पटनायक : श्री प्रभात कार :
डा० रानेन सेन : श्री रामसेवक यादव :
श्री ही० ना० मुकर्जी : श्री श्रीनारायण दास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र संस्थाओ में फले हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि निर्धन तथा अल्पविकसित देशों के प्रशिक्षण प्राप्त तथा प्रतिभावान फिजीशियन, वज्ञानिक, इंजिनियर तथा अध्यापक पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमरीका में जा कर बस रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाया गया है कि भारत से भी इसी प्रकार प्रतिभावान व्यक्ति विदेशों में जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिभावान व्यक्तियों को देश छोड़ कर दूसरे देशो में जाने से रोकने के लिये सरकार ने उनके लिये सहायता, प्रोत्साहनों, सुविधाओं तथा अवसरों की क्या व्यवस्था की है तथा नियन्त्रण सम्बन्धी उपाय किये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी नहीं ।

(ख) ऐसे उच्च योग्यता प्राप्त भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों डाक्टरों, आदि के बारे में एकदम ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है जो विदेशों में स्थायी रूप से बसने के लिये जाते हैं। यदि वैज्ञानिक समुच्चय में भर्ती के लिये भारत लौटने वाले उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ौतरी की प्रवृत्ति को आधार मान लिया जाय तो ऐसे भारतीयों की संख्या जो अपनी शिक्षा, शिक्षा-तथा-अध्ययन पूर्ण करने के बाद वापस नहीं लौटते उनकी संख्या परिमाण की दृष्टि से बहुत असाधारण नहीं है ।

(ग) सरकार द्वारा अर्हता प्राप्त भारतीयों के लौटने को सरल बनाने के लिये किये गए उपायों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6305/66 ।]**

भारतीय प्रशासनिक सेवा के उम्मीदवारों के लिये टाइप की परीक्षा

5320. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासन सेवा (आई० ए० एस०), भारतीय विदेशी सेवा (आई० ए० एस०) तथा भारतीय पुलिस सेवा (आई० पी० एस०) आदि परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिय टाइप के व्यावहारिक ज्ञान को अनिवार्य शर्त के रूप में लागू करने का विचार है ताकि वे स्वतः टाइप का काम कर सकें; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) जी नहीं ।

(ख) भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पर-राष्ट्र सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त अधिकारियों को अपना टाइप का काम खुद नहीं करना होता । जहां जरूरी होता है, उन्हें आशुलिपिकों की सहायता प्राप्त होती है । इससे वे अपना समय और अधिक महत्वपूर्ण कार्य में लगा सकते हैं ।

मिजो लैंड में सम्पत्ति का नाश

5321. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजो राष्ट्रीय मोर्चा द्वारा किये गये उपद्रवों में आइजल और लंगुलेह में हुए सम्पत्ति के विनाश के सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी सम्पत्ति तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों की सम्पत्ति का पृथक-पृथक कितना नुकसान हुआ है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) अभी तक हानि का अनुमान नहीं लगाया गया ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में एक मंदिर में चोरी

5322. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 फरवरी, 1966 को अथवा उसके आस-पास नई दिल्ली में सुभाष नगर में एक मन्दिर में चोरी हुई थी और अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गये हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि उस क्षेत्र के लोगों ने अनेक अभ्यावेदन देकर यह शिकायत की है कि इस मामले में अधिकारी लोग उपेक्षा तथा उदासीनता दिखा रहे हैं; और

(ग) उस क्षेत्र में यदि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने तथा अपराधियों का पता लगाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) इस घटना के सम्बन्ध में उस क्षेत्र के निवासियों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) अपराधियों को खोजने के लिये सारे सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं । इस क्षेत्र में गश्ती दस्ते और बढ़ा दिये गये हैं ।

महिलाओं के एक दल द्वारा कोक्टांग चोटी पर चढ़ना

5323. **श्री बृजवासी लाल** :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि एक भारतीय महिला दल हाल में सिक्किम की 20,166 फुट ऊंची कोक्टांग चोटी पर चढ़ने में सफल हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) जी हां । अखिल भारतीय महिला दल की पांच सदस्या 18 अप्रैल, 1966 को चोटी पर पहुंची थी । अभियान दल को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गई थी ।

(ख) देश की महिलाओं द्वारा प्रदर्शित साहसिक भावना से सरकार को प्रसन्नता हुई है ।

आइजल के निकट गोलाबारी

5324. **श्री बृजवासी लाल** :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री बृजबिहारी मेहरोत्रा :

श्री राम हरख यादव

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही मिजो लोगों के 25 अप्रैल, 1966 को आसाम के मिजो पहाड़ी जिले के मुख्यालय आइजल के समीप राइफलों से गोलाबारी की और अनेक व्यक्ति हताहत हुये;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग): जी नहीं । किन्तु मिज़ो विद्रोहियों के एक छोटे दस्ते में 24 अप्रैल सन् 1966 को एजल थाने पर गोली चलाई और उन्हें सुरक्षा दलों द्वारा खदेड़ दिया गया । कोई जन-हानि नहीं हुई और इस घटना से कोई घबराहट भी नहीं फैली ।

Standard of Education of B.H.U.

5325. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the standard of education at Banaras Hindu University is deteriorating day by day;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps taken to raise its standard progressively ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

List of Surplus Employees

5326. **Shri Brij Raj Singh :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government is preparing a list of surplus employees;

(b) if so, the basis thereof;

(c) whether it is also a fact that in addition to five years concession given to them before, a further concession of five years more is being given to them for retirement ;

(d) if so, whether Government is doing away the practice of grant of extension or re-employment; and

(e) if not, the reasons that still hold good for granting extension and re-employment?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) & (b). In order to arrange for redeployment of surplus staff located as a result of introduction of administrative reforms or studies by the Staff Inspection Unit of the Ministry of Finance, etc., a Central (Surplus Staff) Cell has been set up in the Ministry of Home Affairs with effect from the 25th February, 1966. The Scheme drawn up for this purpose is given in Annexure I to M.H.A. O.M. No. 3/27/65-C.S.II, dated 25-2-1966 [**Palced in Library. See No. LT/6306/66**]. All surpluses are first to be adjusted by reversion of officiating persons within the Organisations affected and only those who could not be so adjusted reported to the Ministry of Home Affairs for deployment elsewhere. As regards their absorption, those who join the Central Cell earlier will have to be given preference over those who join later, since the aim is not to keep an individual in the Cell for more than six months.

(c) The Hon'ble Member perhaps has in mind the instructions issued by the Ministry of Finance regarding Voluntary Retirement Scheme, under which persons with not less than 15 years' Service reported as Surplus to the Cell will be allowed a weightage of 5 years for purposes of retirement benefits. No further relaxation in this regard is under consideration.

(d) & (e). Do not arise.

Scientific Collaboration between India and Czechoslovakia

5327. **Shri Brij Raj Singh :** **Shri D. C. Sharma :**
Shri Onkar Lal Berwa : **Shri Brij Basi Lal :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an agreement has been concluded between India and Czechoslovakia for scientific collaboration;

(b) if so, the matters for which the collaboration would be extended by these scientists; and

(c) when this work is likely to start?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) An agreement for Scientific Co-operation between the Council of Scientific and Industrial Research, India and the Czechoslovak Academy of Sciences was signed on 26th April, 1966.

(b) The Agreement aims at collaboration in fields of science and technology of mutual interest. The Agreement envisages exchange of senior and junior scientists and exchange of information and experience between the two countries.

(c) It is proposed to send a 3 member Indian delegation to Czechoslovakia in the near future to draw up the details of the exchange programme for implementation.

Delhi Telephone Directory in Hindi

5328. Shri Brij Raj Singh :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to publish the Delhi Telephone Directory in Hindi; and

(b) if so, when ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and the Department of Communications (Shri Jagannath Rao) : (a) Instructions have been issued for printing some percentage of the requirements of the Delhi telephone directory in Hindi.

(b) Efforts are being made to bring out the directory as early as possible.

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के वैज्ञानिक तथा अनुसन्धान-छात्र

5329. श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती विमला देवी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्ष में 28 वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा 39 अनुसंधान-छात्र अपना कार्य पूरा किये बिना राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला छोड़ कर चले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि कई वैज्ञानिकों द्वारा इस प्रयोगशाला को छोड़कर चले जाने के कारण कई महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :(क) और (ख): 1961-65 की अवधि के दौरान निम्नलिखित कारणों से वैज्ञानिकों तथा 39 अनुसंधान-छात्रों ने राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली छोड़ दी थी :–

वैज्ञानिक :

21 वैज्ञानिकों ने सी० एस० आई० आर० की अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थाओं तथा बाहर के अनुसंधान संगठनों में प्रवेश पा लिया था ।

2 विदेश चले गए ।

एक ने पारिवारिक परिस्थितियों के कारण छोड़ दिया ।

2 ने बिना किसी कारणों के त्याग पत्र दे दिया ।

अनुसंधान छात्र :

एक नेशनल फिजिकल लेब्रोरेटरी में खपा लिया गया था ।

9 अन्य विभागों में ले लिए गए ।

11 उच्च अध्ययन के लिए विदेश चले गए,

और

18 ने व्यक्तिगत कारणों से छोड़ दिया ।

(ग) अनुसंधान परियोजनाओं के कार्य की प्रगति को (जिस पर वैज्ञानिक व्यक्ति कार्य कर रहे थे) कुछ हद तक धक्का लगा था ।

(घ) उपयुक्त उम्मीदवार मिलने पर रिक्त स्थानों को भरा जाएगा ।

Special Selection in I.A.S. for Rajasthan

5330. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the names or the panels of names were asked for from various Departments in Rajasthan in December, 1965 for special selection to I.A.S.;

(b) if so, the number of names received, department-wise, and in particular, the number of the names recommended by the High Court; and

(c) the criterion on which selection was made?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) to (c). The Hon'ble Member is presumably referring to the selection of non-State Civil Service officers under the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1956. Under these Regulations, persons not belonging to the State Civil Service but serving in connection with the affairs of the State, who are of outstanding merit and ability and have completed not less than 8 years service under the State Government can be considered by the Selection Committee presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission and if they are found suitable for appointment to the I.A.S., they can be recommeded for such appointment. On the final approval of the Union Public Service Commission, appointments of the selected officers are made by the Central Government on a recommendation from the State Government.

The entire proceedings in this regard are treated as confident al and it is regretted that details of panels of names and the names recommended cannot be divulged in the public interest.

कालीकट में डाक तथा तार विभाग के क्वार्टर

5331. **श्री मोहम्मद कोया :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये कालीकट में क्वार्टरों के निर्माण के लिये कोई स्थान अन्तिम रूप से चुन लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कौनसा स्थान चुना गया है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां ।

(ख) यह प्लाट मनचन्दा प्लाट कहलाता है ।

कोजीकोड में डीजल तेल की कमी

5332. **श्री मोहम्मद कोया :** क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1966 के दूसरे सप्ताह में कोजीकोड जिले में डीजल तेल की अत्यधिक कमी थी;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण थे; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की कमी न होने पाये इस उद्देश्य के लिये क्या कायवाही गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : एक टैंकर के देर से पहुंचने के कारण कोजीकोड में अप्रैल में कुछ दिन के लिए हाई स्पीड डीज़ल तेल की कमी हुई थी ।

(ग) कोचीन में हाई स्पीड डीज़ल तेल की पर्याप्त मात्राएं भेजने की व्यवस्था की गई है ।

पाठों का प्रसारण

5333. **श्री फिरोडिया :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्ष से बी०ए० का पत्रव्यवहार पाठ्यक्रम आरम्भ करने वाले विद्यार्थियों के लिये आकाशवाणी ने पाठों का प्रसारण करना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) अंग्रेज़ी, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में बी०ए० के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए दिल्ली और मद्रास से सप्ताह में तीन कार्यक्रम प्रसारण किए जाएंगे ।

मिजो विद्रोहियों द्वारा हमले

5334. **श्री फिरोडिया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो मास में मिजो विद्रोहियों ने भारतीय सुरक्षा सेनाओं पर कितनी बार हमले किये और कितने व्यक्ति हताहत हुए ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

टेलीप्रिंटर मिस्त्रियों क वेतनक्रम

5335. **श्री गुलशन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैलीप्रिन्टर मिस्त्रियों (मेकेनिकों) के वेतन-क्रम में वृद्धि करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित वेतन-क्रम क्या है ; और

(ग) नया वेतन-क्रम किस तारीख से लागू होगा ?

संसद-कार्यविभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) मेकेनिकों के (इनमें दूरमुद्रक मेकेनिक भी शामिल हैं) वेतनमानों को संशोधित करने के आदेश हाल में ही जारी किये गए है।

(ख) मौजूदा टाइम स्केल यथा 110 रु० 4-150-द०रो०-5-180 रु० और चुनाव पदक्रम यथा रु० 175-6-205-7-240 को संशोधित करके रु० 110-4-150-5-175 द० रो० -6-205-द०रो०-7-240 के टाइम स्केल में और रु० 175-6-205-7-240-8-280 के चुनाव पदक्रम में बदल दिया गया है।

(ग) 1 अप्रैल, 1966 से।

टेलीग्राफिस्ट (तार बाबू) के वेतन-क्रम

5336. **श्री गुलशन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तार विभाग के सर्किल सर्विस तार बाबू के वेतन-क्रम समुद्रपार संचार सेवा (ओ०सी०एस०) तार बाबुओं के वेतन-क्रमों से बहुत कम है, यद्यपि उनके काम का स्वरूप प्राय: वही होता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस भेद-भाव के क्या कारण है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) तथा (ख) : डाक-तार विभाग में दूरसंकेतकों, समुद्रपार संचार सेवा में अवर दूरसंकेतक तथा रेडियो आपरेटर के और नागरिक विमानन विभाग में रेडियो आपरेटर के वेतन मान इस प्रकार है :—

डाक-तार विभाग में दुरसंकेतक :

रु० 110-4-150-5-175-द० रो०-6-205-द०रो०-7-240

समुद्रपार संचार सेवा में अवर दूरसंकेतक :

रु० 150-5-160-8-200-द०-रो०-8-256-द०रो०-8-280-10-300

नागरिक विमानन विभाग में रेडियो आपरेटर :

रु० 150-5-160-8-200-द०-रो०-8-240-द०रो०-8-280-10-300

डाक-तार विभाग में प्रशिक्षण प्राप्त दूरसंकेतक रु० 110/240 के वेतनमान में 122 रुपये से आरम्भ करते हैं। प्रोत्साहन नक़दी योजना के आधार पर वे अतिरिक्त आय भी अर्जित करते हैं।

डाक-तार विभाग में दूरसंकेतकों के पद, निपटाये गए संदेशों की संख्या के आधार पर मंजूर किये जाते हैं। नागरिक विमानन विभाग में निगरानी के घंटों तथा विशेष अवधि के दौरान प्रचालित सरणियों की संख्या के आधार पर रेडियों आपरेटरों के पद मंजूर किये जाते हैं। समुद्रपार संचार सेवा में परिपथों के आधार पर अवर दूरसंकेतकों के पद मंजूर किये जाते हैं। नागरिक विमानन विभाग के रेडियो आपरेटरों को रेडियो उपस्कर का अनुरक्षण भी करना होता है। बताई गई विविध स्थितियों को ध्यान में रखते हुए—डाक तार विभाग में दूरसंकेतकों के कार्य

की मात्रा तथा परिलब्धियों की तुलना सीधे ही समुद्रपार संचार सेवा के अवर दूरसंकेतकों तथा नागरिक विमानन विभाग के रेडियो आपरेटरों के कार्य और परिलब्धियों से नहीं की जा सकती, अतः इस मामले में किसी भी प्रकार के भेदभाव का प्रश्न नहीं उठता ।

तार घरों में रात्रि कार्य भत्ता

5337. **श्री गुलशन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्रपार संचार सेवा विभाग में दिन-रात काम करने वाले कर्मचारियों को 15 रुपये प्रति मास की दर से रात्रि-भत्ता दिया जाता है, किन्तु तारघरों में प्रायः उसी प्रकार का काम करने वाले कर्मचारियों को उसी आर्थिक लाभ से वंचित रखा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस भेद-भाव के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) से (ग): समुद्रापारीय संचार सेवा के कर्मचारियों को 15 रुपये प्रतिमास का रात्रि भत्ता नहीं दिया जाता सा कि प्रश्नों में बताया गया है, अतः भेदभाव का कोई भी प्रश्न नहीं उठता ।

टेलीग्राफिस्ट (तार बाबू)

5338. **श्री गुलशन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में टाइम स्केल क्लर्कों में से पदोन्नत किये गये टेलीग्राफिस्टों (तार बाबुओं) से डाक-तथा तार विभाग के महानिदेशक को इस आशय के अभ्यावेदन मिले हैं कि उन्हे तीन अग्रिम वेतन-वृद्धियां न दिये जाने के फलस्वरूप उसी पदालि में से पदोन्नत किये गये कुछ कनिष्ठ टेलीग्राफिस्ट उनकी अपेक्षा अधिक वेतन पा रहे हैं ?

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वरिष्ठ टेलीग्राफिस्टों के वेतन को संरक्षण देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) जी हाँ ।

(ख) भविष्य में दूरसंकेतकों के संवर्ग के प्रति उम्मीदवारों का आकर्षण बढ़ाने के लिये त्साहन स्वरूप ऐसे आदेश जारी कर दिये गए हैं कि 16 फरवरी, 1965 के बाद दूरसंकेतकों के रूप में नियुक्त सभी व्यक्तियों को रु० 110/240 के वेतनमान में 4-4 रुपये की तीन अग्रिम वेतनवृद्धियां दे दी जाएं। टाइम स्केल क्लर्क भी कुछ विशेष शर्तों के अन्तर्गत इन पदों पर नियुक्ति का अधिकार रखते हैं। चूंकि 16 फरवरी, 1965 से पहले नियुक्त कर्मचारी इस विशेष लाभ का हकदार नहीं होता, अतः ऐसा होगा कि कुछ क्लर्क जो 16 फरवरी, 1965 से पहले दूरसंकेतक बना दिये गए थे, उन्हें अपने अवर कर्मचारियों से जो कि उस तारीख के बाद दूरसंकेतक नियुक्त किये गए, कम वेतन प्राप्त हो।

(ग) इस प्रकार का संरक्षण देने का कोई विचार नहीं है।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य में संकट काल

5339. **श्री श्यामलाल सर्राफ :** **श्री विभूति मिश्र :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : **डा० चन्द्रभान सिंह :**
श्री तिम्मय्या :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के विधि मंत्रालय ने यह मत व्यक्त किया है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य की संविधि पुस्तक में शामिल अधिनियम उस राज्य में शान्ति तथा व्यवस्था के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली किसी भी संकट की स्थिति का मुकाबला करने में सक्षम हैं ; अतः वहां पर भारत सुरक्षा नियमों को जारी रखने का कोई अर्थ नहीं है; और

(ख) क्या इस स्पष्ट मत को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को परामर्श दिया जायेगा कि वह तुरन्त अपनी संविधि पुस्तक से भारत सुरक्षा नियमों को हटा ले ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विस्फोटक पदार्थ लिये हुए नागा की गिरफ्तारी

5340. **श्री राजदेव सिंह :** **श्री पन्नालाल :**
श्री लाल कृष्ण सिंह : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मनीपुर पुलिस ने 24 अप्रैल, 1966 को कुछ विस्फोटक पदार्थ लिये हुए एक अंगामी नागा को, गिरफ्तार किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : 24 अप्रैल, 1966 को पुलिस ने इम्फाल में गांधी ऐवेन्यु पर "नागा पापूलर होटल" नामक एक होटल की तलाशी ली और एक किलोग्राम बारूद बरामद किया। होटल का मैनेजर और उसमें रहने वाला एक अंगामी गिरफ्तार किये गये। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

5341. **श्री अ०प्र० शर्मा :** क्या **संचार** मंत्री दिल्ली में टेलिफोन कनेक्शनों के बारे में 27 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न-संख्या 4559 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीस हजारी टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता को बढ़ाने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली गेट एक्सचेंज में अतिरिक्त उपकरण की स्थापना के परिणामस्वरूप पुनर्व्यवस्था किये जाने के पश्चात् इस एक्सचेंज से कितने नये कनेक्शन मंजूर होनी की आशा है ;

(घ) इन नये कनेक्शनों को "अपना टेलीफोन लगाओ" श्रेणी और इससे भिन्न श्रेणी के आवेदकों के बीच किस अनुपात में बांटा जायेगा; और

(ङ) इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि 30 मार्च, 1965 तक "अपना टैलीफोन लगाओ" श्रेणी के आवेदकों को पहले ही टेलीफोन दिये जा चुके हैं, इन नये कनेक्शनों को पूर्णतः मुख्यतः "अपना टेलिफोन लगाओ" श्रेणी से भिन्न श्रेणी के आवेदकों को न देने के क्या कारण हैं?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) : मौजूदा इमारत में तीस हजारी टेलीफोन केन्द्र की क्षमता बढाना संभव नहीं है। अतिरिक्त टेलीफोन केन्द्र उपस्कर की स्थापना के लिए दिल्ली डेवलपमेण्ट अथिरिटी से परामर्श करके इमारत के विस्तार की योजनाएं तैयार की जा रही है।

फिलहाल टेलीफोन केन्द्र क्षेत्रों की पुनर्व्यवस्था की जा रही है जिससे कि तीस हजारी टेलीफोन केन्द्र के कनेक्शनों को अन्य टेलीफोन केन्द्रों में हस्तान्तरित करके, लगभग 1,000 कनेक्शन की क्षमता उपलब्ध हो जाएगी। ऐसा करने में 3-4 महीने का समय लगने की संभावना है। इसी प्रकार की पुनर्व्यवस्था द्वारा 1,000 लाइनों की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होने की संभावना की जांच भी की जा रही है। इस क्षेत्र को राहत देने के उद्देश्य से ईदगाह में स्थापित किये जाने वाले एक नये टैलीफोन केन्द्र की योजना भी तैयार कर ली गई है।

(घ) मौजूदा आदेशों के अनुसार "अपना टेलीफोन योजना" और छूट प्राप्त (गैर अपना टेलीफोन योजना) श्रेणियों के कनेक्शनों के लिए आवंटन का अनुपात 70 से 30 का है और यही अनुपात लागू किया जाएगा।

(ङ) अपना टेलिफोन योजना की मांगों की पूर्ति के लिए प्राथमिकता बरती जाती है। केवल गैर-अपना टेलीफोन योजना के प्रार्थियों के लिए कनेक्शनों की व्यवस्था करना सीमित अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होने के कारण संभव नहीं है।

दिल्ली प्रशासन में अनुसूचित जातियों के कर्मचारी

5342. श्री नवल प्रभाकर : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राशन विभाग को छोड़ कर दिल्ली प्रशासन में कर्मचारियों की श्रेणी-वार कुल संख्या क्या है;

(ख) दिल्ली प्रशासन में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की श्रेणीवार कुल संख्या क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या उन के लिये रक्षित किये गये स्थानों के बराबर है;

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ङ) रक्षित स्थानों को भरने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह-कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पु० शे० नास्कर) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6306/66।]**

(ग) और (घ) : कुछ श्रेणियों में नई भर्ती के लिये नियमों में निर्धारित प्रतिशत से कम प्रतिशत चला आ रहा है। उच्च श्रेणियों में इसका कारण उपयुक्त स्तर के अर्हताप्राप्त उम्मीदवारों का पर्याप्त संख्या में न मिलना था।

(ङ) इस बारे में नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है और आशा है कि कुछ समय बाद आरक्षित पदों में भर्ती के लिये अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार और अधिक मिलने लगेंगे।

मंगलौर में उर्वरक कारखाना और तेलशोधक कारखाना

5343. श्री लिग रेड्डी : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य के मंगलोर नामक स्थान में उर्वरक कारखाना और तेलशोधक कारखाना मंजूर करने का प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है;

(ख) यह मामला भारत सरकार के पास कब से विचार के लिये पड़ा है ;

(ग) क्या उपरोक्त कारखाना सरकारी क्षेत्र में होगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में; और

(घ) क्या उस राज्य को उर्वरकों में आत्मनिर्भर बनाने के लिये इन्हे कम से कम चौथी पंचवर्षीय योजना में मंजूर किया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (घ) : मंगलौर में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। जब तक अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक यह नहीं बताया जा सकता कि कारखाना सरकारी क्षेत्र में होगा या गैर-सरकारी क्षेत्र में। (इस समय निश्चय रूप से यह भी नहीं बताया जा सकता कि परियोजना के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में मंजूरी दी जायेगी।)। इस समय मंगलौर में शोधनशाला की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है चौथी योजना में शामिल की गई परियोजनाओं में मंगलौर की परियोजना नहीं है; किन्तु उचित विदेशी सहयोग आदि की प्राप्ति पर निर्भर होते हुए बाद में शामिल किया जा सकता है।

Remains of Buddha Period

5344. **Dr. Mahadeva Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the fact that Banarsiha situated in District Gorakhpur are remains of Buddha period ;

(b) if so, whether some steps have been taken to excavate and protect them ; and

(c) the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) Not so far, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Branch Post offices

5345. **Dr. Mahadeva Prasad :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state the total number of Branch Post Offices opened during the last financial year State-wise?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and the Department of Communications (Shri Jagannath Rao) : A statement is laid on the table of the Sabha. [**Placed in Library See No. LT/6307/66.**].

यौन सम्बन्धी शिक्षा

5346. **डा० महादेव प्रसाद :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1968 से सभी उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में यौन सम्बन्धी शिक्षा को सम्मिलित करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Irregular Payments to Hindi Assistants

5347. **Shri Rameshwaranand : Shri Onkar Lal Berwa : Shri Himmatsinghji : Shri Y. D. Singh :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Hindi Assistants working in certain Ministries/Offices who had qualified in the U.P.S.C. examination have not received their pay regularly during the 1965-66;

(b) if so, the names of those Ministries/Offices and the period for which they did not receive their salaries; and

(c) the steps taken to check the recurrence of such cases ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Hindi Assistants

5348. **Shri Rameshwaranand : Shri Onkar Lal Berwa : Shri Himmatsinghji : Shri Y. D. Singh :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of Hindi Assistants, Ministry-wise, whose posts are not being declared permanent ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Hindi Assistants

5349. **Shri Rameshwaranand : Shri Himmatsinghji : Shri Onkar Lal Berwa : Shri Y. D. Singh :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of posts of Hindi Assistants created, abolished or converted into higher posts during the last four years ; and

(b) the number of such posts against which U.P.S.C. qualified Hindi Assistants are not working ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Hindi Assistants

5350. **Shri Rameshwaranand : Shri Onkar Lal Berwa : Shri Y. D. Singh : Shri Himmatsinghji :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the service rules relating to Hindi Assistants are regulated by his Ministry; and

(b) the nature of Powers being exercised by those Ministries in which Hindi Assistants are working in respect of framing service rules concerning Hindi Assistants ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) : The posts of Hindi Assistants are isolated ex-cadre posts in different Ministries/Offices and service in these posts is governed by the general rules and orders applicable to other posts of corresponding status, which are issued by the Ministry of Home Affairs from time to time. Subject to these rules and orders, the Ministries administratively concerned are themselves competent to regulate all service matters pertaining to Hindi Assistants.

Post of Hindi Assistants

5351. **Shri Rameshwaranand : Shri Himmatsinghji : Shri Y. D. Singh : Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the Ministries/Offices in which there are no posts of Hindi Assistants ; and

(b) the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Hindi Assistants

5352. **Shri Himmatsinghji : Shri Y. D. Singh : Shri Rameshwaranand : Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased tostate :

(a) the number of posts of Hindi Assistant's abolished during 1965-66, Ministry-wise;

(b) the number of such posts converted into higher posts during 1965-66, Ministry-wise; and

(c) whether Hindi Assistants working on posts referred to in parts (a) and (b) above were U.P.S.C. qualified ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Decentralisation of Central Secretariat Services

5353. **Shri Y. D. Singh : Shri Rameshwaranand : Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that employees were transferred from one Ministry / Office to another at the time of decentralisation of Central Secretariat Services;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether this was applicable also to Hindi Assistants at that time; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) On decentralisation of the Central Secretariat Services, separate cadres were constituted for Ministries/Departments in various grades of the Services. Some transfers of staff were also made from one cadre to another with a view to equalise the authorised permanent strength of each cadre as also the opportunities for promotion/confirmation, as far as they could be foreseen at that time.

(c) and (d). The posts of Hindi Assistants are isolated ex-cadre posts and have been created by each Ministry according to their own requirements. The posts do not form a regular centralised Service and therefore the question of their decentralisation or transfer did not arise.

हिन्दी सहायक

5354. श्री यु० द० सिंह : **श्री हिम्मतसिंहजी :**
श्री रामेश्वरानन्द : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में कुछ कनिष्ट हिन्दी सहायकों को, संघ लोक सेवा आयोग की वरिष्ठता सूची के अनुसार वरिष्ठ हिन्दी सहायकों को स्थायी बनाने से पहले स्थायी घोषित कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित मंत्रालयों अथवा कार्यालयों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : क्योंकि हिन्दी सहायकों के पद विभिन्न मंत्रालयों/कार्यालयों में असंवर्गीय हैं, तथा उनका केन्द्रीय संवर्ग नहीं है, किसी विशिष्ट मंत्रालय/कार्यालय को नामांकित हिन्दी सहायकों का स्थायीकरण उस मंत्रालय/कार्यालय में स्थायी पद उपलब्ध होने पर निर्भर करता है, तथा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्राप्त स्थिति से इसका सम्बन्ध नहीं है। परन्तु जहां पर किसी विशिष्ट मंत्रालय/कार्यालय में एक से अधिक हिन्दी सहायक कार्य कर रहे हैं, उनकी वरिष्ठता तथा स्थायीकरण के क्रम परीक्षा में प्राप्त स्थिति के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं।

अनुवादक तथा हिन्दी सहायक

5355. श्री यु० द० सिंह: **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री रामेश्वरानन्द : **श्री हिम्मतसिंहजी :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा कार्यालयों में काम करने वाले (एक) हिन्दी सहायकों तथा (दो) अनुवादकों को क्या-क्या काम दिये गये हैं ;

(ख) इन दोनों पदों के बीच किस प्रकार का अन्तर है; और

(ग) यदि कोई अन्तर नहीं है, तो दो किस्म के पद बनाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

Hindi Stenographers

5356. **Shri Y. D. Singh : Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Rameshwaranand : Shri Himmatsinghji :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of temporary Hindi Stenographers in various Ministries at present; and

(b) the steps taken to confirm them?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) & (b). The information is being collected and will be laid on the table of the House.

मंत्रियों तथा उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

5358. **श्री प०ह० भील :**
श्री गुलशन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1965 से अप्रैल, 1966 तक उनके मंत्रालय में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) केन्द्रीय तथा राज्यों के मंत्रियों और प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों के अधिकारियों के विरुद्ध पृथक-पृथक कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : गृह-मंत्रालय को 1-1-65 से 30-4-66 तक सतर्कता के मामलों से सम्बन्धित 1,322 शिकायतें प्राप्त हुई। उनमें से एक राजस्थान के मुख्य मंत्री के बारे में थी और लोक सभा में 2-3-66 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1408 के उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। शेष शिकायतों को कार्यवाही के लिये केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेज दिया गया। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों का पृथक-पृथक हिसाब उपलब्ध नहीं है।

अनुसूचित जाति के लोगों के लिये आरक्षण

5359. **श्री प० ह० भील :**
श्री गुलशन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुभाग अधिकारी (सैक्शन आफिसर) के पद पर भर्ती के नियम क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये आरक्षित पद अब आरक्षित नही रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) अनभाग अधिकारियों के पद की भरती के नियम केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 में समाविष्ट हैं, जिनकी प्रतिलिपियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) तथा (ग) : सरकार की वर्तमान रीति के अनुसार (जिसमें कि संविधान की धारा 335 के अधीन स्पष्टत: अभीष्ट दक्षता बनाये रखने के सहित संबंधित मामलों को ध्यान में रखा जाता है) प्रथम व द्वितीय श्रेणी के पदों में अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये आरक्षण केवल सीधी भरती पर लागू होता है। अत: समिति विभागीय परीक्षाओं के आधार पर भरे जाने वाले अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में पदोन्नति-रिक्तियों के बंध में आरक्षण वापिस ले लिया गया है।

जम्मू तथा कश्मीर में तेल

5360. श्री बृजवासी लाल :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग तथा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के परिणामों से इस बात का संकेत मिला था कि जम्मू तथा काश्मीर के रामकोट क्षेत्र में तेल केकाफी भंडार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) रामकोट के पास जम्मू तथा काश्मीर के गिरी पादों (foot hills) में भूगर्भीय और भूभौतिकी सर्वेक्षण कार्य किये जा रहे हैं। इस क्षेत्र में तेल की सम्भावनाओं का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दास आयोग प्रतिवेदन पर आगे कार्यवाही

5361. श्री प० ह० भील :

श्री गुलशन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "दास आयोग प्रतिवेदन" पर आगे कार्यवाही (फोलो अप एक्शन) समाप्त हो गई है ;

(ख) अब तक कितने अधिकारियों तथा राजनीतिज्ञों पर अभियोग चलाया गया है अथवा सजा दी गई है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नहीं में हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : प्रधानत: पंजाब सरकार इस से सम्बन्धित है। उस से निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई है :--

(क) अधिकतर मामलों में निर्णय ले लिये गये है। परन्तु कुछ मामलों में अभी निर्णय लेने शेष हैं।

(ख) कोई नहीं।

(ग) प्रत्येक मामले पर सारे दृष्टिकोणों से सम्पूर्ण विचार करना होता है।

अत्युत्तम कार्य करने के लिये मानदेय

5362. श्री प० ह० भील :

श्री गुलशन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्टाचार सम्बन्धी "सन्तानम समिति" ने कर्मचारियों द्वारा अत्युत्तम कर्तव्य पालन के लिये उनको मानदेय दिये जाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख): संथानम समिति ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की थी। हां, समिति के प्रतिवेदन दे चुकने के कुछ समय बाद उसके अध्यक्ष से एक सिफारिश प्राप्त हुई थी। जो लोग अतिरिक्त समय में काम करने का भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं थे उन्हें मानदेय राशि पहले ही दी जा चुकी है। शेष व्यक्तियों को मानदेय राशि देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय (सेंट्रल) स्कूल

5363. **श्री प्रिय गुप्त:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिये शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये बहुत से केन्द्रीय स्कूल खोले हैं और यदि हां, तो राज्यवार उनकी संख्या कितनी है;

(ख) शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियां क्या क्या हैं और उनके वेतन-क्रम क्या हैं तथा प्रत्येक श्रेणी के लिये अपेक्षित निर्धारित योग्यताएं क्या हैं तथा उन पदों पर किस तरीके से नियुक्तियां की जाती हैं; और

(ग) एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पदोन्नति के नियम क्या हैं और यदि काम करने वाले शिक्षकों में शिक्षा सम्बन्धी निर्धारित योग्यताएं रखने वाले व्यक्ति हो, तो क्या विभागीय पदोन्नति के लिये कोई अभ्यंश नियत किया गया है?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (डा० श्रीमती सौन्दरम् रामचन्द्रन): (क) अब तक 90 स्कूल खोले गए हैं। राज्यवार विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6308/66।]**

(ख) विवरण संलग्न है जिसमें सूचना दी गई है। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6308/66।]**

(ग) अध्यापक पदों की सभी श्रेणियों के लिए सीधी भर्ती की जाती है और उच्च वेतन-मानों में कोई तरक्की नहीं दी जाती है। वर्तमान अध्यापक विज्ञापितउच्च पदों के लिए आवेदन-पत्र दे सकते हैं, बशर्ते कि वे विभिन्न पदों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता आदि की शर्तें पूरी करते हों। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 6308/66]।**

Hindi-knowing Officers in the Ministry of Education

5364. **Shri Vishram Prasad:**
Shri Priya Gupta:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Rajdeo Singh:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the percentage of Class I and Class II gazetted officers working in his Ministry and its Subordinate Offices who know Hindi; and

(b) the percentage of the said Officers doing work in Hindi or encouraging noting and drafting in Hindi?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House when available.

Education Commission

5365. Shri Vishram Prasad : Shri Priya Gupta :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Rajdeo Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the total amount incurred on the Education Commission so far including that incurred on the staff taken from the Ministry of Eudacation; and

(b) the number of the Officials of the Ministry of Education who were transferred to the Education Commission on promotion?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Rs. 14,04,224·05.

(b) 14.

Hindi Directorate

5366. Shri Vishram Prasad : Shri Priya Gupta :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Rajdeo Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of employees of the Ministry of Education who are on deputation in the Hindi Directorate at present and the number of those among tnem whose period of deputation there has exceeded tne period of deputation fixed normally; and

(b) the steps taken by Government so far to recall those employees from there whose period of deputation has exceeded the normal period of deputation and the time by which these employees would be recalled?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Five employees of the Ministry of Education are at present on deputation to the Central Hindi Directorate; and four of them have exceeded the normal deputation period of two years.

(b) In the case of three persons, the Central Hindi Directorate has been informed tnat no further extension will be possible after the present term of deputation expires. The case of the fourth person is under consideration.

Milk for School Children

5367. Shri Priya Gupta : Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Vishram Prasad : Shri Rajdeo Singh :

Will the Minster of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3323 on the 6th April, 1966 and state the reasons for great disparity made between the Southern States and Northern States in distribution of Milk and other articles supplied by C.A.R.E. for the Indian school going children?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Dr. (Mrs.) Soundaram Ramachandran): CARE offers a three commodity programme to all States but the size of the programme which any State can take up depends on its needs and a capacity to fulfil certain minimum requirements in regard to administrative expenditure, control, ware-housing and transportation etc. The disparity between the North and South is mainly due to the fact that Southern States have three commodity programme (Bulgur wheat or rolled wheat, or corn meal, oil and milk) while those in the North have only a milk programme. The Northern States do not seem to be particularly anxious to take additional commodities.

U.P.S.C. Examination for Hindi Assistants

5368. Shri Priya Gupta : Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Vishram Prasad : Shri Rajdeo Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Union Public Service Commission is proposing to hold a competitive examination in the near future for the recruitment of Hindi Assistants; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No. Sir. The question wnether the U. P. S. C. should be asked to hold another examination is under consideration.

(b) Does not arise.

Permanent Staff of Hindi Directorate

5369. Shri Kishen Pattnayak : Shri Priya Gupta : Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Rajdeo Singh :

Will the Minster of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3003 on the 30th March, 1966 and state the difficulties being experienced in declaring permanent the staff of the Central Hindi Directorate?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): There are no specific difficulties. The matter is under active consideration.

Housing of Hindi Directorate

5370. Shri Kishen Pattnayak : Shri Priya Gupta : Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Rajdeo Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Hindi Directorate is presently housed in a bazar of Delhi having constant traffic-noise all round and this disturbs its employees too much in the discharge of their official duties;

(b) if so, the action taken by Government to nouse this Directorate at a better place; and

(c) the time by which this office would be shifted from the bazar?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) Yes, Sir.

(b) The Ministry of Works, Housing and Urban Development have been requested to provide better accommodation for the Directorate.

(c) It is not possible to indicate any time-limit for the shifting at this stage, but it is not going to be very distant.

Promotion of Research Assistants

5371. Shri Kishen Pattnayak : Shri Priya Gupta : Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Rajdeo Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that representations have recently been submitted to the Chairman of Scientific and Technical Terminology Commission, regarding irregularities in the promotions of Research Assistants; and

(b) if so, the action taken in this regard?

The Deputy Mnister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

Junior Editors

5372. **Shri Priya Gupta :**
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of the posts of Junior Editors in the Scientific and Technical Terminology Commission; and

(b) the manner in which recruitment and promotion to the said posts are made?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) One

(b) By direct recruitment through the Union Public Service Commission.

Promotion of Research Assistants

5373. **Shri Priya Gupta :** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Kishen Pattnayak : **Shri Rajdeo Singh :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have framed any rules for the promotion of Research Assistants in the Scientific and Technical Terminology Commission to higher posts ; and

(b) if so, whether a copy of the rules will be placed on the Table ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) & (b). Under the recruitment rules, framed for various posts in the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology, the Research Assistants are eligible for promotion only to the next higher post of Assistant Education Officers. Copies of the recruitment rules for the post of Assistant Education Officers are available in the Parliament Library.

Housing of Scientific and Technical Terminology Commission

5374. **Shri Rajdeo Singh :** **Shri Priya Gupta :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the staff attached to the Commission for Scientific and Technical Terminology in Delhi is scattered in many buildings;

(b) whether action is being taken to keep them in a single building; and

(c) if so, the time taken to complete this action?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) The staff attached to the Commission for Scientific and Technical Terminology, is, at persent, located in two separate buildings.

(b) & (c). The Ministry of Works, Housing and Urban Development have been requested to provide compact alternative accommodation for the staff of the commission. It is, however, difficult as this stage to indicate the time, by which alternative accommodation will be provided by that Ministry.

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये प्रादेशिक भाषायें

5375. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रादेशिक भाषाओं को शामिल करने के बारे में सरकार की सलाह मांगी है;

(ख) यदि हां, तो किन बातों के बारे में सलाह मांगी गई है; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) इस अवस्था पर संघ लोक सेवा आयोग के पत्र-व्यवहार का ब्यौरा बताना जनहित की दृष्टि से ठीक नहीं होगा।

(ग) इस मामले की विधि मंत्रालय की सलाह से जांच की जा रही है।

नागाओं द्वारा पुलिस दल पर गोली चलाया जाना

5376. **श्री बृजवासी लाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैंड शांति प्रेक्षक दल के एक सदस्य के साथ जा रहे पुलिस दल पर जैसे ही वह 26 अप्रैल, 1966 को मनीपुर के उखरूल सब-डिवीजन के युद्धविराम वाले क्षेत्र में खंगखुली खुल्लेन गांव पहुंचा भूमिगत नागाओं के एक दल ने गोली चलाई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) एक शान्ति प्रेक्षक दल के पीछे चलने वाले पुलिस दल को खांगखुली खुल्लेन के पास 26 अप्रैल, 1966 को नागा विद्रोहियों ने घेर लिया।

(ख) उस क्षेत्र में सुरक्षा प्रबन्ध मजबूत किये गये हैं और उक्त घटना की जांच की जा रही है।

दिल्ली के डाकघर से धन का गुम हो जाना

5378. **श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में दिल्ली के हौज काजी डाकघर में 10,000 रुपये की धनराशि गायब पाई गई; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 27 अप्रैल, 1966 को डाकघर हौजकाजी, दिल्ली से 10,000 रुपये की नहीं बल्कि 9,600 रुपये की रक़म के गायब होने का पता चला।

(ख) इस मामले में विभाग तथा पुलिस द्वारा तेज़ी से जांच की जा रही है।

Settlement Organisation

5379. **Shri Sarjoo Pandey :** Will tne Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4044 on the 20th April, 1966 regarding appointments made in the Department of Rehabilitation and state :

(a) the details of rules which have been framed for the posts mentioned in the Annexure to the reply to that question; and

(b) the particulars of those posts in respect of which no recruitment rules have been made so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) The details of the Recruitment Rules for the posts in question are given in Annexure 'A'. **[Placed in Library. See No. L. T./6309/66.]**

(b) The posts for which Recruitment Rules have not been framed are mentioned in Annexure 'B'.

Placed in Library. See No. LT/6309/66).

Foreign Help Received by Political Parties

5380. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the statement of the Congress President, All-India Congress Committee, published in newspapers, in which he has said that some of the political parties in India received help from foreign countries at the time of elections;

(b) if so, whether Government also have collected information about the same at its own level; and

(c) if so, the steps taken to prevent the same?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c). Government collect information in various fields for governmental purposes and in this particular case it will not be in the public interest to say what information has been collected and how this information is being utilized.

तीन वर्षीय मुद्रण प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम

5381. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में शोरानूर में तीन-वर्षीय मुद्रण प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह पाठ्यक्रम कब आरम्भ होगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : जी हां। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की एक विशेषज्ञ समिति प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

नागाओं की घुसपैठ

5382. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री पन्नालाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हेम बरुआ :
श्री राम हरख यादव :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर दिया गया है कि विद्रोही नागा लोग शक्ति परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं और नागालैंड की तथाकथित संघानीय सरकार की तथाकथित नागा-सेना के लगभग 1,000 सशस्त्र नागा सैनिक उखरुल सब-डिवीज़न के युद्ध विराम वाले क्षेत्रों में घुस आये हैं और उन्होंने अपने ठिकाने कायम कर लिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति पर काबू पाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) ऐसी रिपोर्ट मिली है, कि तथाकथित नागा फैडरल आर्मी के लगभग 1,000 सशस्त्र नागा विद्रोही हाल ही में मनीपुर के उखरुल सबडिवीज़न में घुस आये। वे नागालैण्ड से इस क्षेत्र में घुसे हैं, तथा विभिन्न स्थानों पर और जंगलों में कैम्प लगाते रहे हैं।

(ख) समय-समय पर स्थिति के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है।

अभिभावक-अध्यापक परिषद

5383. श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्र मे कोई अभिभावक-अध्यापक संगठन काम कर रहे हैं, और यदि हां, तो उन संगठनों के तथा उनके पदधारियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इन संगठनों का विधिवत् रूप से पंजीयन किया हुआ है और उन्हें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है;

(ग) क्या दिल्ली अभिभावक-अध्यापक परिषद नामक एक संगठन ने दिल्ली के शिक्षा प्राधिकारियों तथा कुछ शिक्षा संस्थाओं के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये हैं और क्या सरकार ने उनकी तथा इन संगठनों के पद-धारियों के पूर्व इतिहास की जांच पड़ताल की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) : जी हां। दिल्ली अभिभावक शिक्षक परिषद ने ऐसे आरोप लगाए हैं। परिषद के पदाधिकारियों के पूर्ववृत्त की जांच की जा रही है और उसके बाद सरकार यह विचार करेगी कि क्या आरोपों की जांच की जाए ?

पटना में उर्वरक कारखाना

5384. **श्री राम हरख यादव :** क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस पटना में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे मे भारत के साथ सहयोग करने के लिये राजी हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अनुमानित व्यय तथा करार की शर्तें क्या है; और

(ग) यह कब स्थापित किया जाएगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) इस समय रुसी सहयोग से पटना में एक उर्वरक कराखाना लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नही उठत। ।

पाकिस्तानियों द्वारा अवैध प्रवेश

5385. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री हेम बरुआ :
श्री प्रिय गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले एक महीने में आसाम के राज्यक्षेत्र में पाकिस्तानियों द्वारा अवैध रूप से प्रवेश करने, डाका डालने और वहां पर जबरदस्ती खेती करने की बहुत सी घटनायें हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में ऐसी कितनी घटनायें हुई है तथा प्रत्येक का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस क्षेत्र की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शुक्ल) : (क) तथा (ख) : 11 और 23 अप्रैल, 1966 के दौरान आसाम के क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने तथा जबरदस्ती खेती करने के प्रयत्नों की 14 घटनाओं की रिपोर्ट मिली है। उसकी विस्तृत सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6310/66।]** 24 अप्रैल, 1966 से अब तक किसी घटना की रिपोर्ट नहीं मिली।

(ग) सीमा सुरक्षा सेना ने सीमा पर सतर्कता के कार्य बढा दिये हैं।

Kidnapping of Indian Children by Pakistanis

5386. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri S. M. Banerjee :
Shri Bade :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Daji :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the newsitem appearing in a Lucknow Hindi Weekly 'Panchjanya' dated the 4th April, 1966 wherein the mystery regarding kidnapping of Indian children by Pakistani agents and smuggling of gold in the hollowed corpses obtained after killing these children has been revealed; and

(b) whether it is a fact that the gang of Pakistani agents indulging in such acts consists of nearly 2,000 persons who are involved either directly or indirectly in such activities; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) Yes, Sir.

(b) Government have no such information.

(c) Does not arise.

Accounts of Hindi Institutions

5387. **Shri Ramapathi Rao :**
Shri Yashpal Singh :
Shri Priya Gupta :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the accounts of Hindi Institutions which have been given grants are got checked through a Government agency;

(b) if so, the names of those Institutions whose accounts have been got checked so far;

(c) if the reply to para. (a) above be in the negative the reasons therefor; and

(d) the steps proposed to be taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) to (d). The accounts of the Voluntary Hindi Organisations in respect of the grants received by them from the Government of India for propagation and development of Hindi are required to be audited by Chartered Accountants. A certificate from the Chartered Accountant in regard to the proper utilisation of grant is insisted upon. Accounts relating to grants are also open to test check by the Comptroller and Auditor General, where found necessary. All grantees have so far been forwarding the audited accounts duly certified by a Chartered Accountant as required under the conditions of the grant.

अनुसूचित क्षेत्रों का प्रतिवेदन

5388. **श्री मनोहरन :**
श्री अ० व० राघवन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद तीन महीनों के भीतर अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को प्रति वर्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा कि 1965–66 में समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों में संवैधानिक निदेशों का कहां तक पालन किया गया है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए, कि प्रतिवेदन संविधान के अनुसार निर्धारित अवधि में प्रस्तुत कर दिये जायें, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : संविधान में ऐसी कोई अवधि विहित नहीं है, जिस में सम्बंधित राज्यपालों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश करनी पड़ती हो। परन्तु अप्रैल, 1959 में राज्य सरकारों को यह प्रार्थना की गई थी, कि वित्तीय वर्ष के लिये यह रिपोर्ट प्रति वर्ष जून मास में भेजी जाय। गृह मंत्रालय में राज्य सरकारों से प्राप्त इन रिपोर्टों की प्राप्ति की तारीखें तथा राष्ट्रपति के सचिवालय को उनके भेजे जाने की तारीखों का एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 6311/66]**। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री (जिन से 1963-64 तथा 1964-65 की रिपोर्ट आनी हैं) तथा महाराष्ट्र व गुजरात के मुख्य मंत्रियों (जिन से 1964-65 की रिपोर्ट आनी हैं) का ध्यान उनकी रिपोर्टें भेजने में हुई देरी की ओर पहले ही आकर्षित किया जा चुका है।

जोरहाट में जीप कांड

5389. **श्री हेम बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोरहाट, आसाम में 7 मार्च, 1966 को हुये जीप कांड के बारे में जिसमें कि कुछ छिपे हुये नागा नेता बैठे हुये थे, और क्या जानकारी एकत्र की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालयमें प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : 7 मार्च, 1966 को जोरहाट में जो जीप पकड़ी गई थी उसमें तथाकथित नागा फेडरल गवर्नमेन्ट का तथाकथित खाद्य और कृषि मंत्री तथा गृह सचिव और चार अन्य व्यक्ति बैठे हुये थे। अन्यों में से दो को शस्त्रास्त्र अधिनियम की धारा 25 (क) तथा भारत सुरक्षा नियमों के नियम 81 के अधीन गिरफ्तार किया गया था तथा दूसरे रोज न्यायालय की जमानत पर छोड़ा गया। पुलिस ने कुछ कागजात भी पकड़े गये थे जो कि तथाकथित नागा फेडरल गवर्नमेन्ट के तथाकथित गृह सचिव के जिम्मा में न्यायालय द्वारा इस निर्देश पर छोड़ दिये गये कि जब भी आवश्यकता होगी वे प्रस्तुत कर दिए जायेंगे। फिर भी मुख्य मुख्य कागजात की फोटो स्टैट प्रतियां पुलिस ने रख ली हैं।

उर्दू के समर्थन में प्रदर्शन

5390. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री राम हरख यादव :
श्री दाजी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश उर्दू मुहाफिज दस्ता (यू० पी० उर्दू प्रोटेक्शन बैंड) के कार्यकर्त्ताओं के एक जत्थे ने उर्दू को मान्यता दिलाने के लिये 17 अप्रैल, 1966 को संसद् भवन के सामने प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो दस्ता के प्रदर्शनकारियों की मांगें क्या हैं; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 17 अप्रैल, को ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। किन्तु उत्तर प्रदेश के उर्दू मुहाफिज दस्ते के कुछ स्वयंसेवक 22 अप्रैल, 1966 को संसद् भवन के सामने बैठ गये और 24 घण्टे के लिये सांकेतिक भूख-हड़ताल की जो 23 अप्रैल, 1966 को समाप्त हो गई।

(ख) उनकी मांग उर्दू को उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेशों तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में द्वितीय राज-भाषा के रूप में मान्यता दिलाना थी।

(ग) सरकार का राष्ट्रपति की जो इन राज्यों में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 347 के अधीन अनुदेश जारी करने की सलाह देने का विचार नहीं है।

Export of Petroleum

5390-A. **Dr. L. M. Singhvi :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Daji :
Shri Priya Gupta :

Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that recently the Indian Oil Corporation has exported petroleum and coke to foreign countries;

(b) the number of such other items which have been exported by India to foreign countries; and

(c) the amount of foreign exchange earned thereby ?

The Minister of Petroleum & Chemicals (Shri O. V. Alagesan) : (a) Yes. Some petroleum coke has recently been exported by Indian Oil Corporation.

(b) & (c). Paraffin wax and light distillates valued at about Rs. 3·92 crores were exported from India in 1965.

Malpractices in Delhi Educational Institutions

5390-B. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Bagri :
Shri Kashi Ram Gupta :
Shri Utiya :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that some malpractices have become a normal feature in the educational institutions of Delhi, such as :—

(i) the students are promoted by adopting unfair means;

(ii) the Managers, Headmasters and teachers against whom allegations of misappropriation and mismanagement are proved are transferred just for making a show but in actual effect they are given promotions thereby; and

(iii) the authors, publishers and Education Officers have made money by getting below standard books approved; and

(b) if so, the steps taken so far by Government to check such type of malpractices?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a), (i), (ii). No, Sir.

(a) (iii). No Sir. Education Department has set up a *Unit* to prepare and produce text-books departmentally. For Higher Secondary Classes (i.e. IX,X,XI) the Central Board of Secondary Education, New Delhi recommends/approves the set of text-books.

(b) Does not arise.

कलकत्ता में प्राथमिक शिक्षा

5390-ग. श्री मधु लिमये :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री नारायण दांडेकर :
श्री प्रिय गुप्त :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दाजी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान के अनुच्छद 45 में निहित निदेशक तत्वों को कार्यरूप देने के लिये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कलकत्ता में कितने नये प्राथमिक स्कूल खोले गये;

(ख) कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के अन्य नगरीय क्षेत्रों में 5-11 आयु वर्ग के कितने प्रतिशत बच्चे निःशुल्क शिक्षा पा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान श्री जे० पी० नायक (उस समय केन्द्र में शिक्षा मंत्रालय के सलाहकार) के प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा विशेष रूप से प्रतिवेदन में बताई गई कलकत्ता में प्राथमिक शिक्षा की दयनीय स्थिति की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही करने की सिफारिश की है तथा पश्चिम बंगाल सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) तथा (ख) : राज्य सरकारों से जानकारी मांगी गई है और यथा समय सभा-पटल पर रखी जायेगी।

(ग) जी हां।

(घ) प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार को भेजा गया है। उनसे मिलने वाली नवीनतम जानकारी से पता चलता है कि निगम को कलकत्ता में प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के लिए एक योजना तैयार करने की प्रार्थना की गई है जिसके अन्तर्गत उसे या तो 50 प्रतिशत खर्च वहन करना चाहिये या कलकत्ता नगर में सम्पत्ति पर शिक्षा उपकर लगाना चाहिये और राज्य सरकार इस योजना के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए तैयार होगी। निगम के साथ उस मामले पर बातचीत हो रही है।

राज्य सरकार का अन्तिम लक्ष्य "निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा" है परंतु अभी वह सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा सशुल्क पर्याप्त शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए प्रयत्न कर रही है।

राज्य सरकार को इस विषय पर विस्तृत ब्योरा देने के लिए प्रार्थना की गई है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 1330 दिनांक 2 मार्च, 1966 के उत्तर की शुद्धि

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): श्री मुहम्मद कोया द्वारा 2 मार्च, 1966 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1330 के उत्तर में यह कहा गया था कि केरल में पदने उप-डाकघर का स्तर बढ़ाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अब मालूम हुआ है कि अप्रैल, 1964 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। परन्तु इस प्रस्ताव की जांच करने पर मालूम हुआ है कि पदने उप-डाकघर का स्तर ऊंचा करना उचित नहीं है क्योंकि वित्तीय तथा काम सम्बन्धी प्रमाणों पर यह पूरा नहीं उतरता।

प्रश्न का उत्तर इस प्रकार पढ़ा जाये :

(क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) पदने उप-डाकघर का स्तर नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि वह उप-डाकघरों का स्तर बढ़ाने के लिए निर्धारित प्रमाणों पर पूरा नहीं उतरा।

अतारांकित प्रश्न संख्या 3064 दि० 30 मार्च, 1966 के उत्तर की शुद्धि

पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : ईरान में समुद्र तट के परे ड्रिलिंग पर व्यय सम्बन्धी 30 मार्च, 1966 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3064 के भाग (ग) के उत्तर में कहा गया था कि "31 दिसम्बर, 1965 तक 6.84 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं" जिसमें से एक-तिहाई भाग तल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का है। वास्तव में 6.84 करोड़ रुपये की यह समूची राशि ईरान के तट से परे तेल की खोज पर व्यय का तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का भाग है।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दिल्ली में बिजली का फेल हो जाना

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं सिंचाई और विद्युत् मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह उस पर अपना वक्तव्य दें :—

"**दिल्ली में बिजली का फेल हो जाना**"।

अध्यक्ष महोदय : क्या वक्तव्य की प्रतियां सदस्यों को दी जा चुकी हैं? यदि ऐसा है तो फिर यहां वक्तव्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : जी हां, प्रतियां पहले ही दी जा चुकी हैं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 6275/66]**

श्री यशपाल सिंह : दिल्ली को भाखड़ा बांध अथवा पंजाब सरकार के रहम पर क्यों छोड दिया गया है? यहां के लिये एक बड़ा विद्युत प्रजलन केन्द्र क्यों नहीं बनाया गया?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) : दिल्ली को बिजली दो स्थानों से प्राप्त होती है। एक तो दिल्ली में ही स्थित ताप विद्युत केन्द्र और दूसरे भाखड़ा जल-विद्युत केन्द्र। भाखड़ा से प्राप्त विद्युत सस्ती पड़ती है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : क्या दिल्ली चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में विद्युत के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेगी?

श्री फखरुद्दीन अहमद : हम ऐसे कदम उठा रहे हैं जिस से दिल्ली में बिजली की क्षमता बढ़े। परन्तु जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया भाखड़ा से बिजली सस्ती मिलती है। परन्तु गत वर्ष 1965 में कम वर्षा होने के कारण हमें नांगल से अधिक बिजली नहीं मिल सकी। परन्तु इस वर्ष मुझे आशा है कि हमें अधिक बिजली मिले।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : क्या ऐसी व्यवस्था नहीं की गई थी कि पहले से अनुमान लगा लिया जाता कि बिजली फेल होती है और इस बार फेल होने का कारण क्या है?

डा० कु० ल० राव : इस बार बिजली फेल होने का कारण यह था कि पानीपत में एक सब-स्टेशन पर बिजली पड गई और उसके बारे मे मैं कुछ कह नहीं सकता। यह तो केवल दुर्घटना थी।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या मैं जान सकता हूं कि इसका स्थायी हल क्या है और दिल्ली इस मामले में कब तक आत्म-निर्भर हो जायेगा?

डा० कु० ल० राव : दिल्ली में बिजली की कमी नहीं है। यह तो एकदम बिजली फेल हो गई। शीघ्र ही दिल्ली में फालतु बिजली होगी।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : In view of the occasional failure of water and electricity supply in Delhi may I know whether some industrialists have offered to provide cheaper electricity if they are given facilities to do so and if so, what is the government's reaction to it?

डा० कु० ल० राव : मैं ने पहले ही बताया है कि दिल्ली में बिजली की कमी नही है। हां, पानी के बांटने के कार्य में कुछ कमी हुई है।

Shri Vishwanath Pandey (Salempur) : Are Government going to appoint a Committee to consider the whole matter in all its ramification?

डा० कु० ल० राव : इस में समिति नियुक्त करने का प्रश्न ही नही है। यह तो केवल दुर्घटना के कारण हो गया।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : क्या सरकार बता सकती है कि दिल्ली बिजली के मामले में कब तक आत्म-निर्भर हो जायेगी क्योंकि अब तो हमें पंजाब पर निर्भर रहना पडता है ?

डा० कु० ल० राव : अब हम नये बिजली घर स्थापित कर रहें हैं और उसके बाद हम उन्हें पंजाब को ही बिजली दिया करेंगे ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : On the one hand the government says that there was no shortage of electricity and on the other they say that now there is shortage, so what is the correct position?

डा० कु० ल० राव : बात यह है कि यह दुर्घटना बिजली गिरने के कारण हुई है। "लाईटनिंग एरेस्टट" खराब होने से दिल्ली को बिजली का आना बन्द हो गया था।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Is it a fact that when shortage has to be effected in the supply of water and electricity to Delhi, it is mostly those areas which are densely populated which suffers more and the areas inhabited by rich men are treated in other manner?

डा० कु० ल० राव : बिजली के देने के बारे में ऐसा भेदभाव नही बरता जाता।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बारे में लेख तथा अन्य पत्र

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : श्री अलगेसन की ओर से मैं सभापटल पर निम्नलिखित की एक-एक प्रति रखता हूं :--

(1) (एक) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 22 की उपधारा (4) के अन्तर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1963-64 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) उक्त लेखे को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण।
[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी-6276/66।]

योजना मंत्री के अपनी अमरीका यात्रा संबंधी वक्तव्य के बारे में
RE : PLANNING MINISTER'S STATEMENT ON HIS VISIT TO U.S.A.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : अभी थोड़ी देर पहले मैंने अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में एक नोटिस दिया था। हमें बताया गया था कि योजना मंत्री श्री अशोक मेहता अपनी अमरीकी यात्रा के बारे में एक वक्तव्य देंगे। उन्हें आये हुए तीन दिन बीत गये हैं परन्तु उन्होंने कोई वक्तव्य अभी तक नहीं दिया। सारे संसार को तो इसके बारे में पता है है परन्तु इस सभा को कुछ पता नहीं। हम जानना चाहते हैं कि उस मामले का क्या बना ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : सरकार यह वक्तव्य 13 तारीख को देगी।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : संसद 17 तारीख को स्थगित हो जायेगी और इस पर चर्चा करने के लिये बहुत कम समय रह जायेगा। वह राष्ट्रपति जानसन से पूछना चाहते हैं और बाद में वक्तव्य दें। इस विषय में हमने विशेषाधिकार का नोटिस भी दिया है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : समाचारपत्रों में यह समाचार आया है कि श्री अशोक मेहता ने अमरीका से चलने से पूर्व अपना यहां देने वाला वक्तव्य विश्व बैंक के प्रधान जार्ज वूड को दिखाया था। यदि ऐसा है तो यह संसद का अपमान है। हम इस विषय में आपका निदेश चाहते हैं। इस प्रकार के मामले समाप्त होने चाहियें। संसद के साथ यह बरताव ठीक नहीं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यह बहुत गम्भीर मामला है। मंत्री महोदय को शीघ्र ही वक्तव्य देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : सदन के विचार मंत्री तक पहुंचा दिये जायें।

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : पहले भी समाचार पत्रों के समाचार निराधार साबित हो चुके हैं। मंत्री महोदय इस पर परसों अपना वक्तव्य देंगे। रहा अमरीका से अनुमति लेने का तो यह बात भी मैं अपने सहयोगी से कह दूंगा कि इस पर प्रकाश डालें।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हमने विशेषाधिकार का नोटिस दिया है। इस लिये हम चाहते हैं कि इस पर अभी चर्चा हो।

अध्यक्ष महोदय : जो मैं ने अब तक सुना है उस से तो विशेषाधिकार के प्रश्न के लिये गुंजाइश नहीं दिखाई देती। फिर भी पहले मंत्री का वक्तव्य हो लेने दीजिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हमने उस समाचार का हवाला दिया है जिसके अनुसार इस वक्तव्य के देने से पूर्व उसकी अमरीका से अनुमति ली जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : पहले वक्तव्य हो लेने दीजिये।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The question of privilege involved is whether tne statements of the ministers which they are to make here are to be okayed by others. If that is the case then the sovereignty of this House is jeopardised. I want your ruling on it.

Mr. Speaker : I have already given that.

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी
PAPERS LAID ON THE TABLE—*Contd.*

परिसीमित आयोग के आदेश

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चें० रा० पट्टाभिरामन) : मैं परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्मलिखित आदेशों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 4 जिसके द्वारा आसाम राज्य में संसद तथा विधान सभा के निर्वाचन-क्षेत्रों की परिसीमायें निर्धारित की गई तथा जो दिनांक 20

अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1264 में प्रकाशित हुआ था। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०–6277/66।**]

(दो) परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 14 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में संसद् तथा विधान सभा के निर्वाचन-क्षेत्रों की परिसीमायें निर्धारित की गई तथा जो दिनांक 25 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1268 में प्रकाशित हुआ था। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी०–6278/66।**]

औद्योगिक सुरक्षितता सम्मेलन के बारे में वक्तव्य

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं सभा पटल पर निम्न-लिखित रखता हूं :—

(1) (एक) 11 से 14 दिसम्बर, 1965 तक नई दिल्ली में हुए औद्योगिक सुरक्षितता सम्बन्धी राष्ट्रपति के सम्मेलन के बारे में एक वक्तव्य।

(दो) उक्त सम्मेलन की कार्यवाही का सारांश। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 6279/66।**]

(2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल औद्योगिक संस्थापन (राष्ट्रीय तथा पर्वदिनों की छुट्टियां) अधिनियम, 1958 की धारा 12 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 72/66 की एक प्रति जो दिनांक 22 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। तथा जिसके द्वारा केरल औद्योगिक संस्थापन (राष्ट्रीय तथा पर्वदिनों की छुट्टियां) नियम, 1959 में एक संशोधन किया गया। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०–6280/66।**]

(3) मैसूर गोल्ड माईन, कोलार गोल्ड फील्ड में 6 फरवरी 1966 को हुई घातक दुर्घटना सम्बन्धी प्रतिवेदन की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०–6281/66**]

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य-सभा के सचिव से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है और उसकी मैं सूचना देता हूं :—

"कि लोक-सभा द्वारा 29 अप्रैल 1966 को पास किये गये विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1966 के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पो सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

नवासीवाँ प्रतिवेदन

श्री स० वा० कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का नवासीवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी द्वारा खाद्य मंत्री को लिखे गये पत्र के बारें में वक्तव्य

STATEMENT RE : DR. L. M. SINGHVI'S LETTER TO FOOD MINISTER

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम) : मैं अपना और से एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। कल डा० सिंघवी ने मुझ से एक प्रश्न पूछा था जिसका संबंध राजस्थान सरकार द्वारा वहां के अन्न व्यापारियों के साथ बर्ताव से था। मैं ने उसका उत्तर दिया था कि मैं इस पर विचार करूंगा तथा उच्च न्यायालय के जिस निर्णय का उन्होंने उल्लेख किया था, उसे भी पढ़ूंगा। इस पर श्री रंगा ने कहा कि इसमें बहुत देर हो गई है और कुछ किया जाना चाहिये।

इस संदर्भ में मैं यह नम्रता से कहना चाहता हूं कि मुझे डा० सिंघवी से एक पत्र प्राप्त हुआ था तथा 25 मार्च को श्री गोविन्द मेनन ने उन्हें उत्तर भेज दिया है। यह दूसरी बात है कि इस से उनका समाधान न हुआ है। साथ ही उन्होंने एक प्रश्न पूछा जिस से यह प्रतीत होता था कि उनके पत्रों पर ध्यान नहीं दिया गया। परन्तु यह गलत है। मैं यह भी कह दूं कि जो पत्र मेरे पास आते हैं उनको मैं पढ़ता हूं और शीघ्र कार्यवाही करता हूं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्री सुब्रह्मण्यम का वक्तव्य मुझे 12 बजने से केवल 5 मिनट पहले प्राप्त हुआ। कल फिर उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा और कहा कि श्री गोविन्द मेनन ने उत्तर दिया है। इसका मुझे ध्यान नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कल डा० सिंघवी ने यह धारणा प्रकट की कि उन्हें उत्तर ही प्राप्त नहीं हुआ। श्री रंगा ने भी उसका समर्थन करते कहा कि मंत्री महोदय ने सदस्य का आदर नहीं किया है। मैं स्वयं कहता हूं कि सदस्यों के पत्रों का मंत्री को उत्तर देना चाहिये। यह दूसरी बात है कि सदस्य की इससे संतुष्टि होती है अथवा नहीं। परन्तु अब जब कि मंत्री महोदय ने उत्तर दिया हो तो डा० सिंघवी कहते हैं कि उन्हें याद नहीं है। इस लिये इन बातों में हमें दोनों ओर सहनशीलता होनी चाहिये।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मुझे कल सायं उस पत्र की एक प्रति प्राप्त हुई है परन्तु मैं ने उसे पढ़ा नहीं है।

बात यह है कि उच्च न्यायालय ने जब एक निर्णय दिया है जो सरकार के विरुद्ध है और जिसमें कहा गया है कि सरकार ने गलत काम किया है। उसमें यह भी कहा है कि सरकार को इस प्रकार कार्य करना चाहिये। फिर क्या कारण है कि सरकार ने उसे कार्यान्वित नहीं किया है? इस वक्तव्य से तो ऐसा दिखाई देता है कि एक कारखाने के बारे में वे पाबन्दी को ढ़ीला करना चाहते थे।

अध्यक्ष महोदय : इस समय इसका इस से कोई संबंध नहीं है।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिये राज्य-सभा से सिफारिश

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज): मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा श्री आबिद अली, श्री एम० एन० गोविन्दन नायर और श्री मुल्लंगि गोविन्द रेड्डी के राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के कारण इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति में हुई रिक्तताओं के लिए समिति की शेष अवधि के लिए इसके साथ सहयोजित करने हेतु राज्य-सभा के तीन सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

एक सदस्य : क्या यह नियम के अन्तर्गत है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं ने सभापति से पूछा था। उन्होंने कहा कि उनके सदस्य केवल 2 वर्ष के लिये नियुक्त होंगे और प्रत्येक 2 वर्ष बाद सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्य भी बदलेंगे। हमारे सदन में तो यह सदन के साथ है। मुझे पता चला है कि नियम बदल गया है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं नियम समिति की सदस्या हूं और मुझे इसके बारे में बताया नहीं गया है।

श्री दाजी (इन्दौर) : राज्य-सभा को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। यह समिति इस सदन के प्रस्ताव से नियुक्त हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो यह है कि इन सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया है। अब हम क्या करें ?

श्री हरि विष्णु कामत : जहाँ तक सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का सम्बन्ध है सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने प्राक्कलन तथा लोक लेखा समितियों के सब कार्य अपने हाथ में ले लिये हैं। मुझे याद है कि जब यह समिति गठित की गई उस समय राज्य-सभा से कहा गया था कि वह इस समिति के साथ सहयोजित करने के लिये अपने सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट करे परन्तु यह व्यवस्था अस्थायी रूप से की गई थी। इस बात को देखते हुए कि राज्य-सभा प्राक्कलन समिति के साथ अपने सदस्यों को सहयोजित नहीं कर सकती, जोकि अब एक नियम है परन्तु अभी तक पूरा नहीं किया गया है, क्या यह सम्भव या वांछनीय है कि राज्य-सभा के सदस्य चाहे कितने ही योग्य क्यों न हों, राज्य सभा से यह कहा जाये कि वह सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ अपने सदस्यों का सहयोजित करना जारी रखे ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह सभा दूसरे मामलों में भी इसी तरह के प्रस्ताव पेश कर सकती है ? उदाहरण स्वरूप, आपने लन्दन में होने वाले एक सम्मेलन के लिए इस सभा के एक सदस्य को हाल ही में नाम-निर्दिष्ट किया है। क्या इसी प्रकार यह सभा राज्य सभा से यह सिफारिश कर सकती है कि वह उस सम्मेलन के लिये राज्य-सभा के सभापति को उसके प्रतिनिधि रूप में नाम-निर्दिष्ट करे।

अध्यक्ष महोदय : दूसरी बात का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। हम पहले ही यह निश्चय कर चुके है कि राज्य-सभा के सदस्य सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति से सहयोजित होंगे और यहींपर इस सम्बन्ध में एक संकल्प भी स्वीकृत किया था।

प्रश्न यह है कि :—

"कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा श्री आबिद अली, एम० एन० गोविन्दन नायर और श्री मुल्लंगि गोविन्द रेड्डी के राज्य-सभा से सेवा-निवृत्त होने के कारण इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति में हुई रिक्तताओं के लिये समिति की शेष अवधि के लिए इसके साथ सहयोजित करने हेतु राज्य-सभा के तीन सदस्य नाम-निर्दिष्ट करने के लिये सहमत हो और राज्य-सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। / *The motion was adopted.*

आय व्ययक (केरल), 1966—67—सामान्य चर्चा तथा अनुदानों की मांगें—जारी

BUDGET (KERALA), 1966-67—GENERAL DISCUSSION AND DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में वर्ष 1966-67 के लिये आय-व्ययक (केरल) सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा तथा मतदान होगा। मंत्री महोदय वाद-विवाद का उत्तर दें।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत): अध्यक्ष महोदय, यह बड़े, सन्तोष की बात कि केरल विनियोग विधेयक पर कल हुए वाद-विवाद में अधिकतर राज्य के आर्थिक विकास तथा उसके कल्याण पर चर्चा हुई थी।

केरल की समस्यायों को हल करने के बारे में सरकार पर उपेक्षा तथा पक्षपात के जो आरोप लगाये गये हैं वे अनुचित हैं। सरकार की नीति आर्थिक तौर पर पिछड़े हुअे राज्यों की सहायता करना है केरल के लिअे जो साधन जुटाये गये हैं वह दूसरे किसी भी राज्य के लिये जुटाये गये साधनों से अच्छे हैं। मैं केरल को एक पिछड़ा राज्य नहीं कहता क्योंकि वह केवल आर्थिक साधनों का छोड़कर लगभग सभी बातों में आगे है। अधिक विकास के लिए उनके अपने साधनों का इतना महत्व नहीं है जितना उनके प्रयत्नों का है। उदाहरण के लिए पंजाब को लीजिए। वहाँ पर पहली, दूसरी तथा तीसरी योजनाएं आरम्भ होने पर स्थिति अच्छी नहीं थी परन्तु उस स्थिति में भी उन्होंने प्रगति की जिसके लिए श्रेय वहाँ के लोगों की शक्ति को है।

केरल को दिये गये साधन दूसरे राज्यों को दिये गये साधनों के बराबर ही हैं। हमें देखना यह है कि केन्द्रीय सहायता के बारे में क्या हुआ है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

केरल की 180 करोड़ रुपये की तीसरी योजना में से 126 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार ने दिये थे जोकि केरल की 70 प्रतिशत सहायता थी जबकि अखिल भारतीय औसत 61.2 प्रतिशत थी। केरल की चौथी योजना के प्रथम वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने 70 प्रतिशत की सहायता की है जब कि अखिल भारतीय औसत 61 प्रतिशत से कम होकर 54 प्रतिशत रह गयी है। अपने सीमित साधनों के साथ हम यही भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि उन्हें हम इतना न्यायपूर्ण ढंग से बांटें कि उससे उन्नति की गति अधिकाधिक बढ़े।

बेरोजगारी या निम्न जीवन स्तर जैसी समस्याओं का उल्लेख किया गया है। यह समस्याएं केवल केरल तक ही सीमित नहीं हैं। ये राष्ट्रीय समस्याएं हैं और इनको इसी प्रकार से हल किया जाएगा। निधि न देने का आरोप सच नहीं है। केरल की तीसरी योजना के लिए 170 करोड़ रुपये रखे गये थे परन्तु बाद में इनमें 10 करोड रुपये की वृद्धि कर दी गई थी। इसलिए यह कहना कि वहाँ पर निधियां वापस की गई, सच नहीं है।

यह कहा जाना बड़े आश्चर्य की बात है कि तीसरी योजना में सिंचाई की कोई नई योजना आरम्भ नहीं की गई है। सच यह है कि राज्य की दूसरी योजना से निकली अन्य योजनाओं के अतिरिक्त राज्य की तीसरी योजना में छः नई परियोजनाएं सम्मिलित की गई थीं। वास्तव में यदि छः के बजाय दो या तीन योजनाएं आरम्भ की जाती तो उनमें से अधिकांश सफल होती और उनका लाभ प्राप्त होता। परन्तु इनमें से आठ योजनाएं सब प्रकार से इस वर्ष पूरी हो जाएंगी। कलादा योजना जो नई है आरंभ की जानी चाहिये। एदामलायर परियोजना के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति द्वारा उल्लिखित बात पर भी मैं अवश्य ध्यान दूंगा।

चालू वर्ष की योजना में हमने नये कार्यक्रमों की व्यवस्था की है और अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त धन निर्धारित किया गया है। हमने पहले ही 700 एकड़ गैर-सरकारी भूमि पर अधिक धान देने वाली फसल प्रयोगात्मक ढंग से उगायी ही है। उससे बहुत अच्छी उपज हुई है और आशा है कि इस वर्ष बड़े पैमाने पर 5 लाख एकड़ भूमि पर यह कार्यक्रम आरम्भ किया जायेगा। यदि इस कार्य में सफलता मिली तो केरल में खाद्य उत्पादन बहुत अधिक बढ़ जायेगा।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति द्वारा राज्य सरकार के उद्योगों के बारे में दी गई कुछ सिफारिशों का उल्लेख किया गया है। मैं आश्वासन देता हूं कि सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि इस समिति की सिफारिशों पर शीघ्र कार्यवाही की जाये।

तीसरी योजना में केरल ने संचार के मामले में पर्याप्त प्रगति की है। सरकारी क्षेत्र में कुल पूंजीगत व्यय 11.5 करोड़ रुपये हुआ है जबकि योजना में केवल 9 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। केन्द्रीय क्षेत्र में अर्थात् राष्ट्रीय राजपत्र पश्चिमी तृतीय सड़कों आदि में तीसरी योजना के दौरान कुल व्यय 3.5 करोड़ रुपये हुआ था और केवल सड़कों पर कुल व्यय 15 करोड़ रुपये था। राज्य में 3540 किलोमिटर सड़कें बनाई गई हैं और 111 बड़े पुल पुरे किये गये हैं और उन पर याता-यात आरम्भ किया गया है। वास्तव में, कुल क्षेत्र की तुलना में राज्य में पक्की सड़कों का अनुपात अखिल भारतीय अनुपात से तिगुना है।

केरल देश का एक बहुत सुन्दर भाग है और पर्यटन के विकास के लिए वहाँ बहुत साधन हैं। केरल के पश्चिमी तट तथा अन्य स्थानों पर विकास की बहुत गुंजाइश है। सरकार इस ओर ध्यान दे रही है।

पिछले दो वर्षों में हमने इस बात के लिये प्रयत्न किये हैं कि केरल में विद्युत् की स्थिति में सुधार हो। हमने अधिक धन की व्यवस्था की है ताकि योजना के 43 करोड़ रुपयों के लक्ष्य की बजाय 59 करोड़ रुपये लगाये जायें। तीसरी योजना के पहले वर्ष में संस्थापित क्षमता 192.5 मैगावाट थी और यह बढ़कर 546.5 मैगावाट हो जायेगी। यह वृद्धि इसी वर्ष के अन्त तक हो जायेगी।

जहां तक ताप बिजली संयंत्र का प्रश्न है, यह सत्य है कि राज्य सरकार एक 100 मिलीवाट का संयंत्र स्थापित करना चाहती है। इस मामले में एक तकनीकी समिति ने जांच की थी और 30 मिलीवाट का बिजलीघर लगाये जाने की सिफारिश की है।

क्षेत्रीय ग्रिडों के लग जाने के बाद एक राज्य की कमी दूसरे राज्य द्वारा पूरी की जा सकेगी।

बात यह नहीं है कि किसी क्षेत्र में विद्युत शक्ति की कमी है बल्कि इतनी पूर्ति राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में होनी है। तापीय बिजली घर की केरल में ही आवश्यकता नहीं है बल्कि मद्रास तथा अन्य राज्यों में भी आवश्यक है क्योंकि वहां वर्षा तथा पानी इकट्ठा करने के लिये साधनों की कमी है। इस कारण विद्युत शक्ति का "लोड" घटता-बढ़ता रहता है। इस दृष्टिकोण से तकनीकी समिति ने इस बारे में जांच की थी। समिति ने 30 मिलीवाट तापीय संयंत्र के लिये सिफारिश की है। यदि आवश्यक होगा तो एक और 30 मिलीवाट का तापीय बिजली घर बनाने के बारे में विचार किया जायेगा अथवा उसी संयंत्र को 100 या 200 मिलीवाट बनाने के बारे में विचार किया जायेगा।

अराजपत्रित सरकारी अफसरों द्वारा दी गई धमकियों तथा उनके वेतन-क्रम के पुनरीक्षण के बारे में यह कहा गया है कि हमने वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है। वास्तव में बात यह है कि सरकार ने आयोग की सिफारिशों में बहुत कम परिवर्तन किये हैं और जो कुछ परि-वर्तन किये गये हैं वे कम-वेतन पाने वाले कर्मचारियों के हित में किये गये हैं और उच्च वेतन वाले कर्मचारियों को मिलने वालों लाभों को कम करने के लिये किये गये हैं। **(व्यवधान)**

उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों के बारे में यह सिफारिश की गई है कि महंगाई भत्ता 1200 रुपये प्रति मास पाने वाले कर्मचारियों की बजाय 1,000 रुपये प्रति मास तक पाने वाले कर्मचारियों को दिया जाये। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिये 1,500 से 1.800 तक का उच्च वेतन क्रम था परन्तु सरकार ने उसे घटा कर 1,300 से 1,700 तक कर दिया है।

[श्री ब० रा० भगत]

कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिये आयोग ने 60 से 75 तथा 65–75 तक के वेतन क्रमों की सिफारिश की थी परन्तु सरकार ने सुधार करके क्रमश: 60 से 75 तथा 65 से 80 तक के वेतन क्रम निर्धारित किये हैं। इसी प्रकार सरकार ने प्राथमिकता पाठशालाओं के मुख्याध्यापकों के लिये माध्यमिक उच्च वेतन क्रम चालू किया है। 125 से 175 रुपये के वेतन क्रम की मांग की गई थी। सरकार ने इसी संशोधित क्रम का सुझाव दिया था। इस प्रकार 75 लाख प्रति वर्ष का अतिरिक्त व्यय होगा। अब अराजपत्रित अफसरों की जो मांग है वह इतनी अधिक है कि सरकार उसे वहन नहीं कर सकती। यदि उनकी मांगों को इस समय स्वीकार कर लिया जाये तो 5 से 6 करोड़ प्रतिवर्ष का अतिरिक्त व्यय होगा। राज्य सरकार इस भार को नहीं उठा सकती। अत: जो नीति घोषणा की गई है वह यह है कि वेतन क्रम मद्रास राज्य के शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन क्रमों जैसे होंगे। इसको कार्यान्वित भी किया जा चुका है। अत: अराजपत्रित कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं की जा सकती।

इन शब्दों के साथ मैं यह मांगे सभा के विचार के लिये रखता हूं।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।/ *All the Cut Motions were put and negatived.*

बजट (केरल) सम्बन्धी निम्नलिखित अनुदानों की मांगे मतदान के लिये रखी गयी और स्वीकृत हुई/
The following Demands for Grants in respect of Budget (Kerala) were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	कृषि-आय कर और बिक्री कर	43,60,500
2	भू-राजस्व	1,81,06,500
3	उत्पादन शुल्क	29,94,600
4	गाड़ियों पर कर	9,75,900
5	स्टाम्प	13,96,500
6	रजिस्ट्रेशन फीस	38,56,100
7	राज्य विधान मंडल . . .	8,11,200
8	निर्वाचन	17,41,700
9	राज्याध्यक्ष, मंत्री और मुख्यालय के कर्मचारी	74,48,300
10	जिला प्रशासन और विविध	92,98,900
11	न्याय प्रशासन . .	1,02,07,000
12	जैसे	49,43,700
13	पुलिस	4,46,41,200
14	राज्य बीमा और विविध . .	17,52,800
15	वैज्ञानिक विभाग .	9,16,000
16	विश्वविद्यालय शिक्षा . . .	1,77,63,700
17	सामान्य शिक्षा . . .	25,13,72,700
18	तकनीकी शिक्षा	1,35,08,900

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
19	चिकित्सा	5,95,68,800
20	लोक स्वास्थ्य	2,27,57,200
21	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी	1,49,76,700
22	कृषि	3,42,35,500
23	मीन क्षेत्र	77,82,000
24	ग्राम विकास	47,70,700
25	पशु पालन	97,14,800
26	सहकारिता	57,27,900
27	उद्योग	95,97,800
28	सामुदायिक विकास प्रायोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य	2,47,59,200
29	श्रम और नियोजन	73,67,100
30	हरिजन कल्याण	1,64,83,700
31	अंक संकलन और विविध	51,47,700
32	सिंचाई	3,13,02,000
33	सरकारी निर्माण कार्य	8,66,52,700
34	बन्दरगाहें	14,67,500
36	दुर्भिक्ष	14,02,800
37	पेंशने	2,61,26,400
38	लेखन सामग्री और छपाई	66,74,300
39	वन	1,35,98,800
40	विविध	83,75,200
41	विविध क्षतिपूर्ति और समर्पण	17,76,800
43	लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	99,48,500
44	कृषि सम्बन्धी सुधार पर पूंजी परिव्यय	16,99,100
45	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	3,06,90,400
46	सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	3,48,79,100
47	सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4,75,54,000
48	अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	20,34,000
49	बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय	72,61,500
51	वनों पर पूंजी परिव्यय	80,40,000
52	पेंशनों का राशिकृत मूल्य	2,97,500
53	सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	5,07,59,500
55	सरकार द्वारा किये जाने वाले ऋण और अग्रिम	18,49,43,900

केरल विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1966
KERALA APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1966

श्री ब० रा० भगत : मैं श्री शचीन्द्र चौधरी की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1966-67 की सेवाओं के लिये केरल राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष, 1966-67 की सेवाओं के लिये केरल राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The Motion was adopted.*

श्री ब० रा० भगत : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं।

श्री ब० रा० भगत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1966-67 की सेवाओं के लिये केरल राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1966-67 की सेवाओं के लिये केरल राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The Motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The Motion was adopted.*

खण्ड 2 और 3, खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम, विधयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 and 3, Clause 1, Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री ब० रा० भगत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जायें।" *"That the Bill be passed".*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ / *The Motion was adopted.*

उपज उपकर विधेयक
PRODUCE CESS BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा उपज उपकर विधेयक पर विचार करेगी।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : श्रीमन्, उपज उपकर विधेयक का सम्बन्ध मुख्यत: कृषि उत्पादन विशेष रूप से कपास, नारियल तथा तिलहन, पर लगाया गया कर वसूल करना है ताकि कृषि के सुधार तथा विकास के तरीकों के लिए तथा सम्बन्धित वस्तुओं के विक्रय के लिये वित्त व्यवस्था की जा सके।

जैसा कि सभा को पता है कि जो वस्तु समितियां अभी हाल में समाप्त की गई हैं, उनको भारतीय कपास उपकर अधिनियम, 1923, भारतीय लाख उपकर अधिनियम, 1930, भारतीय नारियल समिति अधिनियम 1944 तथा भारतीय तिलहन समिति अधिनियम, 1946 से होने वाली आय से वित्तीय सहायता मिलती थी।

देश में कृषि अनुसंधान के पुनर्गठन के भाग के रूप में यह निर्णय किया गया है कि अनुसन्धान कार्यक्रमों में केन्द्र द्वारा तालमेल हो और उसके निर्देशन में कार्य किया जाये। अत: यह भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के अन्तर्गत होना चाहिये। जिन समितियों को पहले ही समाप्त कर दिया गया है उनके विकास, विक्रय और अन्य कृत्य कृषि विभाग के अन्तर्गत सीधे रूप से रखे जा रहे हैं। हमने रुई, लाख, नारियल, तिलहन आदि विभिन्न वस्तुओं के विकास के लिये बहुत अच्छा कार्यक्रम बनाया है। उसी पृष्ठभूमि में उपज उपकर विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। इस अवसर का लाभ विभिन्न वस्तुओं पर उपकर के स्वरूप को सरल करने के लिए और उपकर को वस्तुओं के वर्तमान मूल्यों को उपकर के अनुसार लाने के लिये उठाया जा रहा है। विकास तथा अनुसन्धान पर अधिक व्यय को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि उपकर की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाये।

1966-67 में पटसन का उत्पादन 73.3 लाख गांठें बनाने का कार्यक्रम बनाया गया है। इसी प्रकार मेसटा के लिये 18.62 लाख गांठों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमने पटसन के लिये उर्वरक की मात्रा तिगुनी कर दी है। हमने 4.15 लाख एकड़ भूमि में यूरिया का छिड़काव करने का भी प्रबन्ध किया है। पटसन के 41,500 मन अच्छे बीज का उत्पादन तथा सप्लाई करने के लिये भी एक एकीकृत कार्यक्रम तैयार किया गया है।

इसी प्रकार मुँगफली सम्बन्धी कार्यक्रम को भी इतनी ही तेजी से पूरा किया जाना है। आशा है कि चालू वर्ष में 5 लाख एकड़ भूमि में हम मुँगफली का उत्पादन करने का विशेष कार्यक्रम बना लेंगे। यह नया कार्यक्रम महाराष्ट्र में सांगली में चल रहे कार्यक्रम की सफलता के आधार पर बनाया गया है। 1966-67 में 500,000 एकड़ भूमि में उत्पादन होगा परन्तु 1970–71 तक 30 लाख एकड़ से अधिक भूमि में होने लगेगा। इसके लिये हम अच्छे बीज तथा उर्वरक इत्यादि देने की को व्यवस्था कर रहे हैं। अभी यह कार्यक्रम महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मैसूर तथा मद्रास में चलेगा। हमारा यह ध्येय नहीं है कि केवल मुँगफली के उत्पादन पर ही जोर दिया जाए। अन्य तिलहन के उत्पादन के लिये भी कार्यक्रम बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में 200,000 एकड़ भूमि में सरसों का उत्पादन करने का कार्यक्रम बनाया गया है। उसी प्रकार आन्ध्र प्रदेश में अंडी के उत्पादन का कार्यक्रम बनाया गया है।

मुख्यत: हमारा प्रयत्न यह है कि उस भूमि में रुई की उपज में वृद्धि की जायें जिसमें पहले से ही रुई बोई जाती है। चौथी योजना में सघन कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 50 लाख एकड़ भूमि लाने का लक्ष्य है। बीजों का उत्पादन तथा रुई की नई किस्मों को चालू करने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। 1966-67 में 4.7 लाख एकड़ भूमि को पर्याप्त उर्वरक तथा कीटनाशक औषधियां देने का विचार है।

हमें उन नई किस्मों का सुधार करते रहना है जिनसे अधिक तथा अच्छे किस्म का उत्पादन हो सकता है। कृषि के क्षेत्र में अनुसन्धान कार्य में जिस लगन से कार्य किया जा रहा है वह सराहनीय है। परन्तु औद्योगिक विज्ञान के विभागों में कर्मचारियों की तुलना में कृषि अनुसन्धान में लगे कर्मचारियों को कम वेतन दिया जाता है। इस प्रकार उनकी उपेक्षा करते रहने से संकट उत्पन्न हो जायेगा। उनके साथ न्याय करना होगा। पुनर्गठित भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् इन सभी बातों को ठीक करने का प्रयत्न कर रही है।

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम]

देश में कृषि विज्ञान के प्रति समूचे रूप से जो रवैया अपनाया जा रहा है वह ठीक नहीं है। युवक कृषि तथा कृषि अनुसन्धान की अपेक्षा अन्य पेशों को अधिक पसंद करते हैं। कृषि अनुसन्धान सेवा स्थापित करने का सुझाव बहुत अच्छा है। इस प्रकार अच्छे और सक्षम व्यक्ति इस पेशे की ओर आकर्षित होंगे। आने वाले महीनों में भारतीय कृषि गवेषणा परिषद भरती सम्बन्धी व्यापक कार्यक्रम आरम्भ करने जा रहा है। अच्छे तथा होनहार युवकों को भरती किया जायेगा।

इन तथा दूसरी सम्बन्धित विकास की गतिविधियों के लिये वित्त जुटाने की इच्छा से उपज उपकर विधेयक बनाया गया है। कृषि के क्षेत्र में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को बता दिया गया है कि वित्त के अभाव के कारण उनके अनुसंधान कार्यक्रम को हानि नहीं होने दी जायेगी। इन शब्दों के साथ में सिफारिश करता हूं कि सभा इस विधेयक को स्वीकार करे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) **:** The honourable Minister has presented this bill with good intentions, but the agriculturist is already burdened with so many taxes and the imposition of 60 or 70 paisa by way of cess will be an additional burden on him which he cannot bear. Government says contradictory things. On the one hand it is said that production has been increasing and on the other hand, it is said that since production has not been increasing, efforts should be made to give it a fillip. I cannot understand how imposition of this cess by Government is going to increase production.

I suggest that the proposal for imposition of 60 paise may be withdrawn. The cultivator should not be taxed at all; only the mill owners should be taxed.

श्री म० ल० जाधव (मालेगांव) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं विभिन्न समितियों को समाप्त किये जाने का स्वागत करता हूं। यह देखा जाये कि उपकर के रूप में जो आय हो उसे अनुसंधान पर ही व्यय किया जाये।

मैं माननीय मंत्री के साथ कृषि अनुसंधान कार्य में लगे लोगों की प्रशंसा करता हूं। कपास और मुंगफली को किड़ों तथा बिमारियों के कारण बहुत हानि हो रही है। हमारे वैज्ञानिक तथा अनुसंधान करने वाले लोग इसको रोकने नहीं पाये हैं।

उनको उधार रुपया तथा समय पर उर्वरक दिये जाने चाहिये। फसल बीमा को लागू किया जाना चाहिये और एकत्र निधियों में से धन दिया जाना चाहिये।

यह बहुत आवश्यक है कि फसल उगाने वाले किसान को अच्छे मूल्य मिलें। इसके अतिरिक्त उनको ऋण, उर्वरक और कीटाणुनाशक औषधियां दी जानी चाहिये। मूल्य नियत करते समय किसान की लागत को भी ध्यान में रखना चाहिये। इस समय जब किसान अपने उत्पादन को बाजार मे लाता है तो वह बिचौलिये की दया पर निर्भर होता है। इसलिये बाजार पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

यदि खण्ड 5 (ङ), (ञ) और (ट) के उपबन्धों पर उचित ध्यान दिया जाता है तो हम अपने कृषकों को देश में अपनी आवश्यकता के लिये पर्याप्त अन्न पैदा करने के लिये प्रोत्साहित कर सकेंगे। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस विधेयक के कुछ भागों का स्वागत करता हूं। इस विधेयक में कुछ उपबन्ध ऐसे हैं जिनका संशोधन किया जाना चाहिये अथवा उनपर पुनर्विचार किया जाना चाहिये।

मैं इस उपकर का इतिहास जानता हूं। उत्तर प्रदेश में मिल मालिक गन्ने पर उपकर नहीं दे रहे हैं। करोड़ों रुपये का उपकर बकाया है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुक़दमा चल रहा है। माननीय मंत्री को वहां गन्ना उपकर की वसूली के बारे में सभा को बताना चाहिये।

मैंने विधेयक को पढ़ा है। विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत तिलहन अथवा नारियल से मिलने वाला उपकर मिल मालिकों को वापस दिया जायेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। इस उपकर से कृषक, उत्पादक अथवा सरकार में से किसी न किसी को लाभ होना चाहिये। परन्तु जो लोग बहुत अधिक लाभ कमा रहे हैं, उन्हें यह राशि क्यों लौटाई जाये? इस सम्बन्ध में विधेयक में खन्ड देख कर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है। यदि मैंने उसका मतलब ठीक न समझा होता माननीय मंत्री मुझे बतायें और यदि उस उपबंध का मतलब मैंने ठीक निकाला है तो उसे ठीक किया जाये।

मैं छोटा नागपुर, पालामू, पुरुलिया, सिंगभूम और मानभूम ज़िलों में गया हूं। वहां लाख उद्योग संकट में है। पूरे छोटा नागपुर में एक ही उद्योग है जो लाख का उद्योग है। यह ग़रीब क्षेत्र है। यहां लोगों के पास न कपड़ा है और न खाना और कुछ क्षेत्रों में दुर्भिक्ष भी है। हम मंत्री महोदय से यह जानना चाहते हैं कि क्या इस बात के कोई उपाय किये गये हैं कि इस उद्योग को संरक्षण अथवा वित्तीय सहायता दी जाये ताकि उस क्षेत्र के कृषक, जो पहाड़ी क्षेत्र में अन्य कोई वस्तु पैदा नहीं कर सकते, कम से कम जीवित तो रह सकें।

श्री मणियंगाडन (कोट्टयम) : मेरे विचार में जो प्रस्ताव माननीय मंत्री ने किये हैं वे इतने सरल नहीं है जितने कि उन्होंने बताये हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उपकर को बढ़ाने अथवा जारी रखने का कोई औचित्य है?

माननीय मंत्री ने अनुसंधान के महत्व पर ज़ोर दिया है। मैं भी उन से सहमत हूं और मैं यह बात केवल नारियल के बारे में कह रहा हूं। नारियल पर उपकर 49 पैसे से बढ़ाकर 75 पैसे कर दिया गया है। यह उपकर नारियल समिति के समय भी था। परन्तु अब इस में वृद्धि कर दी गई है। कई वर्षों से अनुसंधान किया जा रहा है परन्तु नारियल के उत्पादन में कोई पर्याप्त सुधार नहीं हुआ है। केरल में नारियल के वृक्षों के रोग इतने अधिक हैं कि वहां नारियल के बागान के क्षेत्रों में कमी होती जा रही है। इसलिये अनुसंधान के नाम से उपकर में वृद्धि करने का कोई औचित्य नहीं है। नारियल समिति नारियल के बागानों के विकास के लिये कार्य कर रही थी। नारियल समिति अधिनियम के अन्तर्गत जो उपकर वसूल किया जाता था उसके व्यय करने का समिति को अधिकार था। परन्तु अब वसूल किया हुआ उपकर सरकार के पास रहेगा। सरकार अपनी इच्छा से इसके विकास के लिए व्यय करेगी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अनुसंधान बहुत आवश्यक है परन्तु दूसरे निर्माण कार्यों को पूरा किया जाना भी आवश्यक है। नारियल सम्बन्धी समिति द्वारा बहुत से कार्य किये जा रहे हैं। नारियल पर लगाये गये उपकर से जो धन प्राप्त होगा उसको केवल नारियल पर ही व्यय किया जाना चाहिये न कि किसी दूसरी वस्तु पर।

विकास परिषदों का बिलकुल कोई लाभ नहीं है। वे केवल सलाह देने का कार्य ही करती हैं और कोई उत्तरदायित्व नहीं निभाती हैं।

खण्ड 5 के शब्दों से पता चलता है कि सरकार का इरादा नारियल सम्बन्धी समिति के अन्तर्गत नारियल बागान का नहीं बल्कि इसके विपणन, विकास तथा इसके सुधार में प्रगति करना है। मुख्य महत्व नारियल के बागान को दिया गया है। खण्ड की तरह नारियल के खराब वृक्षों को हटा कर नये वृक्ष लगाये जाने चाहिये।

[श्री मणियंगाडन]

खण्ड 22 के बारे में भी कहा गया है। इस खण्ड के अन्तर्गत सरकार को यह शक्ति मिलती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध किसी वस्तु पर लागू होंगे यदि वह प्रथम अनुसूची अथवा द्वितीय अनुसूची में नहीं होगी। कोई भी वस्तु अनुसूची में लिखी जा सकती है तथा उस पर उपकर लगाया जा सकता है। उपकर लगाने के लिये सरकार द्वारा इतनी शक्तियां अपनाया जाना ठीक नहीं है। अतः मैं खण्ड 22 के अन्तर्गत सरकार द्वारा शक्तियां अपनाने का विरोध करता हूं।

Shri H. C. Soy (Singhbhum) : The aim of the Bill is very landable. It will give great encouragement to agriculture in Bihar. But I want to draw the attention of the Central Government towards tne fact that the Bihar Government have drawn up a scheme for the increased cultivation of cotton in the Southern part of Bihar. I have many a time stressed upon the Ministers of tne Bihar Government that it would be better if they take up groundnut instead of cotton. I would urge upon the Government that Bihar Government may be asked to encourage cultivation of groundnut there instead of cotton.

I want to draw the attention of the House towards the cultivation of lac, Shri Banerjee has referred to that. Government have spent sufficient money to have the Research programme regarding that. But the strange thing is that in the Singhbhum district, the people have almost given up the cultivation of lac. It is a pity that Lac Cess Committee has not been able to do anything for that. My view is that if the Lac Cess Committe is not able to serve any useful purpose, it should be abolished without delay.

श्री वारियर (त्रिचूर) : मैं इस विधान का विरोध करता हूं। यह बात गलत है कि उपकर का प्रयोग गवेषण कार्यों पर खर्च किया गया है। इसका प्रयोग और कार्यों के लिए भी किया गया है और वैसे भी समिति का कार्य लोकतंत्रीय ढंग से नहीं चल रहा। यहां पर नौकरशाही का बोलबाला है। सारी बात की जांच पड़ताल की जानी चाहिए। इसके साथ ही मेरा यह सुझाव है केरल के लोगों का मुख्य आधार नारियल है, उसकी ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। यह बड़ा ही आवश्यक है। समुद्र तट के आस पास के क्षेत्रों में नारियल के पेड़ों का विकास किया जाना बड़ा ही जरूरी है। सरकार को इस दिशा में यह प्रयास करना चाहिए कि पेड़ों की देखभाल ठीक प्रकार से हो सके। इस दिशा में अपेक्षित लोगों की जीविका का भी सुनिश्चित हो जाना जरूरी है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का उचित अनुसन्धान करने तथा समस्याओं का हल तलाश करने की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं जा रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। केरल में कृषि तथा नारियल पर आधारित उद्योगों को संरक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे वह ठीक प्रकार से प्रगति कर सकें। इस दिशा में मेरा यह भी सुझाव है कि यदि नारियल समिति को भंग कर दिया जाय तो इससे काफी बचत हो सकती है। इस लिए मेरा अनुरोध है कि नारियल के उत्पादकों को सहायता दी जानी चाहिए थी। परन्तु सरकार ऐसा करने के स्थान पर उपकर में वृद्धि करती जा रही है। मेरा सुझाव है कि उपकर को घटा कर 75 नये पैसे के स्थान पर 50 नये पैसे कर दिया जाना चाहिए। केरल के लोग नारियल पर लगाये लगे उपकर का घोर विरोध कर रहे हैं।

श्री ब० कु० दास (कंटाई) : यह विधेयक उपकर वसूल करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार 143.5 लाख रुपया वसूल किया जायगा और 1966-67 में इस पर 297 लाख खर्च होगा। इस से ही आप समझ सकते हैं कि अनुसन्धान के लिए क्या खर्च किया जायगा। मैं यह बात जानना चाहता हूं कि इस वित्तीय ज्ञापन में दी गयी राशि में अनुसन्धान तथा अन्य कार्यों पर कितने

कितने प्रतिशत राशि खर्च की जायगी। इस संदर्भ में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वाणिज्य मंत्रालय की समितियों ने जो अनुसन्धान कार्य किया है उसे भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् के अन्तर्गत ले आया जाय। इस से सब की स्थिति में काफी सुधार हो जायगा।

हमें यह आशा करनी चाहिए गवेषणा कार्य बहुत व्यापक आधार पर होगा और इसके लिए अपेक्षित संगठन का निर्माण किया जायगा। सभी पदार्थों के लिए विकास परिषदों की स्थापना की गई थी। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि इन परिषदों के कार्यों के बारे में स्थिति क्या है। उन्हें इसके बारे में कुछ बताना चाहिए। इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहना है कि सरकार ने खंड 22 के अन्तर्गत व्यापक शक्तियां ग्रहण कर ली है। इन शक्तियों को विधेयक द्वारा लेने की बजाय आवश्यकता पड़ने पर सरकार को संशोधन विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए थे ताकि विधेयक के परिणामों के बारे में अच्छी प्रकार से चर्चा हो सकती हो।

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur) : I have got an impression that Bill goes beyond the limits of object and reasons. Clause 6 is there, there is a provision under this clause that the refund of all sums collected as cess on the quantity of oils exported from India. The provision of imposition of cess and its subsequent refund will create unnecessary complication of accounts. I want to respectfully urge that Government should consider that aspect.

There is clause 22 which gives the general power to the Government to impose tax. It means that the Government are taking over the functions of the Parliament in that direction. I do not think it will be proper. I am of the opinion that it is not desirable to put the cess proceeds in the Consolidated Fund of India. It is really very difficult to take money out of that Fund and utilize it for those objects enumerated in clause 5.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस बारे में मैं जो संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूँ उसे परिचालित किया गया है।

श्री सिंहासन सिंह : कौन सा संशोधन ? आप इस बात से तो सहमत होंगे कि सरकार को कानून बनाने की शक्ति मिल जायगी। मेरे विचार में यह ठीक नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि उपकर की वसूली को भारत की संचित निधि में रखना वांछनीय नहीं है। इस निधि से धन लेना और उनको खंड 5 के अन्तगत बनाये गये उद्देश्यों के लिए प्रयोग करना बहुत कठिन है।

श्री कृ० चं० शर्मा (सरधना) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ। अनन्त काल से कृषि हमारे जीवन का आधार रहा है। यह देश का मुख्य व्यवसाय है। आज भी देश के खेतों में लकड़ी का हल चला रहे लोग दृष्टिगोचर होते हैं। यह हल की पद्धति 300 वर्ष पुरानी है।

मेरा विचार तो यह है कि यह विधेयक स्वागत योग्य है। इसके अन्तर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान की व्यवस्था है। इस का उद्देश्य कृषकों को उत्पादन के लिए अधिक जानकारी उपलब्ध कराना है। यह भी है कि अधिक और अच्छे उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया जाय। इससे लोगों में काम तथा परिश्रम करने की इच्छा पैदा होगी। मेरे मत में तो इससे हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने में निश्चित रूप में सफल हो जाय। इन शब्दों से मैं विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम अब इस वाद-विवाद को कल जारी रखेंगे। अब हम अन्य कार्य लेंगे।

उड़ीसा में अकाल की स्थिति और भूख से लोगों की मृत्यु के सम्बन्ध में चर्चा

DISCUSSION RE : FAMINE CONDITIONS AND STARVATION DEATHS IN ORISSA

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम उड़ीसा में अकाल की स्थिति और भूख से लोगों की मृत्यु के सम्बन्ध में चर्चा करेंगे।

Shri Kishen Pattanayak (Sambalpur) : The Food Minister gave this assurance that before this subject is discussed, he would have a tour of the affected areas. But on finding that there was some rain, he ended his tour and came back to the Capital. It is really a matter of great regret that he cancelled his tour. It has come to light that the Prime Minister also spent about 1½ hours in touring of the famine affected areas in Orissa. This depicts the sympathy the Government have for the famine affected people. They are so callous about it.

I am of the opinion that we are not having proper planning in this country. It is eighteen years' planning that has resulted in creating the famine conditions. Even the slight short face in rain can create a worst havoc in this country. I am definately of the opinion that this famine in Orissa is man made. The Minister have been saying that Orissa is a surplus state and could give rice to another state. This a solid fact that Orissa is not a surplus state. There is a shortage of rice. The Government will have to ensure that rice is not sent to other states from Orissa. Steps should be taken to improve the economic condition of the people so that they are able to purchase rice.

It is really a matter of great regret that during the last 18 years of planning, we have not paid any attention towards the development of Adivasi areas. For this the Planning Ministry should be held responsible. According to the figures that have been given by the Minister, 60 lakhs of people have left their hearth and homes. About ten lakhs of people are moving towards death. If the honourable minister does not agree, a parliamentary Committee may be appointed to inquire into the matter. He should confirm the fact that 100 deaths have taken place there.

All this has happened but uptil now that area has not been declared as the famine affected area. Horrible things have taken place. People are leaving their hearths and homes, selling their valuables, and children, but still there are not the signs of famine in the eyes of the Government. I may urge upon the Government that these areas may be taken over by the Government. There should be a famine department in Orissa for at least six months. This department should be under the Central Government. Honourable Minister should tour the area very extensively and keep watch over all aspects connected with famine.

I am also to state that imformation in respect of starvation deaths and all other items connected with famine should be made available every fortnight. Minister should see that no land should remain unutilised for the next year due to the non-availability of seeds, oxen and finances. Also the arrangements may be made for the rehabilitation of the people. Government should remain vigilant about the spread of diseases in the this-area. I also want to urge that the liquor shops should be closed altogether in the area.

In the end I may state that Minister of Food and the Minister of Planning are responsible for this famine. I urge that a plan should be formulated for the economic development of Orissa and such other backward areas so that the people may not have to face such a calamity again.

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : श्रीमान्, अपना कर्त्तव्य पालन करने के लिये आज मुझे ऐसी बातें कहनी पड़ेंगी जो सच हैं परन्तु जो सभा को अच्छी नहीं लगेंगी।

25 जुलाई, 1887 में उड़ीसा में पड़े अकाल के समय उस समय के "सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इण्डिया" ने यह कहते हुये सरकार की निन्दा की थी कि यह विपत्ति सदैव हमारी असफलता की स्मारक रहेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि यह असफलता इंगलैंडवासियों तथा अंग्रेजी सरकार के लिये अपमान का विषय है। उन्होंने अकाल आयोग नियुक्त किया जिसने अपने प्रतिवेदन में कहा कि उड़ीसा में अकाल-सहायता कार्य संतोषजनक नहीं था। सरकारी कर्मचारियों द्वारा समूचे कार्य के बारे में कुप्रबन्ध किया गया था। भारी मात्रा में धन का दुरुपयोग किया गया था। अब एक सौ वर्ष के पश्चात् उड़ीसा में एक ऐसे समय अकाल पड़ा है जब हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं। परन्तु सरकारी बैंचों पर बैठे लोग अब वही बात नहीं कहना चाहते हैं और वह सच्चाई को छिपाना चाहते हैं। अकाल पड़ा हुआ है, सैंकड़ों लोग भूख से मर रहे हैं परन्तु खाद्य मंत्री यह मानने के लिये तैयार नहीं हैं कि अकाल की स्थिति है। समस्त संसार जानता है और सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि उड़ीसा में दुर्भिक्ष है। यह इस देश में लोकतन्त्र का अपमान है कि उड़ीसा में इतनी बड़ी आपत्ति आने के बावजूद भी इस सभा में स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है तथा इस सम्बन्ध में केवल अनियत-दिन वाला प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। मैं यह बात फिर दोहराना चाहता हूं कि उड़ीसा की स्थिति अत्यंत गम्भीर है और यह स्थिति प्रशासन की उपेक्षा के कारण उत्पन्न हुई है।

ज़िला कालाहांडी अधिकतम अकाल-पीड़ित क्षेत्र है। सिनापाली में सहायता का कोई कार्य नहीं हो रहा है। वहां चावल का सारा भाण्डार खत्म हो गया है और जब तक वहां मानसून से पहले चावल नहीं पहुंचेंगे, लोग भूख से मर जायेंगे। मानसून न होने के बारे में पहले चेतावनी दी गई थी परन्तु प्रशासन ने इसकी कोई परवाह न की। अन्त में जब मार्च, 1966 में लोगों को सहायता पहुंचाई गई तो वितरण की प्रणाली इतनी दोषपूर्ण थी कि लोगों के पास बहुत कम अन्न पहुंच पाया।

श्रम-प्रधान कार्यक्रम तथा सहायता कार्य कांग्रेस सरकार के पक्षपाती ठेकेदारों को सौंपा गया है। परियोजनाओं में लगे श्रमिकों की हालत दयनीय है। इस बात की शिकायतें मिली हैं कि उन्हें उचित मजूरी नहीं दी जाती और उन्हें क्षमता से अधिक कार्य करना पड़ता है। प्रधान मंत्री शीघ्र ही वहां जा रही हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ग्रामीण इंजीनियरी संगठन द्वारा किया जा रहा समूचा कार्य ग्राम समितियों तथा पंचायतों को सौंपा जाये।

हमने आरम्भ से ही सरकार से यह कहा है कि श्रम विभाग को आधुनिक स्तर पर लाया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि श्रमिकों को उचित मजूरी मिले परन्तु इस बारे में अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

इस क्षेत्र में बीड़ी के व्यापार में एकाधिकार है और श्रमिकों की शोचनीय स्थिति का लाभ उठा कर ठेकेदार तथा अन्य लोग उनका शोषण कर रहे हैं और उन्हें 50 पैसे प्रति दिन मजूरी दी जाती है। बीड़ी के पत्तों का एकाधिकार-प्राप्त व्यापार, एकाधिकार-प्राप्त वसूली तथा उद्ग्रहण प्रणाली तथा एकाधिकार-प्राप्त वन ठेका प्रणाली से स्थिति और भी खराब हो गई है। ऐसे कुछ दूरवर्ती क्षेत्र अब भी हैं जहां उचित मूल्य की दुकानें अब भी नहीं खोली गई हैं। लोग पीपल के पत्तों पर गुज़ारा कर रहे हैं। हिन्दुओं ने पुराने धार्मिक विश्वासों को छोड़ दिया है और गउओं को मार कर खा रहे हैं। निःशुल्क सहायता-पत्र प्रशासन द्वारा अपने पक्षपाती लोगों को दिये जा रहे हैं।

कुछ दयावान लोग लंगर खोल रहे हैं परन्तु उन्हें राज्य की ओर से कोई सहायता नहीं मिल रही है। पूरा अमरीकी गेहूं तथा दुग्ध चूर्ण भारत सेवक समाज, जो कांग्रेस का ही अंग है, को दिया जा रहा है। यह उस सहायता का दल के प्रयोजनों के लिये दुरुपयोग है। यह लोकतंत्र का अपमान है, सरकार का अपमान है। यह सुविधायें रामकृष्ण मिशन जसे अन्य संघटनों को क्यों नहीं दी जातीं? परमात्मा के लिये लोगों के जीवन से खिलवाड़ न करो।

12—73 L.S./66

[श्री प्र० के० देव]

मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना चाहिये। अल्प-कालिक उपाय के रूप में, उन लोगों का, जिन्हें चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है, उचित पोषण किया जाना चाहिये। समूचे क्षेत्र में अनाथालय खोले जाने चाहियें, जहां ऐसे बच्चों को रखा जा सके जिन्हें उनके मां,-बाप छोड़ जाते हैं। उस क्षेत्र में ऐसे अधिकारी लगाये जाने चाहियें जो लगन से कार्य करें। वर्तमान जिला अधिकारी तथा उपमंत्री के कठोरतापूर्वक व्यवहार के कारण इन दोनों को पद से हटा दिया जाना चाहिये। उचित मूल्य की दुकाने खोली जानी चाहिये और उन दुकानों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये। सस्ते बीज समय पर दिये जाने चाहियें।

जो अकाल 1866 में पड़ा था, उसका एक लाभ यह हुआ था कि अकाल आयोग द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने के पश्चात् समूची डेल्टा सिंचाई प्रणाली आरम्भ की गई। इसलिये वर्तमान अकाल के बाद इस क्षेत्र के साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिये। इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। इन्द्रावती परियोजना पर, जिस पर कि विचार किया जा रहा है, कार्य आरम्भ किया जाना चाहिये।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि इस सारे प्रश्न की जांच करने के लिये दुर्भिक्ष आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये। उसे वास्तविक अकाल-संहिता बनानी चाहिये। यह भी व्यवस्था की जानी चाहिये कि फसलों का बीमा सदैव किया जाये।

श्री महताब (अंगुल) : इस में कोई सन्देह नहीं कि उड़ीसा के कुछ भागों में स्थिति खराब है। इस बात को सब ने स्वीकार किया है कि वहां अकाल जैसी स्थिति पैदा हो रही है। परन्तु खेद की बात है कि इस बिकट स्थिति का भी राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया जा रहा है। लाखों लोगों के दुःख और कष्टों का प्रश्न है।

[**श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए**
SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

वास्तव में यह ऐसा गम्भीर मामला है कि दल के हितों से ऊपर उठ कर सोचा जाना चाहिए। सहायता समिति का निर्माण किया गया है और उसमें सभी दलों के प्रतिनिधि लिये गये हैं। वह समिति ठीक काम कर रही है अथवा नहीं, यह देखना हमारा काम है। मेरा निवेदन है कि इस मामले में राजनीति नहीं आनी चाहिए।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्थिति वास्तव में खराब है। और यह भी ठीक है कि प्रशासन अपने कार्य में असफल रहा है। मैंने जब मुख्य मंत्री से भेंट की थी तो उन्होंने सारे अधिकारियों के सामने यह बात कही कि इस बात की जांच की जानी चाहिए कि कहां भूल हुई है। मैंने यह सुझाव दिया था कि संकट दूर हो जाने के बाद इस मामले में पूरी जांच की जानी चाहिए। यदि अब यह जांच हो गयी तो सहायता कार्यों में लगे अधिकारियों का ध्यान इस ओर हो जायेगा। और वास्तविक कार्य पीछे पड़ जायेगा। मुख्य मंत्री इस मामले में मेरे साथ सहमत थे।

मैं इस बात पर भी विचार करता रहा हूं कि इस बारे में किस मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया जाय। खाद्य मंत्रालय उत्तरदायी है कि वित्त मंत्रालय? यह भी हो सकता है कि केन्द्र ही सबके लिए जिम्मेदार हो। मेरे विचार में इस दिशा में भूल व्यापार पर नियन्त्रण न रखने के कारण हुई है। अनाज का स्टोक काफी था परन्तु यह ठीक है कि फसलें फेल हो गई थीं। परन्तु यह बात सभी जानते हैं कि फसलें न होने पर भी सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए कोई पग नहीं उठाया। गत सितम्बर में यह किया जा सकता था। उड़ीसा सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के बीच इस मामले पर पत्रव्यवहार होता रहा। इस विषय पर चर्चा होती रही कि धन की व्यवस्था कौन करे। अतः इस दिशा में कोई

कार्यवाही नहीं की गई। मैंने बहुत से क्षेत्रों का दौरा किया है मैंने देखा है कि आज जो अकाल उड़ीसा में चल रहा है वह वास्तविक है। यह उसी तरह का अकाल है जैसा 1943 में बंगाल और उड़ीसा के कुछ भागों में पड़ा था। वहां लोग कैसे मरते रहे हैं इस बात का बिवरण देने का कोई लाभ नहीं। स्थिति गंभीर है और उस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

अकाल संहिता में 1930 में संशोधन किया गया था। इस पर भी जो व्यवस्था की गयी है वह काफी नहीं है। सरकार नियमों में संशोधन करने का विचार कर रही है और उसका विचार उड़ीसा के अतिरिक्त सभी स्थानों पर स्थिति का ठीक ढंग से सामना करने का है। जब भी अकाल पड़ता है भूख से मौते हो जाती है तो उनकी घोषणा नहीं की जाती। वैसे उनके लिए सहायता की व्यवस्था कर दी जाती है। ऐसी ही स्थिति के उत्तरप्रदेश के कुछ भागों में उदारता पूर्वक सहायता दी जा रही है। हमें शब्दों की बहस में न जाकर अकाल पीड़ितों की सहायता की बात सोचनी चाहिये।

अब प्रश्न यह है कि क्या अकाल की स्थिति है? और उसे दूर करने की दिशा में पग उठाये जा रहे हैं? इसमें कोई सन्देह नहीं कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह से इस दिशा में कार्यवाही की जा रही है। अच्छा होता कि यह कार्यवाही कुछ देर पहले की जाती। यदि ऐसा हो जाता तो शायद स्थिति इतनी खराब न होती। इस प्रकार की अकाल की स्थिति में लोग अपना नैतिक सन्तुलन भी खो बैठते हैं और कई तरह की भ्रष्ट बातें होने लगती है। हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उड़ीसा सरकार अकाल सम्बन्धी सहायता खर्च को पूरा नहीं कर सकती। इसके लिए भारत सरकार को उसकी सहायता करनी चाहिए। क्योंकि इस बारे में खर्च होने वाली राशि बहुत अधिक है। मेरे विचार यह राशि लगभग दस करोड़ फैलेगी। योजना आयोग के अनुमान के अनुसार यह राशि ग्यारह करोड़ रुपये है। इस समय और बातों को छोड़ कर हमारी मुख्य चिन्ता यही होनी चाहिए कि लोगों की सहायता की जाय। इस समय सरकार पर दोष लगाने और उसे गद्दी को छोड़ देने को कहने का कोई लाभ नहीं। हम जो कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। परन्तु यह तभी किया जाना चाहिए जब लोगों का इस संकट से छुटकारा हो जाय। इस समय तो एक ही समस्या है कि लोगों को कठिनाई से छुटकारा दिलाया जाय। यह किसी प्रकार के आन्दोलन करने का अवसर नहीं है। इस समय तो बिना किसी प्रकार की देर किये लोगों में अनाज वितरण का कार्य यथा शीघ्र होना चाहिए।

श्री ल० ना० भंजदेव (क्योंझर) : श्रीमान्, उड़ीसा में जो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है इस से निबटने के लिये केन्द्र तथा राज्य सरकार के सभी साधनों को जुटाया जाना चाहिए। यह एक बहुत ही गम्भीर समस्या है और इस को दीर्घकालीन आधार पर हल किया जाना चाहिये। उड़ीसा में आदिम जातियों के क्षेत्रों में पिछले 18 से 20 वर्षों में कुछ नहीं किया गया है। वे लोग वहां पर वनों पर निर्भर हैं परन्तु वहां पर उन वनों को बिना सोचे समझे नष्ट किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों में कम वर्षा होने लगी है और अब इन क्षेत्रों में सूखा पड़ा हुआ है। जब तक इस को नहीं रोका जाता तब तक पर्याप्त वर्षा नहीं हो सकती और खाद्यान्नों की कमी बनी रहेगी। अतः हमें वनों का परिरक्षण करना चाहिये।

दूसरे इन क्षेत्रों में हमें और अधिक छोटी तथा मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनायें चालू करनी चाहियें। छोटे छोटे कुओं अथवा तालाबों से लोगों की आवश्यकता पूरी नहीं होगी। हमारे राज्यपाल ने इस क्षेत्र के लिये एक दीर्घकालिन कार्यक्रम तैयार किया है और यदि योजना आयोग इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिये अपेक्षित संसाधन जुटा दे तो इस समस्या को सदा के लिये हल किया जा सकता है।

इस के अतिरिक्त मेरे क्षेत्र में संचार साधनों का भी अभाव है। खेद है कि पिछले 18 वर्षों में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया। इस क्षत्र में जीप द्वारा भी नहीं पहुंचा जा सकता। इसके फलस्वरूप वहां के लोगों की आवश्यकताओं का भी पता नहीं लगाया जा सकता है। सरकार को इस बारे में कुछ अवश्य करना चाहिये और संचार की उचित व्यवस्था करनी चाहिये।

13—73 L.S./66

[श्री ल० ना० भंजदेव]

उड़ीसा में जो इस समय स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसे खाद्य मंत्री भली भांति जानते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिये। इस कार्य में वहां के लोकोपकारी लोगों की सहायता लेनी चाहिये।

दूसरी बात जिस की ओर मैं खाद्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है यदि प्रभावित क्षेत्रों में अनाज के साथ साथ धान भी दिया जाय तो वहां पर लोगों से धान से चावल निकालने का कार्य कराया जा सके और इस प्रकार भी उन लोगों की कुछ सहायता हो जायेगी। इस के अतिरिक्त धान से कोई और सहायक खाद्य भी तैयार किया जा सकेगा।

उड़ीसा में बड़े पैमाने पर ट्रैक्टरों के प्रयोग से कई कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। इसलिये यदि इन की बजाय उन्हें ढोर दिये जायें तो यह अधिक अच्छा रहेगा।

चूंकि प्रधान मंत्री इस क्षेत्र का दौरा करने वाले हैं अतः अन्त में मैं उन से अनुरोध करता हूं वहां पर कुछ अधिक समय ठहर कर वहां पर लोगों तथा सरकारी अधिकारियों से बातचीत करें जिससे लोगों में विश्वास उत्पन्न हो।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : महोदय, वास्तव में हमारे लोकतन्त्र पर यह एक कलंक है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के 18 वर्ष बाद भी हमारे कुछ लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है और वे भूखे मर रहे हैं। यह एक गम्भीर मामला है और इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। मंत्रियों तथा अधिकारियों के अतिरिक्त और सभी लोगों ने, जिन्होंने वहां का दौरा किया है। यह माना है कि वहां पर भूख से मौतें हुई हैं। यह समझ में नहीं आता कि सरकार इस बात को मानने से क्यों हिचकिचा रही है।

अध्ययन दल द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया है वह निरर्थक है। वहां पर वास्तव में मौतें होने के बावजूद भी प्रतिवेदन में बताया गया है कि उस क्षेत्र में कुपोषण का कोई व्यापक साक्ष्य नहीं मिला है और वहां पर बच्चों की मौतें क्षय रोग तथा मधुमेह जैसे रोगों के कारण हुई है। ऐसे प्रतिवेदन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इनको इस क्षेत्र की वास्तविक स्थिति की कोई जानकारी नहीं है। वास्तव में वास्तविक स्थिति को छिपाया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि वहां पर सैंकड़ों की संख्या में लोग मर रहे हैं। कहा जाता है कि उड़ीसा में तो आवश्यकता से भी अधिक अनाज होता है और इसलिये वहां पर अनाज की कोई कमी नहीं है। यदि ऐसा है तो वहां मौतें क्यों हो रही है? इस क्षेत्र को अकाल-ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए और वहां पर लोगों के लिये खाद्य पदार्थों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

सरकार को यह बात साफ तौर से स्वीकार कर लेनी चाहिये कि इस मामले में उनसे भूल हुई है। वास्तविक स्थिति जानने के लिये एक संसदीय आयोग स्थापित किया जाना चाहिये। यह किसी दल विशेष का प्रश्न नहीं है। यह लाखों लोगों के जीवन को बचाने का प्रश्न है। हम सब को मिल कर तथ्यों का पता लगना चाहिये और ऐसे सुझाव देने चाहिये जिससे लोगों को मृत्यु का ग्रास बनने से बचाया जा सके।

बड़ी संख्या में पशु तथा बकरियां बाजार में बेची गई हैं। मालूम हुआ है कि इससे एक पंचायत को 2 आने प्रति ढोर के हिसाब से 14,000 रुपये की आय हुई। अब स्थिति यह है कि न तो वहां पर ढोर हैं न ही बीज हैं और न ही भूमि जोतने के लिये बैल हैं। हमें यथासम्भव शीघ्र कृषि-कार्य आरम्भ करना चाहिये। खेद है कि 9 महीने से भी अधिक समय हो गया है जब यह स्थिति पैदा हुई थी परन्तु इस बारे

में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस क्षेत्र के लोग बड़े शान्तिप्रिय हैं, इसीलिये वहां पर ऐसी घटनायें नहीं हुई जो पश्चिमी बंगाल अथवा केरल में हुई हैं। राज्य सरकार इस मामले में बिलकुल असमर्थ रही है। केन्द्रीय सरकार को वहां का शासन अपने हाथ में ले लेना चाहिये तथा उस क्षेत्र में सहायता-कार्य आरम्भ करना चाहिये। यदि राज्य सरकार इस बात पर सहमत नहीं होती तो वहां पर राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाना चाहिये और यदि आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन किया जाना चाहिये। इस गम्भीर समस्या को हल करने के लिये सभी दलों की एक समिति बनाई जानी चाहिये।

उचित मूल्य की दुकानों पर मिलने वाले चावल की किस्म तो बहुत ही घटियां है परन्तु वह 91 पैसे प्रति किलो बचा जा रहा है। सरकार द्वारा किये गये अपने वर्गीकरण के अनुसार ऐसा चावल 74 पैसे प्रति किलो बेचा जाना चाहिये। यह सब मिल मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिये मंत्रियों के दबाव के कारण किया जा रहा है। इन सभी मामलों को केवल यहां बैठ कर और यह कह कर के नहीं सुलझाया जा सकता कि स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। सरकार ने बताया है कि अभाव की स्थिति का समाचार मिलने के पश्चात वहां से चावल बाहर नहीं भेजा जा रहा है। परन्तु वास्तविकता यह है कि जनवरी में चावल बाहर भेजा गया था। इसीलिये मैं कहता हूं कि स्थिति की गम्भीरता को न ही यहां और न ही वहां महसूस किया गया है जिसके फलस्वरूप लोग मर रहे हैं।

यदि इस चर्चा का कोई लाभ होना है तो हमें यह अभी घोषित कर देना चाहिये कि उड़ीसा में गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है और लोग मर गये हैं तथा हम यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थिति और न बिगड़ने पाय। परन्तु सरकार तो यह स्वीकार करने के लिये तैयार ही नहीं है कि वहां पर अकाल पड़ा है और वहां पर ऐसी दशा उत्पन्न हो गई है जिस में लोग भूखे मर रहे हैं। खाद्य मंत्री ने भुवनेश्वर में घोषणा की कि स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। ऐसा वक्तव्य वास्तव में ही बहुत आश्चर्यजनक है। यदि वह स्वीकार कर लेते कि स्थिति बहुत गम्भीर है और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो कई लोकोपकारी लोग तथा संस्थायें इस कार्य में सहायता करने के लिये तैयार हो जाती।

अतः मैं खाद्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह यह घोषणा करें कि यह एक अकालग्रस्त क्षेत्र है और यह भी स्वीकार करें कि इस समस्या को हल करने में प्रशासन बिल्कुल असफल रहा है। तभी इन लोगों से न्याय हो सकेगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य): उड़ीसा में पिछले कुछ समय से ऐसा राजनैतिक वातावरण पैदा कर दिया गया था जिसके कारण समुचे देश को लज्जित होना पड़ा। मैंने श्री द्विवेदी द्वारा लाये गये चित्र देखे है। श्री किशन पट्टनायक ने भुखमरी के मामले उठाये थे, श्री हरेकृष्ण मेहताब ने कहा था कि एसे मामलों को राजनीति से दूर रखा जाए। उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्रों और दूसरे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सम्बन्ध में सरकार को अगस्त में ही चेतावनी दे दी गई थी। उनकी स्थिति बहुत खराब थी और उन्हें तुरन्त सहायता दी जानी चाहिये थी परन्तु सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार की अदक्षता, लापरवाही और दोषपूर्ण रवैये के कारण उड़ीसा में वर्तमान हालत पैदा हो गई है। सरकार को इस समय स्थिति को सुलझाने के लिए सभा का सहयोग प्राप्त करना चाहिये परन्तु वह अपना दायित्व निभाना नहीं चाहती हैं। सरकार को देश के किसी भी भाग में सरकार का शासन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कहा गया है कि हमें राजनीति को इससे अलग रखना चाहिये परन्तु हम ऐसा कैसे कह सकते है जबकि 1947 से ही सरकार की खाद्यान्न सम्बन्धी नीति गलत रही है।

उड़ीसा में चुनाव स्थगित किये जा रहे हैं क्योंकि यद्यपि वहां के लोग पिछड़े हुये समझे जाते हैं तथापि वे यह भलि भान्ति जानते है कि यह सरकार अब जनता की सेवा नहीं कर सकती और उसे यथासम्भव शीघ्र हटाया जाना चाहिये।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

हमें बताया जाता है कि समूचे देश में विकास योजनायें और राष्ट्रीय विस्तार खण्ड हैं। उड़ीसा राज्य में विशेष रूप से भूतपूर्व रियासतों में स्थिति विषम है। दूसरे राज्यों में भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पीने का जल भी उपलब्ध नहीं है। मालूम नहीं योजना आयोग क्या कर रहा है और वह इन क्षेत्रों की ओर ध्यान क्यों नहीं देता। कुछ प्राथमिकतायें बनानी चाहिये और उसके अनुसार काम करना चाहिए।

लोगों की शिकायतों में वृद्धि हो रही है परन्तु केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें इन पर कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। प्रशासक पहले ही बहुत व्यस्त हैं और लोगों के दुःखों में वृद्धि हो रही है। सरकार को समझना चाहिए कि भूख तथा गुस्से में बहुत कम अन्तर है। जब लोगों को गुस्सा आ जाये तो कोई भी घटना हो सकती है यदि सरकार समझ तथा बुद्धिमत्ता से कार्य करे तो कोई भी समस्या हल हो सकती है सरकार को मुफ्त, खाना देने वाले केन्द्रोंसे से दिये जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा बढ़ाने और इस प्रयोजन के लिए गैर-सरकारी एजेंसियों की सहायता प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए।

हमें यह पता लगाना चाहिये कि लोगों को कौनसा ऐसा काम दिया जाये जो कि वर्षा आरम्भ होने के बाद भी चालू रहे। बीज ठीक समय पर उपलब्ध कराये जाने चाहियें। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि ऋण का ठीक प्रयोग किया जाये और उन से वास्तव में लाभ उठाया जाये। हमें उन कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में भी कुछ करना चाहिये जिन्होंने कृषि व्यवसाय छोड़ दिया है तथा अन्य उपनगरों में चले गये हैं। लोगों को ऊपर उठाने के उपायों को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिये। निर्णय शीघ्र किये जाने चाहिये क्योंकि प्रतिवेदन तैयार है।

Shri Jena (Bhadrak) : A look at the history of Orissa for the last one hundred years reveals that there is a shortage of food in Orissa every year. The cause of the present critical situation in Orissa is the failure of rains. Actually, almost after every five years Orissa had been facing either draught or floods and therefore, this State had always been in difficulties. This year also in almost the entire state food grain crops had been damaged to some extent, but in six districts in particular the damage had been very wide spread. According to the estimates of the central as well as the State Governments, there has been a loss of 1,85,36,245 quintals of paddy this year.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

At the instance of the Central Government, Orissa had beenexporting rice but I feel that in the context of present grave food crisis it was the duty of the Central Government to render as much financial and other aid to Orissa as was required by her to tide over her difficulties.

No doubt the Government have taken relief measures in the state to some extent in terms of giving loans to those who have land, providing employment to the able bodied persons and distributing free food to the old and infirm and to children in the rural areas,but the Government should also ensure that food is provided to them twice a day. I may mention that along with Government, private bodies like the Bharat Sewak Samaj are also rendering relief work.

The Government should ensure that all cultivable land is brought under the plough. They should also see to it that relief measures are not dispensed with with the onset of rains. It should continue till the crisis is over.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I would like to submit that the present situation in Orissa is really very precarious and it cannot be denied that the responsibility for the starvation deaths that have occurred in Orissa is definately that of the Government.

It is a pity that the Food Minister, who visited Bhubaneshwar, did not care to go to the famine affected areas. He could have gone there by a helicopter if no other mode of conveyance was available because of rains. The Central Government should ensure that foodgrains are rushed to Orissa in sufficient quantities so that the needs of the people are adequately met. In order to raise the food production interest free loans should be given to the peasants and it should be ensured that seeds are made available to them in time.

It is explained by the Government that the situation has arisen because of draught but the draught did not come all of a sudden. It was the duty of the Government to have taken some steps in this regard. In other countries the Governments had taken measures to meet such a situation, whenever it arose.

Today, there is plenty of rice in Orissa but I would like to ask what steps have been taken by the Government to deal with the black marketeers and profiteers? It has been often repeated here that there should be state trading in food grains. The Minister should clearly state whether he wants to persue that policy or not.

Today, the general condition of the people in the country has gone from bad to worse and is still deteriorating. I feel that the Government should accept its guilt and should resign there should be fresh elections in Orissa.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े खेद की बात है कि देश के भिन्न भिन्न स्थानों से अकाल के समाचार आ रहे हैं। कभी केरल, कभी बंगाल, कभी बस्तर और अब उड़ीसा में सैंकड़ों व्यक्ति मर गये हैं।

सरकार से कहते हैं तो वह कहती है कि नये सिरे से परिगणन कर रहे हैं। मेरा विचार यह है कि वहां के अकाल के बारे में कोई संदेह नहीं है। डा० महताब ने कहा है कि वहां अकाल बंगाल के अकाल की भान्ति है। वहां की 25 प्रतिशत जनता पर इसका प्रभाव पड़ा है और 35 प्रतिशत भूमि पर इसका प्रभाव पड़ा है। फिर भी सरकार कहती है कि अकाल नहीं है। डा० महताब ने कहा है कि इसका सामना करने के लिये 10 करोड़ रुपया की आवश्यकता है और प्रश्न यह है कि इसे केन्द्रीय सरकार देगी अथवा राज्य सरकार।

वहां अन्न प्राप्त करने का कार्य ठेकेदारों के हाथ में नहीं देना चाहिये। सरकार स्वयं भी इस कार्य को नहीं कर सकती। इस कार्य के लिये सहकारी समितियां उस क्षेत्र के सदस्यों आदि का सहयोग प्राप्त करना चाहिये।

सरकार को इसे मान का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये। वह समझती है कि यदि उनकी कमजोरी का पता चल गया तो इसका लाभ चुनाव के समय खराब होगा। हमारा दृष्टिकोण यह नहीं है। हम जब जनता की खराब हालत देखते हैं तो कहते हैं। इस लिये इन्हें विपक्षी दलों के बारे में ग़लत धारणा नहीं रखनी चाहिये। यदि सरकार कोई अच्छा कार्य लेकर आवे जो जनता के हित में हो तो हम सरकार के साथ सहयोग करेंगे।

श्री अ० चं० गुह (बारसार) : एक रिपोर्ट के अनुसार इस सूखा के कारण 45 लाख व्यक्ति पर प्रभाव पड़ा है।

सरकारने जो भी पग इस दिशा में उठाये हैं वह अपर्याप्त हैं। कम से कम 2 लाख व्यक्तियों को सहायता मिलनी चाहिये। यह संख्या और भी अधिक बढ़ा देनी चाहिये। उचित मूल्य वाली दुकानों की संख्या भी बढ़ा देनी चाहिये। उन पर मूल्य भी 60 अथवा 62 पैसे प्रति किलो से अधिक नहीं होना चाहिये। ताकि लोग उसे खरीद सकें। वहां कृषक की औसत आय 62 पैसे है।

जो दल इसकी जांच करके आया है उसने कहा है कि 7 करोड़ रुपये की सहायता देनी चाहिये परन्तु सहायता के लिये दिया गया है केवल एक करोड़ रुपया। यह कम है।

इस दल ने तो 20 बातों का सुझाव दिया है। वहां छोटे सिंचाई के साधनों का विकास होना चाहिये ताकि आगे आने वाले कृषि के मौसम में वह काम आ सके।

उड़ीसा में अकाल के कारण कुछ व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है। उसे बंगाल के 1943 के अकाल से मिलाना उचित नहीं क्योंकि उसमें कोई 35 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। उड़ीसा में तो लगभग 100 व्यक्ति ही मरे हैं। वैसे सरकार को चाहिये दुर्भिक्ष अथवा कुपोषण के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो।

मुझे पता चला है कि ठेकेदार सहायता शिविरों का लाभ उठा रहे हैं। मेरा सुझाव यह है कि यह कार्य ज़िला परिषदों तथा पंचायतों के द्वारा किया जाना चाहिये।

1943 के बंगाल के अकाल के पश्चात् वहां एक अधिनियम पास हुआ जिसके अनुसार अकाल के समय के सारे सौदे जैसे व्यक्तियों का बच्चों का तथा पशुओं की जो खरीद हुई थी वह उनके मालिक को दोबारा वापिस कर दिये गये। अकाल संहित का भी पुनरीक्षण होना चाहिये।

इस वर्ष भूमि लगान भी नहीं लेना चाहिए। कृषकों को अगली फसल बोने के समय बीज, उर्वरक तथा ऋण प्रयाप्त मात्रा में देना चाहिये।

प्रशासन में चौकीदारी की पद्धति हटा कर गलती की है। वह इस प्रकार के समाचार दे दिया करते थे। अब कोई ऐसा नहीं करता। इसके लिये कोई इन्तजाम करना चाहिये।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : It is wrong to say that the apposition parties are making a political capital out of it. It is our duty to bring all these things before this House. The people are so poor that they do not have enough money to buy foodstuff. The Government too has failed in its duty towards them.

I would request the members from Orissa to be present in their State during May and June and see to it that relief work is done properly. If they want to save the people, they should themselves participate in these relief works.

It is no use saying that this matter pertains to the finance minister and that the food minister has got nothing to do with it. The whole government should shoulder responsibility in this matter.

It is often alleged that when the elections are near the apposition parties create all these troubles. But it is not a question of election. Here is a question of starvation and the government should solve it.

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Thaijar) : There is no doubt about the famine condition in Orissa. The reason for it lies not only in the lack of rains but due to lack of fulfilling responsibility by the government towards the people. All plans are on paper only and the government servants to suffer from lack of spirit of service towards the people. The shopkeepers too have hoarded food stuffs to earn more profit.

They should be given deterrent punishment.

The government should obtain the help of voluntary organaisation to distribute food stuffs. They should not make it a matter of prestige. The government too should work with a spirit of service to the people so that the starving people may be asle to get food. With all the might at its disposal the government should send foodstuffs to the affected people.

श्री कन्डप्पन (तिरुचेंगोड) : ऐसी बात नहीं है कि देश में बहुत बड़े स्तर पर अकाल आ गई हो। परन्तु उड़ीसा में स्थिति खराब है। इसके लिये हम सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते क्योंकि इनके पास हल निपटाने के लिये पर्याप्त समय नहीं था।

इन सब बातों के होते हुए यह सच है कि उड़ीसा में स्थिति बड़ी खराब है।

मैं डा० महताब के लिये कृतज्ञ हूं कि उन्होंने उड़ीसा के लोगों की दशा का ठीक वर्णन किया है।

समाचारपत्रों ने भी इस बारे में काफी समाचार दिये हैं। यह आश्चर्य की बात है कि सरकार इस मामले को इस प्रकार छोड़े बैठी है। यह इस सरकार की विफलता का ही कारण है कि देश इस खराब हालत में है। श्री सुब्रह्मण्यम ने भी 8 मार्च को राज्य सभा में इस बात को साफ मान लिया था।

तीसरी योजना में ही नहीं बल्कि हम सारी योजनाओं में विफल हुए। सरकार के स्वयं के अनुमान के अनुसार सिंचाई के पानी का दो तिहाई भाग तो हम प्रयोग भी नहीं कर सके और वह समुद्र में चला गया।

सरकार को चाहिये कि सदन के सामने आकर साफ तौर से मान ले कि वह इस मामले में फेल हो गई है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सब दलों ने उड़ीसा की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की है।

यह सच है कि वहां स्थिति एकदम खराब नहीं हुई। मैंने रिकार्डों को देखा और पता चला कि इस बारे में अगस्त 1965, दिसम्बर 1965 में भी चर्चा हुई है और बजट सत्र में भी चर्चा हुई। इस लिये यह तो कहा नहीं जा सकता कि उड़ीसा सरकार को इसका पता नहीं था। जो कदम सरकार ने इसके लिये उठाये वह पर्याप्त नहीं थे। यह बात माननी पड़ेगी।

इसके बारे में हम ने जिलाधीश का अप्रैल 1966 में एक सम्मेलन बुलाया और आवश्यक कदम उठाने को कहा। मैं डा० महताब से इस बात में सहमत हूं कि वास्तविक कार्य मार्च के बाद ही किया।

साथ ही यह भी न भूलना चाहिये कि इस वर्ष जो सूखा पड़ी ऐसी सूखा पहले 1886 में ही पड़ी थी। उसमें तो खैर 10 लाख व्यक्ति मर गये थे। 1886 की सूखा के बाद कुछ कदम उठाये और उसके कारण अब नुकसान कम हुआ विशेषकर तटवर्तीय क्षेत्रों में।

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम]

जनता को और आदिवासियों को इस से बड़ी कठिनाई हुई है।

श्री मुकर्जी ने इस मामले को प्राथमिकता देने की बात कही है। मैं इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दूंगा।

अतः मुझे खेद है कि ऐसा हुआ है, हम इन क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देना चाहते हैं। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये। सम्पूर्ण भारतवर्ष में उड़ीसा सबसे अधिक पिछड़ा राज्य है और इस पिछड़े राज्य में यह क्षेत्र सब से अधिक पिछड़ा हुआ है। यह वास्तविक कठिनाई की बात है। इसी कारण लोग अधिक पीड़ित हैं। अतः हमें अब ऐसी कार्यवाही करनी है जिससे लोगों की अनावश्यक पीड़ा दूर की जा सके। हमे यह भी देखना है कि अवस्था और अधिक खराब न हो जाये बल्कि कुछ सुधार हो सके। मैं ने भुवनेश्वर में मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों और अधिकारियों से बात चीत की थी। पिछली मार्च अथवा अप्रैल से अब तक विभिन्न उपाय किये गये हैं। अनेक सहायता कार्य काफी व्यापक आधार पर किये जा रहे हैं और इस में सफलता भी मिली है।

ऐसे सहायता कार्य पर्याप्त संख्या में किये जा रहे हैं। इनको अभी और बढ़ाया जायेगा। प्रत्येक स्थान में परीक्षण कार्य चल रहे हैं।

परन्तु इस समय परीक्षण सहायता कार्य की व्यवस्था की इतनी महत्वता नहीं है। रिपोर्ट का अध्ययन करने पर पता चलेगा कि यद्यपि सहायता कार्य आरम्भ कर दिये गये हैं, एक महत्वपूर्ण कमी के बारे में भी उल्लेख किया गया है। लोगों की रोजाना मजूरी बहुत कम है। वर्तमान परिस्थितियों में लोगों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे आठ घंटे कड़ा परिश्रम कर सकें। अतः इस में आश्चर्य नहीं होना चाहिये कि वे प्रातः 8 बजे से दुपहर 12 बजे तक कार्य करें। 100 घन फुट खुदाई के लिये 1 रुपया 75 पैसे निर्धारित मज़दूरी है परन्तु लोग, औसत में 62 पैसे से अधिक नहीं कमा पाते। कुछ लोग 50 पैसे ही अर्जित करते हैं। इतने थोड़े पैसों से उनका गुज़ारा नहीं हो सकता। अतः हम ने प्रथम जिस बात के बारे में चर्चा की थी वह यह थी कि हमें ऐसे प्रयत्न करने चाहिये जिस से लोग इतना धन अर्जित कर सकें कि उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। हम ने इस सम्बन्ध में दो सुझाव दिये थे। प्रथम तो यह था कि 1 रुपया 75 पैसे वाली दर को बढ़ाया ताकि एक व्यक्ति चार घंटे कार्य करने पर भी 1 रुपया अथवा 1 रुपया 25 पैसे कमा सके। दूसरा तरीक़ा यह हो सकता है कि धन के रूप में मजदूरी दिये जाने के अतिरिक्त कुछ अनाज भी दिया जाये। उन्होंने इन दोनों उपायों की परीक्षण करने के लिये निर्णय किया है और जो भी एक उपाय सफल होगा उसी को लागू किया जायेगा। इस प्रकार ही लोगों को पर्याप्त मजूरी मिल सकेगी जिससे कि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

इस विषय का दूसरा पहलू यह है कि जब वे लोग इतनी मजूरी कमाने लगें तो उन्हें अनाज ऐसे उचित मूल्य पर मिले कि वे अपनी मजूरी से पर्याप्त मात्रा में अनाज इत्यादि खरीद सकें।

माननीय श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी तथा अन्य किसी माननीय सदस्य ने यह कहा था कि चावल 91 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बिक रहा है। इस मूल्य पर कोई भी व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में चावल नहीं खरीद सकता। अतः यह आदेश कर दिया गया है कि चावल की विभिन्न किस्मों का भेद न किये बिना सब प्रकार का चावल सामान्य किस्म का चावल मानकर बेचा जाये। किसी ने तकनीकी कठिनाई सम्बन्धी आपत्ति प्रकट की परन्तु यह समय तकनीकी कठिनाईयों को ध्यान देने का नहीं है। अतः वह आदेश जारी कर दिया गया है। इस के

अतिरिक्त हम ने यह आश्वासन भी दिया है कि हम कुछ ज्वार और माइलों का स्टाक रखेंगे जो 35 या 40 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जायेगा। ये अनाज कितनी भी मात्रा में खरीदा जा सकता है। हम ने माइलों को उड़ीसा भेजना आरम्भ कर दिया है। हम इस निर्णय को कार्यान्वित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह कमी वाले क्षेत्र के लिये किया गया है।

अपाहिज, वृद्ध तथा बीमार लोगों को कृपा-पूर्ण सहायता देने के उद्देश्य से कार्ड दिये जा रहे हैं ताकि वे प्रतिदिन 290 ग्राम अनाज ले सकें। करीब 1 लाख कार्ड बांटें जा चुके हैं और गेहूं तथा चावल दिया जा रहा है। इन कार्डों के वितरण के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें आई है और इस बारे मे जांच की जा रही है। हम ने 1 लाख कार्ड और वितरित किये जाने का प्रबन्ध किया है। यदि आवश्यकता होगी तो इसके अतिरिक्त और कार्ड बांटें जायेंगे।

मुफ्त खाना देने वाले केन्द्र दो श्रेणियों में आते हैं। एक प्रकार के केन्द्र तो स्कूल के बच्चों के लिये हैं जहां स्कूल जाने वाले बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाता है। हम चाहते हैं कि छुट्टियों के दिनों भी यह कार्यक्रम चले और इसकी व्यवस्था करने के लिये अध्यापकों को कुछ मानदेय दिया जाए। इसके अतिरिक्त बिटेमिन की गोलियां भी बांटी जायेंगी। हमने यह भी निर्णय किया है कि जो लोग मुफ्त भोजन देने वाले केन्द्रों से लाभ उठाते हैं उनको भी कार्ड दिये जायें। उनको भी 290 ग्राम अनाज मिलेगा। वर्षा आरम्भ होने पर परीक्षण सहायता कार्यों को बन्द नहीं किया जाएगा। इन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये हमने यह निश्चय किया है कि राजस्व बोर्ड के एक सदस्य को इस क्षेत्र में रखा जाये और उसका मुख्य कार्यालय भी यहीं बजाय भुवनेश्वर के यहीं रखा जाये। वह विभिन्न कार्यवाहियों की देखभाल करेगा और उसको इतनी शक्तियां दी जायेंगी ताकि वह वहां पर ही समस्याओं का स्वयं समाधान कर सकें।

कुछ सदस्यों ने कृषि सम्बन्धी कार्यवाहियों के बारे में कहा है। कृषि सम्बन्धी कार्यवाहियों को हम बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं क्योंकि मानसून के बाद लोगों को और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा यदि कृषि के बारे में सामान्य कार्यवाही आरम्भ नहीं की जायेगी अत: हम यह पता लगा रहे हैं कि आने वाले कृषि के मौसम में कृषक कितनी भूमि की जताई कर सकते हैं। कुछ मंत्रियों ने बताया था कि करीब 70 प्रतिशत भूमि में जुताई हो चुकी है। परन्तु कुछ लोग कहते हैं कि केवल 30 प्रतिशत भूमि में जुताई हुई है। परन्तु यह पता लगाना है कि बैलों इत्यादि की कमी के कारण कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां ट्रैक्टरों नहीं प्रयोग किये जा सकते क्योंकि वे बड़े ट्रैक्टर हैं। राज्य सरकार ने करीब 100 शक्ति से चलने वाले छोटे हलों का प्रबन्ध किया है।

हम ने राज्य सरकारों को लिखा था कि अनावृष्टि के कारण जो अनाज बीज के रूप में रखा जायेगा वह भी खाने के काम में आ जायेगा। अत: वे अपने अपने राज्यों में वितरण के लिये पर्याप्त मात्रा में बीज स्टाक करें। इस सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार को भी चेतावनी दी गई थी। उन्होंने वसूली की है परन्तु वह पर्याप्त नहीं है। उनको आशा है कि सम्बलपुर कटक तथा अन्य स्थानों से दूसरी फसल पर करीब 5 लाख मन बीज प्राप्त हो जायेगा। इस के अतिरिक्त हम ने मद्रास तथा आंध्र सरकार को चेतावनी दे दी है कि उड़ीसा के लिये उपयुक्त बीज का स्टाक रखें।

मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि यदि उड़ीसा में पर्याप्त मात्रा में बीज नहीं मिलेगा तो हम आंध्र तथा मद्रास से वहां बीज भेज देंगे। बीज का मूल्य तीन वार्षिक किस्तों में दिया जायेगा, हम यह भी प्रयत्न कर रहे हैं कि बीज किसानों के पास समय पर पहुंच जाये। हमने किसानों के पास बीज पहुंचने की तिथि निर्धारित की है। यह निश्चय करने के लिये कि बीज कार्यक्रम के अनुसार समय पर ही पहुंचे, हमने कृषि मंत्री और कृषि विभाग के निदेशक

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम]

को इस कार्य के लिये जिम्मेदार बना दिया है ताकि जिलों में बीज निश्चित तारीख पर अवश्य पहुंच जाये। जिला तथा खण्ड स्तर पर भी अफसरों को इस बात के लिये जिम्मेदार बना दिया है कि वे किसानों तक पीज समय से पूर्व पहुंचा दें। यह निर्णय किया गया है कि सरकार जिस मूल्य पर बीज खरीदेगी उसी पर किसानों को देगी। बीज पर वसूल किये जाने वाली अतिरिक्त व्यय किसानों से नहीं लिया जायेगा।

बीज के अतिरिक्त किसानों के लिये फसल कटने तक निर्वाह करने के लिये आर्थिक सहायता की भी आवश्यकता है। अतः किसानों को ऋण दिये जाने के लिये एक कार्यक्रम बनाया गया है।

महाराष्ट्र तथा गुजरात में कुछ किया गया है परन्तु अन्य कुछ क्षेत्रों में कुछ नहीं किया गया है और वे अभी तक पुराने स्तर पर ही हैं।

उड़ीसा में आदिमजाती क्षेत्र में जल के अच्छे संसाधान हैं। वहां से सब नदियां निकलती है और नीचे की ओर बहती हैं। इसके अतिरिक्त बाहर खनीज संसाधन भी बहुत हैं। फिर भी यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। वहां पर मध्यम तथा बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के बारे में जांच करने के लिये कुछ कार्य किया गया है। इस समय इस बात की आवश्यकता है कि उन कार्यक्रमों पर कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जाये। वहां के लिये कई परियोजनायें हैं और अगले तीन या चार वर्षों में 20 अथवा 25 करोड़ रुपये व्यय करने पर उस क्षेत्र का पूर्ण रुपान्तरण हो जायेगा। इस कार्य को पूरा करने के लिये कार्यवाही की जायेगी और उसके लिये प्राथमिकता निर्धारित करनी पड़ेगी।

हमें आदिमजाति तथा पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं का पता है। हम उनकी समस्याओं को सुलझाने का पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे। इस समय उड़ीसा सरकार को वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। मैंने इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री से बात चीत की है। मेरे कृषि सचिव के साथ वित्त मंत्रालय का एक अधिकारी आज उड़ीसा जा रहा है। मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इन में से कोई भी कार्यक्रम पैसे की कमी के कारण न बन्द किये जायेंगे और न उनमें काट-छांट की जायेगी या उनके कार्यान्वित करने में विलम्ब होने दिया जायेगा।

इसके अतिरिक्त हम पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि केन्द्रीय सरकार का कोई उच्च पदाधिकारी उड़ीसा तथा अन्य ऐसे राज्यों में जाये जहां कठिनाई है और यह सुनिश्चित करे कि वहां चल रही कार्यवाही में किसी प्रकार की ढील न हो। यह अधिकारी केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट भेजे और यदि स्थिति में कोई परिवर्तन हो तो सूचित करे। यदि केन्द्रीय सरकार को कोई तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी तो हम यह कार्यवाही करने से हिचकिचायेंगे नहीं।

श्री द्विवेदी ने सुझाव दिया है कि उड़ीसा सरकार को तुरन्त बर्खास्त कर दिया जाना चाहिये। वहां पर सरकार को हटाने से गड़बड़ फैल जायेगी। केन्द्रीय सरकार को भी कार्य संभालने में एक महीना लग जायेगा। संविधान के अनुसार भी ऐसा करना ठीक नहीं होगा। इस से तो यह अच्छा होगा कि राज्य सरकार को और मजबूत बनाया जाये।

जब केरल सरकार का कार्य केन्द्र ने संभाला था तो यह कहा गया था कि लोकतंत्र की हत्या की गई है। अब उड़ीसा में भी वैसा ही करने का सुझाव दिया जा रहा है।

उड़ीसा में तुरन्त चुनाव कराना खतरनाक है। यदि हम उड़ीसा में इस समय चुनाव कराते हैं तो हमारा ध्यान हटकर चुनावों में लग जायेगा। इस समय वहां लोग पीड़ित हैं। अतः चुनाव कराना ठीक नहीं है।

इस समय हम सब इस समस्या से सम्बद्धित हैं। हमें यह देखना है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर न हो जाये। इस समय लोगों के जीवन तथा बच्चों के भविष्य का प्रश्न है। हम बच्चों की पीड़ा दूर करने के कार्य को प्राथमिकता देंगे। बच्चों पर भविष्य निर्भर करता है। अत: व्यस्कों की अपेक्षा बच्चों को पौष्टिक खाद्यपदार्थ तथा सहायता देने के कार्य को प्राथमिकता दी जायेगी।

इस सम्बन्ध में सहयोग के लिये जो सुझाव श्री मुकर्जी ने दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। समस्या को हल करने के लिये संसद सदस्यों तथा राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों का सहयोग अत्यावश्यक है। केवल अधिकारियों द्वारा ही यह कार्य सफल नहीं बनाया जा सकता जो कमियां रह जायेंगी उनकी पूर्ती संसद तथा विधान मण्डलों के सदस्यों के द्वारा की जानी चाहिये।

रामकृष्ण मिशन जैसी स्वयंसेवक संस्थाओं की सहायता का स्वागत किया जाना चाहिये। परन्तु खाद्यान्न व्यवस्था का कार्यक्रम केवल स्वयंसेवक संस्थाओं पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये। मैंने उड़ीसा सरकार से कहा है कि यदि कोई स्वयंसेवक संस्था सहायता कार्य के लिये न आये तो इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार खाद्यान्न व्यवस्था न करे। सरकार को चाहिये कि हस्तक्षेप कर के कमी को दूर करे। इस सम्बन्ध में भी निर्वाचित प्रतिनिधि महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। मैं सभा को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम देश में पीड़ित लोगों की समस्या से चिन्तित हैं।

चावल के स्थान में धान का वितरण किये जाने के सम्बन्ध में हमने उड़ीसा सरकार से बात चीत की थी। इस बारे में कुछ कठिनाइयों की चर्चा की गई थी परन्तु कठिनाइयों को दूर किया जायेगा और यदि लोगों के लिये धान का वितरण अच्छा रहेगा तो ऐसा ही किया जायेगा चाहे इसमें कुछ कठिनाइयां भी हों। मैं ने इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री से भी अनुरोध किया है कि वह इस मामले को हल करने का कष्ट करें..... (**व्यवधान**)।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Please permit me to put a question.

उपाध्यक्ष महोदय : अब और प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे। चर्चा समाप्त हो गई है। अब सभा कल प्रात: के 11 बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 12 मई, 1966/22 वैशाख, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 12th May, 1966/ Vaisakha 22, 1888 (Saka).

भा०स०मु०ना०—से०1 73 लोक सभा/66—25-10-67—565